



## भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का  
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



बिहार सरकार  
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-2

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का  
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

बिहार सरकार  
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-2



## विषय—सूची

विवरणी	कंडिका संख्या	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		vii
विहंगावलोकन		ix
<b>भाग क : राजस्व प्रक्षेत्र</b>		
<b>अध्याय I : सामान्य</b>		
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.2	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन—संक्षिप्त स्थिति	1.3	6
लेखापरीक्षा पर विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया	1.4	8
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.5	9
इस प्रतिवेदन का आच्छादन	1.6	10
<b>अध्याय II : वाणिज्य—कर</b>		
कर प्रशासन	2.1	11
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	11
“माल एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न दाखिल पर विभाग की निगरानी” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.3	12
सामग्री की आपूर्ति पर टीडीएस की कटौती नहीं करने के कारण राजस्व की हानि	2.4.1	50
<b>अध्याय III : वाहनों पर कर</b>		
कर प्रशासन	3.1	53
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	53
वाहनों के फिटनेस प्रमाण—पत्र का नवीनीकरण नहीं होने के कारण जाँच शुल्क एवं फिटनेस प्रमाण—पत्र शुल्क की वसूली न होना	3.3	53
एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान के लिए परिवहन वाहनों से अर्थदंड की वसूली नहीं किया जाना	3.4	55
मोटर वाहन कर की वसूली नहीं होना	3.5	56
<b>अध्याय IV : राजस्व एवं भूमि सुधार</b>		
कर प्रशासन	4.1	59
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	59
भू—स्वामियों का पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लाभ से वंचित होना	4.3	59
तोषण की कम गणना	4.4	60
अतिरिक्त मुआवजे का कम भुगतान किया जाना	4.5	61
<b>अध्याय V : मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस</b>		
कर प्रशासन	5.1	63
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.2	63
भूमि के अल्प मूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली	5.3	64

<b>भाग ख: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम</b>		
<b>अध्याय VI : राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के क्रियाकलाप</b>		
प्रस्तावना	6.1	65
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश	6.2	65
अंश पैंजी धारिता	6.3	66
31 मार्च 2022 को बकाया दीर्घावधि ऋणों की गणना	6.4	67
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा अर्जित लाभ	6.5	68
हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	6.6	68
अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का समापन	6.7	69
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका	6.8	69
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	6.9	69
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका के परिणाम	6.10	70
लेखापरीक्षा पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया	6.11	71
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) के प्रतिवेदन का अनुपालन	6.12	71
<b>अध्याय VII : विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा</b>		
बिहार सरकार के उद्योग; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना प्रावैधिकी तथा जल संसाधन विभागों के अन्तर्गत अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में परिसम्पत्तियों का भौतिक अस्तित्व एवं सुरक्षा	7.1-7.7	73-86
<b>अध्याय VIII : अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन</b>		
पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेडः पटना में स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यान्वयन	8.1	87
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेडः विचलन के कारण अतिरिक्त शुल्क का भुगतान	8.2	101
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेडः अनुदान की हानि	8.3	103
बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेडः परिहार्य व्यय	8.4	106
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेडः टीडीएस की कटौती की वापसी का दावा करने में विफल रहने के कारण निधियों का अवरुद्ध हो जाना	8.5	107
<b>परिशिष्ट</b>		111

परिशिष्ट की सूची			
भाग क: राजस्व प्रक्षेत्र			
परिशिष्ट सं०	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका सं०	पृष्ठ सं०
2.1	विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत न करना	2.3.7.2	111
2.2	केन्द्रीकृत लेखापरीक्षा के परिणाम	2.3.7.3	113
2.3	जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	2.3.7.3 (क)(I)	115
2.4	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	2.3.7.3 (क) (II)	117
2.5	कर के भुगतान के बिना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	2.3.7.3 (क) (III)	119
2.6	जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	2.3.7.3 (क) (IV)	120
2.7	जीएसटीआर-9सी की तालिका-5आर में असमाशोधित आवर्त्त	2.3.7.3 (क) (V)	121
2.8	जीएसटीआर-9सी की तालिका-7जी में असमाशोधित कर योग्य आवर्त्त	2.3.7.3 (क) (VI)	122
2.9	जीएसटीआर-9सी की तालिका-9आर में असमाशोधित कर देयता	2.3.7.3 (क) (VII)	123
2.10	प्राप्तकर्ताओं द्वारा इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	2.3.7.3 (क) (VIII)	124
2.11	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना	2.3.7.3 (क) (IX)	125
2.12	अभुक्त कर देयता	2.3.7.3 (क) (X)	126
2.13	ऐसे मामले जहां जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया है लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है	2.3.7.3 (क) (XI)	127
2.14	करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ	2.3.7.3 (ग)	129
2.15	क्षेत्र सीमाएं (अभिलेखों का आंशिक प्रस्तुतिकरण)	2.3.7.4 (क)	131
2.16	करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं करना	2.7.3.4 (क) (I)(अ)	135
2.17	करदाताओं द्वारा उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपूर्तिकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट से बेमेल होना	2.3.7.4 (क) (II) (अ)	136
2.18	वार्षिक रिटर्न और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के बीच असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	2.3.7.4 (क) (II) (ब)	138

2.19	वार्षिक रिटर्न में घोषित जीएसटीआर-3बी से इनपुट टैक्स क्रेडिट में अंतर	2.7.3.4 (क) (II)(स)	139
2.20(क)	कर का नहीं/अल्प भुगतान और उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं रिवर्स चार्ज के तहत किए गए भुगतान के बीच विसंगति	2.7.3.4 (क) (II) (द)	140
2.20(ख)	कर का नहीं/अल्प भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं रिवर्स चार्ज के तहत किए गए भुगतान के बीच विसंगति	2..3.7.4 (क) (II) (द)	141
2.21	जीएसटीआर-1 की तुलना में जीएसटीआर-9/3बी में कर देयता की कम स्वीकृति	2.3.7.4 (क) (III)(अ)	142
2.22	कर का कम भुगतान	2.3.7.4 (क) (III) (ब)	143
2.23	सामग्री की आपूर्ति पर टीडीएस की कटौती न करने के कारण राजस्व की हानि	2.4.1	144
3.1	वाहनों के फिटनेस प्रमाण—पत्र का नवीनीकरण नहीं होने के कारण जाँच शुल्क एवं फिटनेस प्रमाण—पत्र शुल्क की वसूली न होना	3.3	145
3.2	एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान के लिए परिवहन वाहनों से अर्थदंड की वसूली नहीं किया जाना	3.4	146
3.3	मोटर वाहन कर की वसूली नहीं होना	3.5	147
4.1	तोषण की कम गणना	4.4	148
4.2	अतिरिक्त मुआवजे का कम भुगतान किया जाना	4.5	149
4.3	अतिरिक्त मुआवजे का कम भुगतान किया जाना	4.5	152
4.4	अतिरिक्त मुआवजे का कम भुगतान किया जाना	4.5	159
5.1	भूमि के अल्प मूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली	5.3	160

#### भाग ख : राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

परिशिष्ट सं०	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका सं०	पृष्ठ सं०
6.1	वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (इस प्रतिवेदन में शामिल) के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	6.2.3	161
6.2	इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किये गये राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का विवरण	6.2.3	168
6.3	इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के वित्तीय विवरणों पर निर्गत (अक्टुबर 2021 से जुलाई 2022 के दौरान) महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विवरण	6.10.2	173

7.1	अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के निगमन एवं स्थिति का विवरण	7.1	176
7.2	नमूनाकृत अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की वित्तीय स्थिति	7.5	179
7.3	नमूनाकृत अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के पंजीकृत पते पर प्रतिष्ठानों/परिसरों का विवरण	7.6.1	181
7.4	नमूनाकृत अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लेखाओं का बकाया (सितम्बर 2022 तक)	7.6.2	185
7.5	अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के वेतन/पेंशन आदि के सम्बन्ध में देनदारियों का विवरण	7.6.3	186
7.6	परिस्परित्यों का विवरण	7.6.4 तथा 7.6.5	187
8.1	पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत परियोजनाएँ	8.1.1	189
8.2	29 छोड़ी गई परियोजनाएँ (पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत)	8.1.7.1	191
8.3	पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, लागत सहित 29 संशोधित परियोजनाएँ	8.1.7.1	193
8.4	पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं पर किया गया व्यय (अगस्त 2022 तक)	8.1.9	196
8.5	गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन पद्धति के अंतर्गत बोलीदाताओं को अंकों का आवंटन	8.4	198
<b>संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली</b>			199



## प्रस्तावना

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, के अन्तर्गत राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों/उपक्रमों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो वर्ष 2021–22 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में संज्ञान में आये, साथ ही साथ वे मामले जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आये किन्तु पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हें प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; वर्ष 2021–22 के आगे की अवधि के मामले भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।



विहंगावलोकन



## विहंगावलोकन

### भाग क : राजस्व प्रक्षेत्र

इस भाग में “माल एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न दाखिल पर विभाग की निगरानी” पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित नौ कंडिकाएँ शामिल हैं। इस प्रतिवेदन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं:

#### 1. सामान्य

वर्ष 2021–22 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,58,797.33 करोड़ थीं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से प्राप्त राजस्व ₹ 38,838.88 करोड़ (24.46 प्रतिशत) था। भारत सरकार से प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 1,19,958.45 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 75.54 प्रतिशत) था, जिसमें विभाज्य संघीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ 91,352.62 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 57.53 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान ₹ 28,605.83 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 18.01 प्रतिशत) समाविष्ट थे।

(कंडिका 1.1)

31 मार्च 2022 तक बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क, वाहनों पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, भू—राजस्व, राज्य उत्पाद, मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस तथा अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगों पर राजस्व के बकाये ₹ 4,022.59 करोड़ थे, जिसमें से ₹ 1,300.42 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित थे।

(कंडिका 1.2)

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2010–11 से 2019–20 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 43 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा की तथा ऊपर वर्णित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित वाणिज्य—कर विभाग, मद्य—निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग और परिवहन विभाग से संबंधित 36 कंडिकाओं पर अनुशंसाएँ की, हालाँकि लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर इन विभागों से कृत कार्रवाई संबंधित टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई (अप्रैल 2023)।

(कंडिका 1.3)

मार्च 2022 तक 2,980 निरीक्षण प्रतिवेदन (25,166 लेखापरीक्षा अवलोकन) जिनमें ₹ 55,840.32 करोड़ का संभावित राजस्व सन्निहित था, लंबित थे, जबकि राज्य का कुल राजस्व संग्रहण ₹ 38,838.88 करोड़ है। 2007–08 से निर्गत किये गये ₹ 20,097.69 करोड़ तक के संभावित राजस्व से सन्निहित 1,271 निरीक्षण प्रतिवेदनों (10,838 लेखापरीक्षा अवलोकन) के प्रथम जवाब प्राप्त नहीं हुए (जून 2022)।

(कंडिका 1.4)

लेखापरीक्षा ने 1,059 मामलों में कुल ₹ 25,001.46 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि का पता लगाया। संबंधित विभागों ने 336 मामलों में ₹ 28.80 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया (अप्रैल 2021 और मार्च 2022 के मध्य) जो पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। 74 मामलों में कुल ₹ 3.16 करोड़ की वसूली विभागों द्वारा (अप्रैल 2021 और मार्च 2022 के मध्य) प्रतिवेदित की गई।

(कंडिका 1.5)

## 2. वाणिज्य-कर

12 अंचलों में, 26 करदाताओं ने माल एवं सेवा कर रिटर्न (जीएसटीआर-3बी) के माध्यम से ₹ 761.76 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया था, जबकि वर्ष 2017-18 के लिए उनके जीएसटीआर-2ए में केवल ₹ 720.03 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध था।

(कंडिका 2.3.7.3 (क)(I))

11 अंचलों के, 22 करदाताओं ने वर्ष 2017-18 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ₹ 7.28 करोड़ के अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया।

(कंडिका 2.3.7.3 (क)(II))

पाँच अंचलों के सात करदाताओं ने वर्ष 2017-18 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ₹ 1.03 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ बिना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कर देयता के निर्वहन/भुगतान के उठाया।

(कंडिका 2.3.7.3 (क)(III))

चार अंचलों के पाँच करदाताओं ने जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में ₹ 6 करोड़ के असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट की घोषणा की थी, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में दावा किया गया था।

(कंडिका 2.3.7.3 (क)(IV))

13 अंचलों के, 26 मामलों में वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 1,647.19 करोड़ के असमाशोधित आवर्त्त को जीएसटीआर-9सी की तालिका-5आर में घोषित किया गया था।

(कंडिका 2.3.7.3 (क)(V))

15 अंचलों के, 26 मामलों में जीएसटीआर-9सी की तालिका-7जी में घोषित ₹ 294.73 करोड़ का असमाशोधित कर योग्य आवर्त्त।

(कंडिका 2.3.7.3 (क)(VI))

13 अंचलों के, 19 मामलों में जीएसटीआर-9सी की तालिका-9आर में ₹ 8.90 करोड़ के कर का असमाशोधित भुगतान।

(कंडिका 2.3.7.3 (क)(VII))

नौ अंचलों में 14 करदाताओं ने वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 2.43 करोड़ के अतिरिक्त इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का लाभ उठाया था।

(कंडिका 2.3.7.3 (क)(VIII))

वर्ष 2017-18 के लिए 11 अंचलों के, 14 मामलों में ₹ 101.77 करोड़ की कर देयता का अंतर।

(कंडिका 2.3.7.3 (क)(IX))

11 अंचलों के, 12 करदाताओं ने जीएसटीआर -1 दाखिल किया था एवं जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल किए बिना वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 0.91 करोड़ की कर देयता घोषित की थी।

(कंडिका 2.3.7.3 (क)(X))

16 अंचलों के, 22 मामलों (नौ जाँचित मामले सहित) में करदाताओं ने 1 से 1,060 दिनों की विलम्ब से अपना रिटर्न दाखिल किया, लेकिन ब्याज के ₹ 2.62 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था।

**(कंडिका 2.3.7.4 (क)(I)(अ))**

23 अंचलों के, 44 विभिन्न करदाताओं से प्राप्त इनपुट आपूर्ति पर ₹ 60.58 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट बेमेल।

**(कंडिका 2.3.7.4 (क)(II)(अ))**

तीन अंचलों के चार मामलों में, वर्ष 2017–18 के लिए जीएसटीआर–9सी की तालिका–12एफ में ₹ 11.04 करोड़ का असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट था।

**(कंडिका 2.3.7.4 (क)(II)(ब))**

आठ अंचलों के आठ मामलों (बिना जाँच किए गए) में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में ₹ 0.54 करोड़ का अंतर था जैसा कि जीएसटीआर–9 रिटर्न के तालिका–6जे में दर्शाया गया है।

**(कंडिका 2.3.7.4 (क)(II)(स))**

2017–18 की अवधि के लिए पटना उत्तरी और पटना विशेष अंचलों के तीन करदाताओं ने ₹ 2.01 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था, लेकिन रिवर्स चार्ज के तहत केवल ₹ 0.04 करोड़ के कर का भुगतान किया।

**(कंडिका 2.3.7.4 (क)(II)(द))**

16 अंचलों के, 19 करदाताओं (तीन जाँचित / मूल्यांकित मामलों सहित) ₹ 7.22 करोड़ के कर का कम भुगतान।

**(कंडिका 2.3.7.4 (क)(III)(ब))**

सासाराम और शाहाबाद अंचलों के दो करदाताओं ने 2017–18 की अवधि के लिए ₹ 2.58 करोड़ के 'व्यावसायिक संपत्तियों के हस्तांतरण और स्क्रैप बिक्री' की कर योग्य आपूर्ति की थी।

**(कंडिका 2.3.7.4 (क)(III)(स))**

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ता के विपत्र से टीडीएस की कटौती न करने के कारण कर देयता की कम स्वीकृति का पता नहीं लगाया जा सका, जिसके कारण ₹ 1.77 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

**(कंडिका 2.4.1)**

### 3. वाहनों पर कर

संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जनवरी 2017 और मार्च 2022 के बीच 20,189 वाहनों के फिटनेस प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण सुनिश्चित नहीं किया। इसके फलस्वरूप ₹ 1.27 करोड़ (जाँच शुल्क: ₹ 86.94 लाख एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र नवीनीकरण शुल्क: ₹ 40.38 लाख) की वसूली नहीं हुई।

**(कंडिका 3.3)**

अर्थदंड की गणना/आरोपण, 581 दोषी वाहनों के संबंध में एकमुश्त कर के विलंब से भुगतान के लिए न ही वाहन सॉफ्टवेयर द्वारा और न ही संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.05 करोड़ के अर्थदंड का आरोपण/वसूली नहीं किया गया।

(कंडिका 3.4)

चूककर्ता वाहन मालिकों द्वारा मोटर वाहन करों का भुगतान नहीं करने की जानकारी उपलब्ध होने के बाबजूद, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने कर चूककर्ता सूची तैयार करने के लिए वाहन के कर तालिका की निगरानी या समीक्षा नहीं की। परिणामस्वरूप जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा चूककर्ताओं को कोई माँग पत्र जारी नहीं किया गया और फलस्वरूप ₹ 22.16 करोड़ कर और अर्थदंड की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 3.5)

#### 4. राजस्व एवं भूमि सुधार

₹ 5,00,000 का एकमुश्त भुगतान का संवितरण न होने के कारण 41 प्रभावित परिवार पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन पात्रता और ₹ 2.59 करोड़ के उद्ग्रहणीय ब्याज से वंचित हो गये।

(कंडिका 4.3)

त्रुटिपूर्ण गणना के तरीके अपनाने के फलस्वरूप ₹ 6.40 करोड़ तोषण और उद्ग्रहणीय ब्याज का कम आरोपण हुआ जिसके कारण भू-स्वामियों को कम भुगतान हुआ।

(कंडिका 4.4)

गलत गणना किए जाने के कारण भू-स्वामियों को ₹ 16.73 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे और उदग्रहणीय ब्याज का कम भुगतान किया जाना।

(कंडिका 4.5)

#### 5. मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस

पाँच निबंधन प्राधिकारी, अक्टूबर 2020 से जून 2022 के दौरान निष्पादित आठ दस्तावेजों में भूमि के अल्प मूल्यांकन का पता लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.25 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली हुई।

(कंडिका 5.3)

#### भाग ख: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

इस भाग में “बिहार सरकार के उद्योग; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना प्रावैधिकी तथा जल संसाधन विभागों के अन्तर्गत अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा०क्षे०उ०) में परिसम्पत्तियों का भौतिक अस्तित्व एवं सुरक्षा” पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित, छ: कंडिकाएँ शामिल हैं। इस भाग के कुछ प्रमुख परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:

#### 6. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के क्रियाकलाप

31 मार्च 2022 को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 77 राज्य सरकार के सा०क्षे०उ० थे। इनमें 70 सरकारी कम्पनियाँ, चार सरकार

नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ तथा तीन सांविधिक निगम शामिल थे। यह अध्याय 15 सरकारी कम्पनियों एवं एक सांविधिक निगम से सम्बन्धित है। 61 साठें०७० (चार सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों तथा दो सांविधिक निगम सहित), जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए बकाये में थे अथवा निष्क्रिय / परिसमापन के अधीन थे अथवा प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, उन्हें इस अध्याय में शामिल नहीं किया गया है।

#### (कंडिका 6.1 एवं 6.2.3)

31 मार्च 2022 तक, इस अध्याय में शामिल साठें०७० में कुल निवेश (अंश पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) ₹ 52,689.67 करोड़ था। निवेश में अंश पूँजी 76.41 प्रतिशत (₹ 40,260.17 करोड़) एवं दीर्घकालिक ऋण 23.59 प्रतिशत (₹ 12,429.50 करोड़) सम्मिलित थे। अंश पूँजी में राज्य सरकार की धारिता ₹ 39,686.75 करोड़ थी।

पिछले वर्ष की तुलना में, साठें०७० में राज्य सरकार की अंश पूँजी धारिता में ₹ 32.24 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई जबकि बकाया ऋण 2021–22 के दौरान समान रहे।

#### (कंडिका 6.3 एवं 6.4)

इस अध्याय में शामिल 16 साठें०७० में से, 2020–21 एवं 2021–22 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले साठें०७० की संख्या सात थी। अर्जित लाभ वर्ष 2020–21 के ₹ 302.15 करोड़ से घटकर 2021–22 में ₹ 291.30 करोड़ हो गया था। इन सात साठें०७० का निवल मूल्य ₹ 10,989.84 करोड़ था।

इस अध्याय में शामिल 16 साठें०७० में से, 2020–21 एवं 2021–22 के दौरान हानि वहन करने वाले साठें०७० की संख्या पाँच थी। इन हानि वहन करने वाले साठें०७० की संचित हानियाँ एवं निवल मूल्य, क्रमशः ₹ 21,041.52 करोड़ एवं ₹ 8,783.09 करोड़ थे।

#### (कंडिका 6.5 एवं 6.6)

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी०ए०जी०) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 77 साठें०७० (तीन सांविधिक निगमों सहित) में से, केवल एक साठें०७० से वर्ष 2021–22 के वित्तीय विवरण 31 जुलाई 2022 तक या इससे पूर्व प्राप्त किए गए थे तथा सी०ए०जी० द्वारा संवीक्षा की गई थी।

#### (कंडिका 6.9.2)

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात्, सी०ए०जी० द्वारा राज्य सरकार की कम्पनियों एवं सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई। अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 के दौरान, सी०ए०जी० द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत 18<sup>1</sup> लेखाओं (13 गैर ऊर्जा एवं पाँच ऊर्जा) पर अस्वीकरण (डिस्क्लेमर) तथा 14 लेखाओं (12 गैर ऊर्जा एवं दो ऊर्जा) पर टिप्पणियाँ निर्गत की गयी।

#### (कंडिका 6.10.1)

महत्वपूर्ण टिप्पणियों (इस अध्याय में शामिल तीन साठें०७० के चार वित्तीय विवरणों पर अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 के दौरान निर्गत) का वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता तथा परिसम्पत्तियों/देयताओं पर, क्रमशः ₹ 31.23 करोड़ एवं ₹ 270.69 करोड़ था।

#### (कंडिका 6.10.2)

<sup>1</sup> इन आँकड़ों में वे लेखे भी शामिल हैं जो कि अक्टूबर 2021 से पूर्व प्राप्त हुए एवं उनकी लेखापरीक्षा की गई तथा लेखाओं पर प्रतिवेदन अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 के मध्य निर्गत किये गये।

## 7. विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

अकार्यशील सा०क्षे०उ० की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का निपटान नहीं किया गया था तथा न्यूनतम/पर्याप्त मानवशक्ति एवं उचित कार्यालय प्रतिष्ठान के अभाव में, मूलभूत अभिलेखों एवं लेखापुस्तकों, का रख—रखाव नहीं किया जा रहा था। 22 में से, 15 सा०क्षे०उ० के पास मानवशक्ति नहीं थी, जिसके कारण उनके मूलभूत अभिलेखों तथा लेखापुस्तकों को, वैधानिक दायित्वों के अनुपालन के लिए रख—रखाव एवं सुरक्षित नहीं किया जा रहा था। शेष सात सा०क्षे०उ० में भी न्यूनतम कर्मचारी थे।

### (कंडिका 7.6.1)

सभी 22 नमूना चयनित अकार्यशील सा०क्षे०उ० के लेखे बकाया थे, ये बकाया सात वर्ष से लेकर 45 वर्षों तक थे। अंतिमीकृत लेखाओं के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि क्या इन सा०क्षे०उ० में किए गए निवेश ( $\text{₹ } 420.87$  करोड़) को उचित रूप से लेखाबद्ध किया गया था तथा क्या राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों का उपयोग वांछित उद्देश्यों के लिए किया गया था/किया जा रहा था।

### (कंडिका 7.6.2)

22 अकार्यशील सा०क्षे०उ० में से, 17 के पास वेतन/पेंशन एवं अन्य संबंधित वैधानिक दायित्वों ( $\text{₹ } 10,000$  एफ० आदि) के मद में  $\text{₹ } 399.08$  करोड़ की देनदारियाँ थी। बिहार सरकार ने इन देनदारियों के निष्पादन के लिए, पाँच सा०क्षे०उ० को  $\text{₹ } 127.77$  करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की थी, जिसमें से संबंधित कर्मचारियों को  $\text{₹ } 92.85$  करोड़ का भुगतान (अगस्त 2022 तक) किया गया था, जबकि बाकी कर्मचारियों को शेष राशि का भुगतान, प्रक्रियाधीन था।

### (कंडिका 7.6.3)

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (बी०एस०आई०डी०सी०एल०) के पास 322.80 एकड़ भूमि थी, जिसका मूल्य  $\text{₹ } 1,278.95$  करोड़ था तथा प्लांट एवं मशीनरी थी, जिसका मूल्य  $\text{₹ } 4.12$  करोड़ था। हालाँकि, इसकी एक सहायक कम्पनी अर्थात् बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड एवं तीन उत्पादन इकाइयों की भूमि के मूल अभिलेख, कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं पाए गए।

### (कंडिका 7.6.5)

बी०एस०आई०डी०सी०एल० की  $\text{₹ } 1,278.95$  करोड़ के मूल्य की परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों को बिहार तथा झारखण्ड के मध्य विभाजित किया जाना था। हालाँकि, इन परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों को अभी तक दोनों राज्यों के मध्य विभाजित नहीं किया गया था तथा इस प्रकार, बी०एस०आई०डी०सी०एल० के समापन की प्रक्रिया लंबित थी (अगस्त 2022)।

### (कंडिका 7.7.1)

## 8. अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन

इस प्रतिवेदन में समाविष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में गंभीर वित्तीय निहितार्थों वाली कमियों को उजागर करती है।

पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 'पटना में स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यान्वयन' का विश्लेषण किया गया है। अवलोकन मुख्यतः निम्नलिखित प्रकृति की हैं:

अक्टूबर 2022 तक, 44 स्वीकृत परियोजनाओं में से, 29 परियोजनाएँ अन्य एजेंसी द्वारा पूर्व से परियोजनाओं का क्रियान्वयन, भूमि की अनुपलब्धता, छत पर खेती की गैर-आवश्यकता, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में परियोजनाओं द्वारा भारी भीड़ को आकर्षित करने की संभावना इत्यादि कारणों से, अव्यवहारिक पाए जाने के कारण, प्रारम्भ नहीं की जा सकी। अतः, स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एस०सी०पी०) की योजना उचित रूप से नहीं बनाई गई थी, जिसके कारण अंततः परियोजनाओं को वापस लिया/समाप्त किया गया एवं उत्तरवर्ती विलम्ब हुआ।

#### (कंडिका 8.1.7.1)

पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड (पी०एस०सी०एल०) की त्रुटिपूर्ण योजना के कारण, 19 जन सेवा केन्द्रों के निर्माण पर ₹ 7.10 करोड़ का व्यय करने के बाद भी, जन सेवा केन्द्रों के निर्माण का वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

#### (कंडिका 8.1.8.1)

कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप दिए बिना, मोबिलाइजेशन अग्रिम (एम०ए०) जारी करने से, एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र प्रारम्भ नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.55 करोड़ के ब्याज की परिणामी हानि के साथ, ₹ 11.19 करोड़ का एम०ए०, 26 महीनों के लिए अवरुद्ध हो गया।

#### (कंडिका 8.1.8.2)

कार्यक्षेत्र के अनुसार, छत पर ग्रिड से जुड़े सभी ऊर्जा संयंत्रों को ग्रिड से जोड़ा जाना था तथा नेट मीटरिंग किया जाना था। हालाँकि, अधिष्ठापित संयंत्र ग्रिड से नहीं जुड़े थे तथा इसलिए नेट मीटर भी अधिष्ठापित नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप वांछित उद्देश्यों की आंशिक पूर्ति हुई।

#### (कंडिका 8.1.8.3)

पी०एस०सी०एल० ने अगस्त 2022 तक, ₹ 455.88 करोड़ की उपलब्ध निधि के विरुद्ध, केवल ₹ 132.51 करोड़ (29 प्रतिशत) व्यय किया था। एस०सी०पी० में बार-बार होने वाले परिवर्तन; कार्यों के आवंटन पश्चात् तथा क्रियान्वयन के दौरान, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन; भूमि की उपलब्धता के बिना कार्य का आवंटन एवं संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में पी०एस०सी०एल० की विफलता, कमजोर वित्तीय प्रगति के कारण थे।

#### (कंडिका 8.1.9)

मधुबनी चित्रकारी से संबंधित कार्य का क्रियान्वयन, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार/आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के बिना किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.36 करोड़ की मिशन निधि का मधुबनी चित्रकारी से संबंधित कार्य पर विचलन के साथ, अनियमित व्यय हुआ।

#### (कंडिका 8.1.9.2)

बिजली का पूर्वानुमान लगाने एवं केन्द्रिय विद्युत विनियामक आयोग (सी०ई०आर०सी०) विनियमन 2014, के अनुसार बिजली के आहरण को सीमित करने में विफलता के कारण वितरण कम्पनियों (साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड) ने विचलन के लिए, ₹ 181.13 करोड़ के अतिरिक्त शुल्क का वहन किया।

#### (कंडिका 8.2)

पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को ₹ 97.54 करोड़ के अनुदान की हानि हुई।

(कंडिका 8.3)

बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निविदा के अनियमित रूप से अंतिमीकरण करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.81 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 8.4)

# भाग क राजस्व प्रक्षेत्र



# अध्याय I

## सामान्य



## अध्याय 1 : सामान्य

### 1.1 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

**1.1.1** वित्त वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान बिहार सरकार द्वारा उद्ग्रहीत कर एवं कर–भिन्न राजस्व, विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की कुल प्राप्तियों में राज्य को समनुदेशित हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तालिका 1.1 में वर्णित है।

#### तालिका 1.1 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1.	<b>राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत राजस्व</b>					
	● कर राजस्व	23,136.49	29,408.14	30,157.98	30,341.67	34,854.54
	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	(-) 2.55	27.11	2.55	0.61	14.87
	● कर–भिन्न राजस्व	3,506.74	4,130.56	3,699.60	6,201.38	3,984.34
	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	45.93	17.79	(-)10.43	67.62	(-) 35.75
	<b>कुल</b>	<b>26,643.23</b>	<b>33,538.70</b>	<b>33,857.58</b>	<b>36,543.05</b>	<b>38,838.88</b>
2.	<b>भारत सरकार से प्राप्तियाँ</b>					
	● विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्तियों में हिस्सा	65,083.38	73,603.13	63,406.33	59,861.41	91,352.62 <sup>1</sup>
	● सहायता अनुदान <sup>2</sup>	25,720.13	24,651.62	26,968.62	31,763.88	28,605.83 <sup>3</sup>
	<b>कुल</b>	<b>90,803.51</b>	<b>98,254.75</b>	<b>90,374.95</b>	<b>91,625.29</b>	<b>1,19,958.45</b>
3.	<b>कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 और 2)</b>	<b>1,17,446.74</b>	<b>1,31,793.45</b>	<b>1,24,232.53</b>	<b>1,28,168.34</b>	<b>1,58,797.33</b>
4.	<b>3 से 1 की प्रतिशतता</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>24</b>
5.	<b>कुल राजस्व प्राप्तियों से कर राजस्व की प्रतिशतता</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>22</b>

(स्रोत : वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि वित्त वर्ष 2017–22 के दौरान कर राजस्व एवं कर–भिन्न राजस्व का औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 8.52 प्रतिशत एवं 17.03 प्रतिशत थी।


<sup>1</sup> पूर्ण विवरण के लिए, कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2021–22 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या–14–लघु शीर्ष–वार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष–0005 केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (₹ 25,442.20 करोड़), 0020–निगम कर (₹ 27,178.50 करोड़), 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 26,661.32 करोड़), 0028–आय एवं व्यय पर अन्य कर (₹ 0.19 करोड़), 0032– सम्पत्ति पर कर (₹ 6.38 करोड़), 0037–सीमा शुल्क (₹ 6,775.97 करोड़), 0038–संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 3,868.86 करोड़), 0044–सेवा कर (₹ 1,326.22 करोड़) एवं 0045–वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (₹ 92.98 करोड़) के अन्तर्गत लघु शीर्ष 901–निवल प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा।

<sup>2</sup> केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ, वित्त आयोग अनुदान एवं अन्य अंतरण/अनुदान (भारत सरकार से प्राप्त माल एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति भी शामिल हैं)।

<sup>3</sup> माल एवं सेवा कर लागू होने के कारण ₹ 1,945.08 करोड़ के राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति शामिल है।

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए राज्य के राजस्व का ब्यौरा चार्ट 1.1 में दिया गया है।

चार्ट 1.1: 2021–22 में राज्य के राजस्व का ब्यौरा  
(₹ करोड़ में)



**1.1.2:** 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों एवं उद्ग्रहीत कर राजस्वों का विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है।

### तालिका 1.2 कर—राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	निम्न की तुलना में वर्ष 2021–22 की वास्तविकी में वृद्धि (+)/ह्रास (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी						
1.	राज्य माल एवं सेवा कर	0.00 6,746.96	15,000.00 15,288.06	17,812.00 15,800.53	20,800.00 16,050.23	20,621.00 19,264.15	(-) 6.58	20.02
2.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	24,400.00 8,298.10	7,890.00 6,584.24	7,150.00 6,121.43	5,830.00 6,031.43	6,010.00 6,871.70	14.34	13.93
3.	माल एवं यात्रियों पर कर	0.00 1,644.85	0.00 398.74	50.00 22.86	20.00 5.68	19.00 (-)0.01	(-) 100.05	(-) 100.18
4.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	0.01 20.51	0.02 1.16	(-) 0.01 14.33	0.00 1.41	0.00 0.03	-	(-) 97.87
<b>उप-कुल (1, 2, 3 और 4)</b>		<b>24,400.01 16,710.42</b>	<b>22,890.02 22,272.20</b>	<b>25,011.99 21,959.15</b>	<b>26,650.00 22,088.75</b>	<b>26,650.00 26,135.87</b>		
5.	राज्य उत्पाद <sup>4</sup>	0.00 (-)3.43	0.00 (-) 9.63	0.00 (-) 4.14	0.00 (-) 4.42	0.00 (-)1.29	-	70.81
6.	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस	4,600.00 3,725.66	4,700.00 4,188.61	4,700.00 4,660.98	4,700.00 4,206.32	5,000.00 5,223.98	4.48	24.19
7.	वाहनों पर कर	1,800.00 1,599.51	2,000.00 2,085.94	2,500.00 2,712.75	2,500.00 2,267.75	2,500.00 2,475.09	(-) 1.00	9.14


<sup>4</sup> बिहार में अप्रैल 2016 से शराब के बिक्री पर रोक लगा दिया गया है।

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष							निम्न की तुलना में वर्ष 2021–22 की वास्तविकी में वृद्धि (+) / हास (-) की प्रतिशतता
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2021–22 के बजट अनुमान	2020–21 की वास्तविकी
8.	भू—राजस्व	600.00 778.65	1,000.00 476.80	1,100.00 275.28	500.00 302.37	500.00 284.20	(-) 43.16	(-) 6.01
9.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	501.09 239.16	310.00 269.17	350.00 439.54	250.00 1,355.09	250.00 595.71	138.28	(-) 56.04
10.	आय एवं व्यय पर अन्य कर—पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर	100.00 86.52	102.00 125.05	138.00 114.42	150.00 125.81	150.00 140.98	(-) 6.01	12.06
	कुल	32,001.10 23,136.49	31,002.02 29,408.14	33,799.99 30,157.98	34,750.00 30,341.67	35,050.00 34,854.54		

(स्रोत : वित्त लेखे, बिहार सरकार और वित्त विभाग, बिहार सरकार)

वर्ष 2021–22 के लिए राज्य के कर राजस्व का व्यौरा चार्ट 1.2 में दिया गया है।

चार्ट 1.2: वर्ष 2021–22 के लिए राज्य के कर राजस्व का व्यौरा (₹ करोड़ में)



तालिका 1.2 से यह परिलक्षित होता है कि वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कर राजस्व के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमान एवं वास्तविकी में काफी भिन्नताएँ थीं जो यह दर्शाता है कि बजट को वास्तविकता के आधार पर तैयार नहीं किया गया था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भू—राजस्व के तहत संग्रह में कमी के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में स्थापना शुल्क की दर में कमी को, इस भारी अंतर के लिए जिम्मेदार ठहराया।

**1.1.3:** वित्त वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों एवं उद्ग्रहीत कर—भिन्न राजस्वों का विवरण तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.3**  
**कर-भिन्न राजस्व का विवरण**


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	निम्न की तुलना में वर्ष 2021–22 की वास्तविकी में वृद्धि (+)या ह्रास (–) की प्रतिशतता
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1,350.00 1,082.67	1,600.00 1,560.65	1,600.00 1,572.07	2,450.00 1,708.93	2,450.00 1766.14	(-) 27.91 3.35
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	619.25 1,577.24	2,187.39 1,371.94	2,293.84 1,416.48	2,080.55 3,241.97	2,108.10 722.47	(-) 65.73 (-) 77.72
3.	पुलिस	41.53 86.04	46.19 30.41	52.50 96.31	32.00 122.87	32.00 33.77	5.53 (-) 72.52
4.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	256.32 25.84	20.10 46.80	22.62 137.39	63.79 26.53	114.37 578.12	405.48 2079.12
5.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ <sup>5</sup>	567.21 734.95	592.21 1,120.76	837.51 477.35	612.94 1,101.08	801.00 883.84	10.34 (-) 19.73
<b>कुल प्राप्तियाँ (वास्तविकी)</b>		<b>3,506.74</b>	<b>4,130.56</b>	<b>3,699.60</b>	<b>6,201.38</b>	<b>3,984.34</b>	

(चोत: बिहार सरकार के वित्त लेखे के अनुसार वास्तविक प्राप्तियाँ एवं बिहार सरकार के राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ के विवरणी के अनुसार बजट अनुमान)

<sup>5</sup> अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में 2021–22 के दौरान निम्नांकित शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियाँ शामिल हैं: सड़क तथा सेतु (₹ 51.88 करोड़), चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य (₹ 40.69 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 35.42 करोड़), वानिकी तथा वन्य प्राणी (₹ 31.10 करोड़), शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 509.13 करोड़), लोक सेवा आयोग (₹ 40.26 करोड़), अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ (₹ 30.80 करोड़), पेंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभों में अंशदान और वसूली (₹ 1.27 करोड़), फसल कृषि-कर्म (₹ 5.97 करोड़), बृहत्त सिंचाई (₹ 40.59 करोड़), मध्यम सिंचाई (₹ 0.05 करोड़), श्रम रोजगार (₹ 12.49 करोड़), कारा (₹ 15.40 करोड़), मत्स्य पालन (₹ 13.01 करोड़), विविध सामान्य सेवाएँ (₹ 1.60 करोड़), जलापूर्ति तथा सफाई (₹ 4.87 करोड़), आवास (₹ 4.74 करोड़), शहरी विकास (₹ 1.08 करोड़), सूचना तथा प्रचार (₹ 0.09 करोड़), सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 0.37 करोड़), पशुपालन (₹ 0.67 करोड़), सहकारिता (₹ 4.96 करोड़), भूमि सुधार (₹ 0.03 करोड़), लघु सिंचाई (₹ 5.52 करोड़), नागर विमानन (₹ 2.24 करोड़), सड़क परिवहन (₹ 0.18 करोड़), पर्यटन (₹ 0.00 करोड़), ग्राम तथा लघु उद्योग (₹ 0.12 करोड़), उद्योग (₹ 0.23 करोड़), सिविल आपूर्ति (₹ 0.45 करोड़), लोक कार्य (₹ 22.04 करोड़), लेखन सामग्री एवं छपाई (₹ 0.04 करोड़), लाभांश एवं लाभ (₹ 6.54 करोड़) एवं अन्तर्देशीय जल परिवहन (₹ 0.01 करोड़)।

2021–22 में राज्य के कर–भिन्न राजस्व का ब्यौरा चार्ट 1.3 में दिया गया है।



व्यापक भिन्नताओं के कारणों की चर्चा नीचे की गई है:

**ब्याज प्राप्तियाँ :** लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्त वर्ष 2020–21 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में कमी का मुख्य कारण अन्य प्राप्तियाँ में कमी था।

**पुलिस प्राप्तियाँ :** लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्त वर्ष 2020–21 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में कमी का मुख्य कारण फीस, जुर्माना एवं जब्ती के तहत कम प्राप्ति था।

**अन्य प्रशासनिक सेवाएँ :** लेखापरीक्षा ने पाया कि वास्तविक प्राप्ति में विगत वर्ष की तुलना में 2,079.12 प्रतिशत के वृद्धि का मुख्य कारण चुनाव उप शीर्ष के तहत प्राप्ति में ₹ 480.38 करोड़ की वृद्धि था।

## 1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

प्रमुख राजस्व शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2022 को बकाया राजस्व ₹ 4,022.59 करोड़ था, जिसमें से ₹ 1,300.42 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित था, जिसका ब्यौरा तालिका 1.4 में वर्णित है।

### तालिका 1.4 राजस्व के बकाये

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2022 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2022 को पाँच वर्षों से अधिक पुरानी बकाया राशि	संबंधित विभागों द्वारा बताये गये लम्बित मामलों की अवस्थाएँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,212.64	1,171.38	₹ 2,212.64 करोड़ में से ₹ 280.56 करोड़ की माँग के लिए बकाया भू–राजस्व के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित किए गए थे, ₹ 397.58 करोड़ एवं ₹ 166.08 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों और सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी, ₹ 5.04 करोड़ कर निधारितियों/व्यवसायियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी, ₹ 8.61 करोड़ को बट्टे खाते में डालना संभावित था एवं ₹ 1,354.75 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2022 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2022 को पाँच वर्षों से अधिक पुरानी बकाया राशि	संबंधित विभागों द्वारा बताये गये लम्बित मामलों की अवस्थाएँ
2.	माल एवं यात्रियों पर कर	176.05	84.63	₹ 176.05 करोड़ में से ₹ 2.49 लाख की माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित किये गए थे, ₹ 9.98 करोड़ एवं ₹ 6.40 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों और सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 159.64 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
3.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	0.20	0.20	₹ 19.76 लाख में से ₹ 5.61 लाख की माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित किये गए थे, एवं ₹ 14.15 लाख अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
4.	वाहनों पर कर	172.85	—	परिवहन विभाग ने पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित बकायों का विवरण नहीं दिया। विभाग ने लंबित बकाये के अवस्थाओं को भी नहीं बताया।
5.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	3.46	3.03	₹ 3.46 करोड़ में से ₹ 1.46 करोड़ की माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित किए गये थे एवं ₹ 2.00 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
6.	भू-राजस्व	282.11	—	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित बकायों का विवरण नहीं दिया। विभाग ने लंबित बकाये के अवस्थाओं को भी नहीं बताया।
7.	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस	51.11	20.15	₹ 51.11 करोड़ में से ₹ 43.03 करोड़ की माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित किये गए थे एवं ₹ 8.08 करोड़ की वसूली पर न्यायालयों द्वारा रोक लगाई गई थी।
8.	राज्य उत्पाद	46.96	21.03	₹ 46.96 करोड़ में से ₹ 35.53 करोड़ की माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित किए गए थे, ₹ 6.29 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गयी थी, ₹ 0.14 करोड़ कर निर्धारितियों/व्यवसायियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गयी थी, ₹ 0.30 करोड़ को बटे खाते में डाला जाना था और ₹ 4.70 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
9.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1,077.21	—	खान एवं भूतत्व विभाग ने पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित बकायों का विवरण नहीं दिया। विभाग ने लंबित बकाये के अवस्थाओं को भी नहीं बताया।
<b>कुल</b>		<b>4,022.59</b>	<b>1,300.42</b>	

(ज्ञात : संबंधित विभागों से प्राप्त सूचना)

### 1.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग के अनुदेशों के हस्तक (1998) के अनुसार, विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर इसके विधान सभा के समक्ष उपस्थापित होने के दो महीने के भीतर कार्रवाई शुरू करनी है। लोक लेखा समिति के विचारार्थ सरकार उन पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करेगी। फिर भी, राज्य विधान मंडल के समक्ष अगस्त 2012 तथा मार्च 2022 के बीच प्रस्तुत 20010–11 से 2019–20 तक के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित 165 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (विभागों के उत्तर) पाँच माह से अधिक के विलंब से

समर्पित की गयी। जून 2022 को, विभिन्न विभागों<sup>6</sup> से संबंधित लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियों की विवरणी तालिका 1.5 में दी गई है।

### तालिका 1.5

#### लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

क्र. सं.	को समाप्त हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हुई	कंडिकाओं की संख्या जहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई
1	31 मार्च 2011	06.08.2012	35	35	00
2	31 मार्च 2012	08.01.2013	38	37	01
3	31 मार्च 2013	21.02.2014	41	39	02
4	31 मार्च 2014	24.12.2014	44	39	05
5	31 मार्च 2015	18.03.2016	39	35	04
6	31 मार्च 2016	27.03.2017	42	20	22
7	31 मार्च 2017	29.11.2018	36	08	28
8	31 मार्च 2018	16.03.2020	28	13	15
9	31 मार्च 2019	29.07.2021	13	05	08
10	31 मार्च 2020	30.03.2022	07	00	07
<b>कुल</b>			<b>323</b>	<b>231</b>	<b>92</b>

यह देखा गया कि यद्यपि विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये अवलोकनों पर राजस्व की वसूली हेतु कार्रवाई शुरू की, परन्तु लगातार होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए विभागों द्वारा किसी भी स्तर पर सुधारात्मक उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2010–11 से 2019–20 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 278 चयनित कंडिकाओं में से 43 कंडिकाओं पर चर्चा की तथा वाणिज्य-कर विभाग, मद्य-निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग और परिवहन विभाग से संबंधित 36 कंडिकाओं पर अनुशंसाएँ जारी की। इन कंडिकाओं पर संबंधित विभागों से कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ने मुख्य सचिव, बिहार सरकार, को लेखापरीक्षा अवलोकनों पर स्व-व्याख्यात्मक कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ एवं लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर टिप्पणियों को समय पर समर्पित करने हेतु अनुरोध किया था (मार्च 2023)। इस अनुरोध के आलोक में वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा अवलोकनों पर स्व-व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ एवं लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ समर्पित करने हेतु निर्देश (अप्रैल 2023) जारी किया।

**अनुशंसा 1:** राज्य सरकार, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई त्रुटियों और प्रणाली दोषों एवं राजस्व के रिसाव को बंद करने के लिए, कार्रवाई प्रारंभ कर सकती हैं, तथा यह भी सुनिश्चित करे कि लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर सभी विभाग तत्परता से कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ तैयार करें।

<sup>6</sup> वाणिज्य कर (64 कंडिकाएँ); मद्य-निषेध, उत्पाद एवं निबंधन (एक कंडिका); परिवहन (12 कंडिकाएँ) और राजस्व एवं भूमि सुधार (15 कंडिकाएँ)।

## 1.4 लेखापरीक्षा पर विभागों / सरकार की प्रतिक्रिया

### 1.4.1 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

सरकारी विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा के समापन पर लेखापरीक्षा संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करता है, साथ ही सुधारात्मक कार्रवाई एवं इसके अनुश्रवण हेतु उनके उच्च अधिकारियों को इनकी प्रतियाँ निर्गत की जाती है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों के प्रमुख एवं सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है। 2012–13 से 2021–22 के दौरान निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा में पता चला कि मार्च 2022 के अंत तक 2,980 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 25,166 कंडिकाएँ लंबित थीं। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में संभावित वसूली योग्य राजस्व ₹ 55,840.32 करोड़ तक थी, जबकि राज्य का 2021–22 का संपूर्ण राजस्व संग्रहण ₹ 38,838.88 करोड़ था। राज्य सरकार के राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्णन तालिका 1.6 में दिया गया है।

**तालिका 1.6**  
**विभाग–वार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	512	10,546	12,814.36
		प्रवेश कर			
		विद्युत शुल्क			
		मनोरंजन कर			
2	मद्य निषेध एवं उत्पाद	राज्य उत्पाद	362	1,567	1,159.31
3	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू–राजस्व	886	5,840	35,729.20
4	परिवहन	वाहनों पर कर	396	3,166	2,458.17
5	निबंधन	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस	453	1,672	1,465.54
6	खान एवं भूतत्व	खनन प्राप्तियाँ	371	2,375	2,213.74
कुल			2,980	25,166	55,840.32

यहाँ तक कि 2007–08 और उससे आगे निर्गत किये गये ₹ 20,097.69 करोड़ तक के संभावित राजस्व से सन्निहित 1,271 निरीक्षण प्रतिवेदनों (10,838 लेखापरीक्षा अवलोकन) के प्रथम जवाब जो कार्यालयों के प्रधानों से प्राप्त होने थे, प्राप्त नहीं हुए (जून 2022)। विभागवार विवरण तालिका 1.7 में दिया गया है।

## तालिका 1.7

### निरीक्षण प्रतिवेदन जिनके प्रथम जवाब लंबित हैं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य—कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	101	2,878	4,605.09
		प्रवेश कर			
		विद्युत शुल्क			
		मनोरंजन कर			
2.	उत्पाद एवं मद्य निषेध	राज्य उत्पाद	66	348	211.79
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू—राजस्व	588	4,075	10,901.00
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	257	2,118	1,998.44
5.	निबंधन	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस	156	626	1,015.49
6.	खान एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	103	793	1,365.88
कुल			1,271	10,838	20,097.69

**अनुशंसा 2:** राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली आरंभ कर सकती है कि विभागीय अधिकारी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन तत्परता से करें, सुधारात्मक कार्रवाई करें तथा लेखापरीक्षा अवलोकनों का शीघ्र निष्पादन हेतु लेखापरीक्षा समिति के बैठक के माध्यम से लेखापरीक्षा के साथ निकटता से कार्य करें।

### 1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

#### वर्ष के दौरान किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान वाणिज्य कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, भू—राजस्व एवं खनिज प्राप्तियों से संबंधित राज्य सरकार के 7: विभागों के 1,359 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 117 (8.61 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी।

लेखापरीक्षा ने 1,059 मामलों में कुल ₹ 25,001.46 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि का पता लगाया, जिसे निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागों को सूचित किया गया। संबंधित विभागों ने 336 मामलों में ₹ 28.80 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया (अप्रैल 2021 और मार्च 2022 के बीच) जो पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। विभागों ने विगत वर्षों के 74 मामलों में ₹ 3.16 करोड़ का वसूली (अप्रैल 2021 और मार्च 2022 के बीच) प्रतिवेदित की।

## 1.6 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

प्रतिवेदन के इस भाग में नौ कंडिकाएँ हैं, जिसमें ‘माल एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न दाखिल’ पर विभाग की निगरानी कर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा भी शामिल है। प्रतिवेदन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 311.03 करोड़ है।

विभागों ने कुल ₹ 275.39 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया। इन लेखापरीक्षा अवलोकनों की चर्चा इस प्रतिवेदन के अध्याय II से V में की गयी है।

इंगित की गई त्रुटियों/चूकों का आधार नमूना लेखापरीक्षा है। इसलिए, विभाग/सरकार को सभी इकाईयों का यह जाँच करने के लिए व्यापक पुनरीक्षण करना चाहिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूक अन्य जगह भी मौजूद हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए जो इस तरह की त्रुटियों/चूकों को रोक सके।

## अध्याय II

### वाणिज्य—कर



## अध्याय II : वाणिज्य-कर

### 2.1 कर प्रशासन

राज्य में वाणिज्य-कर विभाग मुख्य रूप से विभिन्न अधिनियमों के तहत कर प्रशासन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, जैसा कि, बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017; बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948; बिहार पेशा कर अधिनियम, 2011; बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005; केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956; बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948; बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007; बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988; बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993।

शीर्ष स्तर पर, वाणिज्य-कर विभाग का नेतृत्व राज्य कर आयुक्त द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता राज्य कर विशेष आयुक्त, राज्य कर अपर आयुक्त, राज्य कर संयुक्त आयुक्त और राज्य कर उपायुक्त/राज्य कर सहायक आयुक्त द्वारा की जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य को प्रशासन, अपील और लेखापरीक्षा (प्रत्येक नौ प्रमंडल<sup>1</sup>), जैसाकि वे मूल्यवर्द्धित कर अवधि में थे, प्रत्येक का नेतृत्व राज्य कर अपर आयुक्त द्वारा किया जाता है। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को आगे 50 अंचलों में उप-विभाजित किया गया है, प्रत्येक का नेतृत्व राज्य कर सहायक आयुक्तों की सहायता से राज्य कर संयुक्त आयुक्त/राज्य कर उपायुक्त द्वारा किया जाता है।

### 2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2021–22 के दौरान, लेखापरीक्षा ने वाणिज्य-कर विभाग के 90 इकाइयों में से 17 इकाइयों के अभिलेखों का नमूना-जाँच की, जिसमें 242 मामलों में सन्निहित ₹ 35.21 करोड़ की अनियमितताएँ पाई गई जो निम्न श्रेणियाँ के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि तालिका 2.1 में वर्णित है।

तालिका 2.1  
लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र० सं०	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
क: बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/ मूल्यवर्द्धित कर			
1.	कर का आरोपण नहीं एवं कम आरोपण किया जाना	02	110.91
2.	आवर्त्त का छिपाव किया जाना	29	197.69
3.	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अनुमति दिया जाना	30	683.36
4.	केन्द्रीय बिक्री कर का अवर्निर्धारण	01	11.21
5.	कर की रियायती दर से छूट का अनियमित अनुमति दिया जाना	07	130.18
6.	कर से छूट का अनियमित अनुमति दिया जाना	02	1.63
7.	अतिरिक्त कर एवं अधिभार का आरोपण नहीं या कम आरोपण किया जाना	25	151.01
8.	कर का गलत दर लगाया जाना	14	436.07
9.	आवर्त्त का गलत निर्धारण के कारण कम आरोपण	02	8.21
10.	संग्रहण में गलती से कर अधिक संग्रह के लिए जुर्माना नहीं लगाना	13	72.83
11.	कर का आरोपण नहीं करना	04	77.19
12.	अन्य मामले	38	111.18
कुल		167	1,991.47

<sup>1</sup> भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना मध्य, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

क्र० सं०	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
<b>ख: प्रवेश कर</b>			
1.	आयात मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण	17	587.87
2.	प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना	04	23.72
3.	अन्य मामले	00	00
	<b>कुल</b>	<b>21</b>	<b>611.59</b>
<b>ग: माल एवं सेवा कर</b>			
1.	माल एवं सेवा कर का नहीं/कम आरोपण किया जाना	54	917.89
	<b>कुल</b>	<b>54</b>	<b>917.89</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>242</b>	<b>3,520.95</b>

वर्ष 2021–22 के दौरान, विभाग ने 122 मामलों में ₹ 11.65 करोड़ के अवनिधारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 44 मामलों में ₹ 0.44 करोड़ की वसूली की, जो कि 2021–22 के दौरान इंगित किए गए थे। पूर्ववर्ती वर्षों के शेष मामलों एवं 2021–22 के सभी मामलों के जवाब अप्राप्त हैं (जून 2023)।

### 2.3 “माल एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न दाखिल पर विभाग की निगरानी” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा”

#### 2.3.1 परिचय

माल एवं सेवा कर की शुरुआत ने, केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए कई करों को प्रतिस्थापित किया गया है। माल एवं सेवा कर, जो 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है। केंद्र और राज्य एक साथ एक साझा कर आधार पर माल एवं सेवा कर लगाते हैं। केंद्रीय माल एवं सेवा कर और राज्य माल एवं सेवा कर/केंद्र शासित प्रदेश माल एवं सेवा कर, राज्य अंतर्गत आपूर्ति पर लगाया जाता है और एकीकृत माल एवं सेवा कर अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाता है।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017, की धारा 59, माल एवं सेवा कर को स्व-मूल्यांकन आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है, जिसके तहत कर देयता की गणना, गणना की गई कर देयता का भुगतान करने और रिटर्न दाखिल करने की जिम्मेदारी करदाता पर निहित है। माल एवं सेवा कर रिटर्न को सामान्य माल एवं सेवा कर पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन अवश्य दाखिल किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर जुर्माना देय होगा। यहाँ तक कि अगर व्यवसाय पर किसी विशेष कर अवधि के दौरान कोई कर देयता नहीं है, तो उसे अनिवार्य रूप से शून्य रिटर्न दाखिल करना होगा। आगे, बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61, सह पठित बिहार माल एवं सेवा कर नियमों के नियम 99 में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न और संबंधित विवरणों की जाँच कर सकता है। करदाताओं को विसंगतियों को सूचित कर सकता है और स्पष्टीकरण माँग कर सकता है।

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा को कर अनुपालन के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र तथा इस नई कर व्यवस्था में वाणिज्य-कर विभाग, बिहार की निगरानी व्यवस्था के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया गया था।

### 2.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा माल एवं सेवा कर शासन के तहत कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने की दिशा में उन्मुख थी। “माल एवं सेवा कर भुगतान और रिटर्न दाखिल पर विभाग की निगरानी” की लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ की गई थी ताकि इस पर आश्वासन प्राप्त किया जा सके:

- i. क्या नियमों और प्रक्रियाओं को कर अनुपालन पर एक प्रभावी जाँच सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था और करदाताओं द्वारा इसका विधिवत रूप से पालन किया जा रहा था; और
- ii. क्या अंचलों की संवीक्षा प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे।

### 2.3.3 लेखापरीक्षा कार्यपद्धति और कार्यक्षेत्र

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण के आधार पर की गई थी, जिसमें जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि से संबंधित जोखिम क्षेत्रों और रेड फ्लैगस पर प्रकाश डाला था। डेटा विश्लेषण के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर देयता के निर्वहन, पंजीकरण और रिटर्न दाखिल के डोमेन में 15 विचलनों के एक सेट की पहचान की गई थी। इन विचलनों का एक केंद्रीकृत लेखापरीक्षा<sup>2</sup> के माध्यम से अनुपालन किया गया था, जिसके तहत इन विचलनों को राज्य के संबंधित विभागीय क्षेत्रीय संरचनाओं (अंचलों) को सूचित किया गया था और चिह्नित विचलनों पर अंचलों द्वारा की गई कार्रवाई का पता बिना क्षेत्र दौरे के किया गया था।

**केंद्रीकृत लेखापरीक्षा** को क्षेत्राधिकार अंचलों के पास उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए क्षेत्र दौर के दौरान एक विस्तृत लेखापरीक्षा द्वारा पूरा किया गया था। वाणिज्य कर विभाग, बिहार द्वारा प्रदान किए गए एकल हस्ताक्षरित उपयोगकर्ता आईडी का उपयोग करके माल एवं सेवा कर पोर्टल (बैंक-एंड सिस्टम) के माध्यम से रिटर्न और संबंधित संलग्नक और जानकारी प्राप्त की गई थी, ताकि करदाताओं से संबंधित डेटा/दस्तावेजों जैसे पंजीकरण, कर भुगतान, रिटर्न और अन्य विभागीय कार्यों की जाँच की जा सके।

**विस्तृत लेखापरीक्षा** में संबंधित क्षेत्र संरचनाओं के माध्यम से करदाताओं से संबंधित अभिलेखों जैसे विपत्रों की उपलब्धता शामिल थे। इसके अलावा, चयनित अंचलों में रिटर्न की जाँच जैसे विभागीय संगठनों के अनुपालन कार्यों की भी समीक्षा की गई।

विभाग द्वारा रिटर्न और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन की समीक्षा जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि शामिल थी, जबकि चयनित अंचलों के निरीक्षण कार्यों की लेखापरीक्षा अवधि 2017–18 से 2020–21 थी। विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा केवल राज्य प्रशासित करदाताओं को शामिल किया गया है। क्षेत्र लेखापरीक्षा, मार्च 2022 से जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया था।

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रवेश सम्मेलन 7 फरवरी 2022 को राज्य कर आयुक्त, बिहार के साथ आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, नमूना

<sup>2</sup> केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में करदाता के बारीक अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण संबंधित बही खाते, विपत्र, इकरारनामे आदि शामिल नहीं थे।

चयन, लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। राज्य कर आयुक्त, बिहार के साथ 10 जनवरी 2023 को बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। राज्य कर आयुक्त, बिहार द्वारा बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान व्यक्त किए गए विचारों और प्रारूप प्रतिवेदन के लिखित जवाबों को संबंधित कंडिकाओं में यथोचित रूप से शामिल किया गया है।

#### 2.3.4 लेखापरीक्षा नमूना

योजना के साथ-साथ ही वास्तविक लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा को निर्धारित करने के लिए एक डेटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के नमूने में केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलनों का एक सेट जिसमें क्षेत्र दौर शामिल नहीं थे; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना जिसमें विभागीय परिसर में करदाताओं के अभिलेखों की जाँच हेतु क्षेत्र दौर शामिल थे; और अंचलों के अनुपालन कार्यों की मूल्यांकन के लिए अंचलों का एक नमूना।

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के तीन अलग-अलग भाग निम्नानुसार थे:

##### (i) भाग I-अंचलों की लेखापरीक्षा

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए तीन से अधिक चयनित करदाताओं के क्षेत्राधिकार वाले नौ अंचलों<sup>3</sup> को उनके निरीक्षण कार्यों के मूल्यांकन के लिए अंचलों के नमूने के रूप में माना गया था।

##### (ii) भाग II-केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए नमूने का चयन विभाग की जाँच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से नियमों से उच्च मूल्य या उच्च जोखिम विचलन और रिटर्न के बीच विसंगतियों की पहचान करके किया गया था। तदनुसार, इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत केन्द्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए 471 करदाताओं का चयन किया गया था और 423 विचलनों के बारे में राज्य कर प्राधिकारियों को सूचित किया गया था और अभिज्ञात विचलनों पर प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई को सुनिश्चित किया गया था।

##### (iii) भाग III-विस्तृत लेखापरीक्षा

यह करदाताओं द्वारा कर अनुपालन के मूल्यांकन के लिए अंचलों के माध्यम से करदाताओं के अभिलेखों की उपलब्धता द्वारा किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के नमूने का चयन जोखिम मापदंडों जैसे कि अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर देयता की सकल आवर्त्त की तुलना में असमान छूट वाले आवर्त्त और अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिवर्सल के आधार पर किया गया था।

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 37 अंचलों<sup>4</sup> से संबंधित 100 करदाताओं में बड़े, मध्यम और छोटे करदाता<sup>5</sup> शामिल थे।

<sup>3</sup> औरंगाबाद, भभुआ, गया, कदमकुआँ, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना उत्तरी, पटना विशेष और सासाराम।

<sup>4</sup> औरंगाबाद, बैगूसराय, भभुआ, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, दानापुर, दरभंगा, फारबिसगंज, गाँधी मैदान, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जहानाबाद, कदमकुआँ, खगड़िया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, नवादा, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, रक्सौल, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सासाराम, शाहाबाद, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल एवं तेघरा।

<sup>5</sup> बड़े करदाता— 63, मध्यम करदाता— 28 और छोटे करदाता— 9।

### 2.3.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत में बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान शामिल थे। महत्वपूर्ण प्रावधान नीचे तालिका 1 में दिए गए हैं।

#### तालिका 1 मानदंडों का स्रोत

क्र० सं०	विषय	अधिनियम और नियम
1.	आरोपण एवं संग्रहण	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9।
2.	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9(3) और एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5 (3)।
3.	इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना और उसका उपयोग	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय V के तहत धारा 6 से 21; अध्याय V के तहत नियम 36 से 45।
4.	पंजीकरण	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 22 से 25; बिहार माल एवं सेवा कर नियमों के नियम 8 से 26।
5.	आपूर्ति	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 7 और 8. बिहार माल एवं सेवाकर अधिनियम की अनुसूची I, II और III।
6.	आपूर्ति का स्थान	एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 10 से 13।
7.	आपूर्ति का समय	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 12 से 14।
8.	आपूर्ति का मूल्यांकन	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 15; बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली के नियम 27 से 34।
9.	कर का भुगतान	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय X के तहत धारा 49 से 53; बिहार माल एवं सेवा कर नियमों के अध्याय IX के तहत नियम 85 से 88A।
10.	माल एवं सेवा कर रिटर्न दाखिल करना	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय IX के तहत धारा 37 से 47; अध्याय VIII के अंतर्गत नियम 59 से 68 और 80 से 81। बिहार माल एवं सेवा कर नियमों का भाग—बी (रिटर्न का प्रारूप)।
11.	शून्य—रेटेड आपूर्ति	एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 8।
12.	मूल्यांकन और लेखापरीक्षा कार्य	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय XII और XIII के तहत धारा 61, 62, 65 और 66; बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली के अध्याय XI के अंतर्गत नियम 99 से 102 तक।

इसके अलावा, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क वोर्ड/राज्य कर विभाग द्वारा रिटर्न दाखिल करने, विभिन्न रिटर्न दाखिल करने की प्रभावी तारीखों को अधिसूचित करने, रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीखों को बढ़ाने, वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने और उपयोग करने, रिटर्न की जाँच और कर अनुपालन की निगरानी आदि से संबंधित अधिसूचनाएँ और परिपत्र भी लेखापरीक्षा मानदंडों का हिस्सा थे।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

37 अंचलों में की गई लेखापरीक्षा ने प्रणालीगत और अनुपालन दोनों मुद्दों को सामने लाया है। जबकि प्रणालीगत मुद्दे परिकल्पित सत्यापन तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता को संबोधित करते हैं, अनुपालन मुद्दे अधिनियम/नियमों के प्रावधानों से विचलन से संबंधित हैं। यह देखते हुए कि यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा विभाग के निरीक्षण तंत्र का मूल्यांकन करने की दिशा में उन्मुख था, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- अ. रिटर्न दाखिल करने पर निगरानी
- ब. कर भुगतान पर निगरानी
- स. अन्य निगरानी कार्य

### 2.3.6 रिटर्न दाखिल करने पर निगरानी

रिटर्न एक निर्धारित अवधि के दौरान करदाताओं द्वारा किए गए व्यावसायिक गतिविधि से संबंधित निर्दिष्ट विवरणों का एक विवरण है। प्रत्येक करदाता कानूनी रूप से एक पूर्ण और सही रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है जो एक निश्चित अवधि के लिए कर देयता और निर्धारित समय के भीतर भुगतान किए गए करों की विधिवत घोषणा करता है। स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में, करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल की निगरानी अधिक महत्व प्राप्त करता है क्योंकि रिटर्न करदाताओं और उनकी संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में जानकारी का पहला तरीका है।

#### 2.3.6.1 रिटर्न दाखिल में रुझान

अगस्त 2023 तक मासिक जीएसटीआर-3 बी और जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने की समग्र प्रवृत्ति नीचे तालिका 2 में दी गई है।

**तालिका 2**

**जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने का रुझान**

वित्तीय वर्ष	दाखिल किए जाने वाले रिटर्नों की संख्या	नियत तिथि तक दाखिल रिटर्नों की संख्या		नियत तारीख के बाद दाखिल रिटर्नों की संख्या		कुल दाखिल रिटर्न		रिटर्न दाखिल किए जाने का प्रतिशत		नियत तिथि तक दाखिल रिटर्न का प्रतिशत		
		जीएसटीआर-1	जीएसटीआर-3 बी	जीएसटीआर-1	जीएसटीआर-3 बी	जीएसटीआर-1	जीएसटीआर-3 बी	जीएसटीआर-1	जीएसटीआर-3 बी	जीएसटीआर-1	जीएसटीआर-3 बी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2017-18	19,62,881	12,92,941	9,09,610	7,77,820	8,54,866	2,75,185	17,64,476	10,53,005	90	81	52	74
2018-19	33,13,678	21,22,064	17,48,751	5,24,212	11,21,273	9,73,672	28,70,024	14,97,884	87	71	61	35
2019-20	38,54,767	24,57,947	20,60,332	5,59,667	13,95,134	11,54,743	32,99,465	17,14,410	86	70	62	33
2020-21	39,27,314	31,64,279	18,15,850	7,29,602	16,85,689	13,72,662	35,01,539	21,02,264	89	66	52	35
2021-22	37,70,781	37,70,781	22,80,785	10,17,872	11,35,729	22,02,926	34,16,514	32,20,798	91	85	67	32

(स्रोत: माल एवं सेवा कर वेबसाइट <https://www.gst.gov.in/download/gststatistics>)

उपरोक्त आंकड़े बताते हैं कि माल एवं सेवा कर कार्यान्वयन की शुरुआत से ही कर रिटर्न दाखिल करने में विलंब हुई है, जीएसटीआर-3 बी की तुलना में जीएसटीआर-1 दाखिल करने में और भी अधिक देरी हुई है। जीएसटीआर-1 को रिटर्न दाखिल किए जाने का प्रतिशतता संबंधित जीएसटीआर-3बी के दाखिल किए जाने के प्रतिशतता की तुलना में कम था। नियत तारीख तक दाखिल जीएसटीआर-1 पहले साल के 74 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में केवल 32 प्रतिशत रह गया। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी दाखिल करने के अनुपालन में अंतर से जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी रिटर्न के बीच आवर्त्त, कर देनदारी और उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसी कर सूचनाओं में अंतर बढ़ सकता है, जिससे विभाग के अनुपालन कार्य अधिक जटिल और बोझिल हो सकते हैं।

#### 2.3.6.2 रिटर्न दाखिल पर कमजोर निगरानी तंत्र

नौ अंचलों के नमूनों में से छह अंचलों<sup>6</sup>, ने वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी, तीन अंचलों<sup>7</sup> ने वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी और तीन अंचलों<sup>8</sup> ने वर्ष 2020-21 के लिए ऐसी जानकारी नहीं दी। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा उपर्युक्त अवधियों के लिए इन अंचलों में रिटर्न दाखिल किए जाने पर निगरानी तंत्र को सत्यापित नहीं कर सका।

<sup>6</sup> औरंगाबाद, गया, कदमकुआँ, पटना मध्य, पटना उत्तरी और सासाराम।

<sup>7</sup> औरंगाबाद, गया और पटना मध्य।

<sup>8</sup> पटना उत्तरी, पटना विशेष और सासाराम।

### 2.3.6.3 विलंब से रिटर्न दाखिल करने वालों और रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों पर कार्रवाई की कमी

माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 46 सपष्टित माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 68 के अनुसार प्रपत्र जीएसटीआर-3ए में नोटिस जारी करने के लिए प्रावधान है, जिसमें करदाता द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने पर, पंद्रह दिनों के अंदर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है। यदि करदाता इस तरह के नोटिस के बाद भी रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी उपलब्ध या एकत्र की गई सभी संबंधित सामग्री को ध्यान में रखते हुए, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उक्त व्यक्ति की कर देयता का आकलन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और प्रपत्र एएसएमटी-13 में एक मूल्यांकन आदेश जारी कर सकता है। रिटर्न दाखिल करना, कर के भुगतान से संबंधित है क्योंकि दोनों कार्यों के लिए नियत तिथि समान है, जिससे रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने के मामले में कर/जुर्माना का भुगतान नहीं किए जाने का जोखिम होता है।

अंचल लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 2018–19 के दौरान पहचाने गए 2,527 रिटर्न दाखिल नहीं किये जाने के मामलों में से केवल 528 मामलों में जीएसटीआर-3ए जारी किया गया था; 2019–20 के दौरान पहचान किए गए रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने के 8,441 मामलों में से, केवल 3,172 मामलों में जीएसटीआर-3ए जारी किया गया था और इसी प्रकार 2020–21 के दौरान पहचान किए गए रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने के 14,931 मामलों में से, केवल 10,982 मामलों में जीएसटीआर-3ए जारी किया गया था।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2022) था; जवाब आप्राप्त था (नवम्बर 2023)।

### 2.3.6.4 रिटर्न की संवीक्षा की धीमी गति

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए विभिन्न रिटर्न की संवीक्षा, सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना है ताकि रिटर्न की शुद्धता की पुष्टि की जा सके, और रिटर्न में प्रदर्शित किसी भी विसंगतियों या असंगतता पर उपयुक्त कार्रवाई किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए नामित सक्षम अधिकारी, अंचल अधिकारी है। इसके अलावा, बिहार माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 99 में कहा गया है कि यदि कोई विसंगतियाँ पाई जाती हैं, तो उनका स्पष्टीकरण मांगने के लिए करदाता को पत्राचार किया जाएगा।

सीबीआईसी ने वर्ष 2017–18 और 2018–19 के रिटर्न की संवीक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया परिचालित (मार्च 2022) की थी। हालाँकि, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार ने माल एवं सेवा कर रिटर्न की संवीक्षा के संबंध में ऐसी कोई विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रिया या विस्तृत दिशानिर्देश जारी नहीं किया। विभाग ने दोहराया कि जाँच तंत्र की निगरानी माल एवं सेवा कर प्रकोष्ठ द्वारा कुछ निश्चित मानदंडों<sup>9</sup> के आधार पर की जाती है।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि नौ नमूना जाँचित अंचलों<sup>10</sup> में संवीक्षा प्रणाली में कमी थी क्योंकि 2017–18 से 2020–21 के दौरान सक्षम अधिकारियों द्वारा 6,760 करदाताओं से संबंधित 53,623 माल एवं सेवा कर रिटर्न की संवीक्षा की गई थी, यद्यपि केवल जीएसटीआर-3बी में मासिक रिटर्न एवं जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न पर विचार करने पर 6,760 करदाताओं में से कम से कम 3,31,240 रिटर्न दाखिल किया गया था। इस प्रकार, 2017–18 से 2020–21

<sup>9</sup> जीएसटीएन द्वारा प्रेषित रेड फ्लैग प्रतिवेदन, बिजनेस इंटेलिजेंस और फ्रॉड एनालिटिक्स प्रतिवेदन, और अन्य मापदंड जैसे आवर्त्त, देयता, नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेन्टर द्वारा जारी ई-वे बिल आदि।

<sup>10</sup> औरंगाबाद, भभुआ, गया, कदमकुआँ, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना उत्तरी, पटना विशेष और सासाराम।

के दौरान, 16 प्रतिशत रिटर्न की संवीक्षा की गई, जो विभाग में विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया/निर्देशों की अनुपस्थिति के कारण था। इसके अलावा, औरंगाबाद अंचल ने वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान की गई संवीक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। संवीक्षा के लिए इन रिटर्न/करदाताओं का चयन किस आधार पर किया गया था, इसका आधार (जोखिम आधारित दृष्टिकोण) भी स्पष्ट नहीं है।

**अनुशंसा 1:** विभाग रिटर्न की संवीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया या विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर सकता है। इस तरह की मानक संचालन प्रक्रिया में संवीक्षा के लिए चयन के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण, जो उपलब्ध जनशक्ति संसाधनों के अनुरूप है, संवीक्षा करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं और दस्तावेजों के रख रखाव और संवीक्षा के संचालन के लिए समय सीमा की पहचान की जानी चाहिए।

#### 2.3.6.5 कर अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा में विलम्ब

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अनुसार, आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से, किसी भी पंजीकृत व्यक्ति का, ऐसी अवधि के लिए ऐसी आवृति पर और इस तरह से लेखापरीक्षा कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया गया है। बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 2(13) “लेखापरीक्षा” को इस अधिनियम या इसके तहत बनये गये नियमों या किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये या प्रस्तुत किये गये अभिलेख रिटर्न और अन्य संधारित दस्तावेजों की संवीक्षा के रूप में परिभाषित की जानी है या विभाग ने घोषित आवर्त्त, भुगतान किये गये कर, दावा किये गये रिफंड और प्राप्त किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए या इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाना है।

विभाग ने मई 2022 में, वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए 1,717 करदाताओं का आंतरिक लेखापरीक्षा आरंभ किया था। लेखापरीक्षा ने, विभाग से आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति के संबंध में जानकारी की माँग की (अक्टूबर 2022)। हालाँकि, इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं करायी थी।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2022) था; जवाब अप्राप्त था (नवम्बर 2023)।

**अनुशंसा 2:** विभाग को धारा 65 के तहत लेखापरीक्षा करने के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि चूककर्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सके और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए वसूली की जा सके। ऐसे लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के चयन का आधार/मानदंड भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया चाहिए।

#### 2.3.7 कर भुगतान पर निगरानी

अनुपालन जोखिम प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है जो सक्रिय कार्रवाई की माँग करती है। रिटर्न दाखिल करने और कर प्रशासन की पूरी प्रक्रिया को कमज़ोर करने वाली प्रौद्योगिकी के साथ, न केवल विभिन्न स्तरों पर कर भुगतान पर निगरानी बनाए रखी जा सकती है, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा गैर-हस्तक्षेप और बेहतर लक्षित भी हो सकता है। लेखापरीक्षा अवलोकनों पर आगामी कंडिका में चर्चा की गई है:

##### 2.3.7.1 माल एवं सेवा कर रिटर्न में विसंगतियां— केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए 2017–18 से संबंधित माल एवं सेवा कर रिटर्न आंकड़ों का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल माल एवं सेवा कर

रिटर्न के बीच नियम—आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों की पहचान 15 मापदंडों के एक सेट पर की गई थी, जिन्हें मोटे तौर पर दो डोमेन में वर्गीकृत किया जा सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर भुगतान।

13 निर्धारित माल एवं सेवा कर रिटर्न<sup>11</sup> में से, निम्नलिखित मूल रिटर्न जो सामान्य करदाताओं पर लागू होते हैं, माल एवं सेवा कर रिटर्न और डेटा के बीच विचलन, विसंगतियों और बेमेल की पहचान करने के उद्देश्य से विचार किए गए थे:

- जीएसटीआर-1: वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक रिटर्न और इसमें वस्तुओं और सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण शामिल है।
- जीएसटीआर-3बी: अधिनियम की धारा 39 (1) में सन्निहित करदाताओं को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा कर के भुगतान के साथ—साथ बाहरी आपूर्ति और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मासिक सारांश रिटर्न दाखिल किया जाना है। यह वह रिटर्न है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट और डेबिट और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट को प्रतिबिम्बित करता है।
- जीएसटीआर-6: इनपुट सेवा वितरकों के लिए मासिक रिटर्न उनके वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट और आवक आपूर्ति का विवरण प्रदान करता है।
- जीएसटीआर-8: अक्टूबर 2018 में पेश किए गए माल एवं सेवा कर के तहत स्रोत पर एकत्र कर में कटौती करने के लिए आवश्यक ई—कॉमर्स संचालकों द्वारा मासिक रिटर्न दाखिल किया जाना है।
- जीएसटीआर-9: इनपुट सेवा वितरक, टीडीएस कटौतीकर्ता/टीडीएस संग्रहकर्ता, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी करदाता के अलावा सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा वार्षिक रिटर्न दाखिल किया जाना है। इस दस्तावेज में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (केन्द्रीय माल एवं सेवा कर, राज्य माल एवं सेवा कर और एकीकृत माल एवं सेवा कर) के तहत की गई और प्राप्त सभी आपूर्तियों का विवरण और इसके लिए आवर्त्त और लेखापरीक्षा विवरण शामिल हैं।
- जीएसटीआर-9सी: किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ 5 करोड़ से अधिक का आवर्त्त करने वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा प्रपत्र। यह मूल रूप से जीएसटीआर-9 में दायर वार्षिक रिटर्न और करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के बीच एक समाशोधन विवरण है।
- जीएसटीआर-2ए: एक प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का एक तंत्र जनित विवरण। इसमें आपूर्तिकर्ताओं के सभी बी2बी लेनदेन का विवरण शामिल है, जो उनके फॉर्म जीएसटीआर-1/5 में घोषित किया गया है। जीएसटीआर-6 से इनपुट सेवा वितरक, काउंटर पार्टी द्वारा क्रमशः जीएसटीआर-7 और जीएसटीआर-8 से विवरण और प्रवेश बिल पर विदेशों से माल का आयात, जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क के आईसीईगेट पोर्टल से प्राप्त हुआ है।

<sup>11</sup> जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4 (कंपोजिशन स्कीम के तहत करदाता), जीएसटीआर-5 (अनिवासी कर योग्य व्यक्ति), जीएसटीआर-5ए (अनिवासी ओआईडीएआर सेवा प्रदाता), जीएसटीआर-6 (इनपुट सेवा वितरक), जीएसटीआर-7 (टीडीएस कटौती करने वाले करदाता), जीएसटीआर-8 (ई—कॉमर्स संचालक), जीएसटीआर-9 (वार्षिक रिटर्न), जीएसटीआर-10 (अंतिम रिटर्न), जीएसटीआर-11 (यूआईएन धारक और रिफंड का दावा करने वाला व्यक्ति), सीएमपी-08 एवं आईटीसी-04 (कार्य—कर्ता को भेजे गए/प्राप्त किये गये सामान के विवरण के बारे में विवरण प्रधान/कार्य—कर्ता द्वारा दाखिल किया जाना है)।

15 पहचाने गए मापदंडों और देखे गए विचलन/विसंगतियों की सीमा (यानी केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए नमूना) पर राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित अखिल राज्य डेटा विश्लेषण को नीचे तालिका 3 में संक्षेपित किया गया है।

### तालिका 3

#### पैन स्टेट डेटा विश्लेषण का सारांश

क्र. सं.	मापदंड	उपयोग किया गया कलनविधि	विचलनों की संख्या	राशि (करोड़ में)
<b>कार्यक्षेत्र : इनपुट टैक्स क्रेडिट</b>				
1.	जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के मध्य बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना सभी संशोधनों के साथ घरेलू आपूर्ति पर अर्जित के साथ तालिका-4ए(5) में जीएसटीआर-3बी में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई थी, जिसमें तालिका-4बी(2) को छोड़कर शामिल किया गया था, लेकिन बाद के वर्ष 2018-19 में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को जीएसटीआर-9 की तालिका-8सी से हटा दिया गया।	50	88.08
2.	रिवर्स चार्ज मैकेनिजम पर बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	जीएसटीआर-3बी, तालिका-3.1(डी) में रिवर्स चार्ज मैकेनिजम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-9, तालिका-6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई। जिन मामलों में जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, वहाँ जीएसटीआर-3बी के भीतर जाँच सीमित था, तालिका-3.1(डी) में दिए गए कर की तुलना में तालिका-4ए(2) और 4ए(3) में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना में कर का निर्वहन किया गया था।	50	17.73
3.	भुगतान के बिना रिवर्स चार्ज मैकेनिजम पर बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	जीएसटीआर-9, तालिका-4जी (देय कर) में रिवर्स चार्ज मैकेनिजम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-9, तालिका-6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ की गई थी। जिन मामलों में जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, वहाँ जीएसटीआर-3बी, तालिका-3.1(डी) में रिवर्स चार्ज मैकेनिजम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-3बी, तालिका-4ए(2) और 4ए(3) से की गई।	18	2.53
4.	इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का गलत लाभ	जीएसटीआर-9, तालिका-6जी या जीएसटीआर-3बी, तालिका-4ए(4)(4) में स्थानांतरित आईएसडी की तुलना प्राप्तकर्ता जीएसटीआईएन के जीएसटीआर-6 की तालिका-5ए, तालिका-8ए और तालिका-9ए के योग से की गई।	25	3.52
5.	गलत इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट रिवर्सल	प्राप्तकर्ताओं के जीएसटीआर-9, तालिका-7बी/7एच की तुलना उनके जीएसटीआर-6 रिटर्न के तालिका-8ए (केवल नकारात्मक आँकड़े) और तालिका-9ए (केवल नकारात्मक आँकड़े) के योग से की गई थी।	02	0.00
6.	जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	जीएसटीआर-9सी, तालिका-12एफ में सकारात्मक आँकड़े और बेमेल के लिए तालिका-13 में दिए गए कारणों की जाँच।	25	24.59
7.	जीएसटीआर-9सी की तालिका-14टी में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	जीएसटीआर-9सी, तालिका-14टी में सकारात्मक आँकड़े और बेमेल के लिए तालिका-15 में दिए गए कारणों की जाँच।	25	349.66
<b>कार्यक्षेत्र : कर भुगतान</b>				
8.	जीएसटीआर-9सी की तालिका-5आर में असमाशोधित कर योग्य आवर्त्त	जीएसटीआर-9सी, तालिका-5आर में नकारात्मक आँकड़े और बेमेल के लिए तालिका-6 में दिए गए कारणों की जाँच।	50	6,842.12
9.	जीएसटीआर-9सी की तालिका-7जी में असमाशोधित कर योग्य आवर्त्त	जीएसटीआर-9सी, तालिका-7जी में नकारात्मक आँकड़े और बेमेल के लिए तालिका-8 में दिए गए कारणों की जाँच।	34	395.64
10.	जीएसटीआर-9सी की तालिका-9आर में असमाशोधित कर योग्य आवर्त्त	जीएसटीआर-9सी, तालिका-9आर में नकारात्मक आँकड़ा और बेमेल के लिए तालिका-10 में दिए गए कारणों की जाँच।	50	29.05

11.	अभुक्त कर देयता	जीएसटीआर-1 (तालिका-4 से 11) और जीएसटीआर-9 (तालिका-4एन, 10 और 11) के बीच अधिकतम कर देयता की तुलना जीएसटीआर-3बी, तालिका-3.1(ए) और 3.1(बी) में भुगतान किए गए कर विवरणों से की गई। जिन मामलों में जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, वहाँ चुकाए गए जीएसटीआर-3बी कर भुगतान की तुलना जीएसटीआर-1 देनदारी से की गई। जीएसटीआर-1 और 9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजन पर विधिवत विचार किया गया।	25	163.48
12.	कंपोजिशन करदाताओं ने ई-कॉर्मस सुविधा का लाभ उठाया	ई-कॉर्मस जीएसटीआर-8, 01.10.2018 से प्रभावी हो गया जब स्नोत पर कर संग्रह प्रावधान प्रभावी हो गए। जीएसटीआर-8 में घोषित जीएसटीआईएन जो कंपोजिशन स्कीम के तहत जीएसटीआर-4 भी दाखिल कर रहे हैं।	16	0.00
13.	जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है	करदाताओं जिसने जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया था, लेकिन जीएसटीआर-1 दाखिल किया या जहाँ जीएसटीआर-2ए उपलब्ध है, दशार्ता है की कर निर्वहन के बिना करदाताओं ने कारोबार किया।	25	1.60
14.	विलम्ब भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना	जीएसटीआर-3बी में घोषित ब्याज की तुलना में जीएसटीआर-3बी दाखिल करने में देरी पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई है।	25	6.74
15.	रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले	जिन करदाताओं ने लगातार छह से अधिक कर अवधि के लिए रिटर्न दाखिल करना बंद कर दिया और इसलिए उनके पंजीकरण को रद्द करने के लिए उत्तरदायी थे, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2ए से संबंधित डेटासेट का विश्लेषण किया गया।	3	0.00

### 2.3.7.2 विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017–18 के लिए 15 मापदंडों में 423 विचलनों/विसंगतियों के मामलों के नमूने का चयन किया और करदाता के अभिलेखों की आगे जाँच किए बिना मार्च से अप्रैल 2022 के दौरान संबंधित अंचलों को लेखापरीक्षा पृच्छा जारी किए गए। इन मामलों में पहचान किए गए विचलनों/बेमेलों पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि करने का लेखापरीक्षा की जाँच सीमित थी। मार्च 2023 के अनुसार 62 विसंगतियों के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं अभी तक प्राप्त किया जाना था, जो नीचे तालिका 4 में संक्षेप में ₹ 98.08 करोड़ के संभावित अनावरण जोखिम का प्रतिनिधित्व करती हैं।

#### तालिका 4

#### जवाब अप्राप्त

लेखापरीक्षा आयाम	जारी लेखापरीक्षा पृच्छा		विभाग का जवाब अप्राप्त		प्रतिशतता	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	50	88.08	3	3.65	6	2
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	50	17.73	5	2.62	10	15
भुगतान के बिना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	18	2.53	0	0.00	0	0
जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	25	24.59	8	8.56	32	35
जीएसटीआर-9सी की तालिका-14टी में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	25	349.66	2	32.26	8	9
जीएसटीआर-9सी की तालिका-5आर में असमाशोधित आवर्त	50	6,842.12	1	10.10	2	0
जीएसटीआर-9सी की तालिका-7जी में असमाशोधित कर योग्य आवर्त	34	395.64	3	9.60	9	1
जीएसटीआर-9सी की तालिका-9 आर में असमाशोधित कर देयता	50	29.05	12	6.17	24	11
इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का गलत लाभ	25	3.52	1	0.11	4	3

लेखापरीक्षा आयाम	जारी लेखापरीक्षा पृच्छा		विभाग का जवाब अप्राप्त		प्रतिशतता	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
विलम्ब से भुगतान के लिए व्याज का भुगतान नहीं किया गया	25	6.74	9	2.78	32	43
अभूत कर देयता	25	163.48	3	21.70	12	13
जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया लेकिन जीएसटीआर-1 या 2ए उपलब्ध है	25	1.60	8	0.53	28	33
कंपोजिशन करदाताओं ने ई-कॉर्मर्स सुविधा का लाभ उठाया	16	0.00	5	0.00	31	0
इनपुट सेवा वितरक रिवर्सल	2	0.00	0	0.00	0	0
रिटर्न दाखिल न करने वाले	3	0.00	2	0.00	67	0
<b>कुल</b>	<b>423</b>	<b>7,924.74</b>	<b>62</b>	<b>98.08</b>	<b>265</b>	<b>165</b>

यह देखते हुए कि विसंगतियों को अनुपालन विचलन में परिवर्तत करने की समग्र दर महत्वपूर्ण है, जैसा कि अगले कंडिका में बताया गया है, विभाग को प्राथमिकता के रूप में इन मामलों के सत्यापन में तेजी लाने की आवश्यकता है। इन मामलों का व्यौरा परिशिष्ट 2.1 में सूचीबद्ध है और शीर्ष 10 मामले नीचे तालिका 5 में दिए गए हैं।

### तालिका 5

#### शीर्ष 10 मामले जहाँ प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	अंचल	बेमेल राशि
1.	10 XXXXXXXXXX 2Z0	पटना सिटी पूर्वी	27.73
2..	10 XXXXXXXXXX 1ZY	हाजीपुर	11.94
3.	10 XXXXXXXXXX 1Z2	कटिहार	10.10
4.	10 XXXXXXXXXX 2Z0	पटना विशेष	8.08
5.	10 XXXXXXXXXX 1ZL	पटना मध्य	4.53
6.	10 XXXXXXXXXX 1ZP	बगहा	3.95
7.	10 XXXXXXXXXX 1ZF	ओरंगाबाद	3.16
8.	10 XXXXXXXXXX 1ZK	कटिहार	3.01
9.	10 XXXXXXXXXX 1Z9	कटिहार	2.63
10.	10 XXXXXXXXXX 1Z2	फारबिसगंज	2.03

अनुशंसा 3: विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 62 विसंगतियों और विचलनों का अनुसरण कर सकता है, जिनके लिए प्रतिक्रिया प्रदान नहीं किए गए हैं।

#### 2.3.7.3 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा पृच्छाओं के लिए विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर, अनुपालन विचलन में अनुवादित 15 पहचाने गए मापदंडों को नीचे दी गई तालिका 6 में संक्षिप्त किया गया है जैसा कि परिशिष्ट 2.2 में वर्णित है।

## तालिका 6

### विसंगतियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

मामलों जहाँ जवाब प्राप्त है		लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकृत विभाग का जवाब			अनुपालन विचलन		
		डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ	पृच्छा से पहले की गई कार्रवाई	अन्य वैध स्पष्टीकरण	विभाग द्वारा स्वीकार किए गए मामले शामिल हैं जहाँ कार्रवाई शुरू की जानी तथा		
361	7,826.67	संख्या राशि	संख्या राशि	संख्या राशि	वसूलीय	वसूलीय	विभाग का जवाब लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किए गए मामले शामिल हैं जहाँ कार्रवाई शुरू की जानी तथा
48	4,882.17	संख्या राशि	संख्या राशि	संख्या राशि	एसएमटी -10	एसएमटी -10	विभाग का जवाब लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किए गए मामले शामिल हैं जहाँ कार्रवाई शुरू की जानी तथा
29	124.82	संख्या राशि	संख्या राशि	संख्या राशि	जारी एससीएन	जारी एससीएन	विभाग का जवाब लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किए गए मामले शामिल हैं जहाँ कार्रवाई शुरू की जानी तथा
100	704.55	संख्या राशि	संख्या राशि	संख्या राशि	करदाता के साथ पत्राचार के तहत	करदाता के साथ पत्राचार के तहत	विभाग का जवाब लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार्य नहीं (खंडन)
11	6.75	संख्या राशि	संख्या राशि	संख्या राशि	कुल	कुल	विभाग का जवाब लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार्य नहीं (खंडन)
44	479.63	संख्या राशि	संख्या राशि	संख्या राशि	दस्तावेजी प्रस्तुत नहीं किया गया विभाग का जवाब	दस्तावेजी प्रस्तुत नहीं किया गया विभाग का जवाब	विभाग ने कहा कि वे लेखापरीक्षा पृच्छा की जाँच कर रहे हैं
63	272.59	संख्या राशि	संख्या राशि	संख्या राशि			
55	1,347.39	संख्या राशि	संख्या राशि	संख्या राशि			
11	8.36	संख्या राशि	संख्या राशि	संख्या राशि			
184	2,114.73	संख्या राशि	संख्या राशि	संख्या राशि			
42	175.11	संख्या राशि	संख्या राशि	संख्या राशि			
50	1,341.06	संख्या राशि	संख्या राशि	संख्या राशि			

### केंद्रीकृत लेखापरीक्षा का सारांश

लेखापरीक्षा ने ₹ 2,114.73 करोड़ के कर/विसंगतियों से संबंधित 184 मामलों में अधिनियम के प्रावधानों से विचलन पाया, जो 361 विसंगतियों/बेमेल आंकड़ों का 51 प्रतिशत है, जिसके लिए विभाग ने प्रतिक्रियाएं प्रदान कीं। ब्याज का कम/भुगतान न करना, बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, गलत आवर्त्त घोषणाएं और कम कर भुगतान जैसे जोखिम मापदंडों में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई।

177 मामलों में, जो 49 प्रतिशत थे जहाँ विभाग का जवाब लेखापरीक्षा को स्वीकार्य था, करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियों में 48 मामले शामिल थे, 29 मामलों में सक्रिय रूप से कार्रवाई की गई और 100 मामलों में, अन्य वैध स्पष्टीकरण प्रदान किए गए।

50 मामलों में, विभाग ने कहा कि ₹ 1,341.06 करोड़ के अंतर्निहित विचलन की जाँच कर रहा था और 42 मामलों में, जवाब सहायक दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था, और इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन के लिए उत्तरदायी नहीं था।

### प्रेरक कारकों का विश्लेषण

423 विचलनों/असंगतियों में से 361 मामलों पर विभाग की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, डेटा विचलनों/असंगतियों के कारण बनने वाले कारक इस प्रकार हैं:

#### क) माल एवं सेवा कर कानून और नियमों से विचलन

उपर्युक्त तालिका 6 में, सारांशित 361 विचलनों में से, विभाग ने ₹ 2,114.73 करोड़ के कर प्रभाव वाले 184 मामलों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया है या जाँच शुरू कर दी है। इन मामलों में से विभाग ने 11 मामलों में ₹ 6.75 करोड़ की वसूली की है, ₹ 272.59 करोड़ के लिए 63 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 44 मामलों में ₹ 479.63 करोड़

के लिए फॉर्म एएसएमटी-10 में विसगतियाँ बताते हुए करदाताओं को नोटिस जारी किया और ₹ 1,347.39 करोड़ से जुड़े 55 मामलों में संबंधित करदाताओं के साथ पत्राचार किया। प्रत्येक आयाम के अंतर्गत शीर्ष मामला नीचे तालिका 7 में दी गई है।

### तालिका 7

#### केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के प्रत्येक आयाम के लिए शीर्ष मामला (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	अंचल	बेमेल राशि	की गई कार्रवाई
1	जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXXXX1ZM	मोतिहारी	6.02	एएसएमटी-10 जारी
2	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXXXX1ZT	शाहाबाद	1.06	कार्रवाई शुरू
3	भुगतान के बिना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXXXX1ZR	बक्सर	0.17	डीआरसी-01 जारी
4	जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXXXX1ZG	पटना विशेष	2.79	कार्यवाही प्रगति पर है
5	जीएसटीआर-9सी की तालिका-5आर में असमाशोधित आवर्त्त	10XXXXXXXXXXXX2ZD	पटना विशेष	977.72	कार्यवाही प्रगति पर है
6	जीएसटीआर-9सी की तालिका-7जी में असमाशोधित कर योग्य आवर्त्त	10XXXXXXXXXXXX1ZS	पटना मध्य	96.23	नोटिस जारी
7	जीएसटीआर-9सी की तालिका-9आर में असमाशोधित कर देयता	10XXXXXXXXXXXX2ZS	पटना दक्षिणी	1.59	डीआरसी-01 जारी
8	इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का गलत लाभ	10XXXXXXXXXXXX1ZS	पाटलिपुत्र	0.61	डीआरसी-01 जारी
9	विलम्ब से भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	10XXXXXXXXXXXX1ZB	पटना दक्षिणी	0.45	डीआरसी-01 जारी
10	अभुक्त कर देयता	10XXXXXXXXXXXX1ZQ	पूर्णिया	39.48	डीआरसी-07 जारी
11	जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है	10XXXXXXXXXXXX1ZZ	पटना विशेष	0.53	कार्यवाही प्रगति पर है

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के तहत आयाम-वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे वर्णित हैं:

#### (I) जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट

12 अंचलों में, 26 करदाताओं ने, जीएसटीआर-3बी के माध्यम से ₹ 761.76 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया था, जबकि वर्ष 2017-18 के लिए उनके जीएसटीआर-2ए में केवल ₹ 720.03 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध था।

जीएसटीआर-2ए खरीद से संबंधित गतिशील कर रिटर्न है जो माल एवं सेवा कर पोर्टल द्वारा प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है, जबकि जीएसटीआर-3बी एक मासिक रिटर्न है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट घोषित और कर के भुगतान के साथ बाहरी आपूर्ति का सारांश करदाता द्वारा स्वयं-घोषित किया जाता है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट उपयोग की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए से प्रासंगिक डेटा निकाला गया था, और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के अनुसार भुगतान किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को करदाता द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ मिलान किया गया था। अपनाई गई पद्धति जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना उसके सभी संशोधनों के साथ और तालिका-4ए(5)<sup>12</sup> में जीएसटीआर-3बी में प्राप्त इनपुट टैक्स

<sup>12</sup> अन्य सभी पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट।

क्रेडिट की तुलना करने के लिए की गई थी तालिका-4बी(2)<sup>13</sup> में किए गए उलटफेर को छोड़कर, लेकिन बाद के वर्ष 2018-19 में जीएसटीआर-9 की तालिका-8सी में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को शामिल किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, वर्ष 2017-18 में 12 अंचलों<sup>14</sup> के अधीन 26 करदाताओं ने, जीएसटीआर-3बी के द्वारा ₹ 761.76 करोड़<sup>15</sup> के इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपभोग किया था, जबकि जीएसटीआर-2ए में मात्र ₹ 720.03 करोड़ उपलब्ध था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 41.73 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान नहीं हुआ जैसा कि परिशिष्ट 2.3 में वर्णित है।

इसे इंगित किए जान पर (मार्च 2022), पर विभाग ने जवाब दिया (जनवरी 2023 से फरवरी 2023) कि चार अंचलों<sup>16</sup> के पाँच मामलों में नोटिस/एएसएमटी-10/डीआरसी-01 जारी किया गया था, चार अंचलों<sup>17</sup> के 12 मामलों में तथ्य को आंतरिक लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था, तीन अंचलों<sup>18</sup> के चार मामलों में डीआरसी-07 जारी किए गए थे, चार अंचलों<sup>19</sup> के पाँच मामलों में विभाग के जवाब स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि वे पूर्ण, समावेशी नहीं थे या विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया था।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

मोतिहारी अंचल के अंतर्गत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZM) ने जीएसटीआर-3बी की तालिका-4ए(5) में ₹ 7.32 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपभोग किया था (जीएसटीआर-3बी की तालिका-4ए(5) से तालिका-4बी(2) में उलटफेर को छोड़कर, लेकिन बाद के वर्ष 2018-19 में जीएसटीआर-9 की तालिका-8सी से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया था। जबकि सभी संशोधित सहित जीएसटीआर-2ए के अनुसार केवल ₹ 1.30 करोड़ उपलब्ध थे इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.02 करोड़ की प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की विसंगति हुई। लेखापरीक्षा पृच्छा के जवाब में, विभाग ने कहा कि एएसएमटी-10 और अनुस्मारक जारी किए गए थे।

**अनुशंसा 4:** विभाग को इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन को प्रारंभ करना चाहिए एवं तदनुसार राजस्व के हानि का वसूली की जा सकती है।

## (II) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट

**11 अंचलों के, 22 करदाताओं ने, वर्ष 2017-18 के में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ₹ 7.28 करोड़ के अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया।**

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) या धारा 9(4) के तहत और एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के तहत वस्तुओं या सेवाओं की कुछ श्रेणियों या दोनों के संबंध में आपूर्तिकर्ता या प्रदाता के बजाय वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर कर का भुगतान करने की देयता तय की जाती है।

जीएसटीआर-9 एक वार्षिक प्रतिवेदन है जिसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक बार पंजीकृत करदाताओं द्वारा दाखिल किया जाता है, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों और विशेष आर्थिक

<sup>13</sup> अन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल।

<sup>14</sup> बाढ़, बक्सर, गाँधी मैदान, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, सासाराम और सिवान।

<sup>15</sup> ₹ 736.19 करोड़ (जीएसटीआर-3बी की तालिका-4ए(2) में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया) + ₹ 27.51 करोड़ (इनपुट टैक्स क्रेडिट ने जीएसटीआर-9 की तालिका-8सी में लिया) - ₹ 1.94 करोड़ (जीएसटीआर-3बी की तालिका-4बी(2) में इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल)।

<sup>16</sup> बक्सर, मोतिहारी, पटना सिटी पूर्वी और सिवान।

<sup>17</sup> गाँधी मैदान, मुजफ्फरपुर पश्चिम, पटना दक्षिणी और पटना विशेष।

<sup>18</sup> बाढ़, पटना उत्तरी और पाटलिपुत्र।

<sup>19</sup> मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना विशेष और सासाराम।

क्षेत्र डेवलपर्स सहित नियमित करदाता थे। करदाताओं द्वारा खरीद, बिक्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट या दावा किए गए रिफंड या बनाई गई माँग आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाना है।

वर्ष 2017–18 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत भुगतान किए गए कर पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, जीएसटीआर–३बी और वार्षिक प्रतिवेदन (जीएसटीआर–९) से संबंधित डेटासेट की तुलना यह जाँचने के लिए की गई थी कि क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट भुगतान किए गए कर की सीमा तक सीमित था। जीएसटीआर–३बी, तालिका–३.१(डी)<sup>२०</sup> में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भुगतानों की तुलना जीएसटीआर–९, तालिका–६सी<sup>२१</sup>, ६डी<sup>२२</sup> और ६एफ<sup>२३</sup> में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से करने के लिए अपनाई गई पद्धति थी। जिन मामलों में जीएसटीआर–९ उपलब्ध नहीं था, वहाँ जीएसटीआर–३बी के अंतर्गत चेक सीमित थे, जहाँ जीएसटीआर–३बी, तालिका–३.१(डी) में दिए गए कर की तुलना जीएसटीआर–३बी, तालिका–४ए(२)<sup>२४</sup> और ४ए(३)<sup>२५</sup> के हिस्से का लाभ उठाने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, 11 अंचलों<sup>२६</sup> के 22 करदाताओं ने वर्ष 2017–18 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ₹ 7.28 करोड़ के अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपभोग किया था जैसा कि परिशिष्ट 2.4 में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने पर (मार्च 2022) पर, विभाग ने जवाब दिया (जनवरी 2023) कि सिवान अंचल के दो मामलों में राशि वसूल की गई थी, सात अंचलों<sup>२७</sup> के 13 मामलों में करदाताओं को नोटिस (एएसएमटी–१०/डीआरसी–०१) जारी की गई थी और तीन अंचलों<sup>२८</sup> के पाँच मामलों में कार्रवाई/कार्यवाही शुरू की गई थी। मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल के एक मामले में यह जवाब दिया गया था कि मामला विलोपित किया गया है और सिवान अंचल के एक मामले में केवल संक्षिप्त जवाब “अंतर नहीं” दिया गया था लेकिन कोई सहायक दस्तावेज़/साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए थे।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

शाहाबाद अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन–10XXXXXXXXXXXX1ZT) ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ₹ 1.06 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया था, जैसा कि जीएसटीआर–९ रिटर्न की तालिका–६(डी) में घोषित किया गया है। हालाँकि, करदाता ने जीएसटीआर–३बी रिटर्न की तालिका–३.१(डी) में रिवर्स चार्ज के तहत शून्य कर देयता स्वीकार की थी। इस प्रकार, करदाता ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ₹ 1.06 करोड़ के अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था। जवाब में, विभाग ने बताया कि कार्रवाई शुरू की गई थी।

### (III) कर के भुगतान के बिना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर इनपुट टैक्स क्रेडिट बेमेल

पाँच अंचलों के सात करदाताओं ने वर्ष 2017–18 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ₹ 1.03 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ बिना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कर देयता के निर्वहन/भुगतान के उठाया।

वर्ष 2017–18 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत समकक्ष कर देयता का निर्वहन किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की सीमा या, दूसरे शब्दों में, रिवर्स चार्ज

<sup>२०</sup> आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)।

<sup>२१</sup> आवक आपूर्ति अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त होती है जो रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी है।

<sup>२२</sup> पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक आपूर्ति रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी है।

<sup>२३</sup> सेवाओं का आयात।

<sup>२४</sup> सेवाओं का आयात।

<sup>२५</sup> आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)।

<sup>२६</sup> भभुआ, दानापुर, गाँधी मैदान, गया, झंझारपुर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी, समस्तीपुर, शाहाबाद और सिवान।

<sup>२७</sup> भभुआ, दानापुर, गाँधी मैदान, गया, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी और समस्तीपुर।

<sup>२८</sup> दानापुर, झंझारपुर और शाहाबाद।

मैकेनिज्म के तहत कर के कम भुगतान का विश्लेषण जीएसटीआर-3बी और वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 से संबंधित डेटासेट की तुलना करके किया गया था ताकि यह जाँच जा सके कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत गतिविधियों/लेनदेन पर कर का पूरी तरह से निर्वहन किया गया है या नहीं। जिन मामलों में जीएसटीआर-9 दाखिल किया गया था, तालिका-4जी<sup>29</sup> में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भुगतान की तुलना तालिका-6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई। जिन मामलों में जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, वहाँ जीएसटीआर-3बी, तालिका-3.1(डी)<sup>30</sup> में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भुगतान की तुलना जीएसटीआर-3बी, तालिका-4ए(2)<sup>31</sup> और 4ए(3)<sup>32</sup> से की गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच अंचलों<sup>33</sup> में सात करदाताओं ने वर्ष 2017-18 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ₹ 1.03 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ बिना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कर देयता के निर्वहन/भुगतान के उठाया था, जैसा कि परिशिष्ट 2.5 में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने (मार्च 2022) पर, विभाग ने जवाब दिया (जनवरी 2023) कि, इन सभी मामलों में करदाताओं को नोटिस (एएसएमटी-10/डीआरसी-01) जारी किए गए थे।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

बक्सर अंचल के अंतर्गत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZR) ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ₹ 17.02 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया था, जैसा कि जीएसटीआर-9 की तालिका-6(डी) में घोषित किया गया है। हालाँकि, करदाता ने रिवर्स चार्ज के तहत शून्य कर का भुगतान किया था, जैसा कि जीएसटीआर-9 की तालिका-4जी में घोषित किया गया है। इस प्रकार, करदाता ने समानुपातिक कर का भुगतान किए बिना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था। इसके जवाब में विभाग ने बताया कि डीआरसी-01 जारी किया गया था।

#### (IV) जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट

चार अंचलों के पाँच करदाताओं ने जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में ₹ 6 करोड़ के असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट की घोषणा की थी, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में दावा किया गया था।

जीएसटीआर-9सी की तालिका-12 वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या बही-खातों के अनुसार प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से मिलान करता है। इस तालिका का कॉलम-12एफ असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है। वर्ष 2017-18 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-9सी में बिहार माल एवं सेवा कर नियमों के नियम 80(3) के तहत करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाशोधित विवरण का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था ताकि वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा की जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार अंचलों<sup>34</sup> के पाँच करदाताओं ने जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में ₹ 6 करोड़ के असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट की घोषणा की थी, जो लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के अनुसार पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में दावा किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 2.6 में वर्णित है।

<sup>29</sup> आवक आपूर्ति जिस पर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जाना है।

<sup>30</sup> आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)।

<sup>31</sup> सेवाओं का आयात।

<sup>32</sup> आवक आपूर्ति वस्तुओं माल और सेवाओं के आयात के अलावा रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी है।

<sup>33</sup> भभुआ, बक्सर, दानापुर, पटना पश्चिमी और सिवान।

<sup>34</sup> पाटलीपुत्र, पटना सिटी पश्चिमी, पटना विशेष और सहरसा।

इसे इंगित किये जाने (मार्च 2022) पर, विभाग ने जवाब दिया (जनवरी 2023 से फरवरी 2023) कि पटना सिटी पश्चिमी और सहरसा अंचल के तीन मामलों में एएसएमटी-10 जारी किया गया था और पटना विशेष अंचल के एक मामले में कार्यवाही प्रगति पर थी। पाटलिपुत्र अंचल के एक मामले में विभाग ने जवाब दिया कि मामला राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना विषेश अंचल में पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZG) ने जीएसटीआर-9 (जीएसटीआर-9सी की तालिका-12ई के अनुसार) में ₹ 3.04 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था, जबकि करदाता ने केवल वित्तीय विवरणों (जीएसटीआर-9सी की तालिका-12 डी) के अनुसार ₹ 0.25 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था। इस प्रकार, करदाता ने लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना में ₹ 2.79 करोड़ रुपये का अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया था, जिसके परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट असमाशोधित था। लेखापरीक्षा पृच्छा के संदर्भ में विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रक्रिया में थी।

#### (V) जीएसटीआर-9सी की तालिका-5आर में असमाशोधित आवर्त

13 अंचलों के 26 मामलों में वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 1,647.19 करोड़ के असमाशोधित आवर्त को जीएसटीआर-9सी की तालिका-5आर में घोषित किया गया था।

जीएसटीआर-9सी की तालिका-5, लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित सकल आवर्त का वार्षिक आवर्त (जीएसटीआर-9) में घोषित आवर्त का मिलान है। इस तालिका के कॉलम-5आर वार्षिक प्रतिवेदन (जीएसटीआर-9) और अपेक्षित समायोजन के बाद के वर्ष के वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त के बीच असमाशोधित लेन-देन को दर्शाता है।

वर्ष 2017-18 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-9सी में बिहार माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 80(3) के तहत करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाशोधित विवरण का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था ताकि वित्तीय विवरणों की तुलना में वार्षिक रिटर्न में रिपोर्ट किए गए आवर्त में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा की जा सके/जिन मामलों में जीएसटीआर-9 में घोषित आवर्त वित्तीय विवरण से कम है, उनमें अप्रतिवेदन, अपर्याप्त प्रतिवेदन कम प्रतिवेदन, चूक, आपूर्ति की प्रतिवेदन में त्रुटि के कारण चोरी या कर का कम भुगतान होता है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों प्रतिवेदित नहीं करने का मामला भी हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 अंचलों<sup>35</sup> के 26 मामलों में, वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 1,647.19 करोड़ के असमाशोधित आवर्त को जीएसटीआर-9सी की तालिका-5आर में घोषित किया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 2.7 में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने (मार्च 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी 2023 से फरवरी 2023) कि 11 अंचलों<sup>36</sup> के 18 मामलों में सूचना (एएसएमटी-10 / डीआरसी-01 / 01ए) जारी किए गए थे चार अंचलों<sup>37</sup> के पाँच मामलों में, करदाताओं को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया और पटना सिटी पश्चिमी अंचल के दो मामलों में, करदाताओं के पंजीकरण को रद्द कर दिया गया। पटना विशेष अंचल के एक मामले में, यह बताया गया था कि ₹ 977.72 करोड़ के असमाशोधित सकल आवर्त में से केवल ₹ 39.28 करोड़ कर योग्य थे,

<sup>35</sup> भभुआ, दानापुर, गाँधी मैदान, कदमकुआँ, पटना मध्य, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, समस्तीपुर और शाहाबाद।

<sup>36</sup> भभुआ, दानापुर, गाँधी मैदान, कदमकुआँ, पटना मध्य, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी और समस्तीपुर।

<sup>37</sup> शाहाबाद, पटना विशेष, पटना दक्षिणी और पटना उत्तरी।

जिसके लिए बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी।

एक उदाहरणात्मक मामला का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना विशेष अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन –10XXXXXXXXXX2ZD) के मामले में, जीएसटीआर–9सी की तालिका–5आर में घोषित वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 977.72 करोड़ रुपये का असमाशोधित सकल आवर्त्त देखा गया था, जिसकी सूचना विभाग को दे दी गई थी। विभाग ने (जनवरी 2023) जवाब दिया कि ₹ 977.72 करोड़ के असमाशोधित सकल आवर्त्त में से ₹ 938.44 करोड़ प्रशासनिक शुल्क, टर्मिनल लाभ, बचत बैंक खातों पर ब्याज पर आय, ऋण /ओवरड्राफ्ट आदि से संबंधित थे, और ₹ 39.28 करोड़ की शेष राशि के लिए, बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत कार्यवाही शुरू की जा रही थी। आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

#### (VI) जीएसटीआर–9सी की तालिका–7जी में असमाशोधित कर आवर्त्त

**15 अंचलों के 26 मामलों में जीएसटीआर–9सी की तालिका–7जी में घोषित ₹ 294.73 करोड़ का असमाशोधित कर आवर्त्त।**

जीएसटीआर–9सी की तालिका–7 कर योग्य आवर्त्त का मिलान है। इस तालिका का कॉलम–7जी वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर–9) और अपेक्षित समायोजन के बाद के वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में घोषित किए गए कर योग्य आवर्त्त के बीच असमाशोधित कर योग्य आवर्त्त को दर्शाता है।

वर्ष 2017–18 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर–9सी में बिहार माल एवं सेवा कर नियमों के नियम 80 (3) के तहत करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था ताकि वित्तीय विवरणों की तुलना में वार्षिक प्रतिवेदन में प्रतिवेदित कर योग्य आवर्त्त में पहचाने गए अंतर की सीमा की समीक्षा की जा सके। जिन मामलों में जीएसटीआर–9 में आवर्त्त वित्तीय विवरण से कम है, उनमें असमाशोधित राशि गैर–प्रतिवेदन, कम प्रतिवेदन, चूक, कर योग्य आपूर्ति की रिपोर्टिंग में त्रुटि को इंगित करती है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों प्रतिवेदन नहीं करने के कारण भी हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, 15 अंचलों<sup>38</sup> के 26 मामलों में जीएसटीआर–9सी की तालिका–7जी में घोषित ₹ 294.73 करोड़ का असमाशोधित कर योग्य आवर्त्त था, जैसा कि परिशिष्ट 2.8 में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने (मार्च 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी 202 से फरवरी 2023) कि कदमकुआँ अंचल के एक मामले में राशि वसूल की गई थी और 11 अंचलों<sup>39</sup> के 20 मामलों में सूचना (एएसएमटी–10 / डीआरसी–01) जारी किया गया था। चार अंचलों<sup>40</sup> के चार मामलों में यह बता गया कि करदाताओं को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था और पटना सिटी पश्चिमी अंचल के एक मामले में करदाता का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था और नोटिस जारी किया गया था।

<sup>38</sup> औरंगाबाद, बेतिया, भभुआ, गाँधी मैदान, कदमकुआँ, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर पश्चिम, पटना मध्य, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी, समस्तीपुर, सासाराम, शाहाबाद और सिवान।

<sup>39</sup> औरंगाबाद, बेतिया, भभुआ, कदमकुआँ, मोतिहारी, पटना मध्य, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी, समस्तीपुर और सिवान।

<sup>40</sup> मुजफ्फरपुर पश्चिमी, सासाराम, शाहाबाद और गाँधी मैदान।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना मध्य अंचल के अंतर्गत एक करदाता (जीएसटीआईएन—10XXXXXXXXXX1ZS) ने जीएसटीआर—9सी की तालिका—7जी में ₹ 96.23 करोड़ कहा (फरवरी 2023) कि करदाता को नोटिस जारी किया गया था और आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

#### (VII) जीएसटीआर—9सी की तालिका—9आर में असमाशोधित कर देयता

**13 अंचलों के 19 मामलों में जीएसटीआर—9सी की तालिका—9आर में ₹ 8.90 करोड़ के कर का असमाशोधित भुगतान।**

वर्ष 2017–18 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर—9सी में बिहार माल एवं सेवा कर नियमों के नियम 80(3) के तहत करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था ताकि वार्षिक रिटर्न और बही—खातों के बीच भुगतान किए गए कर में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा की जा सके। प्रपत्र जीएसटीआर—9सी की तालिका—9 में आवर्त्त को दर—वार अलग करके और वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर—9) के अनुसार किए गए कर के साथ इसकी तुलना करके भुगतान किए गए कर का मिलान करने का प्रयास किया गया है। असमाशोधित राशि संभवतः गलत दरों पर लगाए गए कर, कर योग्य आवर्त्त को छूट के रूप में गलत तरीके से चित्रित कर सकती है या इसके विपरीत केन्द्रीय माल एवं सेवा कर/बिहार माल एवं सेवा कर/एकीकृत माल एवं सेवा कर/उपकर की गलत उदग्रहण का संकेत दे सकती है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है 2017–18 लेनदेन के सापेक्ष अप्रैल से सितंबर 2018 तक किए गए संशोधन (डेबिट नोटों/क्रेडिट नोटों का सकल) के माध्यम से घोषित आपूर्ति/कर घट जाता है। परिणामी ब्याज भुगतान — लघु भुगतान और गलत मदों के तहत भुगतान दोनों— की भी इस संबंध में जाँच करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 अंचलों<sup>41</sup> के 19 मामलों में जीएसटीआर—9सी की तालिका—9आर में ₹ 8.90 करोड़ के कर का असमाशोधित भुगतान किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 2.9 में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी से फरवरी 2023) कि पूर्णिया अंचल के एक मामले में असमाशोधित कर राशि की वसूली कर ली गई थी, सात अंचलों<sup>42</sup> के 12 मामलों में करदाताओं को नोटिस (एएसएमटी—10/डीआरसी—01) जारी किया गया था और पटना विशेष अंचल के एक मामले में कार्यवाही चल रही थी। तीन अंचलों<sup>43</sup> के तीन मामलों में यह बताया गया कि करदाताओं को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था और सारण अंचल के दो मामलों में डीआरसी—07 आदेश जारी किए गए थे।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

सारण अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन—10XXXXXXXXXX1ZU) ने जीएसटीआर—9सी की तालिका—9आर में घोषित ₹ 0.42 करोड़ (सीजीएसटी—₹ 0.21 करोड़ और एसजीएसटी—₹ 0.21 करोड़) के कर का भुगतान नहीं किया था। लेखापरीक्षा पृच्छा के जवाब में, करदाता ने 26 जुलाई 2022 को डीआरसी—03 के माध्यम से ₹ 0.42 करोड़ के

<sup>41</sup> औरंगाबाद, भभुआ, दानापुर, गाँधी मैदान, जमुई, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण और सिवान।

<sup>42</sup> औरंगाबाद, भभुआ, दानापुर, गाँधी मैदान, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी और सिवान।

<sup>43</sup> दानापुर, गाँधी मैदान और मुजफ्फरपुर पश्चिमी।

असमाशोधित कर का भुगतान किया और अंचलों द्वारा ₹ 0.40 करोड़ के ब्याज के भुगतान की माँग जारी की गई।

### (VIII) प्राप्तकर्ताओं द्वारा इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का गलत लाभ उठाना

**नौ अंचलों में 14 करदाताओं ने वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 2.43 करोड़ के अतिरिक्त इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का लाभ उठाया।**

यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या करदाता द्वारा लिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट सेवा वितरक द्वारा हस्तांतरित इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक है, करदाता के रिटर्न में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना इनपुट सेवा वितरक द्वारा उनके जीएसटीआर–6 में स्थानांतरित इनपुट टैक्स क्रेडिट से की जाती है। अपनाई गई पद्धति इस राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्राप्तकर्ता करदाताओं के जीएसटीआर–9 की तालिका–6जी<sup>44</sup> या जीएसटीआर–3बी की तालिका–4(ए)(4)<sup>45</sup> की तुलना संबंधित इनपुट सेवा वितरक के जीएसटीआर–6 की तालिका–5ए<sup>46</sup>, तालिका–8ए<sup>47</sup> और तालिका–9ए<sup>48</sup> के योग से करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि नौ अंचलों<sup>49</sup> के अधीन 14 करदाताओं ने, वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 2.43 करोड़ के लिए अतिरिक्त इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का लाभ उठाया था, जैसा कि परिशिष्ट 2.10 में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने (अप्रैल 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी 2023 से फरवरी 2023) कि सात अंचलों<sup>50</sup> के 10 मामलों में नोटिस (एएसएमटी–10 / डीआरसी–01) जारी किए गए थे, दो अंचलों<sup>51</sup> के दो मामलों में मामला आंतरिक लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था और पटना विशेष अंचल का एक मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण अदालत में विचाराधीन था। पटना विशेष अंचल के एक मामले में, यह बताया गया कि इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट के कारण था, जिसे करदाता द्वारा द्रान–1 के माध्यम से दावा किया गया था और मामला हटा दिया गया था। यह जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ₹ 9.27 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे की तुलना में करदाता द्वारा दाखिल द्रान–1 और द्रान–2 रिटर्न में केवल ₹ 5.23 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध था। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि ₹ 19.43 लाख (ब्याज और अर्थदण्ड सहित) के लिए फॉर्म डीआरसी–07 में माँग 23 जनवरी 2023 को जारी की गई थी।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पाटलिपुत्र अंचलों के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन–10XXXXXXXXXXXX1ZS) ने वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 3.79 करोड़ का इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट प्राप्त किया था, जैसा कि जीएसटीआर–9 की तालिका–6(जी) में घोषित किया गया था, लेकिन इनपुट सेवा वितरक द्वारा केवल ₹ 3.18 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर–6 रिटर्न की तालिका (5ए+8ए+9ए) में स्थानांतरित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.61 करोड़ के इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का अधिक लाभ उठाया गया। जब इसे इंगित किया गया तब विभाग ने बताया कि डीआरसी–01 जारी किया गया था।

<sup>44</sup> इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट सेवा वितरक से प्राप्त हुआ।

<sup>45</sup> इनपुट सेवा वितरक से आवक आपूर्ति।

<sup>46</sup> कर अवधि के लिए पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि का वितरण।

<sup>47</sup> इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेमेल पुनः प्राप्त और वितरित किया गया।

<sup>48</sup> गलत प्राप्तकर्ता को वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट का पुनर्वितरण।

<sup>49</sup> दानापुर, गाँधी मैदान, मोतिहारी, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी और पटना विशेष।

<sup>50</sup> दानापुर, मोतिहारी, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी और पटना दक्षिणी गाँधी मैदान और पटना विशेष।

### (IX) विलंबित भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया गया

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 यह प्रावधित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के अन्दर सरकार को कर या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या उसका कोई हिस्सा अभूगतेय रहता है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करें।

2017–18 के दौरान कर प्रेषण में विलम्ब के कारण ब्याज के कम भुगतान की सीमा की पहचान जीएसटीआर–3बी में कर भुगतान विवरण और जीएसटीआर–3बी दाखिल करने की तारीख का उपयोग करके की गई थी। देय ब्याज का निर्धारण करने के लिए केवल शुद्ध कर देयता (नकद घटक) पर विचार किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, नौ अंचलों के अधीन 13 मामलों<sup>52</sup> में जुलाई 2017 से मार्च 2018 के महीनों से संबंधित जीएसटीआर–3बी रिटर्न 50 से 780 दिनों की विलम्ब से दायर किए गए थे, जिसमें ₹ 22.68 करोड़ की कर देयता शामिल थी। हालाँकि, करदाताओं द्वारा कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 2.76 करोड़ की ब्याज देयता का भुगतान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.76 करोड़ की बकाया ब्याज देयता हुई जैसा कि परिशिष्ट 11 में बताया गया है।

इसे इंगित किए जाने (मार्च 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी 2023) कि पाँच अंचलों के छह मामलों<sup>53</sup> में राशि वसूल की गई, चार अंचलों<sup>54</sup> के चार मामलों में करदाताओं को नोटिस जारी किए गए और शाहाबाद अंचल के दो मामलों में कार्रवाई शुरू की गई। पटना सिटी पूर्वी अंचल के एक मामले में जवाब दिया गया कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण करदाता ऑनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं कर सका, लेकिन कर की रकम राशि लेजर में क्रेडिट हो गई। यह जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि केवल क्रेडिट की उपलब्धता को कर देयता के भुगतान के रूप में नहीं माना जा सकता है जब तक कि इसे कर देयता के निर्वहन के लिए डेबिट नहीं किया जाता है।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना दक्षिणी अंचल के अधीन एक करदाता (जीएसटीआईएन–10XXXXXXXXXXXX1ZB) ने मार्च 2018 महीने से संबंधित जीएसटीआर–3बी रिटर्न दाखिल किया था, जिसमें मार्च 2020 में ₹ 1.36 करोड़ की कर देनदारी शामिल थी, यानी 691 दिनों की देरी से और बकाया करों का भुगतान किया। हालाँकि, करदाता द्वारा कर के भुगतान में देरी के लिए ₹ 44.80 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था। इसके जवाब में विभाग ने कहा कि डीआरसी–01 जारी कर दिया गया है।

### (X) अभुक्त कर देयता

**वर्ष 2017–18 के लिए 11 अंचलों के 14 मामलों में, ₹ 101.77 करोड़ की कर देयता का अंतर।**

जीएसटीआर–1 वस्तुओं या सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का मासिक ब्यौरा दर्शाता है। इस विवरण का मूल्यांकन करदाता द्वारा भी किया जाता है और संबंधित कॉलम में वार्षिक

<sup>52</sup> बैगूसराय, गँधी मैदान, हाजीपुर, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी, सारण, सासाराम, शाहाबाद और सिवान।

<sup>53</sup> बैगूसराय, गँधी मैदान, हाजीपुर, सासाराम और सिवान।

<sup>54</sup> हाजीपुर, पटना दक्षिणी, सारण और सासाराम।

रिटर्न जीएसटीआर-9 में उल्लेख किया जाता है। इसके अलावा, कर योग्य मूल्य और उसके भुगतान किए गए कर को भी जीएसटीआर-3बी में दिखाया जाता है।

अभुक्त कर देयता का विश्लेषण करने के लिए वर्ष 2017–18 के लिए जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 से संबंधित आँकड़े निकाले गए और इन रिटर्न में देय कर की तुलना जीएसटीआर-9 में घोषित कर से की गई। जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, वहाँ जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच देय कर की तुलना का सहारा लिया गया। इस उद्देश्य के लिए जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजन पर भी विचार किया गया। एल्योरिथम के लिए जीएसटीआर-1 की तालिका-4 से 11 और जीएसटीआर-9 की तालिका-4एन, 10 और 11 पर विचार किया गया। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के बीच कर देयता की तुलना जीएसटीआर-9 की तालिका-9 और 14 में घोषित कर से की गई ताकि कर के कम भुगतान की पहचान की जा सके। जीएसटीआर-3बी के मामले में, तालिका-3.1(ए)<sup>55</sup> और तालिका-3.1(बी)<sup>56</sup> को ध्यान में रखा गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, 11 अंचलों<sup>57</sup> के 14 मामलों में ₹ 205.31 करोड़ की कर देयता राशि की कर अदा की गई थी एवं केवल ₹ 103.21 करोड़ के कर का भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 101.77 करोड़ की कर देयता का अंतर हुआ, जैसा कि परिशिष्ट 2.12 में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने (मार्च 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी 2023 से फरवरी 2023) कि पटना मध्य अंचल के एक मामले में राशि वसूल की गई थी, आठ अंचलों<sup>58</sup> के आठ मामलों में करदाताओं को नोटिस (एएसएमटी-10 / डीआरसी-01) जारी किए गए थे, दो अंचलों<sup>59</sup> के तीन मामलों में, करदाताओं को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था और दो अंचलों<sup>60</sup> के दो मामलों में, करदाताओं को डीआरसी-07 प्रपत्र में आदेश जारी किए गए थे।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पूर्णिया अंचल के अधीन आने वाले एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXXXX1ZQ) ने वर्ष 2017–18 के लिए जीएसटीआर-1 में ₹ 0.41 करोड़ और जीएसटीआर-9 में ₹ 39.48 करोड़ की कर देनदारी दिखाई थी। हालाँकि, करदाता ने अपनी कर देयता का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 39.48 करोड़ की कर देयता (जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के मध्य अधिक कर देयता) हो गई। जवाब में, विभाग ने (जनवरी 2023) बताया कि डीआरसी-07 जारी किया गया था।

<sup>55</sup> बाहरी कर योग्य आपूर्ति (शून्य रेटेड, निल रेटेड और छूट के अलावा)।

<sup>56</sup> बाहरी कर योग्य आपूर्ति (शून्य रेटेड)।

<sup>57</sup> भागलपुर, हाजीपुर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पूर्णिया, सासाराम और शाहाबाद।

<sup>58</sup> भागलपुर, हाजीपुर, लखीसराय, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना विशेष, पटना दक्षिणी और शाहाबाद।

<sup>59</sup> मुजफ्फरपुर पश्चिमी और सासाराम।

<sup>60</sup> पाटलिपुत्र और पूर्णिया।

**(X) ऐसे मामले जहाँ जीएसटीआर-३बी दाखिल नहीं किया गया है लेकिन जीएसटीआर-१ उपलब्ध है**

11 अंचलों के, 12 करदाताओं ने जीएसटीआर-१ दाखिल किया था एवं जीएसटीआर-३बी रिटर्न दाखिल किए बिना वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 0.91 करोड़ की कर देयता घोषित की थी।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 39 सपष्टित बिहार माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61(5) में जीएसटीआर-३बी रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान है। डेटा स्तर पर लेखापरीक्षा में उन करदाताओं की पहचान करने का प्रयास किया गया, जिन्होंने जीएसटीआर-३बी दाखिल नहीं किया था, परन्तु, जीएसटीआर-१ दाखिल किया था या जिनका जीएसटीआर-२ए उपलब्ध था। जीएसटीआर-३बी रिटर्न एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से देनदारी की भरपाई की जाती है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जाता है। जीएसटीआर-१ और जीएसटीआर-२ए की उपलब्धता और जीएसटीआर-३बी दाखिल नहीं करने से संकेत मिलता है कि करदाताओं ने इस अवधि के दौरान कारोबार किया था, लेकिन अपनी कर देनदारी का निर्वहन नहीं किया था। जीएसटीआर-१ और जीएसटीआर-३बी से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और उन मामलों को निकाला गया जहाँ जीएसटीआर-३बी दाखिल नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, 11 अंचलों<sup>61</sup> के अधीन 12 करदाताओं ने जीएसटीआर-१ दाखिल किए बिना वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 0.91 करोड़ की कर देयता घोषित की थी, लेकिन उन्होंने जीएसटीआर-३ बी रिटर्न दाखिल नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.91 करोड़ की कर देयता का निर्वहन नहीं हुआ। यह भी देखा गया कि इन करदाताओं के पंजीकरण रद्द कर दिए गए थे जैसा कि परिशिष्ट 2.13 में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने (मार्च 2022) पर, विभाग ने जवाब दिया (जनवरी 2023) कि सात अंचलों<sup>62</sup> के सात मामलों में नोटिस/एएसएमटी-10/डीआरसी-01, जारी किया गया था, पटना उत्तरी और सारण अंचलों के दो मामलों में डीआरसी-07 में माँग जारी की गई और गया अंचल के एक मामले में करदाता का पंजीकरण रद्द कर दिया गया क्योंकि उसने कैश/क्रेडिट लेजर के अनुसार कोई कर जमा नहीं किया गया था। पटना विशेष अंचल के एक मामले में, यह जवाब दिया गया था कि कार्यवाही प्रक्रिया में थी। बिहारशरीफ अंचल के एक मामले में विभाग ने बताया कि अंचलों में करदाता से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है जो स्वीकार्य नहीं है।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना विशेष अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXXXX1ZZ) ने जीएसटीआर-१ में ₹ 52.81 लाख रुपये की कर देनदारी स्वीकार की थी, लेकिन करदाता ने जीएसटीआर-३बी रिटर्न दाखिल नहीं किया था और कर का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 52.81 लाख की कर देयता का भुगतान नहीं किया गया। जवाब में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रक्रिया में थी।

**ख) ऐसे मामले जहाँ विभाग का जवाब लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है**

184 गैर-अनुपालन मामलों में से, विभाग ने 11 मामलों में ₹ 8.36 करोड़ की राशि के लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार नहीं किया था जैसा कि नीचे तालिका 8 में वर्णित है।

<sup>61</sup> औरंगाबाद, बिहारशरीफ, दानापुर, गाँधी मैदान, गया, हाजीपुर, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना विशेष, सारण और सिवान।

<sup>62</sup> औरंगाबाद, दानापुर, गाँधी मैदान, हाजीपुर, पटना सिटी पश्चिमी और सिवान।

## तालिका 8

### ऐसे मामले जहाँ विभाग की प्रतिक्रिया का खंडन किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	अंचल	आयाम	बेमेल राशि
1.	10 XXXXXXXXXX1ZJ	पाठलिपुत्र	बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	0.84
2.	10 XXXXXXXXXX1Z3	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	4.03
3.	10 XXXXXXXXXX1ZV	सासाराम	बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	0.73
4.	10 XXXXXXXXXX1Z4	पटना विशेष	बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	1.13
5.	10XXXXXXXXXX1ZM	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	0.86
6.	10 XXXXXXXXXX1ZK	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ	0.20
7.	10 XXXXXXXXXX1Z2	सिवान	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ	0.23
8.	10 XXXXXXXXXX1Z6	पटना सिटी पूर्वी	ब्याज का भुगतान न होना	0.20
9.	10 XXXXXXXXXX1Z6	पटना विशेष	इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का गलत लाभ	0.09
10.	10 XXXXXXXXXX1ZE	गया	जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया	0.04
11.	10 XXXXXXXXXX1ZR	बिहारशरीफ	जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया	0.00
कुल				<b>8.35</b>

एक उदाहरणात्मक मामला का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना सिटी पूर्वी अंचल के अंतर्गत एक करदाता (जीएसटीआईएन—10XXXXXXXXXX1Z6) के मामले में जीएसटीआर-3बी दाखिल करने में विलम्ब के कारण ₹ 0.20 करोड़ रुपये की ब्याज देनदारी का भुगतान नहीं होने की सूचना विभाग को दी गई थी। विभाग ने कहा कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण करदाता रिटर्न दाखिल नहीं कर सका लेकिन कर राशि कैश लेजर में जमा कर दी गई। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि देयता का निर्वहन केवल तभी वैध माना जाता है जब कैश लेजर में संबंधित डेबिट होता है। चूंकि कर देनदारी तय तारीख तक समायोजित नहीं की गई थी, इसलिए ब्याज वसूलने की जरूरत है।

#### ग) करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ

जहाँ विभाग की प्रतिक्रियाओं को लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया था वहाँ डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ कुल प्राप्त प्रतिक्रियाओं का 13 प्रतिशत (361 मामलों में से 48) और 27 प्रतिशत (177 मामलों में से 48) था। इन डेटा प्रविष्टि त्रुटियों का कोई राजस्व निहितार्थ नहीं था। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इनपुट सेवा वितरक, कारोबार और भुगतान किए गए कर (जीएसटीआर-9सी में प्रदान किया गया) से संबंधित अधिकांश डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ परिशिष्ट 2.14 में वर्णित हैं।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना विशेष अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन—10XXXXXXXXXX2ZN) के जीएसटीआर-9सी की तालिका-5आर में ₹ 4,409.38 करोड़ के असमंजित राशि की पहचान की गई और विभाग को सूचित किया गया। विभाग ने बताया कि विचलन एक टंकण त्रुटि के कारण हुआ था। करदाता ने गलती से जीएसटीआर-9सी की तालिका-5डी में वास्तविक ₹ 4,899.31 करोड़ के बजाय ₹ 489.93 करोड़ की छूट वाली आपूर्ति का संकेत दिया था।

सिस्टम ने ऐसी डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के लिए अनुमति दी, जिन्हें उचित सत्यापन नियंत्रण के साथ टाला जा सकता था।

### घ) लेखापरीक्षा पृच्छा जारी करने से पहले की गई कार्रवाई

जैसा कि ऊपर तालिका 6 में सारांशित है, विभाग ने पहले ही 29 मामलों में कार्रवाई की थी, जो प्राप्त 361 प्रतिक्रियाओं का आठ प्रतिशत था। विचलनों/विसंगतियों को सक्रिय रूप से संबोधित करने वाले शीर्ष पाँच अंचलों को नीचे तालिका 9 में इंगित किया गया है:

#### तालिका 9

#### लेखापरीक्षा पृच्छा से पहले की गई कार्रवाई

अंचल	लेखापरीक्षा पृच्छा से पहले की गई कार्रवाई (मामलों की संख्या)	लेखापरीक्षा पृच्छा की कुल संख्या	प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई (मामलों की संख्या)	लेखापरीक्षा पृच्छा से पहले की गई कार्रवाई का प्रतिशत
सासाराम	4	13	13	31
पटना मध्य	3	30	16	10
नवादा	3	4	4	75
भमुआ	2	18	18	11
भागलपुर	2	11	8	18
<b>कुल</b>	<b>14</b>	<b>76</b>	<b>59</b>	<b>145</b>

**अनुशंसा 5:** विभाग को माल एवं सेवा कर परिषद को इस तरह की डेटा प्रविष्टी त्रुटि की घटना को कम करने के लिए आवश्यक सत्यापन नियंत्रण/सॉफ्ट अलर्ट का प्रस्ताव देना चाहिए।

#### 2.3.7.4 माल एवं सेवा कर रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा

स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में, कानून के अनुपालन की जिम्मेदारी करदाता पर होती है। विभाग की भूमिका निरीक्षण प्रदान करने के लिए एक कुशल कर प्रशासन तंत्र स्थापित करना और बनाए रखना है। संसाधनों के सीमित स्तर के साथ, एक प्रभावी कर प्रशासन के लिए, कानून के अनुपालन और राजस्व के संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए, एक कुशल शासन तंत्र आवश्यक है। एक आईटी संचालित अनुपालन मॉडल पैमाने पर शासन की एक गैर-विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और अनुपालन को लागू करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

बाह्य लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य से, लेखापरीक्षा ने डेटा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, पैन स्टेट डेटा विश्लेषण के माध्यम से माल एवं सेवा कर रिटर्न में विसंगतियों/विचलनों की पहचान करने के अलावा, इस समीक्षा के एक हिस्से के रूप में माल एवं सेवा कर रिटर्न का एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी किया गया था। समीक्षा के इस हिस्से के लिए 100 करदाताओं का जोखिम आधारित नमूना चुना गया था। अपनाई गई पद्धति शुरू में जीएसटीआर-9सी और बैक-एंड व्यवस्था में उपलब्ध अन्य अभिलेख के हिस्से के रूप में करदाताओं द्वारा दायर माल एवं सेवा कर रिटर्न और वित्तीय विवरणों की डेस्क समीक्षा करना था ताकि संभावित जोखिम क्षेत्रों, विसंगतियों/विचलनों और रेड फ्लैग की पहचान की जा सके। डेस्क समीक्षा परिणामों के आधार पर, करदाताओं के तदनुरूपी अभिलेखों जैसे वित्तीय बही-खातों, चालानों आदि की माँग कर के अंचलों में विस्तृत लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी, ताकि पहचाने गए जोखिमों के प्रेरक कारकों की पहचान की जा सके और करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन किया जा सके।

विभिन्न चरणों में करदाताओं द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने से अंततः दाखिल रिटर्न की सत्यता, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग और कर भुगतान के निर्वहन पर असर पड़ता है। इसलिए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: (I) रिटर्न, (II) इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग और (III) कर देयता का निर्वहन। विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश नीचे तालिका 10 में दिया गया है।

## तालिका 10

### विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश

क्र० सं०	मापदंड	विचलन की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	वसूली गई राशि (₹ करोड़ में)
1	करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना	22	2.62	0.02
2	करदाताओं द्वारा उपयोग में लाये इनपुट टैक्स क्रेडिट से आपूर्तिकर्ता के विवरण के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेमेल होना	44	60.58	0.25
3	वार्षिक रिटर्न और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के बीच असमांगित इनपुट टैक्स क्रेडिट (जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ)	4	11.04	0
4	वार्षिक रिटर्न में घोषित की तुलना में जीएसटीआर-3बी में अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेमेल होना (जीएसटीआर-9 की तालिका-6जे)	8	0.54	0
5	कर का कम/नहीं भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट द्वारा उपयोग में लाये गए और रिवर्स चार्ज के तहत किए गए भुगतान के बीच विसंगति	6	2.12	0
6	जीएसटीआर-1 की तुलना में जीएसटीआर-9/3बी में कर देयता की कम स्वीकृति	8	0.90	0
7	कर का कम भुगतान	19	7.22	0.02
	<b>कुल</b>	<b>111</b>	<b>85.02</b>	<b>0.29</b>

#### क) क्षेत्र सीमाएं (अभिलेखों का आंशिक प्रस्तुतिकरण)

बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध करदाताओं के अभिलेख की डेस्क समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने विस्तृत जाँच के लिए अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर देयता बेमेल से संबंधित जोखिमों की पहचान की। इनपुट टैक्स क्रेडिट आयाम पर जीएसटीआर-3बी की तुलना जीएसटीआर-2-ए और जीएसटीआर-9 से और जीएसटीआर-9 की तालिका-12 और 14 में की गई घोषणाओं से की गई। कर देयता आयाम पर, जीएसटीआर-3बी की तुलना जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के साथ और जीएसटीआर-9सी की तालिका-5, तालिका-7 और तालिका-9 में किए घोषणाओं द्वारा की गई थी। लेखापरीक्षा ने इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर देयता के बेमेल होने के कारकों की जाँच करने के लिए संबंधित अंचलों से करदाताओं के बारीक अभिलेखों जैसे पूरक वित्तीय बहीखाता, चालान, समझौते की प्रतियां आदि की माँग की। तथापि, विभाग ने 79 मामलों में तदनुरूपी का प्रस्तुतीकरण नहीं किया। अभिलेखों को अंचल-वार आंशिक प्रस्तुतिकरण का ब्यौरा परिशिष्ट 2.15 में वर्णित है और अभिलेखों के आंशिक प्रस्तुतिकरण के पाँच उच्च जोखिम वाले मामले नीचे तालिका 11 में दिए गए हैं।

#### तालिका 11

#### अभिलेख के आंशिक प्रस्तुतीकरण के उच्च जोखिम वाले मामले

(₹ करोड़ में)

जीएसटीआईएन	अंचल	अभिलेखों का प्रस्तुतिकरण नहीं	डेस्क समीक्षा में पहचाने गए मुद्दों की जाँच नहीं की गई	बेमेल राशि
10XXXXXXXXXXXX1ZJ	पटना विशेष	लेनदारों/व्यापार देय का बहीखाता	यदि बीजक जारी होने की तारीख से 180 दिनों के अन्दर आपूर्ति के मूल्य का भुगतान नहीं किये जाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिवर्सल।	212.86
10XXXXXXXXXXXX1ZU	पटना विशेष	लेनदारों/व्यापार देय का बहीखाता	यदि बीजक जारी होने की तारीख से 180 दिनों के अन्दर आपूर्ति के मूल्य का भुगतान नहीं किये जाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिवर्सल।	55.63
10XXXXXXXXXXXX1ZQ	पटना उत्तरी	बिक्री बीजक और लेनदारों/व्यापार देय के साथ गैर-माल एवं सेवा कर आपूर्ति का बहीखाता	गैर-माल एवं सेवा कर आपूर्ति उचित था और यदि बीजक जारी करने की तारीख से 180 दिनों के अन्दर आपूर्ति के मूल्य का भुगतान नहीं किये जाने पर किया जाता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रत्यावर्तन विपरीत हो जाता है।	15.39

जीएसटीआईएन	अंचल	अभिलेखों का प्रस्तुतिकरण नहीं	डेस्क समीक्षा में पहचाने गए मुद्दों की जाँच नहीं की गई	बेमेल राशि
10XXXXXXXXXX2ZI	बक्सर	लेनदारों/व्यापार देय का बहीखाता	यदि बीजक जारी होने की तारीख से 180 दिनों के अन्दर आपूर्ति के मूल्य का भुगतान नहीं किये जाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिवर्सल।	30.49
10XXXXXXXXXX4ZJ	पटना विशेष	लेनदारों/व्यापार देय का बहीखाता	यदि बीजक जारी होने की तारीख से 180 दिनों के अन्दर आपूर्ति के मूल्य का भुगतान नहीं किये जाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिवर्सल।	11.45

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर, सात अंचलों<sup>63</sup> के सक्षम अधिकारियों ने कहा कि जहाँ तक भौतिक चालान, क्रेडिट/डेबिट नोट और अन्य बही-खातों का संबंध है, माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत करदाताओं के लिए किसी भी कार्यवाही के अभाव में क्षेत्राधिकार कार्यालय में स्वतः एक भौतिक प्रति प्रस्तुत करना नहीं कहा गया है। 11 अंचलों<sup>64</sup> के सक्षम अधिकारियों ने कहा कि मामले की जाँच की जाएगी, जबकि पाँच अंचलों<sup>65</sup> के सक्षम अधिकारियों ने कहा कि माल एवं सेवा कर पोर्टल पर उपलब्ध अभिलेख प्रदान किए गए हैं। पाँच अंचलों<sup>66</sup> के उचित अधिकारियों ने कहा कि करदाताओं से अभिलेख मांगे जाएंगे और लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दिया जाएगा। गया अंचल के सक्षम अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया।

विभाग ने जवाब दिया (जनवरी 2023) कि उपरोक्त अभिलेख विभाग के पास आसानी से उपलब्ध नहीं थे और करदाता, अधिनियम की धारा 65 के तहत लेखापरीक्षा प्रारंभ होने पर इन अभिलेखों को प्रस्तुत करते हैं।

## I. रिटर्न

100 करदाताओं द्वारा दायर रिटर्न के नमूनों की विस्तृत लेखापरीक्षा से पता चला कि करदाताओं द्वारा ब्याज भुगतान का निर्वहन नहीं किया गया था, जिसे नीचे लाया गया है:

### अ) करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं करना

**16 अंचलों के 22 मामलों (नौ जाँचित मामलों सहित) में, करदाताओं ने एक से 1,060 दिनों की देरी से अपना रिटर्न दाखिल किया, लेकिन ब्याज भुगतान के ₹ 2.62 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था।**

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017, की धारा 50 (1) के अनुसार, एक करदाता को निर्धारित अवधि के अन्दर कर या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहने पर प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। 2017–18 के दौरान कर प्रेषण में देरी के कारण ब्याज के कम भुगतान की सीमा की पहचान कर जीएसटीआर-3बी में कर भुगतान विवरण और जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की तारीख का उपयोग करके की गई थी। देय ब्याज का निर्धारण करने के लिए केवल शुद्ध कर देयता (नकद घटक) पर विचार किया गया था।

<sup>63</sup> बक्सर, जहानाबाद, पाटलिपुत्र, पटना उत्तरी, पटना विशेष, शाहाबाद और सिवान।

<sup>64</sup> औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, पटना सिटी पूर्वी, पटना पश्चिमी, रक्सौल, सहरसा, सारण, सासाराम, सीतामढ़ी और तेघरा।

<sup>65</sup> फारबिसगंज, कदमकुआँ, नवादा, पटना मध्य और सुपौल।

<sup>66</sup> भमुआ, दानापुर, गाँधी मैदान, मुजफ्फरपुर पश्चिमी और पटना दक्षिणी।

लेखापरीक्षा ने 16 अंचलों<sup>67</sup> के 22 मामलों (नौ जाँचित मामलों सहित) में, पाया कि, लेखापरीक्षित 100 मामलों के 22 प्रतिशत सन्निहित करदाताओं ने एक से 1,060 दिनों की देरी से अपना रिटर्न दाखिल किया था, लेकिन ₹ 2.62 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 2.16 में वर्णित है।

शीर्ष पाँच मामले नीचे तालिका 12 में दिया गया है।

### तालिका 12

#### ब्याज का भुगतान न करने के शीर्ष पाँच मामले

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	जीएसटीआईएन	अंचल	शामिल राशि
1.	10XXXXXXXXXX2ZI	बक्सर	0.96
2.	10XXXXXXXXXX1Z7	पाटलिपुत्र	0.64
3.	10XXXXXXXXXX1ZV	औरंगाबाद	0.36
4.	10XXXXXXXXXX1ZU	पटना विशेष	0.24
5.	10XXXXXXXXXX1Z3	मुजफ्फरपुर पूर्वी	0.08

इसे इंगित किये जाने (मई 2022 से अगस्त 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी 2023 से फरवरी 2023) कि सुपौल अंचल के एक मामले में राशि वसूल की गई थी, सात अंचल<sup>68</sup> के 10 मामलों में नोटिस/आदेश जारी किए गए थे, दो अंचलों<sup>69</sup> के दो मामलों में कार्रवाई किया गया, तीन अंचलों<sup>70</sup> के तीन मामलों में करदाताओं को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था और औरंगाबाद अंचल के एक मामले में सुनवाई चल रही थी। हालाँकि, जिस धारा के तहत सुनवाई की प्रक्रिया चल रही थी उल्लिखित नहीं था। पाँच अंचलों<sup>71</sup> के पाँच मामलों में जवाब की प्रतीक्षित था (जून 2023)।

दो उदाहरणात्मक मामलों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- पाटलिपुत्र अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन—10XXXXXXXXXX1Z7) पर वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 2.70 करोड़ की कर देयता थी, जबकि उसने केवल ₹ 1.29 करोड़ के कर का कम भुगतान किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.41 करोड़ के कर का कम भुगतान हुआ। यह देखा गया कि करदाता ने नवंबर 2020 में डीआरसी—03 के तहत ₹ 1.41 करोड़ के बकाये कर का भुगतान किया था, यानी 30 महीने की देरी से। इस प्रकार, करदाता कर के भुगतान में देरी के लिए ₹ 0.64 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। जब इसे इंगित किया गया तो विभाग ने बताया कि डीआरसी—01 जारी किया गया था।
- औरंगाबाद अंचल के तहत आने वाले एक करदाता (जीएसटीआईएन—10XXXXXXXXXX1ZV) ने मार्च 2019 में यानी 344 दिनों की विलम्ब से मार्च 2018 महीने के लिए जीएसटीआर—3बी रिटर्न को दाखिल किया था कि, ₹ 2.10 करोड़ के कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 0.36 करोड़ की ब्याज देयता का निर्वहन नहीं किया गया। जब इसे इंगित किया गया, तो विभाग ने बताया कि मामला प्रक्रियाधीन है।

<sup>67</sup> औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, दानापुर, फारबिसगंज, गया, कदमकुआँ, मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना उत्तरी, पटना विशेष, शाहाबाद, सिवान, सीतामढ़ी और सुपौल।

<sup>68</sup> औरंगाबाद, बक्सर, फारबिसगंज, गया, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र और सिवान।

<sup>69</sup> पाटलिपुत्र और शाहाबाद।

<sup>70</sup> दानापुर, पटना उत्तरी और पटना विशेष।

<sup>71</sup> भभुआ, कदमकुआँ, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना उत्तरी और सीतामढ़ी।

## II. इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपयोगिता

इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ है, किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा उन वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीद पर भुगतान किया गया माल और सेवा कर जो व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को आगे बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। करों के व्यापक प्रभाव से बचने के लिए, इनपुट आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग बाहरी आपूर्ति पर करों के भुगतान को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16 और 17 इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए पात्रता और शर्तों को निर्धारित करती है। केन्द्रीय माल एवं सेवा कर क्रेडिट का उपयोग राज्य माल एवं सेवा कर/केन्द्र शासीत माल एवं सेवा कर के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है और राज्य माल एवं सेवा कर/केन्द्र शासीत माल एवं सेवा कर के क्रेडिट का उपयोग केन्द्रीय माल एवं सेवा कर के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। बिहार माल एवं सेवा कर नियमों के नियम 36 से 45 में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने और उसे प्रत्यवित्त करने की प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।

### अ) करदाताओं द्वारा उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपूर्तिकर्ता

#### इनपुट टैक्स क्रेडिट से बेमेल होना

#### 23 अंचलों के 44 विभिन्न करदाताओं से प्राप्त इनपुट आपूर्ति पर ₹ 60.58 करोड़ बेमेल।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017, की धारा 42 और बिहार माल एवं सेवा कर नियम, 2017, के नियम 60 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिलान, रिवर्सल और पुनः प्राप्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 44 को नियमों के नियम 80 के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें वार्षिक रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान है। जीएसटीआर-2ए खरीद से संबंधित गतिशील कर रिटर्न है जो माल एवं सेवा कर पोर्टल द्वारा प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है। जब कोई आपूर्तिकर्ता जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करता है तो उसकी जानकारी जीएसटीआर-2ए में दर्ज हो जाती है। यह विक्रेता के जीएसटीआर-1 से उन वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी लेता है जो किसी दिए गए महीने में खरीदी गई हैं। जीएसटीआर-2ए के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता मासिक जीएसटीआर-3बी रिटर्न या वार्षिक जीएसटीआर-9 रिटर्न के माध्यम से करदाता द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से मेल खानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया कि 23 अंचलों<sup>72</sup> के 44 करदाताओं ने अपने जीएसटीआर-3बी / 9 के माध्यम से वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 310.38 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया, लेकिन जीएसटीआर-2ए में केवल ₹ 249.60 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध था। इसलिए, विभिन्न पंजीकृत करदाताओं से प्राप्त इनपुट आपूर्ति पर ₹ 60.58 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अंतर था जैसा कि परिशिष्ट 2.17 में वर्णित है। शीर्ष पाँच अनियमितताएं नीचे तालिका 13 में दी गई हैं।

#### तालिका 13

#### इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित लाभ के शीर्ष पाँच मामले

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	अंचल	शामिल राशि
1.	10XXXXXXXXXXXX1ZS	पटना मध्य	15.59
2.	10XXXXXXXXXXXX1ZN	दानापुर	10.03
3.	10XXXXXXXXXXXX1ZM	पाटलिपुत्र	9.95
4.	10XXXXXXXXXXXX1ZT	पाटलिपुत्र	3.82
5.	10XXXXXXXXXXXX1ZR	पटना विशेष	3.01

<sup>72</sup> औरंगाबाद, बेगूसराय, भमुआ, दानापुर, फारबिसगंज, गाँधी मैदान, गया, गोपालगंज, कदमकुआँ, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, समस्तीपुर, सारण, सासाराम, शाहबाद और सीतामढ़ी।

इसे इंगित किए जाने (मई 2022 से नवंबर 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी 2023 से फरवरी 2023) कि 11 अंचलों<sup>73</sup> के 19 मामलों में नोटिस/आदेश जारी किए गए, चार अंचलों<sup>74</sup> के 13 मामलों में करदाताओं को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया और पाटलिपुत्र अंचल के एक मामले में इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रत्यावर्तन किया गया। आठ अंचलों<sup>75</sup> के 11 मामलों में जवाब (मार्च 2023) प्रतिक्षित था।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पाटलिपुत्र अंचल के तहत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन—10XXXXXXXXXX1ZM) ने ₹ 21.36 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया था (जीएसटीआर—3बी की तालिका—6बी(5) से जीएसटीआर—9 की तालिका—7(एच) में रिवर्सल को छोड़कर, परन्तु बाद के वर्ष 2018–19 में उपयोगित इनपुट टैक्स क्रेडिट को जोड़कर मौजूद था (जीएसटीआर—9 की तालिका—8सी) जबकि जीएसटी—2ए के अनुसार कुल ₹ 11.41 करोड़ था। इस प्रकार, ₹ 9.95 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने में अंतर था। जवाब में, विभाग ने कहा कि डीआरसी—07 जारी किया गया था।

### **ब) वार्षिक रिटर्न और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के बीच असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट**

**तीन अंचलों के चार मामलों में वर्ष 2017–18 के लिए जीएसटीआर—9सी की तालिका—12एफ में ₹ 11.04 करोड़ का असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट था।**

जीएसटीआर—9सी की तालिका—12 में वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर—9) में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या बही—खातों के अनुसार प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से किया गया है। इस तालिका का कॉलम—12एफ असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है। वर्ष 2017–18 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर—9सी में बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली के नियम 80(3) के तहत करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण का विश्लेषण वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट में बेमेल की पहचान करने के लिए किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, तीन अंचलों<sup>76</sup> के चार मामलों में वर्ष 2017–18 के लिए जीएसटीआर—9सी की तालिका—12एफ में ₹ 11.04 करोड़ का असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट था। यह असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 39.30 करोड़ के वार्षिक रिटर्न के अनुसार प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट और ₹ 28.26 करोड़ के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों या बही—खातों के अनुसार प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के बीच का अंतर था जो कि **परिशिष्ट 2.18** में दर्शाया गया है।

इसे इंगित किये जाने (जून 2022 से अगस्त 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी 2023) कि पाटलिपुत्र अंचल के दो मामलों में डीआरसी—01ए/डीआरसी—7 जारी किए गए थे और दो अंचलों के दो मामलों में<sup>77</sup> करदाताओं को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था।

<sup>73</sup> औरंगाबाद, बेगूसराय, फारबिसगंज, गया, मोतिहारी, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना उत्तरी, सारण, समस्तीपुर और सासाराम।

<sup>74</sup> दानापुर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना विशेष और शाहाबाद।

<sup>75</sup> भभुआ, गाँधी मैदान, गोपालगंज, कदमकुआँ, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना मध्य, पटना उत्तरी और सीतामढ़ी।

<sup>76</sup> दानापुर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी और पाटलिपुत्र।

<sup>77</sup> दानापुर और मुजफ्फरपुर पश्चिमी।

एक उदाहरणात्मक मामला का उल्लेख नीचे किया गया है:

पाटलिपुत्र अंचल के तहत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZM) ने जीएसटीआर-9 में ₹ 21.36 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था (जीएसटीआर-9सी की तालिका-12ई के अनुसार) जबकि वित्तीय विवरणों के अनुसार करदाता ने ₹ 14.40 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था (जीएसटीआर-9सी की तालिका-12डी के अनुसार)। इसके परिणामस्वरूप जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में ₹ 6.96 करोड़ का असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ। जवाब में, विभाग ने बताया कि डीआरसी-07 जारी किया गया था।

### स) वार्षिक रिटर्न में घोषित जीएसटीआर-3बी से इनपुट टैक्स क्रेडिट में अंतर

आठ अंचलों के आठ मामलों (बिना जाँच किए गए) में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में ₹ 0.54 करोड़ का अंतर था जैसा कि जीएसटीआर-9 रिटर्न के तालिका-6जे में प्रतिबिंबित है।

बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 80 (1) के अनुसार इनपुट सेवा वितरक के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के तहत कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति, एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, प्रपत्र जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा। जीएसटीआर-3बी के जरिए दावा किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा हो जाता है। जीएसटीआर-9 की तालिका-6ए, जीएसटीआर-3बी में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का कुल योग है जो स्वतः परिलक्षित और गैर-संपादन योग्य है। तालिका-6बी से 6एच के माध्यम से करदाता इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूँजीगत वस्तुओं के रूप में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का विभाजन प्रदान करता है। जीएसटीआर-9 की तालिका-6ए के साथ इन तालिकाओं की तुलना से पता चलता है कि अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाए जाने की संभावना का पता लगता है। जीएसटीआर-9 की तालिका-6जे में जीएसटीआर-3बी के माध्यम से उपयोगित इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटीआर-9 की तालिका-6आई में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट के कुल उपयोग के अंतर को दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ अंचलों<sup>78</sup> के आठ मामलों (बिना जाँच किए गए) में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में ₹ 0.54 करोड़ का अंतर था जैसा कि जीएसटीआर-9 विवरणी की तालिका-6जे में दर्शाया गया है, जैसा कि परिशिष्ट 2.19 में वर्णित है।

शीर्ष पाँच अनियमितताएं नीचे तालिका 14 में दी गई हैं।

### तालिका 14

#### इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ उठाने के शीर्ष पाँच मामले

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	जीएसटीआईएन	अंचल	शामिल राशि
1.	10XXXXXXXXXXXX1ZN	दानापुर	0.20
2.	10XXXXXXXXXXXX1ZP	गाँधी मैदान	0.11
3.	10XXXXXXXXXXXX1ZN	दरभंगा	0.10
4.	10XXXXXXXXXXXX2ZG	तेघरा	0.08
5.	10XXXXXXXXXXXX1Z6	पटना मध्य	0.03

इसे इंगित किये जाने (जून 2022 से अगस्त 2022) पर विभाग ने बताया (जनवरी 2023 से फरवरी 2023) कि तीन अंचलों<sup>79</sup> के तीन मामलों में नोटिस जारी किए गए थे और दानापुर अंचलों के एक मामले को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। गया अंचल के एक मामले में, यह बताया गया था कि अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ

<sup>78</sup> भमुआ, दानापुर, दरभंगा, गाँधी मैदान, गया, पाटलिपुत्र, पटना मध्य और तेघरा।

<sup>79</sup> दरभंगा, पाटलिपुत्र और तेघरा।

नहीं उठाया गया था, लेकिन आदेश की प्रति प्रदान नहीं की गई थी। तीन अंचलों<sup>80</sup> के तीन मामलों में जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2023)।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

दानापुर अंचल के अंतर्गत एक करदाता (जीएसटीआईएन—10XXXXXXXXXX1ZM) ने केन्द्रीय माल एवं सेवा कर/राज्य माल एवं सेवा कर/एकीकृत माल एवं सेवा कर के तहत ₹ 84.95 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपयोग किया था, जैसा कि जीएसटीआर—9 की तालिका—6ए में घोषित किया गया है, लेकिन जीएसटीआर—9 की तालिका—6आई में केवल ₹ 84.75 करोड़ का विभाजन प्रदान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप जीएसटीआर—3बी और वार्षिक रिटर्न में घोषित ₹ 0.20 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अंतर हो गया। जवाब में, विभाग ने बताया कि करदाता को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था और आपत्ति को लेखापरीक्षा में शामिल किया जाएगा।

#### द) कर का नहीं/अल्प भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं रिवर्स चार्ज के तहत किए गए भुगतान के बीच विसंगति

**2017–18 की अवधि के लिए पटना उत्तरी और पटना विशेष अंचलों के तीन करदाताओं ने ₹ 2.01 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था, लेकिन रिवर्स चार्ज के तहत केवल ₹ 0.04 करोड़ के कर का भुगतान किया।**

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) और एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5(3) के प्रावधानों के अनुसार, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकती है, जिस पर कर का भुगतान ऐसे वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे, यदि वह ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पटना उत्तरी और पटना विशेष अंचलों के तीन करदाताओं ने 2017–18 की अवधि के लिए ₹ 2.01 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था, लेकिन रिवर्स चार्ज के तहत केवल ₹ 0.04 करोड़ के कर का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने में ₹ 1.98 करोड़ की विसंगति उत्पन्न हुई जैसा कि परिशिष्ट 2.20(क) में वर्णित है। इसके अलावा, हाजीपुर, जहानाबाद और सासाराम अंचलों के तीन करदाताओं ने माल परिवहन सेवा के लिए 2017–18 के दौरान ₹ 2.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जिसे रिवर्स चार्ज के तहत अधिसूचित किया गया था, लेकिन करदाताओं ने रिवर्स चार्ज के तहत ₹ 0.14 करोड़ का कर नहीं चुकाया, जैसा कि परिशिष्ट 2.20(ख) में वर्णित है। यह भी पाया गया कि इन सभी मामलों में धारा 61 के तहत जाँच की गई थी और एएसएमटी—10 में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उपरोक्त विसंगति को पाँच मामलों में इंगित नहीं किया गया था और एक मामले में, इसे इंगित किया गया था, लेकिन आगे इसका पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.14 करोड़ का कर का भुगतान नहीं किया गया।

इसे इंगित किए जाने (मई 2022 से अगस्त 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी 2023) कि सासाराम अंचल के एक मामले में करदाता को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था और जहानाबाद अंचल के एक मामले में ब्याज के साथ कर राशि वसूल की गई थी। तीन अंचलों<sup>81</sup> के चार मामलों में जवाब प्रतीक्षित था (जून 2023)।

<sup>80</sup> भभुआ, गाँधी मैदान और पटना मध्य।

<sup>81</sup> हाजीपुर, पटना उत्तरी और पटना विशेष।

### III. कर देयता का निर्वहन

#### अ) जीएसटीआर-1 की तुलना में जीएसटीआर-9/3बी में कर देयता की कम स्वीकृति

**करदाताओं ने ₹ 0.90 करोड़ के कम कर देयता स्वीकार किया।**

जीएसटीआर-1 में वस्तुओं या सेवाओं की बाह्य आपूर्ति का मासिक ब्यौरा दर्शाया गया है। इस विवरण का मूल्यांकन करदाता द्वारा भी किया जाता है और संबंधित कॉलम में वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 में उल्लेख किया जाता है। इसके अलावा, कर योग्य मूल्य और उसके भुगतान किए गए कर को भी जीएसटीआर-3 बी में दिखाया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, वर्ष 2017-18 के लिए आठ अंचलों<sup>82</sup> के आठ करदाताओं (तीन जाँचित मामलों सहित) ने जीएसटीआर-1 में ₹ 26.62 करोड़ की कर देयता की घोषणा की थी, जबकि जीएसटीआर-9/3बी के अनुसार, करदाताओं ने केवल ₹ 25.72 करोड़ की कर देयता स्वीकार किया था। इस प्रकार, करदाताओं ने ₹ 0.90 करोड़ की लघु कर देयता स्वीकार किया था जैसा कि परिशिष्ट 2.21 में वर्णित है।

शीर्ष पाँच अनियमितताएं नीचे तालिका 15 में दी गई हैं।

#### तालिका 15 कर देयता के कम स्वीकारोक्ति के शीर्ष पाँच मामले

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	अंचल	शामिल राशि
1.	10XXXXXXXXXX1Z7	पाटलिपुत्र	0.34
2.	10XXXXXXXXXX1ZR	फारबिसगंज	0.30
3.	10XXXXXXXXXX1ZP	गाँधी मैदान	0.08
4.	10XXXXXXXXXX1ZC	पटना उत्तरी	0.07
5.	10XXXXXXXXXX1ZG	कदमकुआँ	0.05

इसे इंगित किए जाने (मई 2022 से अगस्त 2022) पर, विभाग ने बताया कि (जनवरी 2023 से फरवरी 2023) कि चार अंचलों<sup>83</sup> के चार मामलों में करदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे। चार अंचलों<sup>84</sup> के चार मामलों में जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2023)।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पाटलिपुत्र अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1Z7) ने वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-1 में केन्द्रीय माल एवं सेवा कर/राज्य माल एवं सेवा कर/एकीकृत माल एवं सेवा कर के तहत ₹ 86.31 लाख की कर देयता स्वीकार किया था, जबकि उसने केवल जीएसटीआर-9 में केवल ₹ 52.27 लाख की कर देयता स्वीकार की थी। इस प्रकार, करदाता ने जीएसटीआर-1 में दर्शाई गई कर देयता की तुलना में वार्षिक रिटर्न में ₹ 34.04 लाख की क्रम कर देयता को स्वीकार किया है। जवाब में, विभाग ने बताया कि डीआरसी-07 जारी किया गया था।

<sup>82</sup> फारबिसगंज, गाँधी मैदान, कदमकुआँ, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना मध्य, पटना उत्तरी, पाटलिपुत्र और सासाराम।

<sup>83</sup> फारबिसगंज, पटना उत्तरी, पाटलिपुत्र और सासाराम।

<sup>84</sup> गाँधी मैदान, कदमकुआँ, मुजफ्फरपुर पूर्वी और पटना मध्य।

### ब) कर का कम भुगतान

**16 अंचलों के 19 करदाताओं (तीन जाँचित / मूल्यांकित मामलों सहित) ₹ 7.22 करोड़ के कर का कम भुगतान।**

वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 में विभिन्न मदों (केन्द्रीय माल एवं सेवा कर, राज्य माल एवं सेवा कर, एकीकृत माल एवं सेवा कर और उपकर) के तहत वस्तुओं या सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण होता है। जीएसटीआर-9सी, जीएसटीआर-9 में दाखिल वार्षिक रिटर्न और करदाता के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के बीच एक समाशोधन विवरण है। जीएसटीआर-9 / 9सी में घोषित कर देयता की तुलना जीएसटीआर-9 की तालिका-9 और 14 में घोषित कर भुगतान से की गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, 16 अंचलों<sup>85</sup> के 19 करदाताओं (तीन जाँचित / मूल्यांकित मामलों सहित) ने जीएसटीआर-9 / 9सी में वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 72.54 करोड़ की कर देयता स्वीकार किया था, जबकि जीएसटीआर-9 की तालिका-9 और 14 के अनुसार कर भुगतान राशि केवल ₹ 65.33 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.22 करोड़ के कम कर भुगतान हुआ जैसा कि परिशिष्ट 2.22 में वर्णित है।

शीर्ष पाँच अनियमितताएं नीचे तालिका 16 में दी गई हैं।

#### तालिका 16 कर के कम भुगतान के शीर्ष पाँच मामले

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	जीएसटीआईएन	अंचल	शामिल राशि
1.	10XXXXXXXXXXXX2ZE	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	1.26
2.	10XXXXXXXXXXXX1ZK	सिवान	1.05
3.	10XXXXXXXXXXXX2Z7	कदमकुआँ	0.84
4.	10XXXXXXXXXXXX1ZK	शाहबाद	0.70
5.	10XXXXXXXXXXXX1ZG	शाहबाद	0.68

इसे इंगित किए जाने (मई 2022 से अगस्त 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी 2023 से फरवरी 2023) कि नौ अंचलों<sup>86</sup> के नौ मामलों में नोटिस जारी किए गए थे, शाहबाद अंचल के दो मामलों में करवाई शुरू की गई और मुजफ्फरपुर पश्चिमी के एक मामले में, करदाता को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। गया अंचल के एक मामले में यह बताया गया कि कर का कोई कम भुगतान नहीं किया गया था, लेकिन आदेश की प्रति प्रदान नहीं की गई थी। पाँच अंचलों<sup>87</sup> के छह मामलों में जवाब प्रतिक्षित था (जून 2023)।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

यह पाया गया कि मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन –10XXXXXXXXXXXX2ZE) ने जीएसटीआर-1 में ₹ 32.72 करोड़ की कर देयता घोषित की थी, हालाँकि, जीएसटीआर-9 की तालिका-9 और 14 के अनुसार, उसने केवल ₹ 31.46 करोड़ की कर देयता का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.26 करोड़ की कर राशि का कम भुगतान हुआ। जवाब में, विभाग ने कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा में मामले की जाँच की जा रही है।

<sup>85</sup> भभुआ, बिहारशरीफ, दरभंगा, गया, गोपालगंज, कदमकुआँ, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना दक्षिणी, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, शाहबाद और सिवान।

<sup>86</sup> बिहारशरीफ, दरभंगा, गया, मोतिहारी, पाटलिपुत्र, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम और सिवान।

<sup>87</sup> भभुआ, गोपालगंज, कदमकुआँ, पटना मध्य और पटना दक्षिणी।

### स) आपूर्ति का अपवर्जन

सासाराम और शाहबाद अंचलों के दो करदाताओं ने 2017–18 की अवधि के लिए ₹ 2.58 करोड़ के 'व्यावसायिक संपत्तियों के हस्तांतरण और स्क्रैप बिक्री' की कर योग्य आपूर्ति की थी।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 वस्तुओं और सेवाओं या दोनों का सम्मिलित करने के लिए आपूर्ति को परिभाषित करती है जैसे विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनियम, विनियम, अनुज्ञाप्ति, किराये, पट्टे या व्ययन जो व्यापार को आगे बढ़ाने में व्यक्ति द्वारा विचारणीय होता है। इसमें सेवाओं के आयात चाहे वह कारोबारी के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं को भी शामिल किया जाता है। यह एक समावेशी परिभाषा है, मुख्य तत्व (1) आपूर्ति वस्तुओं या सेवाओं की होनी चाहिए, (2) आपूर्ति को विचार के लिए किया जाना चाहिए, (3) आपूर्ति व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाने में की जानी चाहिए, (4) आपूर्ति एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए, (5) आपूर्ति एक कर योग्य आपूर्ति होनी चाहिए, और (6) आपूर्ति कर योग्य क्षेत्र के भीतर की जानी चाहिए। अनुसूची कुछ गतिविधियों को निर्दिष्ट करती है जो बिना किसी विचार के भी की जाती हैं, उन्हें आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। अनुसूची II, कुछ गतिविधियों या लेनदेन को वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में मानने को निर्दिष्ट करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सासाराम और शाहबाद अंचलों के दो करदाताओं ने 2017–18 की अवधि के लिए ₹ 2.58 करोड़ में 'व्यावसायिक परिसंपत्तियों के हस्तांतरण और स्क्रैप बिक्री' की कर योग्य आपूर्ति की थी, लेकिन उस पर लागू कर का भुगतान नहीं किया था जैसा कि नीचे तालिका 17 में दिया गया है।

### तालिका 17 कर योग्य आपूर्ति पर कर का भुगतान न करना

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	अंचल का नाम	जीएसटीआईएन	आपूर्ति का मूल्य
1.	सासाराम	10XXXXXXXXXXXX1ZO	0.96
2.	शाहबाद	10XXXXXXXXXXXX1ZK	1.62
कुल			2.58

आगे, यह पाया गया कि, सासाराम अंचल के एक मामले में, धारा 61 के तहत जाँच की गई थी और सूचना (एएसएमटी-10) जारी किया गया था, लेकिन सूचना में उपरोक्त विसंगति को इंगित नहीं किया गया था।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2022) था; जवाब अप्राप्त था (जून 2023)।

**अनुशंसा 6:** विभाग समय सीमा समाप्त होने से पहले इस प्रतिवेदन में लाए गए सभी अनुपालन विचलनों के लिए समय-सीमा समाप्त होने से पहले उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

### 2.3.8 अन्य निरीक्षण कार्य

अंचलों (विभागीय क्षेत्र संरचनाओं) की भूमिका रिटर्न दाखिल करने, कर देयता और अन्य अनुपालन दायित्वों का निर्वहन करने के संबंध में करदाताओं के अनुपालन पर निगरानी प्रदान करना है। रिटर्न दाखिल करने, देर से/दाखिल न करने वालों पर कार्रवाई और संवीक्षा से संबंधित निरीक्षण कार्यों पर इस रिपोर्ट के पिछले खंडों में चर्चा की गई है। यह खंड पंजीकरण रद्द करने पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रकाश डालता है।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 29 और बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली के नियम 20 में कारोबार बंद होने, पंजीकरण के लिए सीमा से नीचे कारोबार करने, कारोबार हस्तांतरण/विलय/समामेलन, पैन में बदलाव, निर्धारित समय अवधि के अंदर कारोबार शुरू नहीं करने और मालिक की मृत्यु जैसी कुछ स्थितियों में करदाता द्वारा पंजीकरण रद्द करने की अनुमति दी गई है। पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने वाले करदाता को माल एवं सेवा कर कॉमन पोर्टल पर आरईजी-16 में “रद्दीकरण की गारंटी देने वाली घटना की घटना” के 30 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन करना होगा।

अधिनियम की धारा 29(2) करदाता द्वारा अधिनियमों या नियमों के उल्लंघन के आधार पर कर अधिकारी द्वारा करदाता के पंजीकरण को स्वतः रद्द करने, कंपोजिशन करदाताओं को लगातार तीन कर अवधि के लिए रिटर्न दाखिल नहीं करने, सामान्य करदाताओं को छह महीने की निरंतर अवधि के लिए रिटर्न दाखिल नहीं करने, पंजीकृत व्यक्तियों को पंजीकरण की तारीख से छह महीने के अंदर व्यवसाय शुरू नहीं करने और धोखाधड़ी जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को छुपाने के माध्यम से प्राप्त पंजीकरण के आधार पर व्यवसाय शुरू नहीं करने की अनुमति देता है।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 45 में (अ) इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या (ब) कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति (धारा 10) या (स) धारा 51 के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति – टीडीएस संग्रह या धारा 52 के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति – टीडीएस कटौती के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। जीएसटीआर-10 में अंतिम रिटर्न दाखिल करना होगा, रद्द करने की प्रभावी तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख के तीन महीने के भीतर, जो भी बाद में हो। अंतिम रिटर्न का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाता बकाया देयता का निर्वहन करता है। जीएसटीआर-10 दाखिल नहीं करने की स्थिति में कर अधिकारी को उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा जो रिटर्न दाखिल नहीं करने के लिए अपनाई जाती है।

लेखापरीक्षा ने रद्दीकरण क्रियाकलाप का मूल्यांकन करने के लिए नौ अंचलों के एक नमूने का चयन किया और पाई गई कमियों को नीचे बताया गया है:

#### **2.3.8.1 अंचलों में पंजीकरण रद्द करने के संबंध में सूचना की अनुपलब्धता/अपर्याप्त उपलब्धता**

पंजीकरण रद्द करने के संबंध में जानकारी अर्थात्, रद्द करने के लिए करदाताओं से प्राप्त आवेदनों की संख्या, कर अधिकारियों द्वारा स्वयं के प्रस्ताव पर शुरू किए गए रद्दीकरण की संख्या आदि, नौ चयनित अंचलों से मांगी गई थी। नौ अंचलों में से पाँच अंचलों<sup>88</sup> या तो कोई सूचना नहीं दी या दोषपूर्ण करदाताओं का पंजीकरण रद्द किए जाने के संबंध में आंशिक सूचना उपलब्ध कराई। इससे पता चलता है कि पंजीकरण रद्द करने के संबंध में सूचना अंचलों में ठीक से उपलब्ध नहीं थी।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2022) था; जवाब अप्राप्त था (नवम्बर 2023)।

<sup>88</sup> औरंगाबाद, भमुआ, पाटलिपुत्र, पटना उत्तरी एवं पटना विशेष।

**अनुशंसा 7:** विभाग अंचलों में निगरानी तंत्र को मजबूत कर सकता है और यह सुनिश्चित करें कि रद्द करने, कारण बताओ नोटिस जारी करने और वसूली के लिए प्रक्रियाओं में उचित सावधानी बरती जाए।

### 2.3.9 कार्यबल की अपर्याप्तता

विभाग के कुशल कार्यकरण के लिए, इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित जनशक्ति योजना और इसकी उचित तैनाती आवश्यक है। माल एवं सेवा कर से पूर्व और माल एवं सेवा कर के बाद के दौरान अधिनिर्णयन प्राधिकरण (उप आयुक्त/सहायक आयुक्त, वाणिज्य-कर अधिकारी/सहायक वाणिज्य-कर अधिकारी) के संबंध में वाणिज्य-कर विभाग में स्वीकृत और कार्यशील पदों की संख्या नीचे तालिका 18 में दी गई है।

### तालिका 18

#### कार्यबल की स्वीकृत और वास्तविक संख्या

विवरण	करदाताओं की संख्या	स्वीकृत बल	वास्तविक बल	रिक्त पद	रिक्त पद का प्रतिशत
माल एवं सेवा कर से पहले की अवधि (30 जून 2017 तक)	2,33,361	784	421	363	46
माल एवं सेवा कर के बाद की अवधि (31 मार्च 2022 के तक)	5,89,925	784	484	300	38

(स्रोत: वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना)

ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि अधिनिर्णयन प्राधिकारी के संबंध में रिक्त पद 38 प्रतिशत से 46 प्रतिशत के बीच थे। इसके अलावा, माल एवं सेवा कर के बाद की अवधि में करदाताओं की संख्या 2,33,361 से बढ़कर 5,89,925 हो गई, जो माल एवं सेवा कर से पहले की अवधि की तुलना में 153 प्रतिशत अधिक है। लेकिन, माल एवं सेवा कर से पहले की अवधि में अधिनिर्णयन प्राधिकरणों/अधिकारियों की संख्या 421 से बढ़ कर माल एवं सेवा कर के बाद की अवधि में 484 हो गई, जो केवल 15 प्रतिशत की वृद्धि है। इस प्रकार, माल एवं सेवा कर के बाद के काल में उचित अधिकारियों में वृद्धि करदाताओं की संख्या में वृद्धि के अनुरूप नहीं थी।

### 2.3.10 निष्कर्ष

रिटर्न दाखिल और कर भुगतान की निगरानी में प्रणाली की पर्याप्तता, अनुपालन की सीमा और अन्य विभागीय निरीक्षण कार्यों की निगरानी के उद्देश्य से रिटर्न दाखिल की अलग-अलग प्रवृत्ति और निरंतर डेटा विसंगतियों के संदर्भ में “माल एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न दाखिल पर विभाग की निगरानी” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण द्वारा संचालित था, जिसने जोखिम क्षेत्रों और 2017–18 के लिए दायर माल एवं सेवा कर रिटर्न में नियम-आधारित विचलन और विसंगतियों को उजागर किया था। विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा ने दो स्तरों पर राज्य क्षेत्राधिकार संरचनाओं (अंचलों) के निरीक्षण कार्यों का आकलन किया; वैश्विक डेटा पृच्छा के माध्यम से डेटा स्तर पर और कार्यात्मक स्तर

पर, जिसमें करदाता अभिलेख तक पहुंचना शामिल था। लेखापरीक्षा नमूने में नौ अंचलों, वैशिक पृच्छाओं के माध्यम से चुने गए 15 मापदंडों में 423 उच्च मूल्य विसंगतियां और वर्ष 2017–18 के लिए माल एवं सेवा कर रिटर्न के विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जोखिम मूल्यांकन पर चुने गए 100 करदाता शामिल थे।

विभाग ने विवरणियों की संवीक्षा के लिए विस्तृत अनुदेश/मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी नहीं की थी। नौ अंचलों की समीक्षा से पता चला है कि रिटर्न दाखिल और करदाता अनुपालन की निगरानी जैसे अंचलों के आवश्यक निरीक्षण कार्यों का दस्तावेजीकरण अपर्याप्त था और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी नहीं था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा पहचाने गए 423 उच्च मूल्य डेटा विसंगतियों में से, विभाग ने 361 मामलों का जवाब दिया। इनमें से 51 प्रतिशत यानी 184 मामले ₹ 2,114.73 करोड़ की अनुपालन कमियां (₹ 1,999.36 करोड़ की बेमेल राशि, ₹ 115.37 करोड़ के राजस्व निहितार्थ और ₹ 6.75 करोड़ की वसूली की गई राशि सहित) के रूप में सामने आए। बेमेल राशि सरकारी खजाने पर राजस्व प्रभाव को इंगित करती है। ब्याज का कम/भुगतान न करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट बेमेल, गलत आवर्त घोषणाओं और कर के कम भुगतान में अपेक्षाकृत अधिक दर की कमी देखी गई। ऑकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण 13 प्रतिशत मामलों में विसंगतियां हुईं और आठ प्रतिशत मामलों में विभाग ने पहले ही सक्रिय कार्रवाई की थी। विभाग ने विसंगतियों के 62 मामलों का जवाब नहीं दिया, जिनमें ₹ 98.08 करोड़ (बेमेल सहित) का जोखिम पहचान किया गया है।

माल एवं सेवा कर रिटर्न के विस्तृत लेखापरीक्षा ने भी महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन का सुझाव दिया। शुरुआत में, 100 करदाताओं के नमूने में से 79 मामलों में वित्तीय विवरण, चालान आदि जैसे बारीक ऑकड़ा पेश नहीं किए गए थे, जो एक महत्वपूर्ण दायरें की सीमा का संस्थापित करता था। लेखापरीक्षा में ₹ 85.02 करोड़ की अनुपालन कमियां पाई गईं (जिसमें ₹ 71.91 करोड़ की बेमेल राशि, ₹ 12.82 करोड़ का राजस्व निहितार्थ और ₹ 0.29 करोड़ की वसूली गई राशि शामिल है)। मुख्य कारण गलत इनपुट टैक्स क्रेडीट का लाभ उठाना, गलत आवर्त घोषणाएं, कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का गैर/अल्प भुगतान और कर का कम भुगतान था।

### 2.3.11 सिफारिशों का सारांश

अनुपालन कमियों की महत्वपूर्ण दर को ध्यान में रखते हुए, विभाग को इस प्रतिवेदन में सामने लाए गए सभी अनुपालन विचलनों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई समय सीमा समाप्त होने से पहले शुरू करनी चाहिए। रिटर्न दाखिल, करदाताओं के अनुपालन, कर भुगतान पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने के लिए अंचलों में निगरानी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। विभाग डेटा ऑकड़ा प्रविष्टि को रोकने, करदाताओं के अनुपालन को बढ़ाने और बेहतर जाँच की सुविधा के लिए माल एवं सेवा कर परिषद को माल एवं सेवा कर रिटर्न में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण/सॉफ्ट अलर्ट का प्रस्ताव कर सकता है। विभाग विवरणियों की संवीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया/विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकता है और धारा 65 के अंतर्गत लेखापरीक्षा करने के लिए त्वरित कदम उठा सकता है ताकि चूककर्ताओं के विरुद्ध समय पर कार्रवाई शुरू की जा सके और राजस्व नुकसान को रोकने के लिए वसूली की जा सके।

## 2.4 लिंगेसी मामले

### 2.4.1 सामग्री की आपूर्ति पर टीडीएस की कटौती न करने के कारण राजस्व की हानि

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ता के विपत्र से टीडीएस की कटौती न करने के कारण कर देयता की कम स्वीकृति का पता नहीं लगाया जा सका जिसके कारण ₹ 1.77 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017, की धारा 51 कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता को किये गये भुगतान से, जहाँ एक अनुबंध के तहत ऐसी आपूर्ति का कूल मूल्य ₹ दो लाख पचास हजार (करों को छोड़कर) से अधिक हो, सरकारी एजेंसियों, विभागों और स्थानीय अधिकारियों (कटौतीकर्ता) द्वारा एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती को प्रावधित करता है। इस धारा के तहत टीडीएस कटौती के रूप में काटी गई राशि का भुगतान कटौतीकर्ता द्वारा सरकार को उस माह के अंत के 10 दिनों के अंदर किया जाना है जिसमें ऐसी कटौती की गई है।

बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017, के नियम 12(1) एवं 12(2) में प्रावधित है कि किसी भी व्यक्ति की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार कर कटौती करने की आवश्यकता है, उसे माल एवं सेवा कर के तहत पंजीकरण प्राप्त करना होगा, इसके अलावा, बिहार माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66(1) प्रावधित करता है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, जिसे बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017, की धारा 51 के तहत टीडीएस की कटौती करने की आवश्यकता है, को इलेक्ट्रॉनिक रूप से (वाणिज्य—कर विभाग को) माल एवं सेवा कर के सामान्य पोर्टल के माध्यम से एक सामान्य रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।

बाँका जिले के सभी 11 प्रखंडों<sup>89</sup> के महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (नवम्बर 2022) में पाया गया है कि कार्यक्रम अधिकारियों ने न तो खुद को माल एवं सेवा कर के तहत पंजीकृत किया था, न ही उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान की गयी आपूर्ति के कारण आपूर्तिकर्ता को किये गये भुगतान से टीडीएस की कटौती की थी। लेखापरीक्षा ने आगे, आपूर्ति की गयी सामग्री, मनरेगा कार्यालय से आपूर्तिकर्ता द्वारा एकत्रित माल एवं सेवा कर और आपूर्तिकर्ता द्वारा उनके माल एवं सेवा कर रिटर्न में स्वीकार किये गये माल एवं सेवा कर के विवरण का सत्यापन किया। यह पाया कि 16 आपूर्तिकर्ताओं ने अपने माल एवं सेवा कर रिटर्न में कर देयता के रूप में मात्र ₹ 1.80 करोड़ स्वीकार किये थे; जबकि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान बाँका जिले में मनरेगा के तहत की गयी सामग्री की आपूर्ति पर ₹ 3.57 करोड़ एकत्र किये थे। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 1.77 करोड़ की राशि के राजस्व की हानि हुई, जो कि परिशिष्ट 2.23 में वर्णित है।

<sup>89</sup> अमरपुर, बाँका, बरहट, बेलहर, बौसी, चानंद, ढोरिया, फूलीडुमर, कटोरिया, रजौन और शंभुगंज।

यदि कार्यक्रम अधिकारियों ने खुद को माल एवं सेवा कर के तहत पंजीकृत किया होता और माल एवं सेवा कर नियमों के तहत किये गये प्रावधानों के अनुसार टीडीएस की कटौती की होती, तो आपूर्तिकर्ता अपने कर योग्य आवर्त और कर देयता का छिपाव की स्थिति में नहीं होते। इस तरह का छिपाव, इन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आयकर की गणना के लिए आय को छिपाने की संभावना का भी संकेत था।

मामला वाणिज्य—कर विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2022)। जवाब में ग्रामीण विकास विभाग ने बताया (दिसम्बर 2022) कि चूँकि मनरेगा की सूचना प्रबंधन प्रणाली में सामग्री आपूर्ति के अभिश्रव पर टीडीएस की कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है, माल एवं सेवा कर के प्रावधान का अनुपालन अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया है। वाणिज्य—कर विभाग का जवाब अप्राप्त था (नवम्बर 2023 तक)।



## अध्याय III

### वाहनों पर कर



## अध्याय III: वाहनों पर कर

### 3.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग राज्य में वाहनों पर करों का आरोपण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988; केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989; बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 और बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के अनुसार करता है। विभाग का नेतृत्व सरकार के स्तर पर प्रधान सचिव और विभाग के शीर्ष स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाता है। मुख्यालय में राज्य परिवहन आयुक्त की सहायता दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्तों द्वारा की जाती है। राज्य को नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों<sup>1</sup> तथा 38 जिला परिवहन कार्यालयों में बॉटा गया है। उन्हें मोटर वाहन निरीक्षक सहायता करते हैं। राज्य में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों का मुख्य कार्य वाहनों को रोड परमिट निर्गत करना है और मोटर वाहनों का निबंधन, करों व शुल्कों का आरोपण एवं संग्रहण तथा चालक अनुज्ञाप्ति निर्गत करने का उत्तरदायित्व, जिला परिवहन पदाधिकारियों को सौंपा गया है।

### 3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2021–22 के दौरान लेखापरीक्षा ने परिवहन विभाग की 49 इकाईयों में से सात<sup>2</sup> के अभिलेखों का नमूना जाँच की। लेखापरीक्षा जाँच में करों का नहीं/कम वसूली, फीस, जुर्माना और अर्थदण्ड का अधिरोपण नहीं होना एवं अन्य अनियमितताओं में सन्तुष्टि ₹ 83.33 करोड़ के मामले (55 अवलोकन) उजागर हुए। विवरणी तालिका 3.1 में दिखाया गया है।

तालिका 3.1  
लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणियाँ	अवलोकनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	मोटर वाहन करों का नहीं और कम आरोपण	11	16.20
2	फीस, जुर्माना एवं अर्थदण्ड का अधिरोपण नहीं होना	13	15.81
3	अन्य मामले	31	51.32
कुल		55	83.33

2021–22 के मामलों और पहले के वर्षों के मामलों के जवाब अप्राप्त थे (मार्च 2023)।

### 3.3 वाहनों के फिटनेस प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण नहीं होने के कारण जाँच शुल्क एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र नवीनीकरण शुल्क का वसूली न होना

संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जनवरी 2017 और मार्च 2022 के बीच 20,189 वाहनों के फिटनेस प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण सुनिश्चित नहीं किया। इसके फलस्वरूप ₹ 1.27 करोड़ (जाँच शुल्क: ₹ 86.94 लाख एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र नवीनीकरण शुल्क: ₹ 40.38 लाख) की वसूली नहीं हुआ।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988, की धारा 56 के साथ पठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989, के नियम 62 के अनुसार एक परिवहन वाहन को तब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह फिटनेस प्रमाण–पत्र नहीं रखता है। सङ्केत परिवहन

<sup>1</sup> भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और सहरसा।

<sup>2</sup> जिला परिवहन कार्यालय : औरंगाबाद, भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी और पटना।

और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना (नवम्बर 2018) के अनुसार एक नये पंजीकृत वाहन के लिए फिटनेस प्रमाण—पत्र दो वर्षों के लिए वैध है। आठ वर्ष तक के पुराने वाहनों के लिए प्रत्येक दो वर्ष के बाद और आठ वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए प्रत्येक वर्ष इसे नवीनीकृत कराना आवश्यक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 29 दिसम्बर 2016 की अधिसूचना के तहत सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण—पत्र नवीनीकरण शुल्क ₹ 200 और तिपहिया वाहनों के साथ—साथ हल्के मोटर वाहनों के लिए ₹ 400 एवं भारी वाहनों के लिए ₹ 600 निर्धारित किया।

लेखापरीक्षा ने (अप्रैल 2021 और मई 2022 के मध्य), परिवहन वाहनों (तिपहिया, हल्के माल वाहन, मैक्सी / कैब, ई—रिक्शा, माल गाड़ी, ट्रैक्टर और बस) के संबंध में आठ जिला परिवहन कार्यालयों<sup>3</sup> में वाहन डेटाबेस में वाहन, कर और फिटनेस तालिका के विवरणों की जाँच की। जाँच के दौरान यह पाया गया कि 43,196 नमूना—जाँचित वाहनों में से 20,189 वाहन बिना वैध फिटनेस प्रमाण—पत्र (जनवरी 2017 और मार्च 2022 के मध्य) के थे, हालाँकि अन्य देय कर वसूले गये थे। इन मामलों में फिटनेस वैधता की समाप्ति 16 से 1,946 दिनों के बीच थी। वाहन सॉफ्टवेयर में वाहन मालिकों को अयोग्य वाहनों के लिए करों का भुगतान करने और परमिट जारी / नवीनीकरण करने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। यद्यपि वाहनों के फिटनेस की समाप्ति के संबंध में वाहन सॉफ्टवेयर में जानकारी उपलब्ध थी, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों / मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा अयोग्य वाहनों का परिचालन रोकने के लिए विभाग के प्रवर्तन स्कंध को ऐसे वाहनों की सूची नहीं दी गयी। इस प्रकार, सरकार ₹ 1.27 करोड़ (परीक्षण शुल्क: ₹ 86.94 लाख और फिटनेस प्रमाण—पत्र नवीनीकरण शुल्क: ₹ 40.38 लाख) के राजस्व की वसूली नहीं कर सकी, जैसा कि **परिशिष्ट 3.1** में वर्णित है। इसके अतिरिक्त, ऐसे अयोग्य वाहनों के परिचालन से इंकार नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा, इन जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो इन अयोग्य वाहनों के पंजीकरण / परमिट को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की और न ही उन्होंने इस संबंध में ऐसे वाहन मालिकों को कोई नोटिस जारी किया।

जवाब में, सात जिला परिवहन पदाधिकारियों ने बताया (जुलाई 2021 से मई 2022) कि मोटर वाहन निरीक्षकों को फिटनेस प्रमाण—पत्र के नवीनीकरण के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे और इन वाहनों की सूची आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रवर्तन स्कंध को उपलब्ध कराई जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी, नालंदा, ने जवाब दिया (जून 2022) कि जाँच के बाद फिटनेस प्रमाण—पत्र के नवीनीकरण के लिए कार्रवाई की जाएगी।

यह देखा गया कि जिला परिवहन पदाधिकारियों / मोटर वाहन निरीक्षकों ने इन अयोग्य वाहनों को सड़क पर परिचालन से रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं की थी, या वाहन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध जानकारी के आधार पर फिटनेस प्रमाण—पत्र नवीनीकरण शुल्क के कारण ऐसे वाहनों से राजस्व उगाही के लिए कार्रवाई नहीं की थी। इसके अलावा, उन्होंने ऐसे वाहनों द्वारा उत्पन्न सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं किया।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2022) था; हालाँकि जवाब अप्राप्त था (नवम्बर 2023 तक)।

---

<sup>3</sup> औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, कटिहार, किशनगंज, नालंदा और समस्तीपुर।

### 3.4 एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान के लिए परिवहन वाहनों से अर्थदंड की वसूली नहीं किया जाना

581 दोषी वाहनों के संबंध में एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान के लिए अर्थदंड की गणना/आरोपण न ही वाहन सॉफ्टवेयर द्वारा की गई और न ही संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.05 करोड़ के अर्थदंड का आरोपण/वसूली नहीं किया गया।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994, की धारा 23 के साथ पठित बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994, के नियम 4(2) के अनुसार, नियत तिथि के भीतर कर का भुगतान न करने की स्थिति में देय कर के 25 से 200 प्रतिशत तक अर्थदंड (देय तिथि के 15 दिनों के बाद से शुरू) लगाने को प्रावधित करता है।

लेखापरीक्षा ने एकमुश्त कर<sup>4</sup> भुगतान करने वाले परिवहन वाहनों (अर्थात् ट्रैक्टर/तिपहिया/हल्के माल वाहन/मोटर कैब/ई-रिक्शा) के संबंध में मई 2015 और अगस्त 2021 के बीच की अवधि के लिए नौ जिला परिवहन कार्यालयों<sup>5</sup> में वाहन डेटाबेस में मालिक और कर तालिकाओं की जाँच की (अप्रैल 2021 से जुलाई 2022)। संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 61,817 नमूना—जाँचित वाहनों में से 581 वाहन मालिकों ने जून 2015 और मार्च 2021 के बीच 31 दिनों से 584 दिनों की अवधि के विलम्ब से अपना एकमुश्त—कर का भुगतान किया था। एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान पर उक्त नियम अनुसार अर्थदंड का प्रावधान है जिसे वाहन सॉफ्टवेयर में विधिवत परिमापित किया गया था। हालाँकि, न तो वाहन 2.0 और न ही वाहन 4.0 (राज्य में वित्तीय वर्ष 2017–18 में शुरू किये गये वाहन 2.0 का अद्यतन संस्करण), एकमुश्त कर के विलंबित भुगतान के लिए अर्थदंड की गणना और आरोपण कर सका। इसके अलावा, जिला परिवहन पदाधिकारियों ने भी कर के विलंबित भुगतान के लिए अर्थदंड की गणना/आरोपण और वसूली नहीं की थी। फलस्वरूप, एकमुश्त कर के विलंबित भुगतान के लिए ₹ 1.05 करोड़ की राशि का अर्थदंड आरोपित या वसूल नहीं किया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 3.2 में वर्णित है।

जवाब में, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2021 से जुलाई 2022) कि अर्थदंड की वसूली के लिए मांग पत्र जारी किये जायेंगे। हालाँकि, वाहन 2.0 सॉफ्टवेयर द्वारा एकमुश्त कर के विलंबित भुगतान के लिए स्वचालित गणना और अर्थदंड नहीं लगाने का मुद्दा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन<sup>6</sup> में उजागर किया गया था, विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की और यह समस्या वाहन 4.0 में भी बनी रही। विभाग ने एकमुश्त कर की गणना/आरोपण एवं इसके विलंबित भुगतान के लिए अर्थदंड की वसूली हेतु अन्य उचित वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की थी।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2022) था; हालाँकि जवाब अप्राप्त था (नवम्बर 2023 तक)।

<sup>4</sup> वाहन के पूरे जीवन काल के लिए लगाया गया कर जो उसके निबंधन की तिथि से देय है।

<sup>5</sup> औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, बक्सर, गया, कटिहार, किशनगंज, समस्तीपुर और सीतामढ़ी।

<sup>6</sup> भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राजस्व प्रक्षेत्र का प्रतिवेदन (वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या-2) की कंडिका 4.5।

### 3.5 मोटर वाहन कर की वसूली नहीं होना

चूककर्ता वाहन मालिकों द्वारा मोटर वाहन करों का भुगतान नहीं करने की जानकारी उपलब्ध होने के बाबजूद, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने कर चूककर्ता सूची तैयार करने के लिए वाहन के कर तालिका की निगरानी या समीक्षा नहीं की। परिणामस्वरूप जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा चूककर्ताओं को कोई मांग पत्र जारी नहीं किया गया और फलस्वरूप ₹ 22.16 करोड़ कर और अर्थदंड की वसूली नहीं हुई।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 और 9 के अनुसार, एक निबंधित वाणिज्यिक मोटर वाहन के मालिक को संबंधित कर अधिकारी को वार्षिक मोटर वाहन कर का भुगतान करना आवश्यक है और, निवास/व्यवसाय में बदलाव की स्थिति में, वाहन मालिक नये कर पदाधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है बशर्ते वह पिछले कर पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करे। बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 का नियम 4(2) यह प्रावधित करता है कि यदि किसी वाहन पर 15 दिनों से अधिक समय तक कर का भुगतान नहीं होता है तो कर पदाधिकारी देय कर के 25 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक की दरों पर अर्थदंड आरोपित करेगा। बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधित) अधिनियम, 2016 की धारा 6(अ), देय वार्षिक मोटर वाहन करों के एक प्रतिशत की दर से सड़क सुरक्षा उपकर लगाने को प्रावधित करता है (बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 7(1) के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी वाहनों के मामलों को छोड़कर)।

लेखापरीक्षा ने नौ जिला परिवहन कार्यालयों<sup>7</sup> में वाहन डेटाबेस में चूककर्ता, मालिक और कर तालिका की जाँच की (अप्रैल 2021 और मई 2022 के बीच) और पाया कि 6,761 परिवहन वाहनों (मार्च 2005 और दिसम्बर 2020 के बीच निबंधित) के मालिकों द्वारा वार्षिक/तिमाही करों का भुगतान किया जाना आवश्यक था। इनमें से 3,796 परिवहन वाहनों के मालिकों ने सितम्बर 2016 और मार्च 2022 के बीच की अवधि से संबंधित अपने मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया था। इनमें से किसी भी मामले में, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आकस्मिक कारकों जैसे पता बदलने, निबंधन प्रमाण—पत्र का अभ्यर्पण या वाहनों का परिचालन नहीं किये जाने के साक्ष्य अभिलेख में नहीं पाये गये।

हालाँकि चूककर्ता वाहन मालिकों द्वारा मोटर वाहन करों का भुगतान न करने के संबंध में जानकारी, जिला परिवहन पदाधिकारियों के पास वाहन डेटाबेस में उपलब्ध थी, उन्होंने चूककर्ता की सूची में शामिल वाहन मालिकों से करों के आरोपण/वसूली करने के लिए वाहन की कर तालिका की निगरानी या समीक्षा नहीं की। इस प्रकार संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो चूककर्ताओं को कोई मांग पत्र जारी किया और न ही इन वाहनों की सूची प्रवर्तन स्कंध को भेजी। परिणामस्वरूप, ₹ 22.16 करोड़ (सड़क कर: ₹ 7.36 करोड़, सड़क सुरक्षा उपकर: ₹ 7.36 लाख और अर्थदंड: ₹ 14.72 करोड़) की राशि का कर एवं अर्थदंड की वसूली नहीं हुई जैसा कि परिशिष्ट 3.3 में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर सात जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जवाब दिया (अप्रैल 2021 से जून 2022 के बीच) कि कर की वसूली हेतु मांग पत्र जारी किये जायेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद, ने कहा (जनवरी 2022) कि, हालाँकि चूककर्ताओं के खिलाफ

<sup>7</sup> औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, कटिहार, किशनगंज, नालंदा, पटना और समस्तीपुर।

नियमित रूप से मांग पत्र जारी किये जा रहे थे, लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में जाँच के बाद मांग पत्र जारी किये जायेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार, ने कहा (फरवरी 2022) कि इन वाहनों के मालिकों को पूर्व में मांग पत्र जारी किया जा चुका था और शेष राशि की वसूली के लिए मांग पत्र जारी किये जायेंगे। हालाँकि, बयान को किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं किया गया था।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2022)। जवाब में बताया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के अधिकार क्षेत्र में चूककर्ता वाहन मालिकों से ₹ 1.15 करोड़ की वसूली कर ली गयी थी और शेष वाहन मालिकों को मांग-पत्र जारी कर दिया गया था। शेष आठ जिला परिवहन कार्यालयों के संबंध में जवाब प्रतीक्षित था (नबम्बर 2023 तक)।



## अध्याय IV

# राजस्व एवं भूमि सुधार



## अध्याय IV: राजस्व एवं भूमि सुधार

### 4.1 कर प्रशासन

बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भूमि का अधिग्रहण एवं हस्तान्तरण तथा भू-राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण करता है। भूमि अधिग्रहण के लिए समाहर्ता उत्तरदायी होते हैं, जिनको जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहयोग करते हैं।

प्रधान सचिव—सह—आयुक्त प्रशासनिक प्रधान होते हैं और उनको मुख्यालय स्तर पर तीन निदेशक एवं विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव सहयोग करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता, अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, उप समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी प्रखंड स्तर पर कार्य करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अंचलाधिकारी, भू-अभिलेखों के रख—रखाव एवं भू-राजस्व के संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं।

### 4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2020–21 के दौरान, लेखापरीक्षा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की 961 इकाईयों में से 50 इकाईयों की नमूना जाँच की। लेखापरीक्षा संवीक्षा में 372 मामलों में सैरात<sup>1</sup> का गैर—बंदोबस्त तथा अन्य अनियमितताएँ पायी गयी जिनमें ₹ 24,613.19 करोड़ की राशि सन्तुष्टि थी जैसा कि तालिका 4.1 में वर्णित है।

तालिका 4.1  
लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र० सं०	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	सलामी <sup>2</sup> और वाणिज्यिक किराये का निर्धारण नहीं होना	2	7,933.80
2.	सैरात का बंदोबस्त नहीं होना	4	108.32
3.	अन्य मामले	366	24,53,276.50
	<b>कुल</b>	<b>372</b>	<b>24,61,318.62</b>

विभाग ने 2021–22 के दौरान न तो किसी मामलों को स्वीकार किया और न ही किसी मामले में वसूली की गई। वर्ष 2021–22 के सभी मामले एवं पूर्व के वर्षों के मामलों में जवाब प्रतीक्षित है (नवम्बर 2023)।

### 4.3 भू—स्वामियों का पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लाभ से वंचित होना

₹ 5,00,000 का एकमुश्त भुगतान का संवितरण न होने के कारण 41 प्रभावित परिवार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पात्रता और ₹ 2.59 करोड़ के उद्ग्रहणीय ब्याज से वंचित हो गये।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013, प्रभावित परिवारों को उनकी भूमि के अधिग्रहण के लिए, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए मुआवजा भुगतान का प्रावधान करता है। उक्त अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, समाहर्ता को दूसरी अनुसूची में प्रावधित पात्रता के अनुसार

<sup>1</sup> राजस्व अर्जित करने वाली हाट, बाजार, मेला, वृक्ष, मत्स्यपालन, जलकर, फलकर, फेरी आदि के संबंध में अधिकार और हित।

<sup>2</sup> वाणिज्यिक या कृषि उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के बन्दोबस्त प्राप्तकर्ता द्वारा भूमि के मालिक को किया गया एकमुश्त भुगतान।

प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय पारित करना आवश्यक है, जिसमें शामिल राशि है: (i) घर का निर्माण: ₹ 1,50,000, (ii) भूमि का क्रय: ₹ 60,000 (iii) रोजगार का विकल्प या वार्षिकी या एकमुश्त भुगतान: ₹ 5,00,000 (iv) विस्थापित परिवारों के लिए जीवन निर्वाह अनुदान: ₹ 36,000, (v) परिवहन व्यय ₹ 50,000 (vi) मवेशी शेड / छोटी दुकान की लागत: ₹ 25,000 और (vii) एक बार पुनर्वासन भत्ता: ₹ 50,000 आदि। अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013, की धारा 80 के अनुसार जब भूमि का कब्जा लेने से पहले मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है तो समाहर्ता उस पर नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा और एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद मुआवजे की राशि या उसके हिस्से पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

जिला भू-अर्जन कार्यालय, समस्तीपुर, के एक परियोजना<sup>3</sup> से संबंधित अभिलेखों के नमूना जाँच (अक्टूबर 2021) के दौरान यह पाया गया कि तीन राजस्व गाँवों के 41 विस्थापित परिवारों<sup>4</sup> को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए अधिनिर्णय, आयुक्त, दरभंगा डिवीजन, दरभंगा द्वारा अनुमोदित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि रोजगार या वार्षिकी या एकमुश्त भुगतान के विकल्प को छोड़कर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन पात्रताओं के सभी घटक प्रभावित परिवारों को संवितरित किए गए थे। चूँकि; प्रभावित परिवारों को रोजगार या वार्षिकी का विकल्प नहीं दिया गया था, उनमें से प्रत्येक को ₹ पाँच लाख संवितरित किये जाने चाहिए थे। इस प्रकार, 41 प्रभावित परिवार, ₹ 2.05 करोड़<sup>5</sup> के उद्ग्रहणीय ब्याज (31.03.2023 तक) से वंचित थे।

इसे इंगित किये जाने के बाद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर, ने कहा (नवंबर 2021) कि विभाग<sup>6</sup> से निर्देश मिलने के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा और उसके बाद अनुपालन किया जायेगा। जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और प्रभावित परिवारों को पात्रता से वंचित किया गया।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2022) था; जवाब अप्राप्त था (नवम्बर 2023 तक)।

**अनुशंसा 1 : विभाग सभी आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन का भुगतान सुनिश्चित कर सकता है।**

#### 4.4 तोषण की कम गणना

**त्रुटिपूर्ण गणना के तरीके अपनाने के फलस्वरूप ₹ 6.40 करोड़ तोषण और उद्ग्रहणीय ब्याज का कम आरोपण हुआ जिसके कारण भू-स्वामियों को कम भुगतान हुआ।**

भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजे एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 30(1) के अनुसार, समाहर्ता भुगतान किये जाने वाले कुल

<sup>3</sup> एनएच-31 के प्रस्तावित बायपास में एनएच-28 पर करजान गाँव को ताजपूर से जोड़ने वाली गंगा नदी पर प्रस्तावित फोर लेन पुल और चार लेन पहुँच पथ।

<sup>4</sup> अषाढ़ी के 22, चकसाहो के नौ और अमृतपुर मौजा के 10।

<sup>5</sup> गणना : अषाढ़ी (948 दिनों के लिए ब्याज ₹ 36,25,479), अमृतपुर मौजा (1,021 दिनों के लिए ब्याज ₹ 17,97,945)

<sup>6</sup> राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

मुआवजे का अवधारण कर, अंतिम अधिनिर्णय पर पहुँचने के लिए तोषण<sup>7</sup> अधिरोपित करेगा जो मुआवजे की राशि का शत-प्रतिशत होगा। अधिनियम की पहली अनुसूची के बिन्दु 5 के अनुसार, भू-स्वामियों को भूमि के बाजार मूल्य को गुणात्मक कारक से गुणित कर एवं भूमि पर अवस्थित परिस्मृतियों<sup>8</sup> के मूल्य को जोड़कर समतुल्य तोषण भुगतेय है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 80 के अनुसार जब भूमि का कब्जा लेने से पूर्व मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है तो समाहर्ता उस पर नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा और एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद मुआवजे की राशि या उसके हिस्से पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

लेखपरीक्षा द्वारा जिला भू-अर्जन कार्यालय, मधुबनी, में संधारित भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना (झौरी चौक से महादेव मठ और जयनगर से बरदीवास रेल लाइन परियोजना) से संबंधित भूमि अधिग्रहण के अभिलेखों की नमूना जाँच (जून 2022) की गयी। नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने तोषण की गणना के दौरान भूमि से जुड़ी संपत्तियों के मूल्य पर विचार नहीं किया। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 3.47 करोड़ के तोषण और ₹ 2.93 करोड़ के उद्ग्रहणीय ब्याज का कम आरोपण हुआ जिसके फलस्वरूप नौ मौजों<sup>9</sup> के भू-स्वामियों को कम भुगतान हुआ, जैसा कि परिशिष्ट 4.1 में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी, ने कहा कि (जून 2022) मामले की जाँच के बाद एजेंसी/विभाग से तोषण की राशि की मांग की जायेगी।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2022) था, हालाँकि जवाब अप्राप्त था (नवम्बर 2023 तक)।

**अनुशंसा 2 : विभाग तोषण की सही राशि की गणना करते समय अधिग्रहित भूमि पर अवस्थित संबंधित संपत्तियों के मूल्य पर विचार कर सकती है।**

#### 4.5 अतिरिक्त मुआवजे का कम भुगतान किया जाना

**गलत गणना किए जाने के कारण भू-स्वामियों को ₹ 16.73 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे और उद्ग्रहणीय ब्याज का कम भुगतान किया जाना।**

भू-अधिग्रहण अधिनियम, 1894, की धारा 23(1क) के साथ पठित भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन के उचित मुआवजे और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013, की धारा 30(3) प्रावधित करती है कि अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान भूमि के बाजार मूल्य के 12 प्रतिशत की दर से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन की अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से समाहर्ता के अधिनिर्णय घोषित करने की तिथि या भूमि पर कब्जा की तिथि जो भी पहले हो, तक की जाएगी। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013, की धारा 80 के अनुसार जब भूमि का कब्जा लेने से पूर्व मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है तो समाहर्ता उस पर नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा और एक वर्ष की उक्त अवधि की

<sup>7</sup> यह मुआवजे का एक घटक है जो भू-स्वामियों को भुगतेय है।

<sup>8</sup> अवासीय घर, दुकान, वृक्ष आदि।

<sup>9</sup> मौजा : बंगाल टीनेन्सी अधिनियम, 1885, की धारा 3 (10) के तहत, राजस्व सर्वेक्षण के समय अलग से पहचाना और मापित किया गया एक गाँव।

समाप्ति के बाद मुआवजे की राशि या उसके हिस्से पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

नवम्बर 2021 और मार्च 2022 के दौरान दो जिलों के 81 मौजों में पाँच परियोजनाओं<sup>10</sup> के अभिलेखों की नमूना जाँच से यह पता चला कि जिला भू-अर्जन अधिकारियों ने अतिरिक्त मुआवजे की गणना करते समय भूमि के कब्जा की सही तिथि/अधिनिर्णय की तिथि पर विचार नहीं किया। गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 11.87 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे और ₹ 4.86 करोड़ के उद्ग्रहणीय ब्याज की कम गणना हुई, जैसा कि परिशिष्ट 4.2, 4.3 एवं 4.4 में (परियोजना-वार) वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अररिया और जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रोहतास, ने जवाब दिया (मार्च 2022 और नवम्बर 2021 क्रमशः) कि मामले की पुष्टि के बाद लेखापरीक्षा को सूचित करते हुये उचित कार्रवाई की जायेगी।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2022) था; हालाँकि जवाब अप्राप्त था (नवम्बर 2023 तक)।

**अनुशंसा 3 : विभाग यह सुनिश्चित करे कि कम भुगतान से बचने के लिए अतिरिक्त मुआवजे की गणना करते समय सही तिथि (भूमि का कब्जा लेने की तिथि या अधिनिर्णय की तिथि, जो भी पहले हो) पर विचार किया गया है।**

---

<sup>10</sup> 1. जिला भू-अर्जन कार्यालय, रोहतास (सासाराम) की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेल फ्लाई ओवर -I निर्माण परियोजना; 2. जिला भू-अर्जन कार्यालय, रोहतास (सासाराम) की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेल फ्लाई ओवर-II निर्माण परियोजना; 3. जिला भू-अर्जन कार्यालय, रोहतास (सासाराम), की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रोड ओवर ब्रिज निर्माण परियोजना; 4. भारत-नेपाल सीमा परियोजना और 5. जिला भू-अर्जन कार्यालय, अररिया का 56वीं वटालियन सशस्त्र सीमा बल की बथनाहा परियोजना।

## अध्याय V

# मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस



## अध्याय V: मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस

### 5.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, निबंधन अधिनियम, 1908, बिहार मुद्रांक नियमावली, 1991 तथा बिहार मुद्रांक (दस्तावेजों के अल्प मूल्यांकन का निवारण) नियमावली, 1995, के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।

मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) के प्रमुख निबंधन महानिरीक्षक होते हैं। विभाग, निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। मुख्यालय स्तर पर निबंधन महानिरीक्षक की सहायता के लिए एक अपर सचिव, दो उप महानिरीक्षक और चार सहायक महानिरीक्षक होते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रमंडलीय स्तर पर नौ सहायक महानिरीक्षक होते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर, 38 जिला अवर निबंधक, 88 अवर निबंधक और 26 संयुक्त अवर निबंधक, जिला/प्राथमिक इकाई स्तर पर, मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी हैं।

### 5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2021–22 के दौरान, लेखापरीक्षा ने मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस विभाग की कुल 161 इकाईयों में से 37 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की, जिसमें 307 मामलों में ₹ 110.14 करोड़ की अनियमितताएँ पाई गई जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती है, जो तालिका 5.1 में वर्णित है।

तालिका 5.1  
लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र० सं०	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	संदर्भित मामले का निस्तारण न होने से शासकीय राजस्व का अवरुद्ध होना	21	870.15
2	जब्त मामले का निस्तारण न होने से शासकीय राजस्व का अवरुद्ध होना	14	190.85
3	दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण कम आरोपण	161	3,228.99
4	अन्य मामले	111	6,723.71
कुल		307	11,013.70

वर्ष 2021–22 के दौरान, विभाग ने 195 मामलों में ₹ 2.61 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 22 मामलों में ₹ 0.94 करोड़ की वसूली की जो कि 2021–22 में इंगित किये गये थे। पूर्ववर्ती वर्षों के शेष मामलों एवं 2021–22 के सभी मामलों के जवाब अप्राप्त थे (नवम्बर 2023)।

### 5.3 भूमि के अल्प मूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली

पाँच निबंधन प्राधिकारी अक्टूबर 2020 से जून 2022 के दौरान निष्पादित आठ दस्तावेजों में भूमि के अल्प मूल्यांकन का पता लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.25 करोड़ की मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली हुई।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47(क), प्रावधित करती है कि जहाँ निबंधन प्राधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि दस्तावेजों में संपत्ति का बाजार मूल्य सही निर्धारित नहीं किया गया है, वह ऐसी संपत्ति को बाजार मूल्य के अनुसार निर्धारण के लिए समाहर्ता को संदर्भित कर सकता है।

बिहार में भूमि को वाणिज्यिक, आवासीय, सिंचित आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक जिला में भूमि की श्रेणी के अनुसार वार्ड/अंचलवार भूमि की दर निर्धारित की जाती है। इस प्रयोजन के लिए गठित जिला मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर प्रत्येक जिला में प्रत्येक वर्ष भूमि का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है। समिति राज्य स्तर पर गठित केन्द्रीय मूल्यांकन समिति के समग्र मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत कार्य करती है।

तीन जिला अवर निबंधक<sup>1</sup> एवं दो अवर निबंधक<sup>2</sup> द्वारा निष्पादित दस्तावेजों (अक्टूबर 2020 से जून 2022) की जाँच (अक्टूबर 2021 से अगस्त 2022) के दौरान पाया गया कि आठ दस्तावेजों (छ: बिक्री विलेखों, एक पट्टा विलेख एवं एक विकास अनुबंध विलेख) में संबंधित जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक, ने या तो भूमि के विखंडण का पता नहीं लगाया या मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की गलत दर लगायी। इन अनियमितताओं के परिणामस्वरूप संपत्ति/दस्तावेज का अल्प मूल्यांकन हुआ और फलस्वरूप ₹ 1.25 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट 5.1 में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2021 से जून 2022) संबंधित जिला अवर निबंधकों/अवर निबंधकों ने कहा कि (अक्टूबर 2021 से जून 2022): (i) सत्यापन प्रतिवेदनों के आधार पर संबंधितों को माँग पत्र जारी किये गये थे और (ii) एक मामले में अवर निबंधक, डेहरी, रोहतास, ने कहा कि जाँच के बाद कार्रवाई की जायेगी। इसके बाद विभाग ने कहा कि जिला अवर निबंधक, पटना सिटी ने ₹ 26.14 लाख की वसूली की है।

---

<sup>1</sup> औरंगाबाद, पटना और मुजफ्फरपुर।

<sup>2</sup> पटना सिटी और डेहरी, रोहतास।

भाग ख  
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र  
उपक्रम



## अध्याय VI

# राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के क्रियाकलाप



## अध्याय VI: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के क्रियाकलाप

### 6.1 प्रस्तावना

यह अध्याय बिहार में सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों एवं सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा०क्ष००७०) में वे सरकारी कम्पनियाँ शामिल हैं जिनमें राज्य सरकार की धारिता 51 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा ऐसी सरकारी कम्पनियों की सहायक कम्पनियाँ भी शामिल हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित संविधियों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगम एवं राज्य सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाली या नियंत्रित अन्य कम्पनियों को भी सा०क्ष००७० के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या केन्द्रीय सरकार द्वारा आंशिक रूप से और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कम्पनी को, इस अध्याय में सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में दर्शाया गया है।

राज्य में मार्च 2022 तक सा०क्ष००७० की कुल संख्या 77<sup>1</sup> थी, जिसमें 37 कार्यशील सा०क्ष००७० एवं 40 अकार्यशील सा०क्ष००७० थे। जबकि विगत तीन वर्षों यथा 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 तक के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर इस अध्याय में कुल 16 सा०क्ष००७० (15 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम) को शामिल किया गया है। शेष 61<sup>2</sup> सा०क्ष००७०, जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए बकाये थे या निष्क्रिय/परिसमापन के अधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, उन्हें इस अध्याय में शामिल नहीं किया गया है।

### 6.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

#### 6.2.1 अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी०ए०जी०) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013, के अन्तर्गत, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करते हैं और उस तरीके पर निर्देश देते हैं, जिससे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।

<sup>1</sup> राज्य में सा०क्ष००७० की कुल संख्या मार्च 2021 तक 79 थी। वर्ष 2021–22 के दौरान, 79 सा०क्ष००७० में से दो सा०क्ष००७० यथा बिहार स्टेट सीमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (सूची से नाम काट दिया गया) तथा भवानी एकिटव कार्बन लिमिटेड (सरकारी कम्पनी नहीं रहने के कारण) को शामिल नहीं किया गया है।

<sup>2</sup> कुल 61 सा०क्ष००७० में से, आठ अकार्यशील सा०क्ष००७० सहित नौ सा०क्ष००७० ने अपने प्रथम लेखे को प्रस्तुत/अन्तिमीकृत नहीं किया था तथा शेष 52 सा०क्ष००७०, जिसमें 36 अकार्यशील सा०क्ष००७० भी शामिल हैं, के लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक समय के लिए बकाया थे।

कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी अपेक्षित है।

### 6.2.2 इस अध्याय में क्या है

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों, सांविधिक निगमों तथा सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन की समग्र स्थिति, जैसा कि उनके लेखाओं से प्रकट होती है, को दर्शाया गया है।

### 6.2.3 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या

31 मार्च 2022 को, 77 साठें०उ०<sup>3</sup> में से इस अध्याय में शामिल 16 साठें०उ० के वित्तीय निष्पादन का सारांश एवं प्रकृति को तालिका 6.1 में दर्शाया गया है।

#### तालिका 6.1

इस अध्याय में शामिल साठें०उ० का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति

साठें०उ० की प्रकृति	साठें०उ० की कुल संख्या	अध्याय में शामिल साठें०उ० की संख्या				इस अध्याय में शामिल नहीं किए गए साठें०उ० की संख्या	बकाया लेखाओं वाले साठें०उ० की संख्या		
		वर्ष तक के लेखे							
		2021–22	2020–21	2019–20	कुल				
कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	30	1	8	5	14	16	29		
कार्यशील सांविधिक निगम	3	0	0	1	1	2	3		
सरकारी कम्पनियों / निगमों की कुल संख्या	33	1	8	6	15	18	32		
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	4	0	0	0	0	4	4		
कुल कार्यशील साठें०उ०	37	1	8	6	15	22	36		
अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	40	0	1 <sup>4</sup>	0	1	39	40		
अकार्यशील सांविधिक निगम	-	-	-	-	-	-	-		
कुल अकार्यशील साठें०उ०	40	0	1	0	1	39	40		
कुल	77	1	9	6	16 <sup>5</sup>	61	76		

(ज्ञात : साठें०उ० के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 16 साठें०उ० के वित्तीय निष्पादन का सारांश परिशिष्ट 6.1 में दिया गया है। इस अध्याय में 61 साठें०उ० शामिल नहीं हैं जो परिशिष्ट 6.2 में दर्शाए गए हैं।

### 6.3 अंश पूँजी धारिता


सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में 31 मार्च 2022 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा अन्य द्वारा अंश पूँजी में धारिता को चार्ट 6.1 में दर्शाया गया है :

<sup>3</sup> 70 सरकारी कम्पनियाँ, तीन सांविधिक निगम तथा चार सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ।

<sup>4</sup> बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।

<sup>5</sup> प्रक्षेत्र – ऊर्जा : 8; गैर-ऊर्जा : 8 |

**चार्ट 6.1**  
**सा०क्षेत्रो में अंश पैंजी निवेश**  
(₹ करोड़ में)



(स्रोत : सा०क्षेत्रो के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

चार्ट 6.1 से यह देखा जा सकता है कि अंश पैंजी में राज्य सरकार की धारिता 2019–20 के ₹ 38,375.60 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹ 39,686.75 करोड़ हो गई जबकि कुल निवेश 2019–20 के ₹ 38,720.78 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹ 40,260.17 करोड़ हो गया।

#### 6.4 31 मार्च 2022 को बकाया दीर्घावधि ऋणों की गणना

31 मार्च 2022 को 16 सा०क्षेत्रो में से सात<sup>6</sup> में सभी स्रोतों से बकाया कुल दीर्घावधि ऋण ₹ 12,429.50 करोड़ थे। शेष नौ सा०क्षेत्रो के पास कोई दीर्घावधि ऋण 31 मार्च 2022 तक नहीं थे। सा०क्षेत्रो के बकाया दीर्घावधि ऋणों का वर्षवार विवरण तालिका 6.2 में दर्शाया गया है :

**तालिका 6.2**  
**सा०क्षेत्रो में दीर्घावधि ऋण**

(₹ करोड़ में)

ऋण का स्रोत	2019-20	2020-21	2021-22
राज्य सरकार	541.25	619.30	619.30
केन्द्र सरकार	0.00	0.00	0.00
अन्य (रुडल इलेक्ट्रिकिकेशन कॉरपोरेशन, पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन, बैंक एवं बिहार अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी से लिए गए ऋण शामिल)	5,811.63	11,743.93	11,810.20
<b>कुल निवेश</b>	<b>6,352.88</b>	<b>12,363.23</b>	<b>12,429.50</b>

(स्रोत: सा०क्षेत्रो के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

<sup>6</sup> बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (बी०एस०पी०एच०सी०एल०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (बी०एस०पी०टी०सी०एल०), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस०बी०पी०डी०सी०एल०), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन०बी०पी०डी०सी०एल०), बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (बी०जी०सी०एल०), बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी०एस०ए०आई०डी०सी०एल०) एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम (बी०एस०एफ०सी०)।

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कुल ऋण का ₹ 359.85 करोड़ (58.11 प्रतिशत) ऊर्जा कम्पनियों के पास बकाया था तथा शेष (₹ 259.45 करोड़) अन्य कम्पनियों के पास था, जबकि अन्य स्रोतों से ऋणों (₹ 11,810.20 करोड़) का 100 प्रतिशत ऊर्जा कम्पनियों से संबंधित था। ऊर्जा क्षेत्र या गैर ऊर्जा क्षेत्र के किसी भी सांकेतिक द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त दीर्घावधि ऋण के मूलधन एवं ब्याज का पुनर्भुगतान नहीं किया गया था।


### 6.5 सांकेतिक द्वारा अर्जित लाभ

वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सांकेतिकों की संख्या सात थी। अर्जित लाभ वर्ष 2020–21 के ₹ 302.15 करोड़ से घटकर 2021–22 में ₹ 291.30 करोड़ हो गया था। 2021–22 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सात सांकेतिकों का निवल मूल्य ₹ 10,989.84 करोड़ था। इन सात सांकेतिकों का अंश पूँजी पर प्रतिफल वर्ष 2020–21 के 2.80 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–22 में 2.65 प्रतिशत हो गया।

2019–20 से 2021–22 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सांकेतिकों की संख्या चार्ट 6.2 में दर्शायी गयी है।

चार्ट 6.2

विगत तीन वर्षों के दौरान लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों की संख्या तथा उनका अंश पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)



(स्रोत: सांकेतिकों के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

### 6.6 हानि वहन करनेवाले सांकेतिकों

2019–20 से 2021–22 के दौरान हानि वहन करने वाले सांकेतिकों की संख्या पाँच से छः के मध्य रही, जिसे तालिका 6.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.3

2019–20 से 2021–22 के दौरान हानि वहन करने वाले सांकेतिकों की संख्या

वित्तीय वर्ष	हानि वहन करने वाले सांकेतिकों की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि (₹ करोड़ में)	संवित हानियाँ (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य <sup>7</sup> (₹ करोड़ में)
2019-20	6	2,961.24	19,629.17	9,312.52
2020-21	5	1,946.95	21,041.52	8,783.09
2021-22	5	1,946.95	21,041.52	8,783.09

(स्रोत: सांकेतिकों के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

<sup>7</sup> निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त अंश पूँजी तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानियाँ तथा स्थगित राजस्व व्यय। मुक्त संचय का अर्थ है लाभ से और अंश प्रीमियम लेखे से बनाए गये सभी संचय किंतु इसमें संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन एवं हास को वापस लेकर बनाए गए संचय सम्मिलित नहीं होते हैं।

## 6.7 अकार्यशील सांकेतिक का समापन

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष से विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अंत में अकार्यशील सांकेतिक की संख्या नीचे दी गई है:

### तालिका 6.4 अकार्यशील सांकेतिक

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
अकार्यशील सांकेतिक की संख्या	42	42	40 <sup>8</sup>
उपरोक्त में से, समापन की प्रक्रिया के अधीन सांकेतिक की संख्या	5	5	5

(स्रोत: बिहार सरकार पर संबंधित वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा परिशिष्ट 6.2 में शामिल सांकेतिक से संबंधित जानकारी के आधार पर संकलित)

2021–22 में दर्शाये गये सभी 40 सांकेतिक पाँच वर्षों से अधिक समय से अकार्यशील थे।

## 6.8 सीओजी० की पर्यवेक्षण भूमिका

### 6.8.1 सीओजी० की पर्यवेक्षण भूमिका

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 139(5) एवं (7) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीओजी०) सरकारी कम्पनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। सीओजी० के पास अनुपूरक लेखापरीक्षा करने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपूरक प्रतिवेदन निर्गत या उस पर टिप्पणी निर्गत करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों के अनुसार अपेक्षित है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीओजी० द्वारा की जाए तथा प्रतिवेदन राज्य की विधायिका को प्रस्तुत किया जाए।

### 6.8.2 सीओजी० द्वारा राज्य सांकेतिक के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 139(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार की कम्पनी के मामले में वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से 180 दिनों की अवधि के अन्दर सीओजी० द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया जाना है।

## 6.9 सांकेतिक द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

प्रत्येक कम्पनी को समय पर अपने शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक (ए०जी०ए०) आयोजित करनी चाहिए। अग्रेतर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, उक्त ए०जी०ए० में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

### 6.9.1 समय लेखाओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कम्पनी के क्रियाकलापों एवं लेन देनों पर वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनी की ए०जी०ए० के तीन महीने के अन्दर तैयार की जानी है तथा उसे तैयार करने के बाद यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं सीओजी० द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक प्रतिवेदन टिप्पणी के साथ राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। सांविधिक निगमों

<sup>8</sup> वर्ष 2021–22 के दौरान, दो सांकेतिक यथा बिहार स्टेट सीमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (सूची से नाम काट दिया गया) और भवानी एकिटव कार्बन लिमिटेड (सरकारी कम्पनी नहीं रहने के कारण) को हटा दिया गया।

को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान है। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार अंशधारकों की ए0जी0एम0 आयोजित किया जाना अपेक्षित है। यह भी कहा गया है कि एक ए0जी0एम0 और अगले ए0जी0एम0 की तारीख के मध्य 15 महीनों से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए। अग्रेतर, कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 129 में निर्दिष्ट है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण ए0जी0एम0 में विचार के लिए प्रस्तुत किये जाने हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 129(7) में कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर कम्पनी के निदेशकों सहित, जिम्मेदार व्यक्तियों पर, जुर्माना तथा कारावास जैसे दण्ड लगाने का भी प्रावधान है।

उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद, 31 जुलाई 2022, तक विभिन्न सा0क्षे0उ0 के वार्षिक लेखे लम्बित थे, जिसके ब्यौरे अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं।

### 6.9.2 सा0क्षे0उ0 द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2022 तक, 77 सा0क्षे0उ0 में से, सभी राज्य सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों से वर्ष 2021–22 के लेखे 31 जुलाई 2022 तक प्राप्य थे। केवल एक<sup>9</sup> सरकारी कम्पनी ने 31 जुलाई 2022 से पूर्व वर्ष 2021–22 का लेखा सी0ए0जी0 को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया था। शेष 69 राज्य सरकार की कम्पनियों, तीन सांविधिक निगम एवं चार सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों (कुल 76 सा0क्षे0उ0) के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधान द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के लिए, सी0ए0जी0, एकमात्र लेखापरीक्षक है। बिहार राज्य वित्तीय निगम तथा बिहार राज्य भण्डारण निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों द्वारा की जाती है एवं सी0ए0जी0 द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

बिहार राज्य वित्तीय निगम के वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लेखे, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक के लेखे तथा बिहार राज्य भण्डारण निगम के वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक के लेखे, 31 जुलाई 2022 तक प्रतिक्षित थे।

### 6.10 सी0ए0जी0 की पर्यवेक्षण भूमिका के परिणाम

#### 6.10.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सा0क्षे0उ0 के लेखाओं की लेखापरीक्षा

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा के पश्चात् अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 के दौरान, 29 लेखाओं (23 गैर ऊर्जा एवं छ: ऊर्जा) को अग्रेषित किया गया। सी0ए0जी0 द्वारा सात लेखाओं पर गैर–समीक्षा प्रमाण पत्र (एन0आर0सी0), एक लेखा पर टिप्पणी, तीन लेखाओं पर अस्वीकरण (डिस्क्लेमर), दो लेखाओं पर पृथक

<sup>9</sup> बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत किया गया तथा शेष सा०क्षे०उ० के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई। 31 जुलाई 2022 तक, केवल एक<sup>10</sup> राज्य सरकारी कम्पनी से वर्ष 2021–22 का लेखा प्राप्त किया गया था।

अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 के दौरान, सी०ए०जी० द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 143(6)(बी०) के अन्तर्गत 18<sup>11</sup> लेखाओं (13 गैर ऊर्जा एवं पाँच ऊर्जा) पर डिस्क्लेमर तथा 14 लेखाओं (12 गैर ऊर्जा एवं दो ऊर्जा) पर टिप्पणियाँ निर्गत की गयी।

#### 6.10.2 सा०क्षे०उ० पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अनुपूरक के रूप में निर्गत सी०ए०जी० की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

इस अध्याय में शामिल सा०क्षे०उ० की सूची जिन पर अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 के दौरान टिप्पणियाँ निर्गत की गई थी, उन्हें तालिका 6.5 में दर्शाया गया है।

##### तालिका 6.5

इस अध्याय में शामिल सा०क्षे०उ० की सूची जिसपर सी०ए०जी० द्वारा टिप्पणियाँ निर्गत की गई थी

क्र० सं०	सा०क्षे०उ० का नाम	लेखा का वर्ष
1	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	2019-20
2	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2019-20
3	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20
4	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	2020-21

(नोट: सा०क्षे०उ० के लेखाओं पर सी०ए०जी० द्वारा निर्गत किये गये टिप्पणियों के आधार पर संकलित।)

सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निर्गत की गई, जिनका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 31.23 करोड़ तथा परिसम्पत्तियों/देयताओं पर ₹ 270.69 करोड़ था (परिशिष्ट 6.3)।

#### 6.11 लेखापरीक्षा पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

इस प्रतिवेदन के लिए, सा०क्षे०उ० से सम्बन्धित एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका तथा पाँच अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं संबंधित प्रशासी विभाग के अपर मुख्य/प्रधान सचिव को इस आग्रह के साथ कि इनके जवाब दो सप्ताह के अंदर दिए जाए; निर्गत किए गए थे। हालाँकि, केवल एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका तथा एक अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका का जवाब राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था।

#### 6.12 सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) के प्रतिवेदन का अनुपालन

कोपू ने राज्य विधानमंडल को एक अनुशंसा (2021–22) के साथ सात प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किया था। हालाँकि, एक अनुशंसा (सितम्बर 2022) के संबंध में कोई कार्यवाही टिप्पणी (ए०टी०एन०) प्राप्त नहीं हुई, जिसे तालिका 6.6 में दर्शाया गया है।

<sup>10</sup> बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड।

<sup>11</sup> इन ऑकड़ों में वे लेखे भी शामिल हैं जो कि अक्टूबर 2021 से पूर्व प्राप्त हुए एवं उनकी लेखापरीक्षा की गई तथा लेखे पर प्रतिवेदन अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 के मध्य निर्गत किये गये।

**तालिका 6.6**  
**कोपू प्रतिवेदनों का अनुपालन**

कोपू प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू प्रतिवेदन में अनुशंसाओं की कुल संख्या	अनुशंसाओं की संख्या जहाँ ए०टी०एन० प्राप्त नहीं हुए
2019-20	05	0	0
2020-21	01	0	0
2021-22	01	1	1
<b>कुल</b>	<b>07</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

(चोत: सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर संकलित)

अध्याय VII  
विषय विशिष्ट  
अनुपालन लेखापरीक्षा



## अध्याय VII: विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

बिहार सरकार के उद्योग; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना प्रावैधिकी तथा जल संसाधन विभागों के अंतर्गत अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में परिसंपत्तियों का भौतिक अस्तित्व एवं सुरक्षा

नमूनाकृत कई अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा०क्षे०उ०) के प्रतिष्ठान/परिसर उनके पंजीकृत पते पर नहीं थे। इन सा०क्षे०उ० के प्रशासनिक विभागों ने परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। इन सा०क्षे०उ० ने कम्पनी अधिनियम, 1956/2013, के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, सहायक दस्तावेजों के साथ-साथ, लेखाओं की उचित पुस्तकें बनाई नहीं थी/रख-रखाव नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप लेखे बकाया थे। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, न तो सा०क्षे०उ०, और न ही राज्य सरकार ने, इन अकार्यशील सा०क्षे०उ० के पुनरुद्धार के लिए कोई योजना/प्रस्ताव तैयार किया था। अग्रेतर, प्रशासनिक निर्णयों में विलम्ब के कारण, इन सा०क्षे०उ० के समापन/परिसमापन/सूची से नाम काटने की प्रक्रिया, लंबे समय से लंबित थी, जिससे वेतन के उपार्जन तथा कर्मचारियों की अन्य हकदारियों के रूप में, सा०क्षे०उ०/बिहार सरकार के लिए अतिरिक्त देनदारियाँ सृजित हो गई थी। राज्य सरकार पर, इन सा०क्षे०उ० के वेतन/पेंशन तथा अन्य संबंधित वैधानिक दायित्वों (ई०पी०एफ० आदि) के प्रति, ₹ 399.08 करोड़ (अगस्त 2022) की देनदारियाँ बकाया हो गई थीं।

### 7.1 परिचय

31 मार्च 2022 तक, बिहार राज्य में, 77 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा०क्षे०उ०) थे। इन सा०क्षे०उ० की स्थापना राज्य की आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। हालाँकि, समय के साथ, इनमें से कई सा०क्षे०उ० अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहे, इसके अतिरिक्त, वे अपनी निवेशित पूँजी पर लाभांश का भुगतान करने में भी विफल रहे, साथ ही अपने कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी वितरित करने में विफल रहे, जिसके कारण वे अकार्यशील बन गए। 31 मार्च 2022 तक, बिहार सरकार के 10 विभागों के नियंत्रणाधीन, 40 अकार्यशील राज्य सा०क्षे०उ० थे। सोन कमांड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी (स्कार्ड), पटना (जल संसाधन विभाग), के नियंत्रणाधीन पांच सा०क्षे०उ०<sup>1</sup> के संबंध में, अगस्त 2000 में ही बंद करने की स्वीकृति दे दी गई थी। एक उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर, राज्य सरकार ने, एक संकल्प द्वारा, 27 अकार्यशील सा०क्षे०उ० को बंद करने का निर्णय लिया (2003) था तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों को कंपनी अधिनियम, 1956, के प्रावधानों के अनुसार, उनके समापन के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था। शेष आठ अकार्यशील सा०क्षे०उ० में से, चार अकार्यशील सा०क्षे०उ० को बंद करने के संबंध में निर्णय पिछले वर्षों में लिया गया था तथा चार सा०क्षे०उ० के समापन/पुनरुद्धार के संबंध में निर्णय राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया गया था (परिशिष्ट 7.1)।

<sup>1</sup> पांच अकार्यशील सा०क्षे०उ० में से चार (परिशिष्ट 7.1 की क्रम संख्या 19 से 22 तक) को इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था तथा शेष एक (परिशिष्ट 7.1 की क्रम संख्या 31 पर) को इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया गया था।

इस प्रकार, इन निर्णयों के 19 से 22 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद भी, ये अकार्यशील सांख्योड़ 0 अभी भी परिसमापन/समापन के विभिन्न चरणों में थे।

## 7.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह आकलन करने के उद्देश्य से की गई थी:

- इन अकार्यशील राज्य सांख्योड़ 0 की वर्तमान स्थिति, उनकी स्थापना, मानवशक्ति, अभिलेखों/दस्तावेजों की उपलब्धता, लेखाओं की उचित पुस्तकों का रख-रखाव तथा बजटीय सहायता की उपयोगिता
- क्या उनके पास अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था थी तथा उन्होंने सहायक दस्तावेजों के साथ उचित अभिलेखों/अचल परिसंपत्ति पंजी का रख-रखाव किया था
- क्या संबंधित प्रशासनिक विभागों ने उनके पुनरुद्धार के लिए कदम उठाये थे एवं
- पुनरुद्धार/समापन/परिसमापन/सूची से नाम काटने<sup>2</sup> के संबंध में, इन सांख्योड़ 0 की वर्तमान स्थिति।

## 7.3 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मानदंड में शामिल थे :

- कम्पनी अधिनियम, 1956 / 2013
- राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश एवं निर्देश
- बिहार सरकार एवं सांख्योड़ 0 के संबंधित प्रशासनिक विभागों के परिपत्र/आदेश/अभिलेख।

## 7.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा कार्यपद्धति

“बिहार सरकार के उद्योग; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना प्रावैधिकी तथा जल संसाधन विभागों के अंतर्गत अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में परिसंपत्तियों का भौतिक अस्तित्व एवं सुरक्षा” पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा (एस०एस०सी०ए०), 22 अकार्यशील सांख्योड़ 0 के लिए, 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए की गयी थी।

लेखापरीक्षा की कार्यपद्धति में इन सांख्योड़ 0 के साथ-साथ, उनके प्रशासनिक विभागों के अभिलेखों; इन अकार्यशील सांख्योड़ 0 की स्थापना एवं मानवशक्ति के संबंध में भौतिक अस्तित्व; बजटीय सहायता की प्राप्ति एवं उपयोग; उनकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए स्थापित प्रणाली; लेखाओं की पुस्तकों एवं सहायक दस्तावेजों का रखरखाव तथा इन सांख्योड़ 0 के पुनरुद्धार/बंद करने से सम्बंधित नीतिगत निर्णयों की संवीक्षा शामिल थे। कुछ मामलों में, संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी किया गया था।

<sup>2</sup> पुनरुद्धार: नई पूँजी लगाकर किसी कम्पनी की गतिविधियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया।

समापन: किसी कम्पनी के व्यवसाय को न्यायाधिकरण द्वारा अथवा स्वैच्छिक विघटन करने की एक विधिक प्रक्रिया।

परिसमापन: परिसमापन एक कम्पनी के व्यवसाय को बंद करने की प्रक्रिया है जो दिवालिया हो गई है (अपने वित्तीय दायित्वों को पूर्ण नहीं कर सकती है) तथा अपनी परिसम्पत्ति को दावेदारों में वितरित कर रही है।

सूची से नाम काटना: कम्पनी की सभी देनदारियों को समाप्त करने के पश्चात्, समापन की यह प्रक्रिया एक वैकल्पिक तंत्र है जिसमें दो प्रकार यथा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1) एवं धारा 248(2) के अन्तर्गत क्रमशः, आर०ओ०सी० (कम्पनी रजिस्ट्रार) द्वारा सूची से नाम काटना एवं कम्पनी द्वारा स्वसहमति से सूची से नाम काटना, शामिल हैं।

इस एस०एस०सी०ए० में शामिल करने के लिए, 40 अकार्यशील सा०क्षे०उ० में से, 22 का नमूना चयन किया गया था। जिन विभागों में तीन या अधिक अकार्यशील सा०क्षे०उ० हैं तथा जिन कम्पनियों के लेखे 15 वर्षों से अधिक समय से बकाया में हैं, उनका नमूना चयन किया गया था। सा०क्षे०उ०, जिनका सूची से नाम काट<sup>3</sup> दिया गया था, अथवा जो परिसमापन<sup>4</sup> के अधीन थे, अथवा जिसके द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए वाद दायर<sup>5</sup> किए गए थे, अथवा जिनकी संपत्ति<sup>6</sup> ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा बिक्री कर दी गई थी, को शामिल नहीं किया गया था।

संबंधित विभागों के प्रधान/अपर/विशेष/उप सचिव के साथ इस एस०एस०सी०ए० का प्रवेश सम्मेलन 28 जून 2022 (उद्योग विभाग), 11 जुलाई 2022 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग), 01 अगस्त 2022 (जल संसाधन विभाग) एवं 05 अगस्त 2022 (सूचना प्रावैधिकी विभाग) को आयोजित किये गये थे। विभागों के साथ किये गये प्रवेश सम्मेलन में, लेखापरीक्षा उद्देश्य, नमूना चयन, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा के फलस्वरूप लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर विचार विमर्श एवं विभागों के विचार एवं प्रतिक्रियाओं के लिए, 19 जुलाई 2022 (उद्योग विभाग), 08 अगस्त 2022 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग), 02 अगस्त 2022 (जल संसाधन विभाग) एवं 10 अगस्त 2022 (सूचना प्रावैधिकी विभाग) को प्रधान/अपर/विशेष/उप सचिव के साथ निकास सम्मेलन आयोजित किये गये थे।

## 7.5 वित्तीय स्थिति

नमूना चयनित 22 सा०क्षे०उ० की प्रदत्त पूँजी ₹ 42.05 करोड़ थी एवं उनके दीर्घकालिक ऋण ₹ 378.82 करोड़ थे। इन 22 अकार्यशील सा०क्षे०उ० की संचित हानियाँ ₹ 272.35 करोड़ थी। इनमें से, उद्योग विभाग के 13 अकार्यशील सा०क्षे०उ० की प्रदत्त पूँजी ₹ 33.64 करोड़ (80 प्रतिशत), दीर्घकालिक ऋण ₹ 378.82 करोड़ (100 प्रतिशत) तथा संचित हानियाँ ₹ 270.33 करोड़ (99.25 प्रतिशत) थी। इस प्रकार, उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कम्पनियों के पास, निवेश एवं ऋण का प्रमुख अंश था। बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2017–18 से अगस्त 2022 (**परिशिष्ट 7.2**) की अवधि के दौरान, 22 अकार्यशील सा०क्षे०उ० में से पांच को, ₹ 130.03 करोड़ का बजटीय सहायता प्रदान किया था।

## 7.6 लेखापरीक्षा परिणाम

चूंकि राज्य सरकार ने, अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से, इन अकार्यशील सा०क्षे०उ० में से किसी को भी पुनर्जीवित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, अतः, केवल इन अकार्यशील कंपनियों के परिसंपत्तियों का भौतिक अस्तित्व एवं सुरक्षा के संबंध में लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा, अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

<sup>3</sup> बेल्ट्रॉन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड, स्काडा एग्रो बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज कंपनी खगौल लिमिटेड।

<sup>4</sup> बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट फिनिशेड लेदर लिमिटेड, बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कुमारधुबी मेटल कार्सिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड।

<sup>5</sup> बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड।

<sup>6</sup> सिथेटिक रेजिन्स (ईस्टर्न) लिमिटेड।

### 7.6.1 अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की वर्तमान स्थिति

इस तथ्य के बावजूद कि ये साठें अकार्यशील हो गए थे, उनकी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का निपटान अभी तक नहीं किया गया था। अपनी संपत्तियों और देनदारियों को निपटाने की प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु, साठें अकार्यशील के पास एक उचित कार्यालय प्रतिष्ठान के साथ—साथ, न्यूनतम मानवशक्ति का होना आवश्यक था ताकि वैधानिक दायित्वों के अनुपालन के लिए, समापन की प्रक्रिया पूरी होने तक, मूलभूत अभिलेखों, लेखाओं की पुस्तकों का रख—रखाव हो सके तथा उनकी सुरक्षा की जा सके।


हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- 22 नमूना चयनित साठें अकार्यशील में से, 13 का प्रतिष्ठान/परिसर, कम्पनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत पते पर अवस्थित नहीं था। कम्पनी रजिस्ट्रार, पटना के साथ पते को अद्यतन किए बिना, उन्हें या तो उनकी होल्डिंग कंपनियों के मुख्यालयों अथवा उनके प्रशासनिक विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया था (परिशिष्ट 7.3)। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/सूचना के अनुसार, न तो इन साठें अकार्यशील ने कम्पनी रजिस्ट्रार को अपने पते के परिवर्तन के संबंध में सूचित किया था न ही कम्पनी रजिस्ट्रार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि (i) दो साठें अकार्यशील की संपत्ति एवं परिसर बिहार इण्डस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी (बियाडा) को हस्तांतरित किये गये, (ii) छ: साठें अकार्यशील के पंजीकृत पते पर सरकारी/निजी कार्यालय/निजी संपत्तियाँ विद्यमान थी, (iii) पाँच साठें अकार्यशील के संबंध में, कम्पनी रजिस्ट्रार के पंजीकृत पते को ढूँढ़ा नहीं जा सका। संज्ञान में आये कुछ मामलों को चित्र 1 से 3 में दर्शाया गया हैं।



चित्र 1: कम्पनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत, बिहार स्टेट टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड (ललित भवन, बेली रोड, पटना) के कार्यालय के पते पर स्थित, सरकारी कार्यालय



चित्र 2 एवं 3: कम्पनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत, बेल्टॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड एवं बेल्टॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड (उद्योग भवन, गाँधी मैदान, पटना) के पते पर स्थित, सरकारी/निजी कम्पनियों के कार्यालय

- बिहार स्टेट फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं इसकी सभी सात<sup>7</sup> सहायक कंपनियों का कार्यालय एक ही पते, अर्थात् 5वाँ तल, ए0 कॉम्प्लेक्स, मौर्य लोक, पटना पर स्थित था। हालाँकि, कार्यालय भवन जर्जर स्थिति में था, इन कंपनियों के किसी भी कर्मचारी के अभाव में, न तो इसका उपयोग किया जा रहा था और न ही इसका रख-रखाव किया जा रहा था। ऐसे में, कार्यालय परिसर का एक बड़ा क्षेत्र (लगभग 14,000 वर्ग फुट) उपयोग किये जाने की स्थिति में नहीं था। अग्रेतर, स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड, पटना, भी उसी पते अर्थात् सोन भवन कॉम्प्लेक्स, दरोगा प्रसाद राय पथ, पटना-800001 पर स्थित थी, जो कम्पनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत था। शेष 13 साठें साठें 070 को उनकी होलिंडग कम्पनी/कंपनियों के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया था।
- 22 में से, 15 साठें साठें 070 के पास मानवशक्ति नहीं था, जिसके कारण उनके मूलभूत अभिलेखों तथा लेखापुस्तकों को, वैधानिक दायित्वों के अनुपालन के लिए रख-रखाव एवं सुरक्षित नहीं किया जा रहा था। शेष सात साठें साठें 070 में भी न्यूनतम कर्मचारी थे।

### 7.6.2 लेखाओं का रख-रखाव

कम्पनी अधिनियम, 1956 / 2013, की धारा 210 / 129, क्रमशः निर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक कम्पनी को उचित लेखापुस्तकें तैयार करनी है, जिसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाता शामिल होगा, जिसे कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा। इसलिए, इन सभी साठें साठें 070 को उचित लेखापुस्तकों को रखने / के रख-रखाव की आवश्यकता थी तथा इन लेखाओं की प्रत्येक वर्ष में, कम से कम एक बार जाँच की जानी थी। प्रशासनिक विभागों की जिम्मेदारी थी कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करने वाली संस्थाओं की गतिविधियों की देखरेख करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके लेखाओं को निर्धारित अवधि के भीतर अंतिमीकृत किया जाए एवं अंगीकार किया जाए।

हालाँकि, यह देखा गया कि:

- सभी 22 नमूना चयनित अकार्यशील साठें साठें 070 के लेखे बकाया थे, ये बकाया सात वर्ष से लेकर 45 वर्षों तक थे (बकाया लेखाओं का कम्पनी-वार विवरण, परिशिष्ट 7.4 में विस्तृत है)। दो, तीन एवं 15 कंपनियों के लेखे क्रमशः 10 से 20 वर्षों, 20 से 30 वर्षों एवं 30 से 40 वर्षों से बकाये थे।
- इन 22 नमूना चयनित अकार्यशील साठें साठें 070 में से, चार<sup>8</sup> ने, अपनी स्थापना के बाद से अपने प्रथम लेखे भी तैयार नहीं किये थे।
- लेखाओं को तैयार न करने के कारण न्यूनतम स्टाफ का भी न होना, उचित कार्यालय प्रतिष्ठान का न होना तथा संबंधित नियंत्रक प्रशासनिक विभागों द्वारा त्रुटिपूर्ण निगरानी थे।

<sup>7</sup> बिहार ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, बिहार इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, बिहार मेज प्रोडक्ट लिमिटेड, बिहार स्टेट ग्लेज टाइल्स एंड सेरामिक्स लिमिटेड, झंझारपुर पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मगध मिनरल्स लिमिटेड एवं विश्वामित्र पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड।

<sup>8</sup> बिहार स्कूटर्स लिमिटेड, स्काडा एग्रो बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज कम्पनी डेहरी लिमिटेड, स्काडा एग्रो बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज कम्पनी मोहनिया लिमिटेड और स्काडा एग्रो बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज कम्पनी औरंगाबाद लिमिटेड।

अंतिमीकृत लेखाओं के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि क्या इन साठेहोड़ो में किए गए निवेश (₹ 420.87 करोड़) को उचित रूप से लेखाबद्ध किया गया था तथा क्या राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों का उपयोग वांछित उद्देश्यों के लिए किया गया था/किया जा रहा था। लेखाओं को अंतिमीकृत करने में विलम्ब से उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने के अतिरिक्त, सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी एवं रिसाव की आशंका थी।

#### 7.6.3 राज्य सरकार द्वारा प्रदान बजटीय सहायता का उपयोग

राज्य सरकार द्वारा, अंश पूँजी/ऋण/अनुदान अथवा सब्सिडी के रूप में, बजटीय सहायता, इन साठेहोड़ो की वेतन/पेंशन के भुगतान हेतु, देनदारियों के निर्वहन के लिए एक आवश्यकता बन गई थी, क्योंकि सभी नमूना चयनित साठेहोड़ो, 17 से 45 वर्ष तक की अवधि तक, अकार्यशील थे तथा, परिणामतः, राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहे थे।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना, के आदेशों के अनुपालन में, बिहार सरकार ने पाँच अकार्यशील साठेहोड़ो को, अपने कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान के लिये, ऋण एवं अग्रिम के रूप में, बजटीय सहायता प्रदान की थी अर्थात् बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (बी०एस०एच०एच०डी०सी०एल०) को ₹ 56.01 करोड़ (सितम्बर 2021); बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (बी०एस०आई०डी०सी०एल०) को ₹ 20.00 करोड़ (अक्टूबर 2021); बिहार स्टेट टेक्सटाइल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी०एस०टी०सी०एल०) को ₹ 4.25 करोड़ (सितंबर 2021) और बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (बी०एस०एफ०डी०सी०एल०) को ₹ 0.87 करोड़ (अक्टूबर 2017 से मार्च 2020) तथा बिहार स्टेट फार्मस्युटिकल्स एंड केमिकल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी०एस०पी०डी०सी०एल०) को ₹ 46.64 करोड़ (सितम्बर / अक्टूबर 2021)।

22 अकार्यशील साठेहोड़ो में से, 17 के पास वेतन/पेंशन एवं अन्य संबंधित वैधानिक दायित्वों (ई०पी०एफ० आदि) के मद में ₹ 399.08 करोड़ की देनदारियाँ थी। बिहार सरकार ने इन देनदारियों के निष्पादन के लिए पाँच साठेहोड़ो को ₹ 127.77 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की थी, जिसमें से संबंधित कर्मचारियों को ₹ 92.85 करोड़ का भुगतान (अगस्त 2022 तक) किया गया था, जबकि बाकी कर्मचारियों को शेष राशि का भुगतान, प्रक्रियाधीन था (परिशिष्ट 7.5)।

#### 7.6.4 परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था

परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन मुख्य रूप से प्रबंधन की जिम्मेदारी है तथा प्रबंधन द्वारा तय की गई आवधिकता के अनुसार, परिसम्पत्तियों को उचित समय अंतराल पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, संयंत्र एवं मशीनरी, निवेश पंजी तथा अन्य परिसम्पत्तियों इत्यादि के समर्थन में रक्षित अभिलेखों की भी समय—समय पर प्रबंधन द्वारा रख—रखाव/संवीक्षा की जानी चाहिए। 14 साठेहोड़ो के संबंध में, सम्पत्ति अर्थात् भूमि, भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी का विवरण परिशिष्ट 7.6 में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि:

- दो साठेहोड़ो, अर्थात् बिहार स्कूटर्स लिमिटेड तथा बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड के मामले में, इनके कारखानों/परिचालन स्थानों/परिसरों को क्रमशः 2008 एवं अप्रैल 2022 में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) को वापस कर दिया गया था/सुपुर्द कर दिया गया था।

- एक अन्य सांखेतिक अर्थात् बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड के संबंध में, भूमि का मूल्य ₹ 105.79 करोड़ आकलित किया गया था तथा भूमि बियाडा को सुपुर्द (नवम्बर 2021) कर दी गई थी। हालाँकि, बियाडा ने भूमि के लिए भुगतान नहीं किया था (अगस्त 2022 तक)।
- बिहार स्टेट टेक्सटाइल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी०एस०टी०सी०एल०) द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों (आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन: 2012–13) के अनुसार, कम्पनी की उत्पादन इकाइयाँ तीन अलग–अलग स्थानों पर स्थित थीं— यथा रेडीमेड गारमेंट्स, हाजीपुर; इण्डस्ट्रीयल कॉटन यार्न प्रोजेक्ट, पूर्णिया; तथा ओपन–एण्ड स्पिनिंग मिल्स, सीतामढ़ी। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार, कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य ₹ 66.81 लाख था। हालाँकि, इन स्थायी परिसम्पत्तियों के संबंध में, विस्तृत जानकारी, कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थी। कम्पनी प्रबंधन ने अपनी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया था। वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 52 (मार्च 2018) के आलोक में, उद्योग विभाग, बिहार सरकार ने बी०एस०टी०सी०एल० को अपनी सम्पत्ति 'जैसा है जहां है' के आधार पर बियाडा को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया (सितम्बर 2020)। उक्त आदेश के अनुपालन में, बी०एस०टी०सी०एल० द्वारा की गई कार्रवाई, अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।
- 31 मार्च 2022 को, स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड, पटना, तथा उसकी तीन सहायक कम्पनियों के पास, कोई परिसंपत्ति नहीं थी।

चूंकि उपर्युक्त प्रथम चार सांखेतिकों की परिसंपत्तियाँ बियाडा को हस्तांतरित कर दी गई थीं तथा बाद के चार सांखेतिकों के पास कोई परिसम्पत्ति नहीं थी, इसलिए इन सांखेतिकों की परिसम्पत्ति की सुरक्षा के मामले पर चर्चा नहीं की गई है। शेष 14 सांखेतिकों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के संबंध में पायी गई कमियों पर चर्चा, अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

## उधोग विभाग

### 7.6.5 बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (बी०एस०आई०टी०सी०एल०)

बी०एस०आई०टी०सी०एल० की छ.<sup>9</sup> उत्पादन इकाइयाँ थीं। इसके अतिरिक्त, इसकी दो सहायक सांखेतिकों थीं, यथा बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड (बी०पी०एम०एल०) एवं बिहार स्कूटर्स लिमिटेड (बी०एस०एल०)। बी०एस०आई०टी०सी०एल० की स्थापना 1960 में, बिहार राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने, स्थापित करने एवं क्रियान्वित करने हेतु, बिहार सरकार सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री तथा रॉची स्थित हाई-टेंशन इंसुलेटर प्रोजेक्ट के व्यवसाय को, सभी परिसम्पत्तियों, अधिकार विशेषाधिकारों एवं दायित्वों के साथ अधिग्रहण करने एवं नियंत्रण करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कम्पनी वित्तीय वर्ष 2005–06 से पूर्व निष्क्रिय हो गई थी।

बी०एस०आई०टी०सी०एल० द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों<sup>10</sup> (जून 2019) के अनुसार, कम्पनी के पास 322.80 एकड़ भूमि थी, जिसका मूल्य ₹ 1,278.95 करोड़ था, तथा प्लांट एवं मशीनरी थी, जिसका मूल्य ₹ 4.12 करोड़ था (परिशिष्ट 7.6)।

<sup>9</sup> झारखंड में हाई-टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री, इलेक्ट्रिकल इकिवपमेंट फैक्ट्री, बिहार स्टेट सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री, मैलिएबल कास्ट आयरन फाउंड्री फैक्ट्री, स्वर्णरेखा वॉच फैक्ट्री तथा भागलपुर, बिहार में बिहार स्पन सिल्क मिल्स।

<sup>10</sup> बिहार एवं झारखंड सरकार के समिति का मूल्यांकन प्रतिवेदन।

एक कम्पनी के लिए यह आवश्यक है कि अपने स्वामित्व वाली भूमि के मूल अभिलेखों का रख-रखाव करे। हालाँकि, एक सहायक कम्पनी (बी०पी०एम०एल०) एवं तीन उत्पादन इकाइयों<sup>11</sup> की भूमि के मूल अभिलेख, कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं पाए गए। मूल अभिलेखों के अभाव में, इन इकाइयों के अधिग्रहित भूमि के कुल क्षेत्रफल की पहचान नहीं की जा सकी तथा ऐसी भूमि पर अतिक्रमण से इंकार नहीं किया जा सकता था। कम्पनी के पास अपनी परिसम्पत्ति की देखभाल के लिए केवल न्यूनतम कर्मचारी थे। इस प्रकार, कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए, कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

#### 7.6.6 बिहार स्टेट फार्मास्युटिकल्स एंड केमिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी०एस०पी०सी०डी०सी०एल०)

बी०एस०पी०सी०डी०सी०एल० के पास, पटना के मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स के 5वें तल पर स्थित, 14,000 वर्ग फुट क्षेत्र का कार्यालय था। उद्योग विभाग द्वारा सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) को सौंपे गये प्रतिवेदन (मार्च 2022) के अनुसार, इसकी सात सहायक कम्पनियों की सम्पत्ति में, विभिन्न स्थानों पर भूमि, कारखाने एवं गोदाम शामिल थे। प्रस्तुत प्रतिवेदन का विवरण इस प्रकार है:

क्र० सं०	सांक्षेपिता का नाम	भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य पसिम्पत्तियाँ
1.	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	पूर्णिया में 6.84 एकड़ भूमि, इमारतें, लोहे के गोदाम तथा कैंटीन।
2.	मगध मिनरल्स लिमिटेड	बोधगया, बिहार में 10 एकड़ भूमि <sup>12</sup> ।
3.	बिहार मेज़ प्रोडक्ट्स लिमिटेड	पंडौल (मधुबनी) में 18 एकड़ भूमि; गोदाम तथा संयंत्र एवं मशीनरी के साथ, कारखाना भवन।
4.	बिहार स्टेट ग्लेज़ टाईल्स एंड सेरामिक्स लिमिटेड	डुमराँव (बक्सर) में 9.15 एकड़ भूमि; भवन एवं गोदाम।
5.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड	बक्सर में 3.8 एकड़ भूमि; भवन, संयंत्र एवं मशीनरी तथा औषधि इकाई भवन।
6.	झंगारपुर पेपर मिल्स लिमिटेड	झंगारपुर (मधुबनी) में 3.8 एकड़ भूमि; मशीनरी।

बिहार इंग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (बी०एस०पी०सी०डी०सी०एल० की सहायक कम्पनी) की परिसम्पत्ति में 5.5 एकड़ भूमि, भवन एवं गोदाम शामिल थे एवं इन सम्पत्तियों को बियाडा को हस्तांतरित (मार्च 2021 तक) कर दिया गया था।

किसी कम्पनी के स्वामित्व वाली भूमि के संबंध में, यह आवश्यक है कि कम्पनी ऐसी भूमि से संबंधित मूल अभिलेखों यथा भूमि का खाता संख्या, खेसरा संख्या, मौजा, रकबा, स्वत्व अभिलेख आदि अपने पास रखे। हालाँकि, कम्पनी के स्वामित्व वाली भूमि का मूल अभिलेख, कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं पाया गया। इन मूल अभिलेखों के अभाव में, भूमि के कुल क्षेत्रफल की पहचान नहीं की जा सकी एवं ऐसी भूमि पर अतिक्रमण से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। भूमि के अतिरिक्त अन्य परिसम्पत्तियों के संबंध में यह देखा गया कि मानवबल एवं भौतिक सत्यापन के अभाव में, परिसम्पत्तियाँ बिना पर्यवेक्षण/देखभाल के थी जिसपर चोरी/क्षति आदि का खतरा बना हुआ था। इन सम्पत्तियों की स्थिति नीचे दिए गए **चित्र 4 एवं 5** से स्पष्ट है, जो लेखापरीक्षा के दौरान (अगस्त 2022) लिये गये थे :

<sup>11</sup> इलेक्ट्रिकल इविपमेंट फैक्ट्री, बिहार स्टेट सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री तथा बिहार स्पन सिल्क मिल्स।

<sup>12</sup> बियाडा को 15 एकड़ जमीन हस्तांतरित होने के पश्चात्।



**चित्र 4 एवं 5:** बिहार स्टेट फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं इसकी छः सहायक कम्पनियों (पाँचवा तल, मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, पटना) के मुख्यालय की जर्जर स्थिति

### सूचना प्रावैधिकी विभाग

#### 7.6.7 बेल्ट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड, पटना (बी0एम0एस0एल0)

बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी0एस0ई0डी0सी0एल0) का एक सहायक सा0क्षे0उ0, बी0एम0एस0एल0, को खनन से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं यंत्रों के निर्माण, आयात तथा निर्यात के लिए, 1986 में निगमित किया गया था। बी0एम0एस0एल0 का वाणिज्यिक परिचालन 1998 से बंद कर दिया गया था।

बी0एम0एस0एल0 के पास, कांद्रा औद्योगिक क्षेत्र, धनबाद (झारखंड) में स्थित अपने विनिर्माण संयंत्र के लिए, 3.73 एकड़ की पट्टाधारी भूमि थी। पट्टा अनुबन्ध रद्द कर (सितंबर 2008) सम्पत्तियों<sup>13</sup> को बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो, झारखण्ड द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया था। इस रद्दीकरण को माननीय उच्च न्यायालय, राँची, झारखण्ड में चुनौती दी गई (2010) एवं मामला विचाराधीन था। चूँकि सा0क्षे0उ0 की परिसम्पत्तियों को बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने अपने अधिकार में ले लिया था, इसलिए बी0एम0एस0एल0 द्वारा इन परिसम्पत्तियों की सुरक्षा का मुद्दा उत्पन्न ही नहीं हुआ।

#### 7.6.8 बेल्ट्रॉन वीडियो सिस्टम लिमिटेड, पटना (बी0वी0एस0एल0)

बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी0एस0ई0डी0सी0एल0) का एक सहायक सा0क्षे0उ0, बी0वी0एस0एल0, को 1984 में सभी प्रकार के वीडियो संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं उनके कल-पुर्जों के निर्माण, आयात, निर्यात, संयोजन तथा वितरण के लिए स्थापित किया गया था। बी0वी0एस0एल0 का वाणिज्यिक परिचालन 1998 से बंद कर दिया गया था।

बी0वी0एस0एल0 के दो विनिर्माण—सह—संयोजन संयंत्र थे, एक झारखण्ड में तथा एक बिहार में। एक संयंत्र, एक एकड़ पट्टे की भूमि पर, नामकुम (राँची), झारखण्ड में स्थित था। इस भूमि का पट्टा अनुबन्ध झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जियाडा) ने 2012 में रद्द कर दिया था। हालाँकि, बी0वी0एस0एल0 ने इस रद्दीकरण को माननीय उच्च न्यायालय, राँची, झारखण्ड में चुनौती दी थी (अप्रैल 2012) तथा मामला विचाराधीन था। चूँकि सम्पत्तियों को जियाडा ने अपने अधिकार में ले लिया था, इसलिए बी0वी0एस0एल0 द्वारा इन सम्पत्तियों की सुरक्षा का मुद्दा उत्पन्न ही नहीं हुआ।

<sup>13</sup> सभी संरचनाओं सहित पट्टे पर दी गई भूमि।

कम्पनी का एक अन्य संयंत्र औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर (वैशाली), बिहार में 2.61 एकड़ भूमि पर स्थित था। उद्योग विभाग, बिहार सरकार, ने कम्पनी से अनुरोध किया था (अगस्त 2013) कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) की निकास नीति<sup>14</sup> के अन्तर्गत, पट्टाधारी भूमि को, भूमि के पट्टे की शेष अवधि के लिए ₹ 2.17 करोड़ की वापसी योग्य राशि के बदले में, बियाडा को सुपुर्द कर दिया जाए। हालाँकि, भूमि अभी भी कम्पनी के अधिकार में थी (जून 2022 तक)।

निधियों के अभाव एवं मानवबल की कमी के कारण, भंडार तथा स्टॉक सहित कारखाना भवन की स्थिति जर्जर हो गई थी, जैसा कि कम्पनी प्रबंधन के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान (जुलाई 2022) लिए गए **चित्र 6 एवं 7** से स्पष्ट है।



**चित्र 6:** औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर (वैशाली) में बी०वी०एस०एल० के विनिर्माण संयंत्र की छत का गलियारा

**चित्र 7:** औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर (वैशाली) में बी०वी०एस०एल० के विनिर्माण संयंत्र में भंडार/स्टॉक गलियारा

ऊपर दिए गए चित्रों से यह स्पष्ट है कि: (i) संयंत्र की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी (ii) गाद अवशेष तथा भंडार/स्टॉक फर्श पर फैला हुआ था और (iii) भवन किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि को निष्पादित करने की स्थिति में नहीं था।

#### 7.6.9 बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (बी०एस०एफ०डी०सी०एल०)

बी०एस०एफ०डी०सी०एल० को 1975 में वन उपज (मुख्यतः केंद्र पत्तियाँ<sup>15</sup>) का पता लगाने तथा वन उत्पादों से संबंधित उद्योगों को विकसित करने के लिए निगमित किया गया था। “लघु वन उपज (मुख्यतः केंद्र पत्तियाँ)” के संग्रहण, प्रसंस्करण, भण्डारण एवं वितरण जैसी गतिविधियों को निगम से वापस लेने के लिए बिहार सरकार द्वारा एक संकल्प (अक्टूबर 2003) पारित करने के बाद, 2003 से कम्पनी की गतिविधियाँ बंद हो गई थीं।

31 मार्च 2002 को (मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार), बी०एस०एफ०डी०सी०एल० की कुल स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य, जिसमें पट्टाधारी भूमि (₹ 0.05 लाख), गोदाम, संयंत्र एवं मशीनरी तथा वाहन शामिल थे, ₹ 50.09 लाख थी। हालाँकि, 31 मार्च 2016 (वर्ष 2015–16 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन) तक यह घटकर केवल ₹ 1.78 लाख रह गया था तथा समय व्यतीत हो जाने के साथ, रखरखाव न होने के कारण, ये परिसम्पत्तियाँ अप्रचलित हो गई थीं।

<sup>14</sup> बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) ने बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न अकार्यशील कम्पनियों को आवंटित भूखंडों के संबंध में, भूमि के समर्पण तथा पट्टे की शेष राशि की वापसी के लिए एक निकास नीति प्रारम्भ की।

<sup>15</sup> केंद्र के पत्तों का उपयोग “बीड़ी” (पत्ते से लपेटी गई सिगरेट का एक स्वदेशी रूप) लपेटने के लिए किया जाता है।

### 7.6.10 बिहार सॉल्वेंट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (बी०एस०सी०एल०)

बी०एस०सी०एल० को 1979 में, बी०एस०एफ०डी०सी०एल० के सहायक सा०क्षे०उ० के रूप में निगमित किया गया था। मार्च 1996 से, अर्थात् 26 वर्षों से अधिक समय से, इसने अपना परिचालन बंद कर दिया था।

आभिलेखों (आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन: 2002–03) के अनुसार, इसकी स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य ₹ 75.63 लाख था जिसमें मुख्यतः भूमि (₹ 1.75 लाख), भवन (₹ 49.83 लाख) तथा संयंत्र एवं मशीनरी (₹ 20.95 लाख) शामिल थे। इसकी परिसम्पत्तियाँ निष्क्रिय एवं अकार्यशील स्थिति में थीं तथा इसलिए, समय व्यतीत हो जाने के साथ एवं उनका रख-रखाव न होने (अगस्त 2022) के कारण अप्रचलित हो गई थी। अग्रेतर, मानवबल की कमी के कारण, इन परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

### 7.6.11 बिहार स्टेट टैनिन एक्स्ट्रैक्ट लिमिटेड (बी०एस०टी०इ०एल०)

बी०एस०टी०इ०एल० को 1984 में, बी०एस०एफ०डी०सी०एल० के सहायक सा०क्षे०उ० के रूप में, टैनिन के निष्कर्षण के उद्देश्य से, निगमित किया गया था, जिसके लिए लातेहार (झारखण्ड) में एक उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया था। बी०एस०टी०इ०एल० ने 1996 से परिचालन बंद कर दिया था।

प्रतिवेदन (आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन: 2001–02) के अनुसार, इसकी स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य ₹ 1.40 करोड़ था, जिसमें मुख्यतः भूमि (₹ 2.62 लाख), भवन (कारखाना एवं गैर-कारखाना) (₹ 60.62 लाख), संयंत्र एवं मशीनरी (₹ 76.27 लाख) आदि शामिल थे। चूंकि कम्पनी ने 1995–96 (अर्थात् 25 वर्षों से अधिक समय) से काम करना बंद कर दिया था, ये परिसम्पत्तियाँ निष्क्रिय एवं अकार्यशील स्थिति में थीं तथा इसलिए, अप्रचलित हो गई थी (अगस्त 2022)। अग्रेतर, मानवबल की कमी के कारण, इन परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

चूंकि इन अकार्यशील सा०क्षे०उ० की संपत्तियों (भूमि को छोड़कर) का उपयोग लम्बे समय से नहीं हो पाया था, कालांतर में इनका क्षरण होता गया।

यदि इन सा०क्षे०उ० को समय पर बंद कर दिया गया होता, तो इन सा०क्षे०उ० की संपत्तियों का निपटान किया जा सकता था, एवं इनसे प्राप्त धन राशि का उपयोग, इनकी बकाया देनदारियों के निपटान के लिये किया जा सकता था।

## 7.7 अकार्यशील सा०क्षे०उ० का समापन/पुनरुद्धार/परिसमापन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन की स्थिति

सार्वजनिक उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए, न तो इन सा०क्षे०उ०, तथा न ही सरकार के पास, कोई योजना/प्रस्ताव था। इनकी देनदारियाँ चुकाने के बाद, सरकार ने इन 22 अकार्यशील सा०क्षे०उ० को बंद करने का निर्णय लिया था। इन सा०क्षे०उ० के समापन/परिसमापन की वर्तमान स्थिति (अगस्त 2022 तक) पर नीचे चर्चा की गई है।

### उद्योग विभाग

#### 7.7.1 बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (बी०एस०आई०डी०सी०एल०)

झारखण्ड राज्य के गठन (नवम्बर 2000) के उपरांत, बी०एस०आई०डी०सी०एल० की परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों को बिहार तथा झारखण्ड के मध्य विभाजित किया जाना था। दोनों राज्यों ने परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों के मूल्यांकन के लिए तौर-तरीके तैयार कर लिए (मई 2018) थे। तदनुसार, जून 2019, में निगम की परिसम्पत्तियों एवं

देनदारियों का मूल्य ₹ 1,278.95 करोड़ था। हालाँकि, इन परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों को अभी तक दोनों राज्यों के मध्य विभाजित नहीं किया गया था तथा, इस प्रकार, बी0एस0आई0डी0सी0एल0 के समापन की प्रक्रिया लंबित थी (अगस्त 2022)।

#### 7.7.2 बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड (बी0पी0एम0एल0)

बी0पी0एम0एल0 की स्थापना 1977 में, पेपर बोर्ड एवं लुगदी के सभी प्रकार और वर्गों के निर्माण तथा व्यापार के उद्देश्य से की गई थी, जिसमें लिखावट के लिए कागज, अखबारी कागज, रैपिंग कागज, टिशू कागज आदि शामिल थे। हालाँकि, कम्पनी ने इन गतिविधियों को प्रारम्भ नहीं किया था तथा अपनी स्थापना के समय से ही अकार्यशील रही।

वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प 52 (मार्च 2018) के अनुसार, बी0पी0एम0एल0 की परिसम्पत्ति बियाडा को हस्तांतरित की जानी थी तथा देनदारियों के निष्पादन के पश्चात् कम्पनी के समापन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी थी। हालाँकि, यह देखा गया कि बी0पी0एम0एल0 की सम्पत्ति अभी तक बियाडा को सुपुर्द नहीं की गयी थी (अगस्त 2022 तक)। अग्रेतर, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एम0सी0ए0), भारत सरकार के अनुसार, कम्पनी पर बैंक ऑफ इंडिया का ₹ 7.40 करोड़ का शुल्क बकाया था तथा बी0पी0एम0एल0 ने इस शुल्क को चुकाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। इस प्रकार, समापन की प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं की गयी थी (अगस्त 2022 तक)।

#### 7.7.3 बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0एच0एच0डी0सी0एल0)

बिहार में हथकरघा, बिजली चलित करघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों की स्थापना को, प्रोत्साहन देने, सहायता करने अथवा वित्तपोषण करने के उद्देश्य से, बी0एस0एच0एच0डी0सी0एल0 को 1974 में निगमित किया गया था।

कम्पनी ने वित्त वर्ष 1996–97 से अपना परिचालन बंद कर दिया था। इसने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष, स्वैच्छिक समापन के लिए एक याचिका (2016) दायर की थी। हालाँकि, वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 52 (मार्च 2018) के आलोक में, जिसमें विभाग ने कर्मचारियों के वेतन के बकाया के रूप में, कम्पनी की देनदारियों का निपटान करने का निर्णय लिया था, कम्पनी ने अपनी याचिका वापस ले ली (नवम्बर 2018)। उद्योग विभाग, बिहार सरकार ने, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, कम्पनी को ₹ 56.01 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया था तथा कम्पनी ने इस राशि में से बकाया वेतन के लिए ₹ 39.45 करोड़ (मार्च 2022 तक) का भुगतान किया था। चूँकि देनदारियों का भुगतान प्रगति में था, समापन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गयी थी (अगस्त 2022)।

#### 7.7.4 बिहार स्कूटर्स लिमिटेड (बी0एस0एल0)

बी0एस0एल0, बी0एस0आई0डी0सी0एल0 की एक सहायक कम्पनी है, जिसे 1978 में कम्पनी अधिनियम, 1956, के अन्तर्गत निगमित किया गया था। कम्पनी ने बियाडा द्वारा आवंटित पट्टाधारी भूमि पर, फथुहा में एक स्कूटर विनिर्माण इकाई, की स्थापना की थी। हालाँकि, निधियों के अभाव एवं नई तकनीक के आगमन के कारण, वित्त वर्ष 1987–88 के दौरान इसकी उत्पादन गतिविधियाँ बंद हो गई थीं।

बी0एस0एल0 की परिसम्पत्तियाँ ₹ 1.06 करोड़ में बियाडा को हस्तांतरित कर दी गई थीं (2008), जिसका भुगतान अंतिम निपटान के रूप में बियाडा द्वारा कर दिया गया था। हालाँकि, बी0एस0एल0 पर (अगस्त 2022), अपने कर्मचारियों के वेतन/पेंशन के लिए,

₹ 4.82 करोड़ की देनदारी थी। इस प्रकार, कम्पनी की देनदारी को उसकी परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि से समायोजित नहीं किया जा सकता था। इसके कारण, समापन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गयी थी (अगस्त 2022 तक)।

#### 7.7.5 बिहार स्टेट टेक्सटाइल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी०एस०टी०सी०एल०)

बी०एस०टी०सी०एल० की स्थापना 1978 में, कपड़े, धागे एवं अन्य संबंधित/सहायक गतिविधियों से संबंधित व्यवसाय के लिए की गई थी।

भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, उद्योग विभाग ने कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए, बी०एस०टी०सी०एल० को, ऋण के रूप में, ₹ 4.25 करोड़ प्रदान किये (सितम्बर 2021) थे। कम्पनी ने इस उद्देश्य के लिए ₹ 2.16 करोड़ (मार्च 2022 तक) का भुगतान कर दिया था तथा अन्य कर्मचारी संबंधी वैधानिक दायित्वों (ई०पी०एफ० आदि) के निर्वहन के लिए, अपने बैंक खाते में ₹ 2.09 करोड़ रख लिया था। चूंकि देनदारियों के निर्वहन की प्रक्रिया प्रगति में थी, समापन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई थी (अगस्त 2022 तक)।

#### सूचना प्रावैधिकी विभाग

#### 7.7.6 बेल्ट्रॉन वीडियो सिस्टम लिमिटेड, पटना (बी०वी०एस०एल०) एवं बेल्ट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड, पटना (बी०एम०एस०एल०)

बी०वी०एस०एल० तथा बी०एम०एस०एल० पर, अपने कर्मचारियों के वेतन एवं पेशन के बकाया (31 मार्च 2022 तक) से संबंधित भुगतान के लिए, क्रमशः ₹ 13.80 करोड़ एवं ₹ 4.64 करोड़ की बकाया देनदारियाँ थीं। चूंकि इन साठेहजारों की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के विभाजन का मामला न्यायालय में विचाराधीन था, इसलिए बिहार एवं झारखण्ड के विभाजन के 21 वर्ष से अधिक समय के पश्चात् भी, इन दोनों कम्पनियों की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का विभाजन नहीं हुआ था। सूचना प्रावैधिकी विभाग (बिहार सरकार) के सचिव ने, वर्ष 2019 और 2020 के दौरान, कई अवसरों पर, झारखण्ड सरकार से बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000, के प्रावधानों के अन्तर्गत, परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के संबंध में उचित निर्णय लेने का अनुरोध किया था। हालाँकि, अभी तक मामले का समाधान नहीं हुआ था। इस प्रकार, इन साठेहजारों के समापन की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई थी।

#### जल संसाधन विभाग

#### 7.7.7 स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड, पटना (एस०ए०बी०सी०ओ०) तथा इसके तीन सहायक साठेहजारों अर्थात् स्काडा एग्रो बिजनेस एण्ड इंडस्ट्रीज कम्पनी मोहनिया लिमिटेड, स्काडा एग्रो बिजनेस एण्ड इंडस्ट्रीज कम्पनी डेहरी लिमिटेड एवं स्काडा एग्रो बिजनेस एण्ड इंडस्ट्रीज कम्पनी औरंगाबाद लिमिटेड

स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, पटना (एस०ए०बी०सी०ओ०) तथा इसके तीन सहायक साठेहजारों को, कृषि बीज उत्पादन से संबंधित गतिविधियों को संचालित करने के लिए, 1993 में निगमित किया गया था। तत्पश्चात्, इन साठेहजारों को हस्तांतरित की गई कृषि भूमि, राज्य सरकार द्वारा बीज उत्पादन के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु वापस ले ली गई, जिसके कारण इन साठेहजारों की गतिविधियाँ कम हो गई तथा वे अंततः अकार्यशील हो गए।

स्कार्डा की कार्यकारी समिति ने इन सांखेंओं के समापन का निर्णय लिया (अगस्त 2000)। हालाँकि, एस०ए०बी०सी०ओ० के तीन सहायक सांखेंओं का सूची से नाम काटने की प्रक्रिया, जून 2010 से लंबित थी, क्योंकि कम्पनी रजिस्ट्रार ने पाया कि एस०बी०आई०, संभलपुर, ओडिशा एवं ओडिशा राज्य वित्तीय निगम, ओडिशा, को भुगतान के लिए ₹ 2.10 करोड़ (एस०ए०बी०सी०ओ०, मोहनिया), ₹ 2.10 करोड़ (एस०ए०बी०सी०ओ०, डेहरी) तथा ₹ 0.60 करोड़ (एस०ए०बी०सी०ओ०, औरंगाबाद), के ऋण बकाया थे। इस मामले पर, कम्पनी रजिस्ट्रार को जवाब देने (नवम्बर 2019) में, प्रबंधन को लगभग नौ वर्ष लग गए। इस विलम्ब के कारण, मामले का समाधान नहीं हुआ था तथा एस०ए०बी०सी०ओ०, एवं उसके तीन सहायक सांखेंओं की, सूची से नाम काटने की प्रक्रिया, लंबित थी (अगस्त 2019)।

## पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

7.7.8 बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (बी०एस०एफ०डी०सी०एल०).

बिहार सॉल्वेंट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (बी०एस०सी०एल०) एवं बिहार स्टेट टैनिन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड (बी०एस०टी०ई०एल०)

31 मार्च, 2022 तक, बी0एस0एफ0डी0सी0एल0 पर अपने कर्मचारियों के वेतन, पेंशन एवं अन्य परिलक्षियों के बकाए से संबंधित, ₹ 46.87 करोड़ की संचित देनदारी थी। इसी तरह, बी0एस0सी0एल0 एवं बी0एस0टी0ई0एल0 पर 31 मार्च 2022 तक, वेतन, पेंशन एवं अन्य परिलक्षियों से संबंधित, क्रमशः ₹ 6.13 करोड़ और ₹ 3.03 करोड़ की संचित देनदारियाँ थीं।

झारखण्ड राज्य के गठन के उपरांत, इन साठेहोड़ो की परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों को बिहार एवं झारखण्ड के मध्य विभाजित किया जाना था। हालाँकि, बिहार एवं झारखण्ड के मध्य इन साठेहोड़ो की परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों के अविभाजन के कारण, इन साठेहोड़ो के समापन की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई थी (अगस्त 2022)।

अनशंसा :

चूँकि इन अकार्यशील साठेओउ० के निरंतर अस्तित्व में बने रहने से कर्मचारियों एवं स्थापना व्यय के रूप में राजकोष पर व्यापक बोझ पड़ता है, लेखापरीक्षा अनशंसा करती है कि राज्य सरकार :

- (i) चार अकार्यशील साठक्षेत्रों के निरंतरता अथवा समापन के संबंध में, उचित निर्णय ले सकती है।
  - (ii) शेष अकार्यशील साठक्षेत्रों के समापन की प्रक्रिया में शीघ्रता ला सकती है।

अध्याय VIII

अनुपालन लेखापरीक्षा

अवलोकन



## अध्याय VIII: अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों के लेन-देन के नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

### सरकारी कम्पनियाँ पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड

#### 8.1 पटना में स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यान्वयन

प्रारम्भ में स्वीकृत 44 परियोजनाओं की सूची में अव्यवहारिक परियोजनाओं को शामिल किया गया था, जो पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड (पी0एस0सी0एल0) तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बनाए गए योजना का त्रुटिपूर्ण होना दर्शाता है। जिसके परिणामस्वरूप अंततः परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब/अपूर्णता हुई। मिशन के लिए अनुबंध प्रबंधन भी त्रुटिपूर्ण थे, क्योंकि पूर्ण की गई योजनाएँ अपने वांछित उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर पायी। कार्यक्षेत्र को अन्तिम रूप दिए बिना, वेंडर को मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान किया गया। पी0एस0सी0एल0 का वित्तीय प्रबंधन भी दोषपूर्ण था, क्योंकि निधियों का विचलन कर इसका उपयोग अस्वीकृत परियोजनाओं के लिए किया गया था एवं गलत उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए थे।

##### 8.1.1 परिचय

केन्द्र प्रायोजित योजना, स्मार्ट सिटी मिशन (एस0सी0एम0), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ (जून 2015) की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य वैसे शहरों को बढ़ावा देना है जो अपने नागरिकों को मूल आधारभूत संरचना, एक स्वच्छ तथा सतत वातावरण, स्मार्ट समाधानों का अनुप्रयोग (जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से, विभिन्न ऑनलाइन सरकारी सेवाओं सहित) एवं एक गुणवत्तायुक्त जीवन उपलब्ध करवाए। इस मिशन के अन्तर्गत 100 शहरों को शामिल करना था तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि में क्रियान्वित किया जाना था।

स्मार्ट सिटी मिशन के प्रस्तावों को स्वीकृति देने, उनकी प्रगति की निगरानी करने, निधियाँ निर्गत करने एवं मध्यावधि संशोधनों को अनुशंसित करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता में, संबंधित मंत्रालयों और संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए, एक उच्चस्तरीय समिति (ए0सी0) का गठन किया जाना था। राज्य स्तर पर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार परिचालन समिति (एच0पी0एस0सी0) द्वारा मिशन कार्यक्रम को, संपूर्ण रूप से, संचालित करना था।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रति शहर, औसतन, ₹ 100 करोड़ की वित्तीय सहायता (जून 2015) प्रदान की जानी थी। संबंधित राज्य/शहरी स्थानीय निकाय (यू0एल0बी0) द्वारा भी, समान अनुपात में, समान राशि का योगदान किया जाना था।

बिहार राज्य में, स्मार्ट सिटी के रूप में विकास के लिए चार शहरों<sup>1</sup> का चयन किया गया था, जिसमें से, पटना शहर को इस मिशन के लिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत

<sup>1</sup> भागलपुर, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर एवं पटना।

सरकार द्वारा जून 2017 में नामित किया गया था। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, ने पटना में 44 विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की योजना बनाई, जिसके लिए ₹ 2,776.16 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी (अक्टूबर 2017) गई, जैसा कि परिशिष्ट 8.1 में बताया गया है। राज्य में, स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत चयनित परियोजनाओं को पूर्ण करने की समय सीमा, प्रारम्भ में वित्तीय वर्ष 2019–20 तक थी, परन्तु इसे जून 2023 तक बढ़ा दिया गया था।

### 8.1.2 संगठनात्मक संरचना

मिशन के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन, निगरानी तथा मूल्यांकन हेतु मूल्य निरूपण, अनुमोदन, निधियाँ जारी करने की दृष्टि से, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने नवम्बर 2017 में एक विशेष प्रयोजन संस्थान<sup>2</sup> (एस०पी०वी०) पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड (पी०एस०सी०एल०) की स्थापना की।

पी०एस०सी०एल० के निदेशक मंडल में राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सात निदेशक (अध्यक्ष के रूप में, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, के प्रधान सचिव, सहित) शामिल थे। पटना नगर निगम के नगर आयुक्त, पी०एस०सी०एल० के प्रबंध निदेशक (एम०डी०) के रूप में कार्यरत थे। एम०डी०, जिनकी सहायता मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी०ई०ओ०) द्वारा की जाती थी, सभी कार्यकारी मामलों के लिए उत्तरदायी थे, जबकि पी०एस०सी०एल० की दिन-प्रतिदिन की योजना, निष्पादन और प्रबंधन के कार्यों के लिए सी०ई०ओ० उत्तरदायी थे।

### 8.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

- मिशन के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई योजनाओं/कार्यों की जो योजना बनाई गई थी, उन्हें कुशल, मितव्ययी एवं प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया गया
- योजनाओं के अन्तर्गत निधियों के प्रबंधन एवं उपयोग में स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया था तथा
- परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए, पर्याप्त अंतर-विभागीय समन्वय एवं एक प्रभावी निगरानी तथा नियंत्रण तंत्र मौजूद था।

### 8.1.4 लेखापरीक्षा मापदंड

अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए निम्नलिखित लेखापरीक्षा मापदंड थे:

- भारत सरकार द्वारा निर्गत स्मार्ट सिटी मिशन (एस०सी०एम०) दिशानिर्देश;
- नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, द्वारा निर्गत प्रशासनिक आदेश / परिपत्र तथा

### 8.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

इस अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए जनवरी 2022 से फरवरी 2022 तक लेखापरीक्षा की गयी थी, तथा पुनः सितम्बर 2022 में लेखापरीक्षा परिणामों को अद्यतन किया गया था।

<sup>2</sup> विशिष्ट या अस्थायी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए, वैधानिक रूप से बनाई गई इकाई।

इसका मुख्य उद्देश्य मिशन के लिए निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इसकी संकल्पना, योजना एवं कार्यान्वयन के संबंध में, मिशन के कार्यान्वयन का आकलन करना था। अनुपालन लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक की अवधि को शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा कार्यपद्धति में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार तथा पी0एस0सी0एल0 के मुख्यालय में रखे गए स्मार्ट सिटी प्रस्तावों की योजना एवं उनके सापेक्ष परियोजना निष्पादन से संबंधित दस्तावेजों/सूचना की जाँच; लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर; प्रश्नावलियों, प्रपत्रों के माध्यम से सूचना का संग्रह इत्यादि शामिल है।

### 8.1.6 लेखापरीक्षा परिणाम

उपर्युक्त लेखापरीक्षा उद्देश्यों से संबंधित, लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा, अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

### 8.1.7 योजना

स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना था, जो अपने नागरिकों को मूल आधारभूत संरचना, स्मार्ट समाधानों का अनुप्रयोग एवं एक गुणवत्तायुक्त जीवन उपलब्ध करवाए। इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए प्रभावी योजना की आवश्यकता थी। क्रियान्वयन की जाने वाली परियोजनाओं की योजना से संबंधित, विसंगतियों की चर्चा, अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

#### 8.1.7.1 अवास्तविक एवं अव्यवहारिक स्मार्ट सिटी प्रस्ताव

स्मार्ट सिटी मिशन विवरण एवं दिशानिर्देश के खण्ड 6.1 के अनुसार, प्रत्येक शहर को अपने स्थानीय संदर्भ, संसाधनों तथा अभिलाषा के स्तर के अनुसार, स्मार्ट सिटी के लिए अपनी संकल्पना, दृष्टि, मिशन तथा योजना तैयार करनी थी। विवरण एवं दिशानिर्देश के खण्ड 6.3.1 में उल्लिखित है कि शहर—व्यापी अवधारणा योजना एवं स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एस0सी0पी0) निर्मित करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये फर्मों के पैनल में से, राज्य एक सलाहकार फर्म का चयन कर सकते हैं। अग्रेतर, इन दिशानिर्देश के खण्ड 10.6 में उल्लिखित है कि एस0पी0वी0 क्षेत्र आधारित परियोजनाओं के डिजाइन, विकास, प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकारों की नियुक्ति कर सकते हैं।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि :

- एक शहर—व्यापी अवधारणा योजना बनाने के लिए, जिसमें स्मार्ट सिटी मानदंडों/उद्देश्यों/लक्ष्यों पर केन्द्रित समग्र रणनीति के साथ एक शहर स्वच्छता योजना, शहर गतिशीलता योजना तथा मास्टर योजना शामिल होनी थी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम एवं मेसर्स आर्किटेक्नो कंसल्टेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के मध्य, ₹ 28.47 लाख (सेवा कर सहित) का एक एकरारनामा (26 जुलाई 2016) किया गया था। अग्रेतर, अवधारणा योजना नागरिकों के साथ परामर्श पर आधारित होनी थी। यह एकरारनामा 100 दिनों की अवधि के लिए किया गया था। भुगतान अनुसूची के अनुसार, पटना नगर निगम द्वारा शहर—व्यापी अवधारणा योजना (पहला डिलिवरेबल) की स्वीकृति पर अनुबंध राशि का 10 प्रतिशत; प्रारूप स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (दूसरा डिलिवरेबल) की स्वीकृति पर अनुबंध राशि का 50 प्रतिशत एवं अंतिम स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (तीसरा डिलिवरेबल) की स्वीकृति पर अनुबंध राशि का 40 प्रतिशत इसके द्वारा भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सलाहकार ने सितम्बर एवं अक्टूबर 2016 में क्रमशः पहला एवं दूसरा डिलिवरेबल प्रस्तुत किया था। पटना नगर निगम ने पहला डिलिवरेबल स्वीकार कर लिया था एवं सलाहकार को ₹ 2.84 लाख (जनवरी 2017) का भुगतान कर दिया था। हालाँकि, इसने दूसरे डिलिवरेबल में कई कमियाँ<sup>3</sup> पाई (जनवरी 2017) तथा इसलिए, इसने न तो दूसरे डिलिवरेबल के लिए भुगतान किया, न ही अनुबंध की अवधि बढ़ाई।

- पी0एम0सी0 ने अनुमोदन के लिए एस0सी0पी0 को नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को प्रस्तुत किया (मार्च 2017) जिसमें यह दावा किया गया था (मार्च 2017) कि ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से, लगभग 1.98 करोड़ व्यक्तियों तक पहुँच के साथ, व्यापक नागरिक परामर्श के आधार पर, एस0सी0पी0 तैयार किया गया था। हालाँकि, 1.98 करोड़ व्यक्तियों तक पहुँच के संबंध में, दस्तावेजी साक्ष्य, ना तो नगर विकास एवं आवास विभाग के पास ना ही पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास उपलब्ध था।
- नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने, 44 परियोजनाओं वाले पटना स्मार्ट सिटी के लिए एस0सी0पी0, उच्चाधिकार परिचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया (मार्च 2017)। उच्चाधिकार परिचालन समिति की अनुशंसा (मार्च 2017) पर भारत सरकार द्वारा इसे अनुमोदित (जून 2017) किया गया था।
- पी0एस0सी0एल0 ने, खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से, मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में एप्टिसा सर्विसियस डी इंजेनिरिंग, एस0एल0 (एप्टिसा) को नियुक्त (दिसम्बर 2017) किया। अन्य बातों के साथ—साथ कार्य का विषय क्षेत्र परियोजना डिजाईन एवं विकास कार्य निर्धारित करता है, जिसमें परिस्थिति विश्लेषण प्रतिवेदन (एस0ए0आर0), व्यवहार्यता प्रतिवेदन (एफ0आर0) एवं प्रारम्भिक/विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (पी0डी0आर0/डी0पी0आर0) तैयार करना शामिल है। इन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए, जनवरी 2018 से 36 माह के लिए ₹ 21.85 करोड़ में, फर्म के साथ अनुबंध किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- (i) एप्टिसा ने, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित, एस0सी0पी0 की 44 परियोजनाओं/31 परियोजनाओं का एस0ए0आर0/एफ0आर0 निर्मित एवं प्रस्तुत किया था (फरवरी 2018 से नवम्बर 2018)। हालाँकि, फर्म ने मात्र 11 परियोजनाओं के लिए ₹ 2.53 करोड़ का दावा किया (फरवरी 2019 और मार्च 2019) एवं तदनुसार भुगतान किया गया (अप्रैल 2019) था। बाद में, 11 में से तीन<sup>4</sup> परियोजनाओं को पी0एस0सी0एल0 ने छोड़ दिया।
- (ii) तत्पश्चात् पी0एस0सी0एल0 ने कई कमियाँ देखी यथा अपूर्ण परिमाण विपत्र (बी0ओ0क्यू0); विस्तृत डिजाइन, एवं चित्र, एवं अनुमान प्रस्तुत न करना; तथा एप्टिसा द्वारा निर्मित एस0ए0आर0/एफ0आर0/डी0पी0आर0 में लाभार्थी सर्वेक्षण

<sup>3</sup> दस्तावेजों में क्षेत्र आधारित विकास (ए0बी0डी0) योजना, समग्र शहरी (पैन सिटी) योजना तथा वित्तीय योजनाओं के विवरण एवं अभिसरण विवरण शामिल नहीं थे।

<sup>4</sup> स्मार्ट रोड नेटवर्क (स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के कार्यक्षेत्र के बाहर होने के कारण परियोजना को छोड़ दिया गया), रेलवे स्टेशन पुनर्विकास (पहले से भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आम जन को आकर्षित करने के कारण अगस्त 2019 में छोड़ दिया गया) तथा ई-रिक्षा (शहर की बढ़ती जनसंख्या के कारण जनवरी 2021 में छोड़ दिया गया)।

का संचालन नहीं करना। इसलिए, इसने पुनः जाँच की एवं केवल ₹ 0.64 करोड़ का भुगतान स्वीकार किया (जून 2020)। हालाँकि, ₹ 1.89 करोड़<sup>5</sup> की अंतर राशि, फर्म से वसूल नहीं की गई थी (सितम्बर 2022), जिसके परिणामस्वरूप ₹ 42 लाख<sup>6</sup> के ब्याज की हानि हुई। इसलिए, एस0ए0आर0 / एफ0आर0 / डी0पी0आर0 में त्रुटियों पर विचार किए बिना एवं उचित जाँच के बिना भुगतान किया गया था।

अतः, पी0एस0सी0एल0 के उदासीन दृष्टिकोण के कारण, एप्टिसा को ₹ 1.89 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

अग्रेतर, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर0एफ0पी0) के खण्ड 13 एवं 18 के अनुसार, निविदा करने की तिथि पर निविदाकर्ता को किसी भी सरकार/सरकारी बोर्ड/निगम/कम्पनी/सा0क्षे0उ0, द्वारा प्रतिबंधित सूची में नहीं डालना/बहिष्कृत नहीं किया जाना/हटाया नहीं जाना चाहिए। हालाँकि, फर्म ने, अपनी निविदा जमा करते समय (अक्टूबर 2017), जून 2017 में अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ अनुबंध समाप्त होने के तथ्य को छुपाया। पी0एस0सी0एल0 को जुलाई 2020 में इस तथ्य का पता चला तथा फर्म के साथ अनुबंध समाप्त (जुलाई 2020) कर दिया। फर्म द्वारा प्रस्तुत, ₹ 4.58 करोड़ की निष्पादन बैंक गारंटी को नकदीकृत करा लिया गया (जुलाई 2020)। हालाँकि, उस समय तक, पी0एस0सी0एल0 ने एप्टिसा को, इसके द्वारा किये गये कार्यों के लिए ₹ 9.37 करोड़ का भुगतान पूर्व में ही कर दिया था।

- भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा (अगस्त 2022) कि जो परियोजनाएँ जून 2023 तक पूर्ण नहीं की जा सकेगी, उन्हें केन्द्र से निधियाँ प्राप्त नहीं हो सकेगी तथा जून 2023 के पश्चात्, इस मद की समस्त देनदारियों का वहन बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा। अक्टूबर 2022 तक, 44 स्वीकृत परियोजनाओं में 29 (**परिशिष्ट 8.2**) परियोजनाएँ, अन्य एजेंसी द्वारा पूर्व से परियोजनाओं का क्रियान्वयन, भूमि की अनुपलब्धता, छत पर खेती की गैर-आवश्यकता, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में परियोजनाओं द्वारा भारी भीड़ को आकर्षित करने की संभावना इत्यादि कारणों से, अव्यवहारिक पाए जाने के कारण, प्रारम्भ नहीं की जा सकी। अतः, पी0एस0सी0एल0 ने एच0पी0एस0सी0 के अनुमोदन से, इन 29 परियोजनाओं को, जिनकी राशि ₹ 1,816.82 करोड़ थी, छोड़ दिया (नवम्बर 2022), 15 परियोजनाओं की कूल लागत को संशोधित कर ₹ 381.06 करोड़<sup>7</sup> कर दिया, तथा, शहर की आवश्यकता एवं व्यवहार्यता के अनुसार, मिशन के तहत ₹ 548.94 करोड़ (**परिशिष्ट 8.3**) की 14 नई परियोजनाओं को समाहित कर दिया।

<sup>5</sup> इसमें तीन छोड़ी गयी परियोजनाओं, यथा स्मार्ट रोड नेटवर्क (₹ 38.84 लाख) तथा रेलवे स्टेशन पुनर्विकास (₹ 84.27 लाख) तथा ई-रिक्षा (₹ 4.41 लाख), की ₹ 1.28 करोड़ शामिल हैं।

<sup>6</sup> ब्याज की गणना मई 2019 से सितम्बर 2022 तक 6.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से की गई है।

<sup>7</sup> इसमें दो परियोजनाएँ शामिल हैं, यथा, ई-बसें (₹ 10.00 करोड़) एवं जन सेवा केन्द्र (₹ 17.50 करोड़) जिसकी लागतों को संशोधित नहीं किया गया है।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2023) कि शहर एवं आम जन की आवश्यकता के अनुसार, एस०सी०पी० को अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बनाने की दृष्टि से, एस०सी०पी० के प्रस्तावों में संशोधन किया गया है। अग्रेतर, एच०पी०एस०सी० की बैठकों तथा बोर्ड की बैठकों के दौरान भी हितधारकों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे। तदनुसार, शहर की उन्नति के लिए तथा एस०सी०एम० निधि के उपयोग को अनुकूलित करने की दृष्टि से, आवश्यकताओं के अनुसार, परियोजनाओं को मूल एस०सी०पी० में समाहित किया/छोड़ दिया गया था।

प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एस०सी०पी० तैयार करने से पहले, शहर/आम जन की आवश्यकताओं का आकलन किया जाना था तथा संबंधित हितधारकों/विभागों से सुझाव प्राप्त करना था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अवास्तविक एवं अव्यवहारिक एस०सी०पी० बनाने के कारण परियोजनाओं को वापस लिया गया/जोड़ा गया तथा उत्तरवर्ती विलंब हुआ।

#### **8.1.7.2 त्रुटिपूर्ण योजना, जिसके कारण परियोजनाओं का विलम्बित/अपूर्ण क्रियान्वयन हुआ**

परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन एवं बिना विलम्ब के परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उचित तथा पर्याप्त योजना आवश्यक है। विलम्ब होने से बचने के लिए, कार्य आवंटन से पूर्व, उचित सर्वेक्षण, भूमि की उपलब्धता की जाँच, संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श आदि, सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि क्रियान्वयन के तहत चार परियोजनाएँ, पूर्ण होने के अपनी निर्धारित तिथियों से पीछे चल रही थीं, जैसा कि तालिका 8.1.1 में दर्शाया गया है।

#### **तालिका 8.1.1 लम्बित परियोजनाओं की स्थिति (अगस्त 2022 तक)**

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	वहन किया गया व्यय	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	परियोजना की स्थिति
1	स्मार्ट रोड नेटवर्क <sup>8</sup>	मूल लागत : 302.00 / संशोधित लागत : 1.66	0.00	फरवरी 2021	एच०पी०एस०सी० ने कहा (मई 2020) कि इस परियोजना के तहत सड़कों का अच्छी तरह से रख-रखाव पथ निर्माण विभाग (आर०सी०डी०) द्वारा किया गया था, इसलिए, इस परियोजना की उपयोगिता पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। अग्रेतर, परियोजना को निष्पादित करने के लिए आर०सी०डी० द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया तथा इसे समाप्त कर दिया गया। अतः, केवल सड़क के किनारे का सौन्दर्यीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु ₹ 1.66 करोड़ की स्वीकृति (नवम्बर 2022) प्रदान की गई।
2	जन सेवा केन्द्र <sup>9</sup> (जे०एस०के०) (10—पी०एस०सी०एल० तथा 18—बी०एस०बी० सी०सी०एल० <sup>10</sup> )	17.50	7.10	दिसम्बर 2021	28 जन सेवा केन्द्रों में से, पी०एस०सी०एल० ने 10 जन सेवा केन्द्रों का निर्माण किया था तथा बी०एस०बी०सी०सी०एल० ने नौ जन सेवा केन्द्रों का निर्माण किया था। अग्रेतर, दो स्थानों पर कार्य प्रगति पर था तथा, सात स्थानों पर भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था।

<sup>8</sup> इसमें सार्वजनिक उपयोगिताएँ, सड़क निर्माण, भूदृश्य निर्माण तथा स्ट्रीट फर्नीचर की स्थापना, क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था एवं संबंधित कार्य शामिल हैं।

<sup>9</sup> ई-शासन को बढ़ावा देना तथा सरकार से उपभोक्ता सेवाओं के लिए पारदर्शी, त्वरित, निष्पक्ष एवं मितव्ययी तरीके से एक स्थान पर सभी समाधान प्रदान करना।

<sup>10</sup> बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

क्र० सं०	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	वहन किया गया व्यय	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	परियोजना की स्थिति
3	नव प्रवर्तनशील 3डी दीवार पैटिंग <sup>11</sup>	4.94	0.54	अगस्त 2021	12 चयनित सरकारी स्थानों की दीवारों एवं फर्शों पर नव प्रवर्तनशील 3डी दीवार पैटिंग बनाई जानी थी। छ: स्थानों पर नव प्रवर्तनशील 3डी दीवार पैटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका था और शेष छ: स्थानों का कार्य प्रगति पर था।
4	ई-शौचालय <sup>12</sup>	4.34	0.66	दिसम्बर 2021	42 ई-शौचालयों में से, 21 प्रारम्भ हो चुके थे। जबकि शेष 21 स्थानों पर, कार्य प्रगति पर था।
<b>कुल</b>		<b>28.44</b>	<b>8.30</b>		

(चोत : पी0एस0सी0एल0 द्वारा दी गई जानकारी)

**तालिका 8.1.1** से यह देखा जा सकता है कि ये चारों परियोजनाएँ, अपने पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के 15 से 25 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी, अपूर्ण थीं। इसके कारणों में उचित सर्वेक्षण के बिना और संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श किए बिना संवेदकों को कार्य आवंटित करना (जिसके कारण संबंधित विभागों/प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किये जा सके); भूमि की अनुपलब्धता; राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय की कमी इत्यादि शामिल है। अग्रेतर, वित्तीय प्रगति भी न्यून थी, क्योंकि उपलब्ध धनराशि का केवल 29.18 प्रतिशत ही व्यय किया गया था।

प्रबंधन ने, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, जवाब दिया (मार्च 2023) कि संबंधित विभागों और पी0एस0सी0एल0 के मध्य नीति तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में अंतर एवं संबंधित विभागों से, अनापत्ति प्रमाणपत्र की अनुपलब्धता के कारण विलंब हुई।

प्रबंधन का जवाब लेखापरीक्षा परिणाम की पुष्टि करता है।

### 8.1.8 परियोजना क्रियान्वयन

प्रशासनिक रूप से स्वीकृत 44 परियोजनाओं में से, ₹ 1,816.82 करोड़ की राशि की, 29 परियोजनाएँ, छोड़ दी गई तथा ₹ 548.94 करोड़ की राशि की, 14 नई परियोजनाएँ, मिशन में शामिल की गई। नवम्बर 2022 तक, प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय (ए० एण्ड ओ०ई०) सहित, ₹ 980 करोड़ की, 29 परियोजनाएँ, पी0एस0सी0एल0 द्वारा क्रियान्वित की जा रही थी।

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान, पायी गई कमियों की चर्चा, अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

#### 8.1.8.1 त्रुटिपूर्ण योजना के कारण, जन सेवा केन्द्रों के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति न होना

मिशन के सुशासन घटक के अन्तर्गत, जन सेवा केन्द्रों का निर्माण एवं संचालन राजस्व-सहभाजन प्रतिमान पर किया जाना था, जिसमें पी0एस0सी0एल0 द्वारा, लेन देन – आधारित सेवाओं<sup>13</sup> पर शुल्क लिया जाना था तथा संबंधित सेवा प्रदाताओं को मासिक आधार पर भुगतान किया जाना था। इसलिए, पी0एस0सी0एल0 ने इन जन सेवा केन्द्रों

<sup>11</sup> कला तकनीक का उपयोग कर बनाई गई विषय-आधारित मूर्तियाँ एवं दीवार पैटिंग, जो त्रि-आयामी वस्तु या दृश्य का भ्रम पैदा करेंगी।

<sup>12</sup> ई-शौचालय प्रणाली इस्पात से निर्मित एक पूर्व-निर्मित मॉड्यूलर सार्वजनिक शौचालय है तथा यह उपयोगकर्ता के अनुकूल इलेक्ट्रॉनिक इंटरफ़ेस के साथ एकीकृत है।

<sup>13</sup> बिजली शुल्क, संपत्ति कर, शस्त्र लाइसेंस शुल्क, जन्म प्रमाण पत्र, वाहन कर इत्यादि का संग्रह।

के माध्यम से भारत सरकार<sup>14</sup> और बिहार सरकार<sup>15</sup> के 17 बोर्डों/निगमों/विभागों से संबंधित विभिन्न प्रकार की 214 सेवाएँ प्रदान करने की योजना बनाई (सितम्बर 2018)। इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए पी0एस0सी0एल0 को इन विभागों के साथ समझौता ज्ञापनों<sup>16</sup> पर हस्ताक्षर करना था। तदनुसार, पी0एस0सी0एल0 ने 28 जन सेवा केन्द्रों के निर्माण की योजना बनाई, जिसमें से 19 जन सेवा केन्द्रों का निर्माण हो गया था तथा नौ प्रगति में थे (सितम्बर 2022 तक)।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि :

- जैसा की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) में परिकल्पना की गई, जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से, नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाएँ, यथा बिजली शुल्क का संग्रह, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, हथियार लाइसेंस शुल्क का संग्रह, होटल/लॉज लाइसेंस जारी करना, संपत्ति कर का संग्रह इत्यादि, प्रदान किया जाना था। जन सेवा केन्द्रों के अप्रैल 2020 से अप्रैल 2022 तक पूर्ण होने के निर्धारित तिथियों के साथ, जन सेवा केन्द्रों का कार्य, अप्रैल 2019 से जुलाई 2021 के दौरान आवंटित किया गया था। हालाँकि, सितम्बर 2022 तक, ₹ 7.10 करोड़ की लागत से, केवल 19 जन सेवा केन्द्र पूर्ण किए गए थे, जबकि शेष नौ जन सेवा केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति में था।
- जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से परिकल्पित सेवाएँ प्रदान करने के लिए, संबंधित विभागों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया जाना था, तथा एक एजेंसी के साथ अनुबन्ध किया जाना था। हालाँकि, पी0एस0सी0एल0 ने 17 बोर्डों/निगमों/विभागों में से किसी के साथ भी कोई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किये (मार्च 2023) था। अग्रेतर, केवल नौ जन सेवा केन्द्रों के लिए, एक एजेंसी<sup>17</sup> के साथ, सेवाएँ प्रदान करने का अनुबन्ध किया गया था। इस प्रकार, 19 पूर्ण जन सेवा केन्द्रों में से केवल नौ, एक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से जनता को ऑनलाईन सेवाएँ प्रदान कर रहे थे तथा, संबंधित विभागों के साथ किसी भी समझौता ज्ञापन के अभाव में, ये जन सेवा केन्द्र जनता को सभी परिकल्पित 214 सेवाएँ प्रदान नहीं कर सके थे। शेष 10 जन सेवा केन्द्र पूर्ण (अप्रैल 2023 तक) होने के छः महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी, ऐसी सेवाएँ प्रदान नहीं कर रहे थे। यह जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से समय पर सेवाओं की पहुँच प्रदान करने के प्रति पी0एस0सी0एल0 की त्रुटिपूर्ण योजना को दर्शाता है।
- पी0एस0सी0एल0 ने सेवाएँ प्रदान करने के लिए, केवल नौ पूर्ण जन सेवा केन्द्रों के संचालन के लिए, एक एजेंसी के साथ अनुबन्ध (सितम्बर 2021) किया। एजेंसी

<sup>14</sup> भारत संचार निगम लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड ट्रॉज़िम कॉरपोरेशन तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय।

<sup>15</sup> बिहार जल बोर्ड, पटना नगर निगम, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पथ परिवहन प्राधिकरण, श्रम विभाग, बिहार अग्निशमन एवं आपात सेवाएँ, राजस्व सेवाएँ, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार दुग्ध विकास सहकारी संघ, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बैल्ट्रॉन), बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार आरक्षी विभाग, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड तथा विविध विभाग।

<sup>16</sup> उपयुक्त अनुप्रयोग विकसित कर तथा वास्तविक समय के आधार पर डेटाबेस बनाए रखकर, संबंधित विभागों की सेवाओं को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए।

<sup>17</sup> महाबौद्ध जन स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास केन्द्र।

द्वारा प्रति जन सेवा केन्द्र, प्रति माह, एकत्रित सेवा शुल्क से उत्पन्न कुल सकल राजस्व का एक तिहाई तथा ₹ 5,000 का निश्चित किराया दिया जाना था। एजेंसी द्वारा इन जन सेवा केन्द्रों में, प्रदान की गई सेवाओं के लेनदेन पर शुल्क लगाकर, नागरिकों को सरकारी सेवाएँ प्रदान की जानी थी। हालाँकि, संबंधित विभागों के साथ समझौता ज्ञापन के अभाव के कारण, ये सेवाएँ नागरिकों को प्रदान नहीं की जा रही थीं तथा एजेंसी न तो किराया और न ही पी0एस0सी0एल0 के राजस्व के हिस्से का भुगतान कर रही थी।

इस प्रकार, पी0एस0सी0एल0 की त्रुटिपूर्ण योजना के कारण, 19 जन सेवा केन्द्रों के निर्माण पर ₹ 7.10 करोड़ का व्यय करने के बाद भी, जन सेवा केन्द्रों के निर्माण का वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। अग्रेतर, एजेंसी से किराया/अपने राजस्व का हिस्सा वसूलने में भी पी0एस0सी0एल0 विफल रही थी।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2023) कि, 19 जन सेवा केन्द्रों का निर्माण पूर्ण हो चुका था तथा दो स्थानों पर कार्य प्रगति पर था एवं सात स्थानों पर, भूमि की अनुपलब्धता और अन्य मुद्दों के कारण, कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया था। अग्रेतर यह कहा गया कि, प्रारंभिक अवधि के लिए, संचालक द्वारा सामना की जाने वाली आरंभिक कठिनाइयों को देखते हुए, माँग प्रस्तुत नहीं की गई थी। हालाँकि, सभी चलांत परियोजनाओं में राजस्व प्रतिमान का सूत्रपात कर, पी0एस0सी0एल0 स्व-सतत बनने का प्रयास कर रहा था। किराये से आय एवं राजस्व हिस्सेदारी के लिए ₹ 7.14 लाख की राशि के बीजक तैयार किए गए थे तथा जन सेवा केन्द्रों से अर्जित आय के तहत दर्ज किये गये थे।

पी0एस0सी0एल0 के जवाब से यह स्पष्ट है कि, जन सेवा केन्द्रों के निर्माण तथा नागरिकों को जन सेवा केन्द्रों की वांछित सेवाएँ प्रदान करने में अनुचित विलम्ब हुई थी। अग्रेतर, उत्पन्न बीजक के विरुद्ध राशि की वसूली अभी भी की जानी थी।

#### **8.1.8.2 एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र के निर्माण के लिए, मोबिलाइजेशन अग्रिम जारी करने पर, ₹ 11.19 करोड़ की राशि का अवरुद्ध हो जाना**

एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र (आई0सी0सी0सी0) की परिकल्पना शहर के लिए सभी प्रौद्योगिकी पहलों के केन्द्र के रूप में की गई थी। सभी प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, यथा निगरानी कैमरा फीड, ठोस अपशिष्ट संग्रह ऑकड़ा, शहरी उपयोगिता मानचित्र, यातायात ऑकड़े, पार्किंग उपलब्धता, इत्यादि को आई0सी0सी0सी0 में एकीकृत किया जाना था।

शहर में आम जन तथा वाहनों के आवागमन पर निगरानी रखने तथा आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पी0एस0सी0एल0 ने 'एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र-आंकड़ा केन्द्र एवं अन्य एकीकृत स्मार्ट साधनों की आपूर्ति तथा कार्यान्वयन' के लिए एक निविदा (जून 2018) आमंत्रित की। मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (टी0पी0एल0) ने सबसे कम ₹ 458.18 करोड़ की बोली लगाई, जो उपलब्ध धनराशि (₹ 215.90 करोड़) से ₹ 242.28 करोड़ अधिक थी। समझौता वार्ता के बाद, मेसर्स टी0पी0एल0 को अनुबन्ध आवंटित (फरवरी 2019) कर दिया गया। मेसर्स टी0पी0एल0 के साथ, ₹ 313.44 करोड़ की लागत पर, एक अनुबन्ध किया गया (अप्रैल 2019), तथा इसे ₹ 11.19 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम (एम0ए0) दिया गया (अप्रैल 2019)।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि :

(i) पी०एस०सी०एल० ने, एम०ए० जारी करते समय, विस्तृत स्थल सर्वेक्षण प्रतिवेदन, हार्डवेयर परिनियोजन योजना, विस्तृत परियोजना की योजना, सूचना सुरक्षा और संचालन प्रबंधन योजना के कार्य को अंतिम रूप नहीं दिया था। अग्रेतर, एम०ए० जारी करने के बाद, पी०एस०सी०एल० ने कुछ कार्यों को परियोजना के कार्यक्षेत्र में शामिल किया यथा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदनों को पहले से शुरू करना एवं नदी किनारे सी०सी०टी०वी० कैमरा अधिष्ठापन कार्य। हालाँकि, यह क्रियान्वित नहीं हो सका, क्योंकि मेसर्स टी०पी०एल० ने मूल उपकरण निर्माता (ओ०ई०एम०)<sup>18</sup> में बदलाव, मात्रा में कमी तथा कार्यक्षेत्र को अनुकूल करने का अनुरोध (जुलाई 2019) किया।

(ii) मेसर्स टी०पी०एल० के अनुरोध पर पी०एस०सी०एल० सहमत नहीं हुआ तथा परियोजना के क्रियान्वयन पर रोक (सितम्बर 2019) लगा दी। पी०एस०सी०एल० द्वारा परियोजना रोके जाने पर, मेसर्स टी०पी०एल० ने निष्क्रियता शुल्क तथा अन्य निर्धारित शुल्कों के सम्बन्ध में ₹ 23.07 करोड़ का माँग/दावा किया (अक्टूबर 2019)। दावा राशि प्राप्त न होने के बाद, इसके द्वारा अनुबंध को समाप्त करने का नोटिस दिया (फरवरी 2020) गया तथा जब तक कि मामले का निर्णय मध्यस्थ द्वारा नहीं कर दिया जाता, पी०एस०सी०एल० द्वारा कोई प्रतिरोधात्मक कार्रवायी नहीं किए जाने हेतु, माननीय उच्च न्यायालय, पटना, के समक्ष एक याचिका दायर (फरवरी 2020) की। उच्चाधिकार परिचालन समिति की अनुशंसा (मार्च 2020) पर, पी०एस०सी०एल० ने अनुबंध समाप्त (मार्च 2020) कर दिया।

(iii) मामले को मध्यस्थ के पास ले जाया गया तथा आपसी सुलह के माध्यम से पी०एस०सी०एल० एवं मेसर्स टी०पी०एल० के मध्य इसका निपटारा किया (जून 2021) गया। समझौते में, यह निर्णय लिया गया कि पी०एस०सी०एल० मोबिलाइजेशन बैंक गारंटी वापस कर देगा तथा मेसर्स टी०पी०एल० एम०ए० वापस कर देंगे। तदनुसार, मेसर्स टी०पी०एल० ने ₹ 11.19 करोड़ की एम०ए० की राशि पी०एस०सी०एल० को वापस कर (जुलाई 2021) दी।

कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप दिए बिना मोबिलाइजेशन अग्रिम जारी करने से कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.55 करोड़<sup>19</sup> के ब्याज की परिणामी हानि के साथ, 26 महीनों के लिए, ₹ 11.19 करोड़ का एम०ए०, अवरुद्ध हो गया।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2023) कि मेसर्स टी०पी०एल० को दी गई ₹ 11.19 करोड़ की अग्रिम राशि, वसूल कर ली गई है और कोई मुकदमा अस्तित्व में नहीं है। हालाँकि, तथ्य यह है कि कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप दिए बिना एम०ए० प्रदान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 26 माह के लिए ₹ 11.19 करोड़ की राशि का एम०ए० अवरुद्ध रहा तथा पी०एस०सी०एल० को ₹ 1.55 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

#### 8.1.8.3 छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों के इच्छित उद्देश्यों की आंशिक उपलब्धि

पटना नगर निगम क्षेत्र में, विभिन्न सरकारी भवनों के छत पर ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए, पी०एस०सी०एल० तथा बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (ब्रेडा) के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एम०ओ०य०) पर हस्ताक्षर किया (जून 2019) गया। इस कार्य

<sup>18</sup> 'मूल उपकरण निर्माता' वह कम्पनी है जिसकी सामग्रियों का उपयोग किसी अन्य कम्पनी के उत्पादों में घटकों के रूप में किया जाता है।

<sup>19</sup> ब्याज की गणना तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि, 6.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर के आधार पर की गई है।

के क्रियान्वयन के लिए, ब्रेडा, पी०एस०सी०एल० एवं अन्य एजेंसियों<sup>२०</sup> के मध्य, एक त्रिपक्षीय समझौता निष्पादित किया (अगस्त 2019) गया। छत पर ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों के अधिष्ठापन के लिए, ब्रेडा को 42 भवनों की एक सूची प्रदान की गई थी।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि : (i) स्थल सर्वेक्षण के आधार पर, केवल 20 भवनों को अधिष्ठापन के लिए चिह्नित किया गया था (ii) केवल 19 भवनों के छत पर ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों का अधिष्ठापन किया गया था (अगस्त 2022)। (iii) कार्यक्षेत्र के अनुसार, छत पर ग्रिड से जुड़े सभी ऊर्जा संयंत्रों को ग्रिड से जोड़ा जाना था तथा नेट मीटरिंग<sup>२१</sup> की जानी थी। हालाँकि, अधिष्ठापित संयंत्र ग्रिड से नहीं जुड़े थे तथा, इसलिए, नेट मीटर भी अधिष्ठापित नहीं किए गए थे।

छत पर ग्रिड से जुड़े ऊर्जा संयंत्रों को ग्रिड से नहीं जोड़ने तथा नेट मीटरिंग का अधिष्ठापन नहीं करने के परिणामस्वरूप वांछित उद्देश्यों की आंशिक पूर्ति हुई।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2023 की) कि, चूँकि परियोजना सरकारी भवनों के लिए क्रियान्वित की गई थी, इसलिए नेट मीटरिंग प्रदान नहीं की गई थी। हालाँकि, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सुझाव दिया गया, इस परियोजना में राजस्व प्रतिमान का पता लगाने का निर्देश परियोजना डिजाइन प्रबंधन सलाहकार को दिया गया था।

प्रबंधन का जवाब तथ्यों के अनुरूप नहीं था, क्योंकि पी०एस०सी०एल०, ब्रेडा तथा संबंधित एजेंसियों के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के कार्यक्षेत्र में नेट मीटरिंग को शामिल किया गया था।

### 8.1.9 वित्तीय प्रबंधन

बिहार सरकार के संकल्प (अक्टूबर 2017) के अनुसार, पटना स्मार्ट सिटी मिशन के लिए, ₹ 2,776.16 करोड़ की निधियों के अंतर्प्रवाह के लिए, संसाधन योजना, तालिका 8.1.2 में दर्शायी गई है। हालाँकि, अभिसरण और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी०पी०पी०) के माध्यम से संसाधन जुटाने में, पी०एस०सी०एल० की असमर्थता को देखते हुए, स्मार्ट सिटी प्रस्तावों (एस०सी०पी०) में संशोधन किया (नवम्बर 2022) गया तथा इन्हें ₹ 980 करोड़ (₹ 50 करोड़ की ₹ 40 एण्ड ओ०ई० सहित) की 29 परियोजनाओं तक सीमित कर दिया गया, जिसे भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाना था।

#### तालिका 8.1.2 पटना स्मार्ट सिटी मिशन के लिए निधियों के अंतर्प्रवाह की योजना

(₹ करोड़ में)

निधियों का स्रोत	वास्तविक आवंटन	संशोधित आवंटन	वास्तविक प्राप्ति
स्मार्ट सिटी परियोजना निधियाँ (केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य समान रूप से वहन किया जाएगा)	930.00	930.00 (ए० एण्ड ओ०ई० राशि को छोड़कर)	382.50
अभिसरण से निधियाँ	982.31	0.00	-
सी०एस०आर० एवं अन्य संसाधनों से निधियाँ	63.48	-	-
पी०पी०पी० से निधियाँ	800.37	-	-
<b>कुल मिशन निधियाँ</b>	<b>2,776.16</b>	<b>930.00</b>	<b>382.50</b>

<sup>२०</sup> मेसर्स वी०आर०जी० एनर्जी एक्सपर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स ग्रीनसोल रिन्यूएबल पावर प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड, मेसर्स मितल मशीन्स लिमिटेड, मेसर्स लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड तथा मेसर्स एक्सप्रेशन बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड।

<sup>२१</sup> एक तंत्र, जो सौर पैनलों का उपयोग कर स्वयं की बिजली उत्पन्न करने वाले उपयोगकर्ताओं को, अपनी ऊर्जा के आधिक्य को ग्रिड में वापस भेजने की अनुमति देता है।

निधियों का स्रोत	वास्तविक आवंटन	संबंधित आवंटन	वास्तविक प्राप्ति
गृह विभाग, बिहार सरकार	-	-	49.36
अप्रयुक्त मिशन निधियों पर अर्जित ब्याज	-	-	24.02
<b>कुल उपलब्ध निधियाँ</b>			<b>455.88</b>

(स्रोत : पी0एस0सी0एल0 द्वारा दी गई जानकारी)

पी0एस0सी0एल0 ने अगस्त 2022 तक, ₹ 455.88 करोड़<sup>22</sup> की उपलब्ध निधि में से केवल ₹ 132.51 करोड़ (29 प्रतिशत) व्यय किया था, जैसा कि परिशिष्ट 8.4 में वर्णित है। खराब वित्तीय प्रगति के कारण एस0सी0पी0 में बार-बार होने वाले परिवर्तन; कार्यों के आवंटन पश्चात् तथा क्रियान्वयन के दौरान, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन; भूमि की उपलब्धता के बिना कार्य का आवंटन एवं संबंधित विभागों से एन0ओ0सी0 प्राप्त करने में पी0एस0सी0एल0 की विफलता थे।

#### 8.1.9.1 निधियों का वर्द्धित उपयोग

स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों की कंडिका 12.3 में कहा गया है कि संतोषजनक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, जैसा की उपयोगिता प्रमाणपत्र में दर्शाया गया है, के पश्चात्, विशेष प्रयोजन संस्थान (एस0पी0वी0) को निधियों की वार्षिक किस्तें निर्गत की जाएँगी। यह देखा गया कि पी0एस0सी0एल0 ने नगर विकास एवं आवास विभाग को, ₹ 272.30 करोड़ का व्यय दर्शाते हुए, उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत (अगस्त 2022 तक) किया था, जबकि उसी अवधि के लिए, विभिन्न परियोजनाओं पर, पी0एस0सी0एल0 द्वारा किया गया कुल व्यय, मात्र ₹ 158.35 करोड़ (परियोजनाओं पर ₹ 132.51 करोड़ तथा ए0 एण्ड ओ0ई0 पर ₹ 25.84 करोड़) था। इस प्रकार, वास्तविक व्यय एवं विभाग को प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्र के मध्य ₹ 113.95 करोड़ का अन्तर था। चूँकि, पी0एस0सी0एल0 द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र में परियोजना—वार निधियों के उपयोग का विवरण नहीं था, लेखापरीक्षा निधियों का वर्द्धित उपयोग दर्शाते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया जा सका, जो वास्तव में वहन किए गए व्यय बीजक से कहीं अधिक था।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2023) कि अप्रयुक्त निधियों का उपयोग तब किया जाएगा, जब चल रही परियोजनाओं के लिए लम्बित बीजक स्वीकृत हो जाएँगे तथा आगामी उपयोगिता प्रमाणपत्रों में प्रतिबिंबित किये जाएँगे।

#### 8.1.9.2 मधुबनी चित्रकारी से संबंधित कार्य पर निधियों का विचलन

पी0एस0सी0एल0 ने, पटना शहर में, मधुबनी चित्रकारी से संबंधित कार्य के लिए, एक निविदा आमंत्रित (दिसम्बर 2018) की। कार्य का क्षेत्र एक स्वच्छता अभियान था, जिसके अन्तर्गत शहर के मुख्य चौक तथा चौराहों सहित प्रमुख अपशिष्ट संवेदनशील बिदुओं को लक्षित किया जाना था और सौंदर्यपूर्ण नया रूप देने के लिए पुनर्विकास किया जाना था। विभिन्न एजेंसियों को क्रियान्वयन हेतु कार्य का आवंटन किया गया था। पी0एस0सी0एल0 ने, अपने निदेशक मंडल की 10वीं बैठक (अगस्त 2019) में कार्य की समीक्षा की तथा यह संज्ञान किया कि यह कार्य स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के कार्यक्षेत्र से बाहर था एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार की स्वीकृति के बिना शामिल किया

<sup>22</sup> ₹ 382.50 करोड़ + ₹ 49.36 करोड़ + ₹ 24.02 करोड़।

गया था तथा इसलिए, परियोजना का क्रियान्वयन रोक दिया। पी०एस०सी०एल० द्वारा, क्रियान्वयन एजेंसी को, उनके द्वारा निष्पादित कार्यों हेतु, ₹ 12.36 करोड़ का कुल भुगतान (मार्च 2020 तक) किया गया।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, पटना पुराने संग्रहालय एवं पटना नगर निगम के कार्यालय की चारदीवारी पर की गई पेंटिंग की ली गई चित्रों को, **चित्र 1 एवं 2** में दर्शाया गया है।



स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देश के कार्यक्षेत्र से बाहर, एक परियोजना का क्रियान्वयन करने के परिणामस्वरूप, ₹ 12.36 करोड़ के अनियमित व्यय के साथ ही, मिशन निधियों का विचलन हुआ।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2023) कि मधुबनी चित्रकारी का कार्य संबंधित एजेंसी/चित्रकारों द्वारा पूर्ण कर लिया गया था। निदेशक मंडल ने, अपनी 10वीं बैठक में, मधुबनी पेंटिंग के संचालन एवं रख—रखाव से संबंधित प्रस्ताव पर रोक लगा दिया था।

प्रबंधन का जवाब गलत था, क्योंकि निदेशक मंडल ने, योजना दिशानिर्देशों के कार्यक्षेत्र से बाहर पाए जाने के कारण, अपनी बैठक में, परियोजना के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।

#### 8.1.10 निगरानी

स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक स्मार्ट सिटी एस०पी०वी० का नेतृत्व एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी०ई०ओ०) द्वारा करना था। सी०ई०ओ० को तीन वर्ष की निश्चित अवधि के लिए, नगर विकास एवं आवास विभाग की स्वीकृति से नियुक्त किया जाना था। कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए, एस०पी०वी० के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को समीक्षा बैठक आयोजित की जानी थी।

अग्रेतर, पी०एस०सी०एल० ने अपनी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को डिजाइन, विकसित, प्रबंधित और कार्यान्वित करने के लिए, मेसर्स रोडिक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को, 15 माह की अवधि के लिए, परियोजना डिजाइन प्रबंधन सलाहकार (पी०डी०एम०सी०)

के रूप में नियुक्त (फरवरी 2021) किया। अनुबन्ध के अनुसार, पी0डी0एम0सी0 को परामर्श कार्यों के लिए, पाँच प्रमुख पेशेवरों को नियोजित करना था। अनुबन्ध में अग्रेतर निर्दिष्ट किया गया कि, सिवाय इसके कि ‘नियोक्ता’ अन्यथा सहमत हो, कार्मिक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कार्मिक की प्रतिस्थापना केवल सेवानिवृत्ति, मृत्यु एवं चिकित्सा अक्षमता के मामलों में किया जाना था तथा समकक्ष अथवा बेहतर योग्यता वाले व्यक्तियों को, सलाहकार द्वारा प्रतिस्थापन प्रदान करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- एक पूर्णकालिक सी0ई0ओ0 की नियुक्ति फरवरी 2021 में की गई थी।
- यद्यपि समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थीं, इन बैठकों के कार्यवृत्त का रख-रखाव पी0एस0सी0एल0 द्वारा नहीं किया गया था।
- पी0डी0एम0सी0 की नियुक्ति (मार्च 2021) के बाद से ही, अनुबंध प्रबंधक—सह—क्रय विशेषज्ञ का पद रिक्त था। सितम्बर 2022 तक, वास्तुविद—सह—शहरी योजनाकार, निर्माण प्रबंधक तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0) विशेषज्ञ के पद क्रमशः अप्रैल 2021, जून 2021 एवं जनवरी 2022 से रिक्त थे।
- आई0सी0टी0 विशेषज्ञ के मामले में, पी0डी0एम0सी0 द्वारा प्रस्तावित, प्रतिस्थापन की योग्यताएँ, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर0एफ0पी0) में निर्दिष्ट योग्यताओं से अल्पतर थीं। पी0डी0एम0सी0 द्वारा समय—समय पर प्रस्तावित, आई0सी0टी0 विशेषज्ञ की योग्यताएँ, आर0एफ0पी0 में निर्धारित योग्यताओं से मेल नहीं खाती थीं तथा अल्पतर योग्यता वाले व्यक्तियों को नियोजित किया गया था।

इस प्रकार, योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, सी0ई0ओ0 की नियुक्ति तीन वर्ष से अधिक विलम्ब के पश्चात् की गई थी। अग्रेतर, समीक्षा बैठकों के किसी भी कार्यवृत्त के अभाव में, परियोजना की उचित निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, पी0डी0एम0सी0 के प्रमुख पद दीर्घ अवधि तक रिक्त रहे तथा आई0सी0टी0 विशेषज्ञ के पदों पर अल्पतर योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया गया।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2023) कि पी0एस0सी0एल0 ने मेसर्स रोडिक कंसल्टेंट्स को निलंबन का नोटिस दिया (फरवरी 2022) था, जिन्होंने बाद में अतिरिक्त कर्मचारियों को नियोजित किया था एवं कई परियोजनाओं को सुचारू किया था तथा प्रदर्शन में सुधार को ध्यान में रखते हुए, पी0एस0सी0एल0 ने निलंबन रद्द कर दिया (मई 2022) था।

हालाँकि, प्रबंधन ने, सी0ई0ओ0 की विलम्ब से नियुक्ति के संबंध में, कोई जवाब नहीं दिया। अग्रेतर, पी0एस0सी0एल0 द्वारा उचित निगरानी के अभाव एवं फर्म द्वारा, दीर्घ अवधि के लिए, कार्मिकों के अनियोजन से, परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति प्रभावित हुई होगी। प्रबंधन के जवाब से, यह स्पष्ट है कि पी0डी0एम0सी0 अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रही थी, जिसके परिणामस्वरूप पी0एस0सी0एल0 द्वारा इसे निलम्बित कर दिया गया था।

**साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड तथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड**

## 8.2 विचलन के कारण अतिरिक्त शुल्क का भुगतान

बिजली का पूर्वानुमान लगाने एवं सी0ई0आर0सी0 विनियमन 2014, के अनुसार बिजली के आहरण को सीमित करने में विफलता के कारण, वितरण कम्पनियों ने, विचलन के लिए, ₹ 181.13 करोड़ के अतिरिक्त शुल्क का वहन किया।

वाणिज्यिक तंत्र के माध्यम से, ग्रिड अनुशासन और ग्रिड सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से, केन्द्रिय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र एवं सम्बन्धित मामले) विनियमन, 2014, निर्गत (जनवरी 2014) किया गया।

विनियमन 7 (1) जो अन्य बातों के साथ यह निर्दिष्ट करता है कि किसी भी क्रेता द्वारा एक समयावधि<sup>23</sup> में बिजली का अधिक आहरण / कम आहरण, अपने निर्धारित आहरण के 12 प्रतिशत या 150 मेगावाट, दोनों में से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए, जब ग्रिड की आवृति 49.85 हर्ट्ज और अधिक हो तथा 50.05 हर्ट्ज<sup>24</sup> से कम हो। अग्रेतर, विनियमन 7 (3) निर्दिष्ट करता है कि निर्धारित सीमा से विचलन के लिए अतिरिक्त शुल्क, निर्दिष्ट दरों पर, प्रत्येक समयावधि के लिए, निर्दिष्ट वॉल्यूम सीमा से बिजली के अधिक आहरण पर लागू होंगे।

अग्रेतर, केन्द्रिय विद्युत विनियामक आयोग (सी0ई0आर0सी0) ने अपने प्रधान विनियमन के विनियमन 7 के खंड (10) में संशोधन<sup>25</sup> किया, जो अन्य बातों के साथ यह निर्दिष्ट करता है कि “मार्च 2020 तक, किसी भी क्षेत्रीय इकाई (क्रेता या विक्रेता) द्वारा 12 समयावधियों के लिए एक दिशा (सकारात्मक<sup>26</sup> या नकारात्मक<sup>27</sup>) में अनुसूची से निरंतर विचलन की स्थिति में, विचलन निपटान तंत्र (डी0एस0एम0) शुल्क<sup>28</sup> देय या प्राप्य जैसा भी मामला हो, समयावधि के 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लागू होगा। संबंधित खण्ड में कहा गया है कि, अप्रैल 2020 से, उक्त संशोधन के खण्ड 4.5 (बी) में निर्दिष्ट अनुसार, किसी भी क्षेत्रीय इकाई (क्रेता या विक्रेता) द्वारा छ: समयावधियों के लिए एक दिशा (सकारात्मक या नकारात्मक) में अनुसूची से निरंतर विचलन की स्थिति में, तीन प्रतिशत से लेकर समयावधि का 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लागू होगा।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) ने बी0ई0आर0सी0—मल्टी इयर डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ रेगुलेशन, 2018, निर्गत किया (अगस्त 2018) जिसमें यह स्पष्ट किया गया है {रेगुलेशन 20.2(4)} कि विचलन के कारण उच्च दर पर ऊर्जा खरीदने के कारण, वृद्धिशील ऊर्जा खरीद की लागत को, आयोग द्वारा तभी स्वीकृत किया जाएगा, जब यह आयोग की संतुष्टि में तर्कसंगत हो। अग्रेतर, विनियमन 20.2(5) यह स्पष्ट करता है कि

<sup>23</sup> एक समयावधि 15 मिनट के बराबर है।

<sup>24</sup> सी0ई0आर0सी0 (विचलन निपटान तंत्र और सम्बन्धित मामले) (चतुर्थ संशोधन) विनियमन, 2018 (01 जनवरी 2019 से लागू) के अनुसार।

<sup>25</sup> पंचम संशोधन दिनांक 28 मई 2019, 03 जून 2019 से लागू।

<sup>26</sup> आहरण अनुसूची के विरुद्ध अधिक आहरण।

<sup>27</sup> आहरण अनुसूची के विरुद्ध कम आहरण।

<sup>28</sup> डी0एस0एम0 शुल्क ग्रिड संतुलन/तंत्र को बनाए रखने के लिए क्रेता/विक्रेता या उत्पादक/वितरण लाइसेंसधारी दोनों पर लगाया जाने वाला एक शुल्क है।

लाइसेंस धारक के द्वारा, अर्थ दंड देने के कारण, बिजली खरीद की लागत में हुई वृद्धि की, स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

डिस्कॉम्स<sup>29</sup> के अभिलेखों (दिसम्बर 2022) की जाँच से पता चला कि:

- डिस्कॉम्स एवं पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र से परामर्श कर एवं ऊर्जा के सभी स्रोतों अर्थात् केन्द्रीय प्रक्षेत्र आवंटन, दीर्घावधि, मध्यावधि तथा अल्पावधि ऊर्जा खरीद समझौते, द्विपक्षीय तथा सामूहिक लेन देन इत्यादि, को सम्मिलित करते हुए, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, आने वाले दिन प्रबंधन के आधार पर, ऊर्जा के आहरण के लिए, आहरण अनुसूची तैयार करता है। इसलिए, किसी भी तरह के दंडात्मक शुल्क के भुगतान से बचने के लिए, ऊर्जा का आहरण इस तरह से विनियमित किया जाना था जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निर्धारित और वास्तविक ऊर्जा आहरण के बीच हुए विचलन अनुमत्य सीमा के अन्दर रहे। हालाँकि, डिस्कॉम्स अप्रैल 2019 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान, ऊर्जा आहरण का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहे तथा बिजली के आहरण की निर्धारित सीमा से लगातार अधिक विचलन करते रहे, जिसके फलस्वरूप डिस्कॉम्स द्वारा, अतिरिक्त विचलन शुल्क (वॉल्यूम)<sup>30</sup> के रूप में ₹ 105.22 करोड़ (वित्त वर्ष 2019–20 में ₹ 32.08 करोड़<sup>31</sup>, वित्त वर्ष 2020–21 में ₹ 33.56 करोड़<sup>32</sup> एवं वित्त वर्ष 2021–22 में ₹ 39.58 करोड़<sup>33</sup>) का भुगतान करना पड़ा।

इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स अप्रैल 2019 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान, विनियमन के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सीमा के अनुसार, सकारात्मक से नकारात्मक अथवा इसके विपरीत, आहरण<sup>34</sup> के चिह्न (साइन) को बदलने में बार–बार असफल रहे, जिसके कारण अतिरिक्त विचलन शुल्क (साइन)<sup>35</sup> के रूप में ₹ 75.91 करोड़ (वित्त वर्ष 2019–20 में ₹ 5.23 करोड़<sup>36</sup>, वित्त वर्ष 2020–21 में ₹ 21.63 करोड़<sup>37</sup> तथा वित्त वर्ष 2021–22 में ₹ 49.05 करोड़<sup>38</sup>) का वहन किया गया।

- बी0ई0आर0सी0 द्वारा वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए अतिरिक्त विचलन शुल्क (वॉल्यूम) और अतिरिक्त विचलन शुल्क (साइन) के रूप में, ₹ 92.50 करोड़ की

<sup>29</sup> नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) एवं साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0)।

<sup>30</sup> अतिरिक्त विचलन शुल्क (वॉल्यूम) क्रेता पर अनुमत्य सीमा से परे बिजली के कम आहरण/अधिक आहरण के लिए लगाया जाने वाला शुल्क है।

<sup>31</sup> एस0बी0पी0डी0सी0एल0: ₹ 32.08 करोड़ का 55.50 प्रतिशत अर्थात् ₹ 17.80 करोड़; एन0बी0पी0डी0सी0एल0: ₹ 32.08 करोड़ का 44.50 प्रतिशत अर्थात् ₹ 14.28 करोड़।

<sup>32</sup> एस0बी0पी0डी0सी0एल0: ₹ 33.56 करोड़ का 54.99 प्रतिशत अर्थात् ₹ 18.45 करोड़; एन0बी0पी0डी0सी0एल0: ₹ 33.56 करोड़ का 45.01 प्रतिशत अर्थात् ₹ 15.11 करोड़।

<sup>33</sup> एस0बी0पी0डी0सी0एल0: ₹ 39.58 करोड़ का 54.00 प्रतिशत अर्थात् ₹ 21.37 करोड़; एन0बी0पी0डी0सी0एल0: ₹ 39.58 करोड़ का 46.00 प्रतिशत अर्थात् ₹ 18.21 करोड़।

<sup>34</sup> शब्द “आहरण का चिह्न (साइन)” बिजली के आहरण की दिशा को दर्शाता है अर्थात् अधिक आहरण (सकारात्मक) या कम आहरण (नकारात्मक)।

<sup>35</sup> अतिरिक्त विचलन शुल्क (साइन) विनियमन के अन्तर्गत क्रेता पर विनिर्दिष्ट समयावधि में बिजली के आहरण की दिशा को सकारात्मक से नकारात्मक या इसके विपरीत नहीं बदलने के लिए लगाया जाने वाला शुल्क है।

<sup>36</sup> एस0बी0पी0डी0सी0एल0 : ₹ 5.23 करोड़ का 55.50 प्रतिशत अर्थात् ₹ 2.90 करोड़; एन0बी0पी0डी0सी0एल0 : ₹ 5.23 करोड़ का 44.50 प्रतिशत अर्थात् ₹ 2.33 करोड़।

<sup>37</sup> एस0बी0पी0डी0सी0एल0 : ₹ 21.63 करोड़ का 54.99 प्रतिशत अर्थात् ₹ 11.89 करोड़; एन0बी0पी0डी0सी0एल0 : ₹ 21.63 करोड़ का 45.01 प्रतिशत अर्थात् ₹ 9.74 करोड़।

<sup>38</sup> एस0बी0पी0डी0सी0एल0 : ₹ 49.05 करोड़ का 54.00 प्रतिशत अर्थात् ₹ 26.49 करोड़; एन0बी0पी0डी0सी0एल0 : ₹ 49.05 करोड़ का 46.00 प्रतिशत अर्थात् ₹ 22.56 करोड़।

राशि को अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि सी0ई0आर0सी0 (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियमों के अनुसार, निर्दिष्ट सीमा से परे ऊर्जा का अधिक आहरण तथा चिह्न (साइन) में परिवर्तन के उल्लंघन के कारण, उक्त शुल्क का अधिरोपण किया गया था।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, डिस्कॉम्स द्वारा अतिरिक्त विचलन शुल्क (वॉल्यूम और साइन) के रूप में, व्यय किए गए ₹ 88.63 करोड़ की राशि पर, अभी तक बी0ई0आर0सी0 द्वारा विचार नहीं किया गया था।

अतः, डिस्कॉम्स द्वारा बिजली का पूर्वानुमान लगाने एवं सी0ई0आर0सी0 विनियमन, 2014 (पंचम संशोधन) के अन्तर्गत निर्धारित सीमा के अंदर बिजली के आहरण को सीमित रखने में विफलता के कारण, इन्हें विचलन के लिए ₹ 181.13 करोड़ (वॉल्यूम: ₹ 105.22 करोड़ तथा साइन: ₹ 75.91 करोड़) के अतिरिक्त शुल्क का वहन करना पड़ा।

ऊर्जा विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि, अनुमानित माँग का आकलन करते समय, सभी उपभोक्ताओं के अपेक्षित व्यवहार, बिजली की उपलब्धता, प्रणाली / नेटवर्क की उपलब्धता, पूरे राज्य के लिए पूर्वानुमानित मौसम, नेपाल द्वारा अपेक्षित आहरण इत्यादि, को ध्यान में रख गया था। हालाँकि, विभिन्न उपभोक्ता व्यवहार, बिजली / प्रणाली / नेटवर्क उपलब्धता में बदलाव, पूर्वानुमानित मौसम परिस्थितियों में बेमेल और उसके बाद के प्रभाव आदि जैसे विभिन्न कारणों से इनपुट पैरामीटर में बदलाव संभव था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि माँग का पूर्वानुमान लगाते समय उपरोक्त सभी कारकों को ध्यान में रखने के बाद भी, डिस्कॉम्स द्वारा अतिरिक्त विचलन शुल्क का वहन किया गया था। इसके अतिरिक्त, बी0ई0आर0सी0 द्वारा कहा गया था (वित्त वर्ष 2019–20 से 2020–21 के लिए टैरिफ आदेश) कि विचलन के कारण किसी भी अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए, कम आहरण / अधिक आहरण निश्चित रूप से विनिर्दिष्ट सीमा के अन्दर होनी चाहिए।

### बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

#### 8.3 अनुदान की हानि

**पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण, कम्पनी को ₹ 97.54 करोड़ के अनुदान की हानि हुई।**

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा, सभी राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों के ऊर्जा विभागों को, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी0जी0सी0आई0एल0) द्वारा तैयार की गई योजनाओं के अनुरूप, उप–स्टेशनों के लिए, विश्वसनीय संचार प्रणाली<sup>39</sup> स्थापित करने के लिए कहा गया (03 अक्टूबर 2016)। विश्वसनीय संचार प्रणाली के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0), विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्गत (सितम्बर 2014), पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पी0एस0डी0एफ0) दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्मित और प्रसंस्कृत की जानी थी तथा नोडल एजेंसी (नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर) को प्रस्तुत की जानी थी।

<sup>39</sup> ग्रिड प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन तथा नई तकनीकी आवश्यकताओं हेतु ऑकड़ों एवं ध्वनि आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विश्वसनीय संचार प्रणाली, एक वाइडबैंड संचार प्रणाली है।

यह योजना राज्यों द्वारा शुरू की जानी थी, जिसमें 30 प्रतिशत का योगदान पी0एस0डी0एफ0 सहायता से तथा शेष 70 प्रतिशत का योगदान राज्यों द्वारा, अपने संसाधनों से, अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए किया जाना था। हालाँकि, विश्वसनीय संचार प्रणाली, पी0एस0डी0एफ0 दिशानिर्देशों की श्रेणी 5.1 (सी) के अन्तर्गत आती है, जिसमें वित्त पोषण का स्वरूप {पैरा 6.3 (ii)} यह निर्धारित करता है कि पी0एस0डी0एफ0 में निधियों की उपलब्धता के अनुसार, परियोजना लागत प्राक्कलन के लिए अनुदान की मात्रा परियोजना लागत का 90 प्रतिशत होनी थी। डी0पी0आर0 प्रस्तुत करने का दिशानिर्देश यह निर्दिष्ट करता है कि योजना की स्वीकृति के पश्चात् ही कार्य आवंटन पत्र प्रदान किया जाना चाहिए।

ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार द्वारा, इस योजना की सूचना बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) को दी (25 अक्टूबर 2016) गयी थी।

अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2021 और दिसम्बर 2022) से पता चला कि कम्पनी ने, 132 के0वी0 तक के उप-स्टेशनों के लिए, विश्वसनीय संचार एवं आँकड़ा अधिग्रहण प्रणाली हेतु ₹ 195.07 करोड़ की प्राक्कलित राशि की डी0पी0आर0 तैयार (मई 2018) किया। बिहार सरकार द्वारा अंश पूँजी के रूप में, 20 प्रतिशत वित्त पोषण, तथा राज्य सरकार की गारंटी पर, वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से 80 प्रतिशत वित्त पोषण के सुझाव के साथ, प्रस्ताव को ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को भेजा (मई 2018) गया। बिहार सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को अनुमोदित (11 जुलाई 2018) किया गया।

उपरोक्त प्रस्ताव के अनुमोदनोपरांत, कम्पनी ने पी0एस0डी0एफ0 से 50 प्रतिशत<sup>40</sup> अनुदान, अर्थात् ₹ 97.54 करोड़ प्राप्त करने हेतु एक नया प्रस्ताव आरंभ (13 जुलाई 2018) किया। कम्पनी ने इस प्रस्ताव को, इसकी स्वीकृति एवं निधियों के अनुदान हेतु, नोडल एजेंसी को भेजा (सितम्बर 2018)।

इस दौरान, कम्पनी ने राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना के अनुसार निविदा आमंत्रित (अगस्त 2018) की तथा ₹ 124.75 करोड़ (₹ 85.06 करोड़ आपूर्ति के लिए एवं ₹ 39.69 करोड़ सेवाओं के लिए) की लागत पर कार्य आवंटित (जनवरी 2019) कर दिया। 31 मार्च 2023 तक, कम्पनी द्वारा कुल ₹ 103.09 करोड़<sup>41</sup> का व्यय किया गया था। अग्रेतर, कम्पनी द्वारा लिए गए ₹ 82.47 करोड़ (जून 2019 से मार्च 2023 के दौरान) के ऋण पर ₹ 16.56 करोड़<sup>42</sup> के ब्याज की हानि भी वहन करनी पड़ी।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- पी0एस0डी0एफ0 दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना की व्याप्ति एवं वित्त पोषण पी0एस0डी0एफ0 सहायता के अन्तर्गत उपलब्ध थी। हालाँकि, पी0एस0डी0एफ0 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अर्थात् पी0एस0डी0एफ0 के अन्तर्गत योजना के लिए अनुदान की उपलब्धता पर विचार किए बिना, कम्पनी के प्रस्ताव के आधार पर, बिहार सरकार द्वारा अंश पूँजी के रूप में 20 प्रतिशत एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से 80 प्रतिशत वित्त पोषण के साथ योजना की स्वीकृति दी गई।

<sup>40</sup> पी0एस0डी0एफ0 निगरानी समिति द्वारा अनुदान की यह मात्रा, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड आदि को अनुमोदित (मई 2018) की गई थी।

<sup>41</sup> इसमें 20 प्रतिशत अर्थात् ₹ 20.62 करोड़ अंश पूँजी तथा 80 प्रतिशत अर्थात् ₹ 82.47 करोड़ ऋण शामिल है।

<sup>42</sup> ब्याज दर: 7.40 प्रतिशत प्रति वर्ष।

- पी०एस०डी०एफ० दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना की स्वीकृति से पूर्व, आवंटित किए गए कार्यों के लिए पी०एस०डी०एफ० अनुदान नहीं दिया जा सकता है। यद्यपि, कम्पनी ने योजना की स्वीकृति तथा अनुदान के लिए नोडल एजेंसी को एक प्रस्ताव भेजा (सितम्बर 2018) था, लेकिन उसने योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, अंतिम स्वीकृति की प्रतिक्षा किए बिना ही कार्यादेश आवंटित कर दिया। इसके कारण, नोडल एजेंसी ने प्रस्ताव को निधियों के अनुदान के लिए योग्य नहीं पाया (मार्च 2020)।

अतः, पी०एस०डी०एफ० दिशानिर्देशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ₹ 97.54 करोड़ के अनुदान की हानि हुई। अग्रेतर, पी०एस०डी०एफ० से अनुदान न लेने के परिणामस्वरूप, ₹ 82.47 करोड़ के ऋण पर, ₹ 16.56 करोड़ के ब्याज का अनुचित भार भी पड़ा।

प्रबंधन ने, अपने जवाब में कहा (फरवरी 2023) कि, 70 प्रतिशत सापेक्ष वित्त पोषण के अभाव में, बिहार सरकार की एकमात्र उपलब्ध वित्तपोषण सुविधा पर विश्वास किया गया तथा डी०पी०आर० को अनुमोदन हेतु भेजा गया। बिहार सरकार से अनुमोदनोपरांत, कम्पनी ने अनुदान स्वीकृत करने हेतु पी०एस०डी०एफ० समिति से अनुरोध किया गया (अक्टूबर 2018) तथा अनुदान की स्वीकृति की प्रत्याशा में, कार्य के लिए निविदा जारी की गई। निविदा का आवंटन अंतिम चरण में रहने के कारण, कम्पनी ने अनुदान की स्वीकृति हेतु पी०एस०डी०एफ० समिति से पुनः अनुरोध किया (जनवरी 2019)। चूँकि, उस समय तक पी०एस०डी०एफ० से वित्त पोषण की स्थिति स्पष्ट नहीं थी तथा ग्रिड के सुचारू संचालन के लिए कार्य तत्काल शुरू करना आवश्यक था, इसलिए कार्य आवंटन का मुद्दा निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया एवं निदेशक मण्डल द्वारा इसकी अनुमति दी (जनवरी 2019) गई।

प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि शुरूआत में परियोजना लागत का केवल 70 प्रतिशत बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाना था और शेष 30 प्रतिशत पी०एस०डी०एफ० सहायता (अक्टूबर 2016) के तहत उपलब्ध कराया जाना था, और यह तथ्य किसी भी स्तर पर, बिहार सरकार के संज्ञान में नहीं लाया गया, जिसके कारण राजकोष पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ा। अग्रेतर, कम्पनी ने पी०एस०डी०एफ० दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, योजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यादेश आवंटन पत्र निर्गत कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पी०एस०डी०एफ० की नोडल एजेंसी द्वारा अनुदान देने से इनकार कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, न तो यह तथ्य कि योजना<sup>43</sup> की स्वीकृति से पूर्व कार्यादेश का आवंटन होने पर पी०एस०डी०एफ० अनुदान नहीं दिया जा सकता, न ही ग्रिड के सुचारू कामकाज के लिए कार्य की तत्काल आवश्यकता की परिस्थितियों को, कार्यादेश आवंटन की स्वीकृति के समय, निदेशक मण्डल की जानकारी में लाया गया।

<sup>43</sup> डी०पी०आर० प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश।

## बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

### 8.4 परिहार्य व्यय

**कम्पनी द्वारा निविदा के अनियमित रूप से अंतिमीकरण करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.81 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।**

बिहार सरकार का एक उपक्रम, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर सामग्री एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) सेवाओं से संबंधित व्यवसायों में लगी हुई है। कम्पनी सरकार की तकनीकी जरूरतों को पूर्ण करती है तथा राज्य सरकार के विभागों एवं एजेंसियों के लिए आई0टी0 परियोजना की संकल्पना और कार्यान्वयन करती है।

कम्पनी के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2022) से पता चला है कि कम्पनी के लिए एक एकीकृत एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ई0आर0पी0) समाधान हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन के लिए, कम्पनी ने निविदा आमंत्रित (नवम्बर 2017) की थी। प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर0एफ0पी0) के अनुसार, बोलीदाता का चयन गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन (क्यू0सी0बी0एस0) पद्धति<sup>44</sup> के आधार पर किया जाना था। क्यू0सी0बी0एस0 पद्धति को लागू करने के बाद, कम्पनी ने ₹ 7.96 करोड़ की लागत पर, अनुबन्ध का आवंटन मेसर्स 3i इन्फोटेक लिमिटेड को कर दिया (मार्च 2018)।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- आर0एफ0पी0 के खण्ड 7.2.2 (प्रासंगिक सामर्थ्य के लिए तकनीकी योग्यता मानदंड) के अनुसार, बोलीदाताओं को निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व के पाँच वर्षों के दौरान, उन्हें निर्गत किए गए अधिकतम पाँच कार्यादेश प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। चूंकि बोली जमा करने की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2018 थी, इसलिए 25 जनवरी 2013 तक फर्मों को निर्गत किए गए कार्यादेशों को, इस अनुबंध के लिए विचारित किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि मेसर्स 3i इन्फोटेक ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित एक कार्यादेश (एकीकृत कोषागार प्रबंधन प्रणाली) प्रस्तुत किया था, जो 28 मार्च 2012 (निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पाँच वर्ष से अधिक) को निर्गत किया गया था। आर0एफ0पी0 के प्रावधानों के अनुसार, अंक प्रदान करते समय इस कार्यादेश को विचारित नहीं किया जाना था। हालाँकि, मेसर्स 3i इन्फोटेक को 24 अंकों के स्थान पर 30 अंक (प्रत्येक परियोजना के लिए छ: अंक, अधिकतम पाँच परियोजनाओं के लिए) प्रदान किए गए।
- आर0एफ0पी0 में अपनाई गई क्यू0सी0बी0एस0 पद्धति के अनुसार, किसी फर्म को आवंटित तकनीकी अंकों को 100 के तकनीकी स्कोर में परिवर्तित नहीं किया जाना था। हालाँकि, आर0एफ0पी0 का उल्लंघन कर, तकनीकी मूल्यांकन के दौरान, 100 के तकनीकी स्कोर को विचारित कर, मेसर्स 3i इन्फोटेक को अंक (97) प्रदान किए गए।

<sup>44</sup> तकनीकी प्रस्ताव को 70 प्रतिशत भारित (वेटेज) किया जाना था एवं वित्तीय प्रस्ताव को 30 प्रतिशत भारित किया जाना था। सबसे कम बोली वाले प्रस्ताव को 100 का वित्तीय स्कोर दिया जाना था तथा अन्य प्रस्तावों को उनकी बोली के विपरीत अनुपातिक वित्तीय स्कोर दिया जाना था। कुल स्कोर, तकनीकी तथा वित्तीय दोनों, गुणवत्ता एवं लागत स्कोर को मूल्यांकित कर तथा उन्हें जोड़कर प्राप्त किया जाना था।

परिणामस्वरूप, मेसर्स 3i इन्फोटेक एवं मेसर्स सी0एस0एम0 टेक्नोलॉजीस (दूसरी सबसे ऊँची बोली लगाने वाली कम्पनी) को आर0एफ0पी0 के प्रावधानों के अनुसार, आवंटित योग्य क्रमशः 86.88 अंक और 90.20 अंकों (**परिशिष्ट 8.5**) के स्थान पर, कुल 93.18<sup>45</sup> अंक और 92.06<sup>46</sup> अंक आवंटित किए गए। यदि निविदा की तकनीकी बोली का नियमित मूल्यांकन किया जाता, तो बोलियों के समग्र मूल्यांकन में, एल-2 समग्र बोलीदाता, 90.20 अंकों के स्कोर के साथ, एल-1 समग्र बोलीदाता बन जाता। हालाँकि, आर0एफ0पी0 के प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप मेसर्स सी0एस0एम0 टेक्नोलॉजीस<sup>47</sup> के स्थान पर मेसर्स 3i इन्फोटेक को ₹ 1.81 करोड़ (₹ 7.96 करोड़ – ₹ 6.15 करोड़) की उच्च लागत पर अनुबन्ध का आवंटन किया गया, इसके अतिरिक्त निविदा प्रक्रिया को विकृत किया गया।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा अनियमित रूप से निविदा का अंतिमीकरण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.81 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला कम्पनी को प्रतिवेदित (दिसम्बर 2022) किया गया; जवाब प्रतिक्षित (मार्च 2023 तक) था।

### बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

#### 8.5 टीडीएस की वापसी का दावा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप निधियों का अवरुद्ध हो जाना

**कम्पनी द्वारा टीडीएस की वापसी का दावा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप, ₹ 6.33 करोड़ की निधि अवरुद्ध हो गई।**

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 194ए के अनुसार, सावधि जमा पर अर्जित ब्याज आदाता बैंक द्वारा टीडीएस की कटौती (टी0डी0एस0) के अधीन है। आदाता बैंक द्वारा आयकर विभाग को लागू टी0डी0एस0 जमा किया जाता है तथा अधिनियम की धारा 203 के तहत करदाता संगठन को, इस संबंध में एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। करदाता संगठन द्वारा अपना आयकर विवरणी दाखिल कर, टी0डी0एस0 वापसी<sup>48</sup> का दावा प्रस्तुत किया जाता है।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) सरकार के प्रतिनिधि के रूप में खाद्यान्न की खरीद, परिवहन, संग्रहण, भंडारण एवं वितरण का व्यवसाय करती है। कम्पनी के अभिलेखों की जाँच से पता चला (जुलाई 2021 तथा अक्टूबर 2022) कि कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 से, अपना आयकर विवरणी (आई0टी0आर0) दाखिल नहीं किया था। आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 148 के तहत आयकर विभाग से सूचनाएँ (नोटिस) प्राप्त होने पर, सूचनाओं के जवाब स्वरूप कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 (निर्धारण वर्ष 2016–17 से 2018–19) की आई0टी0आर0 दाखिल (फरवरी 2022–जून 2022) कर, टीडीएस वापसी का दावा किया गया। वित्त वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए आई0टी0आर0 अभी तक दाखिल नहीं की गई थी। अग्रेतर, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए आई0टी0आर0 समय पर (मार्च 2022) दाखिल कर दिया गया था।

<sup>45</sup> एल-1 समग्र बोलीदाता।

<sup>46</sup> एल-2 समग्र बोलीदाता।

<sup>47</sup> वित्तीय बोली का मूल्य: ₹ 6.15 करोड़।

<sup>48</sup> आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 139(1), निर्धारित प्रपत्र में पिछले वर्ष के दौरान आय की विवरणी प्रस्तुत करने को निर्देशित करती है।

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2015–16 और 2016–17 हेतु दाखिल विवरणी को प्रसंस्कृत किया (मार्च 2022) तथा निर्धारण आदेश निर्गत किया, जिसमें यह कहा गया कि कराधान हेतु बताए गये आय तथा दावा किए गये व्ययों की यथार्थता, सत्यापित नहीं की जा सकती। तत्पश्चात्, कम्पनी ने इस निर्धारण आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर (अप्रैल 2022) की।

लेखापरीक्षा ने देखा कि, बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखाओं के अनुसार, कम्पनी ने वित्त वर्ष 2016–17 से 2019–20 के दौरान, शुद्ध हानि<sup>49</sup> दर्ज की थी। इसी अवधि के दौरान हानि वहन करने के कारण, कम्पनी का संचय एवं अधिशेष भी वित्त वर्ष 2016–17 के (-) ₹ 752.75 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2019–20 में (-) ₹ 946.70 करोड़ हो गये थे। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर यह देखा कि संबंधित बैंकों द्वारा, वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2019–20 की अवधि के लिए, सावधि जमा/अन्य निधियों एवं बिलों के ब्याज पर, टीडीएस के रूप में, ₹ 6.33 करोड़<sup>50</sup> के राशि की कटौती की गई थी तथा आयकर विभाग के पास जमा की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, वित्त वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक कम्पनी लगातार हानि वहन कर रही थी, अतएव, इसकी आयकर देनदारी ‘शून्य’ थी। ‘शून्य’ आयकर देनदारी की स्थिति में, आयकर विवरणी के माध्यम से, वापसी का दावा प्रस्तुत कर, आयकर विभाग टीडीएस की राशि वापस कर सकता था। हालाँकि, कम्पनी द्वारा उक्त वर्षों के लिए, अपनी आयकर विवरणी समय पर दाखिल नहीं/विलम्ब से दाखिल (अक्टूबर 2022) की गई थी, जबकि अधिनियम की धारा 139(1) के अन्तर्गत यह आवश्यक था।

प्रबंधन ने अपने जवाब में कहा (मई 2022) कि : (i) लेखाओं के अंतिमीकरण में विलम्ब के कारण आयकर विवरणी दाखिल नहीं की जा सकी (ii) कम्पनी को आयकर विभाग द्वारा धारा 148 के अन्तर्गत, सूचना प्राप्त होने के पश्चात्, वित्त वर्ष 2015–16 से 2017–18 (निर्धारण वर्ष 2016–17 से 2018–19) का आयकर विवरणी दायर कर, टीडीएस की वापसी का दावा किया गया था। (iii) अधिनियम की धारा 148 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात्, वित्त वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 (निर्धारण वर्ष 2019–20 तथा 2020–21) के लिए आयकर विवरणी दायर की जाएगी (iv) प्रश्नगत टीडीएस की राशि वापसी के अधीन थी तथा (v) प्रश्नगत उपरोक्त वर्षों के लिए कम्पनी इस मामले के जल्द समाधान तथा टीडीएस की वापसी हेतु प्रयास कर रही थी।

प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना; निर्धारित समय के भीतर, वार्षिक लेखाओं का अंतिमीकरण करना; तथा समय पर आयकर विवरणी दाखिल सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी थी। हालाँकि,

---

<sup>49</sup> 2016–17: ₹ 249.10 करोड़, 2017–18: ₹ 106.26 करोड़, 2018–19: ₹ 33.63 करोड़ और 2019–20: ₹ 54.05 करोड़।

<sup>50</sup> वित्तीय वर्ष 2015–16: ₹ 1.14 करोड़, 2016–17: ₹ 1.80 करोड़, 2017–18: ₹ 1.04 करोड़, 2018–19: ₹ 1.37 करोड़ और 2019–20: ₹ 0.98 करोड़।

कम्पनी समय पर आयकर विवरणी दाखिल सुनिश्चित करने में विफल रही थी, जो कम्पनी के वित्तीय हितों के प्रति ध्यान देने में कमी को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2015–16 से 2017–18 (निर्धारण वर्ष 2016–17 से 2018–19) के लिए दाखिल की गई आयकर विवरणी को अभी तक आयकर विभाग द्वारा अंतिमीकृत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, शेष अवधि के लिए आयकर विवरणी अभी तक दाखिल (अक्टूबर 2022 तक) नहीं की गई थी।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा समय पर टीडीएस की वापसी का दावा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप, ₹ 6.33 करोड़ की निधि अवरुद्ध हो गई।

राज कुमार

(राज कुमार)

पटना

दिनांक : 07 जून 2024

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 21 जून 2024

(गिरीश चन्द्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट



**परिशिष्ट 2.1**  
**(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.2)**  
**विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत न करना**

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	लेखापरीक्षा आयाम	जीएसटीआईएन	अंचल	बेमेल राशि
1.	अतिरिक्त उपभोग की गयी इनपुट टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXXXX1Z2	फारविसगंज	2,03,03,372.57
		10XXXXXXXXXXXX1ZL	पटना विशेष	80,12,594.05
		10XXXXXXXXXXXX1ZC	पटना मध्य	81,70,687.91
		<b>कुल</b>		<b>3,64,86,654.53</b>
2.	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अतिरिक्त उपभोग की गयी इनपुट टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXXXX1ZF	कटिहार	18,92,745.00
		10XXXXXXXXXXXX1ZP	पटना मध्य	20,77,588.02
		10XXXXXXXXXXXX1ZH	पटना मध्य	1,36,92,863.56
		10XXXXXXXXXXXX1ZT	पटना मध्य	40,91,211.78
		10XXXXXXXXXXXX1ZG	पटना मध्य	44,62,871.74
		<b>कुल</b>		<b>2,62,17,280.10</b>
3.	जीएसटीआर-9सी के तालिका-12एफ में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXXXX1ZF	ओरंगाबाद	3,16,23,856.00
		10XXXXXXXXXXXX2Z2	जमुई	1,92,72,172.00
		10XXXXXXXXXXXX1ZA	हाजीपुर	44,64,340.00
		10XXXXXXXXXXXX1ZT	पटना विशेष	1,00,49,331.00
		10XXXXXXXXXXXX1Z1	कटिहार	58,14,982.00
		10XXXXXXXXXXXX2ZI	पटना पश्चिमी	51,74,689.50
		10XXXXXXXXXXXX3Z4	पटना मध्य	46,20,715.00
		10XXXXXXXXXXXX1ZI	फारविसगंज	45,58,712.00
		<b>कुल</b>		<b>8,55,78,797.50</b>
4.	जीएसटीआर-9सी के तालिका-14टी में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXXXX2Z0	पटना सिटी पूर्वी	27,73,26,598.00
		10XXXXXXXXXXXX1ZL	पटना मध्य	4,52,88,897.10
		<b>कुल</b>		<b>32,26,15,495.10</b>
5.	जीएसटीआर-9सी के तालिका-5आर में असमाशोधित आवर्त	10XXXXXXXXXXXX1Z2	कटिहार	10,10,44,949.00
		<b>कुल</b>		<b>10,10,44,949.00</b>
6.	जीएसटीआर-9सी के तालिका-7जी में असमाशोधित आवर्त	10XXXXXXXXXXXX1ZP	बगहा	3,95,41,643.00
		10XXXXXXXXXXXX1ZK	कटिहार	3,01,08,527.22
		10XXXXXXXXXXXX1Z9	कटिहार	2,63,23,837.58
		<b>कुल</b>		<b>9,59,74,007.80</b>
7.	जीएसटीआर-9सी के तालिका-9आर में असमाशोधित कर देयता	10XXXXXXXXXXXX1Z6	जमुई	85,57,640.00
		10XXXXXXXXXXXX1Z6	बेतिया	78,73,410.00
		10XXXXXXXXXXXX1ZK	पटना सिटी पश्चिमी	73,33,550.00
		10XXXXXXXXXXXX1ZT	बगहा	68,26,754.00
		10XXXXXXXXXXXX1Z7	बगहा	67,00,894.00
		10XXXXXXXXXXXX1Z2	भागलपुर	60,31,206.00
		10XXXXXXXXXXXX1Z5	पटना मध्य	37,40,100.00
		10XXXXXXXXXXXX1ZA	सिवान	36,32,861.00
		10XXXXXXXXXXXX1ZC	तेघरा	35,04,316.00
		10XXXXXXXXXXXX1ZC	सहरसा	28,67,060.00
		10XXXXXXXXXXXX1ZD	पटना मध्य	23,55,580.00
		10XXXXXXXXXXXX1ZE	ओरंगाबाद	22,84,750.00
		<b>कुल</b>		<b>6,17,08,121.00</b>

क्र० सं०	लेखापरीक्षा आयाम	जीएसटीआईएन	अंचल	बेमेल राशि
8.	अभुक्त कर देयता	10XXXXXXXXXX2Z0	पटना विशेष	8,07,69,659.00
		10XXXXXXXXXX1ZY	हाजीपुर	11,94,28,766.00
		10XXXXXXXXXX2ZK	गया	1,67,64,306.00
		<b>कुल</b>		<b>21,69,62,731.00</b>
9.	ब्याज का कम भुगतान	10XXXXXXXXXX1ZP	बगहा	42,01,374.00
		10XXXXXXXXXX1ZS	गोपालगंज	28,39,713.00
		10XXXXXXXXXX1Z5	कदमकुआँ	20,82,664.00
		10XXXXXXXXXX2ZA	पटना मध्य	12,63,514.00
		10XXXXXXXXXX1Z1	पटना मध्य	20,39,771.00
		10XXXXXXXXXX1Z2	पटना मध्य	17,45,570.00
		10XXXXXXXXXX1ZU	पटना मध्य	48,37,125.00
		10XXXXXXXXXX1ZF	पटना मध्य	61,42,634.00
		10XXXXXXXXXX1ZK	पटना सिटी पश्चिम	26,39,915.00
		<b>कुल</b>		<b>2,77,92,280.00</b>
10.	बेमेल इनपुट सेवा वितरक / इनपुअ टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXX1ZX	रक्सौल	10,52,632.28
		<b>कुल</b>		<b>10,52,632.28</b>
11.	जीएसटीआर-3बी दायर नहीं किया गया किन्तु जीएसटीआर-1 या जीएसटीआर-2ए उपलब्ध था	10XXXXXXXXXX1ZF	पटना मध्य	16,85,525.26
		10XXXXXXXXXX3ZM	पटना मध्य	2,51,091.94
		10XXXXXXXXXX1ZR	फारविसगंज	2,34,035.08
		10XXXXXXXXXX1ZO	पटना मध्य	1,49,948.00
		10XXXXXXXXXX1ZB	मोतिहारी	16,934.40
		10XXXXXXXXXX2ZD	पटना मध्य	8,926.20
		10XXXXXXXXXX3ZI	भागलपुर	29,11,500.00
		<b>कुल</b>		<b>52,57,960.85</b>
12.	कंपेजिशन करदाताओं ने ई-कॉमर्स सुविधा का उपभोग किया	10XXXXXXXXXX1ZG	बाधा	0.00
		10XXXXXXXXXX1ZO	सितामढी	0.00
		10XXXXXXXXXX1ZA	सितामढी	0.00
		10XXXXXXXXXX1ZB	सितामढी	0.00
		10XXXXXXXXXX1Z6	पटना मध्य	0.00
		<b>कुल</b>		<b>0.00</b>
13.	रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले	10XXXXXXXXXX1ZQ	मोतिहारी	5,837.20
		10XXXXXXXXXX1ZC	मोतिहारी	7,928.48
		<b>कुल</b>		<b>13,765.68</b>

**परिशिष्ट 2.2**  
**(संदर्भ: कॉडिका 2.3.7.3)**  
**केन्द्रीकृत लेखापरीक्षा के परिणाम**

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा आयाम										लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकृत विभाग का जवाब										अनुपालन विचलन									
मामला जहाँ जवाब प्राप्त हुआ					लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकृत विभाग का जवाब					विभाग द्वारा स्वीकृत उन मामलों को सम्मिलित करते हुए जहाँ कर्तवाई प्रारंभ किया जाना है					लेखापरीक्षा को विभाग का जवाब स्वीकृत नहीं (खंडन)					कुल प्रमाणित अधिलेखों के विभाग ने बताया कि वे लेखापरीक्षा पूछा की जांच कर रहे हैं।									
सं0.	राशि	सं0.	राशि	सं0.	राशि	सं0.	राशि	सं0.	राशि	एसएसटीएन-10	जारी की गई एसएसटीएन	सं0.	राशि	सं0.	राशि	सं0.	राशि	सं0.	राशि	सं0.	राशि	सं0.	राशि	सं0.	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
जीएसटीआर-2ए जीएसटीआर-3धी के बीच बेमेल इनपुट टैक्स क्रोडिट	47	84.43	3	5.51	6	13.80	12	23.40	0	0	1	1.37	7	14.49	13	18.27	5	7.60	26	41.73	6	17.07	15	21.38					
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर बेमेल इनपुट टैक्स क्रोडिट	45	15.11	18	6.44	0	0	5	1.18	2	0.55	6	1.44	7	2.50	5	2.36	2	0.43	22	7.28	9	3.08	5	2.37					
विना भुगतान के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर बेमेल इनपुट टैक्स क्रोडिट	18	2.53	9	1.23	0	0	2	0.27	0	0	4	0.57	3	0.46	0	0	0	0	7	1.03	3	0.42	0	0					
जीएसटीआर-9सी के तालिका-12एफ में असमांशोधित इनपुट टैक्स क्रोडिट	17	16.03	2	1.48	4	2.46	6	6.10	0	0	3	2.61	0	0	2	3.39	0	0	5	6	1	0.45	2	4.58					
जीएसटीआर-9सी के तालिका-14टी में असमांशोधित इनपुट टैक्स क्रोडिट	23	317.4	0	0	0	0	23	317.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
जीएसटीआर-9सी के तालिका-5आर में असमांशोधित आवर्त जीएसटीआर-9सी के तालिका-जी में असमांशोधित कर योग्य आवर्त	49	6,832.02	74,850.84	4	97.61	12	236.38	0	0	10	390.16	9	123.10	7	1,133.93	0	0	26	1,647.19	6	59.61	7	1,133.93						
जीएसटीआर-9सी के तालिका-5आर में असमांशोधित आवर्त जीएसटीआर-9सी के तालिका-जी में असमांशोधित कर योग्य आवर्त	31	386.04	0	0	0	5	91.31	1	2.73	11	81.73	7	41.84	7	168.43	0	0	26	294.73	5	88.32	7	168.42						

( ₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा आयाम	मामला जहाँ जबाब प्राप्त हुआ	लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकृत विभाग का जवाब										अनुपालन विवलन										विभाग ने बताया कि वे लेखापरीक्षा पृक्षा की जाँच कर रहे हैं।				
		देता प्रविष्टी क्रूटि					पृक्षा से पहले किया गया कार्रवाई					अन्य मार्य स्पष्टीकरण					विभाग द्वारा स्वीकृत उन मामलों को समीक्षित करते हुए जहाँ कार्रवाई प्रारंभ किया जाना है					तेखापरीक्षा को विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं (खंडन)				
		सं0.	राशि	सं0.	राशि	सं0.	राशि	क्रोड में)	सं0.	राशि	सं0.	राशि	सं0.	राशि	सं0.	राशि	सं0.	राशि	सं0.	राशि	सं0.	राशि	सं0.	राशि	सं0.	राशि
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>		
जीएसटीआर-9सी के तालिका-9आर में असमांशोधित कर देयता	38	22.88	1	1.13	14	10.84	4	1.78	1	0.36	4	1.31	7	3.88	7	3.35	0	0	19	8.90	5	2.43	5	2.14		
इनपुट सेवा वितरक क्रोडेट का गलत उपयोग	24	3.42	5	0.51	1	0.11	4	0.37	0	0	3	0.31	7	1.41	3	0.61	1	0.09	14	2.43	2	0.14	2	0.17		
विलब्ब कुगतान के लिए व्याज का कुगतान नहीं किया गया	16	3.96	0	0	0	0	3	1.21	6	1.18	0	0	3	0.81	3	0.57	1	0.20	13	2.76	0	0	0	0.57		
अमुत कर देयता	22	141.78	3	15.03	0	0	5	24.98	1	1.93	0	0	6	83.90	7	15.94	0	0	14	101.77	1	3.41	3	6.97		
जीएसटीआर-3सी दरयर नहीं किया गया जबकि जीएसटीआर-1 या 2ए उपलब्ब था	17	1.07	0	0	0	0	5	0.17	0	0	2	0.13	7	0.20	1	0.54	2	0.04	12	0.91	4	0.18	1	0.53		
कम्पोजीसन करदाताओं ने इ-वाणिज्य सुविधा का लाभ उठाया	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
इनपुट सेवा वितरक सिर्फ	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
स्टर्ट दाखिल नहीं करने वाले	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>कुल</b>	<b>361</b>	<b>7,826.67</b>	<b>48</b>	<b>4,882.17</b>	<b>29</b>	<b>124.82</b>	<b>100</b>	<b>704.55</b>	<b>11</b>	<b>6.75</b>	<b>44</b>	<b>479.63</b>	<b>63</b>	<b>272.59</b>	<b>55</b>	<b>1,347.39</b>	<b>11</b>	<b>8.36</b>	<b>184</b>	<b>2,114.73</b>	<b>42</b>	<b>175.11</b>	<b>50</b>	<b>1,341.06</b>		

## परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: कांडिका 2.3.7.3 (क) (ii))

जीएसटीआर–2ए और जीएसटीआर–3बी के बीच बोगल इनपुट टैक्स क्रेडिट

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	अंचल का नाम	जीएसटीआर–3बी का तालिका–4ए(5)	जीएसटीआर–3बी का	जीएसटीआर–9 तालिका–4बी(2)	उपभोग किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट	जीएसटीआर–2ए में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अत्यधिक दावा	(राशि ₹ में)
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9 (7-8)	
1	10XXXXXXXXXXXX1ZM	पटना दक्षिणी	5,95,09,691.51	0.00	17,46,306.00	6,12,55,997.51	5,39,84,247.97	72,71,749.54	
2	10XXXXXXXXXXXX2ZU	गाँधी ऐदान	1,23,24,976.96	0.00	0.00	1,23,24,976.96	12,57,032.17	1,10,67,944.79	
3	10XXXXXXXXXXXX1ZJ	पाटलिपुत्र	65,94,50,021.00	1,30,46,980.00	1,44,62,824.81	66,08,65,865.81	65,24,30,562.16	84,35,303.65	
4	10XXXXXXXXXXXX1ZP	पटना विशेष	30,18,57,922.00	0.00	2,73,51,362.31	32,92,09,284.31	31,69,58,447.75	1,22,50,836.56	
5	10XXXXXXXXXXXX1Z3	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	4,02,27,742.28	0.00	4,62,62,952.26	8,64,90,694.54	4,61,94,462.65	4,02,96,231.89	
6	10XXXXXXXXXXXX1ZX	सिवान	3,95,83,085.73	16,886.80	0.00	3,95,66,198.93	2,58,84,017.29	1,36,82,181.64	
7	10XXXXXXXXXXXX1Z4	पटना विशेष	1,67,66,08,385.00	9,05,091.00	3,49,80,224.18	1,71,06,83,518.18	1,70,14,59,555.60	92,23,962.58	
8	10XXXXXXXXXXXX1ZE	बक्सर	82,95,345.62	0.00	80,42,377.93	1,63,37,723.55	80,42,377.88	82,95,345.67	
9	10XXXXXXXXXXXX1ZF	पटना दक्षिणी	4,91,73,955.47	0.00	15,91,088.50	5,07,65,043.97	4,30,67,563.48	76,97,480.49	
10	10XXXXXXXXXXXX1ZC	पटना विशेष	97,70,78,621.00	0.00	9,51,09,425.36	1,07,21,88,046.36	1,05,66,40,733.93	1,55,47,312.43	
11	10XXXXXXXXXXXX1ZV	सासाराम	73,41,788.35	0.00	38,44,999.39	1,11,86,787.74	38,74,026.25	73,12,761.49	
12	10XXXXXXXXXXXX1ZA	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	1,13,35,463.00	0.00	0.00	1,13,35,463.00	0.00	1,13,35,463.00	
13	10XXXXXXXXXXXX2Z2	पटना सिरी पूर्वी	47,09,20,291.46	0.00	71,89,357.98	47,81,09,649.44	46,97,97,941.44	83,11,708.00	
14	10XXXXXXXXXXXX1ZP	पाटलिपुत्र	2,72,45,762.00	0.00	0.00	2,72,45,762.00	1,40,14,723.75	1,32,31,038.25	
15	10XXXXXXXXXXXX1ZW	पाटलिपुत्र	2,23,06,662.00	23,10,760.00	1,19,685.00	2,01,15,587.00	1,19,15,943.60	81,99,643.40	
16	10XXXXXXXXXXXX1Z4	पटना विशेष	8,39,56,455.63	21,03,029.00	0.00	8,18,53,426.63	7,05,09,974.33	1,13,43,452.30	
17	10XXXXXXXXXXXX2ZQ	पटना दक्षिणी	1,10,10,446.37	2,18,220.72	0.00	1,07,92,225.65	31,75,651.11	76,16,574.54	

क्र0 स0	जीएसटीआईएन	अंचल का नाम	जीएसटीआर-3वी का तालिका-4ए(5)	जीएसटीआर-3वी का तालिका-4बी(2)	जीएसटीआर-9 का	उपमोग किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट	जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अत्यधिक दावा
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9 (7-8)
18	10XXXXXXXXXXXXXX1Z/E	बाढ़	2,63,82,866.24	0.00	0.00	2,63,82,866.24	1,88,60,084.21	75,22,782.03
19	10XXXXXXXXXXXXXX1ZN	पटना विशेष	42,01,96,506.00	0.00	38,70,743.00	42,40,67,249.00	41,62,59,022.18	78,08,226.82
20	10XXXXXXXXXXXXXX1Z/L	पटना विशेष	1,52,39,33,750.00	7,53,453.00	0.00	1,52,31,80,297.00	1,47,94,61,877.31	4,37,18,419.69
21	10XXXXXXXXXXXXXX1Z/7	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	29,67,03,228.94	0.00	0.00	29,67,03,228.94	28,82,08,133.33	84,95,095.61
22	10XXXXXXXXXXXXXX1Z/M	मोतिहारी	7,32,54,152.55	0.00	0.00	7,32,54,152.55	1,30,24,329.19	6,02,29,823.36
23	10XXXXXXXXXXXXXX1Z/9	पटना दक्षिणी	2,66,52,448.05	0.00	0.00	2,66,52,448.05	5,38,526.76	2,61,13,921.29
24	10XXXXXXXXXXXXXX1Z/7	पटना विशेष	18,59,62,111.00	0.00	2,23,25,448.00	20,82,87,559.00	19,94,25,140.36	88,62,418.64
25	10XXXXXXXXXXXXXX1Z/M	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	30,37,14,603.14	0.00	82,09,077.61	31,19,23,680.75	30,32,77,932.65	86,45,748.10
26	10XXXXXXXXXXXXXX1Z/E	बकरार	4,68,44,802.62	0.00	0.00	4,68,44,802.62	20,96,810.80	4,47,47,991.82
<b>कुल</b>			<b>7,36,18,71,083.92</b>	<b>1,93,54,420.52</b>	<b>27,51,05,872.33</b>	<b>7,61,76,22,535.73</b>	<b>7,20,03,59,118.15</b>	<b>41,72,63,417.58</b>

\* जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट से तुलना के अनुसार (जीएसटीआर-9 का जीएसटीआर-3वी, तालिका-4ए(5)-जीएसटीआर-3वी, तालिका-4बी(2)+ तालिका-8सी)

## परिशिष्ट 2.4

(संदर्भः कॉडिका 2.3.7.3 (क) (III))  
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर बोमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	अंचल का नाम	जीएसटीआर– 3बी का तालिका–3.1(झी)	जीएसटीआर– 3बी का तालिका–4.2(2)	जीएसटीआर– 3बी का तालिका–4.3(3)	जीएसटीआर–9 का तालिका–6सी	जीएसटीआर–9 का तालिका–6सी	जीएसटीआर–9 का तालिका–6एफ	(राशि ₹ में)
1	10XXXXXXXXXXXX1ZV	भर्युआ		0.00	0.00	0.00	0.00	23,55,294.24	0.00
2	10XXXXXXXXXXXX1ZG	दानापुर	0.00	0.00	0.00	0.00	35,76,75.63	0.00	35,76,75.63
3	10XXXXXXXXXXXX1ZY	दानापुर	0.00	0.00	78,491.78	37,47,476.24	0.00	0.00	37,47,476.24
4	10XXXXXXXXXXXX1Z6	गाँधी भेदान	0.00	0.00	27,77,075.00	आएनएफ	आएनएफ	आएनएफ	27,77,075.00
5	10XXXXXXXXXXXX1ZJ	गया	0.00	0.00	0.00	43,74,102.99	0.00	0.00	43,74,102.99
6	10XXXXXXXXXXXX1Z3	गया	0.00	0.00	38,54,451.53	38,54,451.53	0.00	0.00	38,54,451.53
7	10XXXXXXXXXXXX1Z5	झंझाग्युर	1,52,702.10	0.00	1,52,703.10	1,52,703.10	48,55,066.86	0.00	48,55,067.86
8	10XXXXXXXXXXXX1ZK	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	0.00	0.00	0.00	0.00	20,22,990.59	0.00	20,22,990.59
9	10XXXXXXXXXXXX1ZZ	पटना दक्षिणी	0.00	0.00	17,69,445.72	आएनएफ	आएनएफ	आएनएफ	17,69,445.72
10	10XXXXXXXXXXXX1ZW	पटना दक्षिणी	0.00	0.00	0.00	46,10,558.58	0.00	0.00	46,10,558.58
11	10XXXXXXXXXXXX1Z8	पटना दक्षिणी	0.00	0.00	0.00	21,88,084.92	0.00	0.00	21,88,084.92
12	10XXXXXXXXXXXX1ZO	पटना दक्षिणी	0.00	0.00	0.00	45,87,493.12	0.00	0.00	45,87,493.12
13	10XXXXXXXXXXXX1ZS	पटना पश्चिमी	0.00	0.00	0.00	23,36,010.61	0.00	0.00	23,36,010.61
14	10XXXXXXXXXXXX1ZO	पटना पश्चिमी	0.00	0.00	0.00	22,47,027.25	0.00	0.00	22,47,027.25
15	10XXXXXXXXXXXX1Z7	पटना पश्चिमी	0.00	0.00	24,41,814.12	0.00	0.00	0.00	24,41,814.12
16	10XXXXXXXXXXXX1ZX	समस्तीपुर	41,672.16	0.00	42,272.16	41,672.16	21,92,949.98	0.00	21,92,949.98
17	10XXXXXXXXXXXX1ZW	शाहाबाद	0.00	0.00	0.00	23,11,125.47	0.00	0.00	23,11,125.47
18	10XXXXXXXXXXXX1ZT	शाहाबाद	0.00	0.00	0.00	1,06,37,577.80	0.00	0.00	1,06,37,577.80

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	अंचल का नाम	जीएसटीआर– 3बी का तालिका–3.1(डी)	जीएसटीआर– 3बी का तालिका–4ए(2)	जीएसटीआर– 3बी का तालिका–4ए(3)	जीएसटीआर–9 का तालिका–6सी	जीएसटीआर–9 का तालिका–6सी	जीएसटीआर–9 का तालिका–6एफ	आरसीएसम* के अधीन अत्याधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा
19	10XXXXXX1ZP	शाहाबाद	0.00	0.00	21,16,836.98	आरएनएफ	आरएनएफ	आरएनएफ	21,16,836.98
20	10XXXXXX1Z2	सिवान	0.00	0.00	0.00	22,94,377.89	0.00	0.00	22,94,377.89
21	10XXXXXX1ZK	सिवान	0.00	0.00	31,78,899.90	31,78,899.90	0.00	0.00	31,78,899.90
22	10XXXXXX2ZP	सिवान	0.00	0.00	23,63,720.40	23,63,720.40	0.00	0.00	23,63,720.40
<b>कुल</b>		<b>1,94,374.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,63,33,896.57</b>	<b>1,57,80,737.45</b>	<b>5,05,89,435.93</b>	<b>0.00</b>	<b>7,28,39,156.82</b>	

\* आरसीएम के अधीन अत्यधिक आईटीसी का उपभोग (जहाँ जीएसटीआर–9 दायर किया गया) = (तालिका–6सी + तालिका–6एफ) – जीएसटीआर–3बी का तालिका–3.1(डी)

\* आरसीएम के अधीन अत्यधिक आईटीसी का उपभोग (जहाँ जीएसटीआर–9 दायर नहीं किया गया) = { (जीएसटीआर–3बी की तालिका–4ए(2) + तालिका–4ए(3) ) – जीएसटीआर–3बी का तालिका–3.1(डी) }

**आरएनएफ** = रिटर्न नॉट फाईल्ड

## परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: कलिका 2.3.7.3 (क) (III))

कर के भुगतान के बिना रिवर्स चार्ज मेंकेनिज्म पर बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	अंचल का नाम	जीएसटीआर– 3बी का तालिका– 3.1(डी)	जीएसटीआर– 3बी का तालिका– 4ए(2)	जीएसटीआर– 9 का तालिका– 4ए(3)	जीएसटीआर– 9 का तालिका– 6सी	जीएसटीआर– 9 का तालिका– 6डी	जीएसटीआर– 9 का तालिका– 6सी
1	10XXXXXXXXXXXX1ZB	भाषुआ	0.00	0.00	13,97,581.09	आरएनएफ	आरएनएफ	आरएनएफ
2	10XXXXXXXXXXXX1ZR	बवसर	0.00	0.00	0.00	0	17,02,171.62	0
3	10XXXXXXXXXXXX1ZO	दानापुर	0.00	0.00	15,54,254.46	आरएनएफ	आरएनएफ	आरएनएफ
4	10XXXXXXXXXXXX1Z6	पटना पश्चिमी	0.00	0.00	0.00	0.00	16,23,777.69	0.00
5	10XXXXXXXXXXXX1ZR	पटना पश्चिमी	0.00	0.00	0.00	0	12,30,915.76	0
6	10XXXXXXXXXXXX1ZG	पटना पश्चिमी	0.00	0.00	0.00	0	13,25,925.53	0
7	10XXXXXXXXXXXX1ZE	सिवान	0.00	0.00	15,06,297.62	आरएनएफ	आरएनएफ	आरएनएफ
<b>कुल</b>			<b>0.00</b>	<b>44,58,133.17</b>	<b>0.00</b>	<b>16,23,777.69</b>	<b>42,59,012.91</b>	<b>0.00</b>
आरएनएफ = रिटर्न नॉट फार्फल्ड								

\* आरसीएम के अधीन अत्यधिक आईटीसी का उपभोग (जहाँ जीएसटीआर–9 दायर किया गया) = (तालिका–6सी + तालिका–6डी + जीएसटीआर–9 का तालिका–6एफ) – जीएसटीआर–9 का तालिका–4जी

\* आरसीएम के अधीन अत्यधिक आईटीसी का उपभोग (जहाँ जीएसटीआर–9 दायर नहीं किया गया) = { (जीएसटीआर–3बी का तालिका–4ए(2) + तालिका–4ए(3)) – जीएसटीआर–3बी का तालिका–3.1(डी)}

## परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.3 (क) (IV))

जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट

(राशि ₹ में)

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	अंचल का नाम	वित्तीय विवरण / लेखों की पुस्तक के अनुसार उपभोग किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट (जीएसटीआर-9सी का तालिका-12डी)	वार्षिक विवरण में दावा किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट (जीएसटीआर-9सी का तालिका-12ई)	असंगत इनपुट टैक्स क्रेडिट (जीएसटीआर-9सी का तालिका-12एफ)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1	10XXXXXXXXXIZU	सहरसा	9,15,46,258.18	9,60,60,700.23	45,14,442.05
2	10XXXXXXXXXIZG	पटना विशेष	24,99,094.00	3,03,85,132.00	2,78,86,038.00
3	10XXXXXXXXXIZX	पटना सिटी पुर्वी	1,39,05,733.14	2,76,92,718.94	1,37,86,985.80
4	10XXXXXXXXXIZ3	पटना सिटी पुर्वी	13,67,67,202.92	14,46,11,966.73	78,44,763.81
5	10XXXXXXXXXIZW	पाटलिपुत्र	9,60,25,035.77	10,19,44,019.06	59,18,983.29
<b>कुल</b>			<b>34,07,43,324.01</b>	<b>40,06,94,536.96</b>	<b>5,99,51,212.95</b>

## परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: कॉडिका 2.3.7.3 (क) (V))  
जीएसटीआर-9सी की तालिका-5आर में असमाशोधित आवर्त

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	अंचल का नाम	वार्षिक आवर्त समायोजन	वार्षिक आवर्त धोषित	असमाशोधित आवर्त (जीएसटीआर-9सी का तालिका-5 आर)	(राशि ₹ मे)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)	
1	10XXXXXX2ZC	भसुआ	19,68,25,672.00	4,87,13,560.00		14,81,12,112.00
2	10XXXXXXX1ZJ	भसुआ	10,26,68,180.25	71,14,393.50		9,55,53,786.75
3	10XXXXXXX2Z5	दानापुर	7,17,92,563.68	1,22,06,670.91		5,95,85,892.77
4	10XXXXXXX1Z0	गँधी बैदान	11,37,25,438.00	57,62,711.60		10,79,62,726.40
5	10XXXXXXX2Z9	गँधी बैदान	11,80,39,606.77	2,94,97,567.60		8,85,42,039.17
6	10XXXXXXX1ZV	कदमकुआँ	1,95,45,06,810.41	13,16,50,188.23		1,82,28,56,622.18
7	10XXXXXXX1ZE	कदमकुआँ	24,66,43,115.53	16,71,76,847.50		7,94,66,268.03
8	10XXXXXXX1ZQ	कदमकुआँ	8,68,07,186.26	1,82,42,741.29		6,85,64,444.97
9	10XXXXXXX1ZV	पाटलिपुत्र	1,07,35,08,938.00	11,96,07,996.65		95,39,00,941.35
10	10XXXXXXX1ZS	पटना मध्य	3,96,76,30,347.61	2,99,89,32,618.12		96,86,97,729.49
11	10XXXXXXX1Z2	पटना मध्य	24,98,92,027.31	11,28,79,183.69		13,70,12,843.62
12	10XXXXXXX1ZQ	पटना सिटी पूर्वी	38,49,18,052.97	47,14,137.80		38,02,03,915.17
13	10XXXXXXX1Z5	पटना सिटी पूर्वी	40,03,71,470.93	4,99,58,285.83		35,04,13,185.10
14	10XXXXXXX1ZH	पटना सिटी पूर्वी	23,39,90,022.00	18,94,138.53		23,20,95,883.47
15	10XXXXXXX1Z0	पटना उत्तरी	9,47,60,721.00	1,11,42,428.00		8,36,18,293.00
16	10XXXXXXX1ZR	पटना उत्तरी	14,90,86,679.19	6,96,57,052.92		7,94,29,626.27
17	10XXXXXXX1ZE	पटना दक्षिणी	17,56,47,597.20	10,58,31,296.00		6,98,16,301.20
18	10XXXXXXX1ZH	पटना दक्षिणी	14,06,46,874.78	8,04,97,239.30		6,01,49,635.48
19	10XXXXXXX2ZD	पटना विशेष	9,78,27,24,516.00	55,67,297.00		9,77,71,57,219.00
20	10XXXXXXX1ZV	पटना विशेष	1,03,32,90,148.00	95,16,50,276.34		8,16,39,871.66
21	10XXXXXXX1Z7	पटना पश्चिमी	12,49,40,003.31	14,12,408.00		12,35,27,595.31
22	10XXXXXXX1Z7	पटना पश्चिमी	8,90,98,550.11	1,01,43,790.77		7,89,54,759.34
23	10XXXXXXX1ZX	शाहबाद	1,29,75,95,367.14	1,00,55,75,061.74		29,20,20,305.40
24	10XXXXXXX1ZQ	शाहबाद	9,02,63,400.03	1,97,69,716.60		7,04,93,683.43
25	10XXXXXXX1ZW	समरपीपुर	18,21,17,961.18	1,85,58,598.18		16,35,59,363.00
26	10XXXXXXX1ZN	समरपीपुर	22,88,82,685.75	13,03,66,542.25		9,85,16,143.50
		कुल	22,59,03,73,935.41	6,11,85,22,748.35		16,47,18,51,187.06

## परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.3 (क) (VII))

जीएसटीआर-9सी की तालिका-7जी में असमाशोधित कर योग्य आवर्त

(राशि ₹ में)

क्रमसंख्या	जीएसटीआईएन	अंचल का नाम	कर योग्य वार्षिक आवर्त	कर योग्य वार्षिक आवर्त समायोजन	असमाशोधित कर योग्य आवर्त वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9 का तालिका-7जी)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1	10XXXXXXX1ZXF	ओरंगाबाद	33,312.20	4,28,79,629.65	4,28,46,317.45
2	10XXXXXXX1ZZX	ओरंगाबाद	0.00	3,70,49,608.93	3,70,49,608.93
3	10XXXXXXX1Z7	बेतिया	0.00	4,04,10,463.92	4,04,10,463.92
4	10XXXXXXX1Z8	भमुआ	7,00,160.00	6,01,82,222.00	5,94,82,062.00
5	10XXXXXXX1ZQ	भमुआ	15,51,643.95	4,16,41,580.95	4,00,89,937.00
6	10XXXXXXX1ZP	भमुआ	45,81,655.43	3,25,63,609.00	2,79,81,953.57
7	10XXXXXXX1ZO	भमुआ	25,53,990.43	2,96,57,449.50	2,71,03,459.07
8	10XXXXXXX1Z1	भमुआ	27,39,156.00	2,82,10,922.00	2,54,71,766.00
9	10XXXXXXX1Z2ZW	गाँधी भेदान	1,02,94,38,804.63	1,52,28,98,350.45	49,34,59,545.82
10	10XXXXXXX1ZP	कदमकुओं	0.00	2,73,46,822.32	2,73,46,822.32
11	10XXXXXXX1ZA	कदमकुओं	2,47,38,337.00	5,05,13,777.33	2,57,75,440.33
12	10XXXXXXX1ZF	मोतिहारी	0.00	5,87,68,472.33	5,87,68,472.33
13	10XXXXXXX1ZU	मुजफ्फरपुर परिचमी	38,86,60,512.00	43,51,27,340.00	4,64,66,828.00
14	10XXXXXXX1ZS	पटना मध्य	2,99,89,32,618.12	3,96,11,84,455.61	96,22,51,837.49
15	10XXXXXXX1Z6	पटना मध्य	99,43,550.00	3,99,91,412.56	3,00,47,862.56
16	10XXXXXXX1ZY	पटना मध्य	19,18,500.00	3,07,52,106.50	2,88,33,606.50
17	10XXXXXXX1ZQ	पटना सिरी पश्चिमी	47,14,137.80	38,48,30,339.97	38,01,16,202.17
18	10XXXXXXX1ZH	पटना सिरी पश्चिमी	18,94,138.53	22,33,02,224.00	22,14,08,085.47
19	10XXXXXXX1ZY	पटना दक्षिणी	3,98,75,702.93	8,14,90,855.70	4,16,15,152.77
20	10XXXXXXX1ZJ	पटना दक्षिणी	19,32,022.75	3,55,91,968.59	3,36,59,945.84
21	10XXXXXXX1ZQ	पटना पश्चिमी	34,50,08,026.24	37,25,02,848.22	2,74,94,821.98
22	10XXXXXXX1ZZQ	समस्तीपुर	8,43,618.96	4,12,20,533.89	4,03,76,914.93
23	10XXXXXXX1ZF	समस्तीपुर	0.00	2,73,20,171.90	2,73,20,171.90
24	10XXXXXXX1ZG	सासाराम	14,44,62,920.94	17,08,33,791.01	2,63,70,870.07
25	10XXXXXXX1ZZS	शाहाबाद	29,38,05,567.00	37,93,14,003.48	8,55,08,436.48
26	10XXXXXXX1ZIE	सिवान	53,551.00	9,00,68,753.98	9,00,15,202.98
		<b>कुल</b>	<b>5,29,83,81,925.91</b>	<b>8,24,56,53,713.79</b>	<b>2,94,72,71,787.88</b>

## परिशिष्ट 2.9

(संदर्भः कांडिका 2.3.7.3 (क) (VII))

जीएसटीआर–9सी की तालिका–9आर में असमाशोधित कर देयता

(राशि ₹ में)

क्र० सं	जीएसटीआईएन	अंचल का नाम	जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में असमाशोधित केन्द्रीय माल एवं सेवा कर	जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में असमाशोधित राज्य माल एवं सेवा कर	जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में असमाशोधित एकीकृत माल एवं सेवा कर	जीएसटीआर–9सी के तालिका–9आर में असमाशोधित उपकर	कुल असमाशोधित भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
1	10XXXXXXZS	पटना दक्षिण	-20.09	-20.09	0	1,59,67,355.59	1,59,67,315.41
2	10XXXXXXXZ6	जमुई	7,139.63	7,139.63	85,43,362.08	0	85,57,641.34
3	10XXXXXXXZM	गाँधी भैदान	27,01,689.84	27,01,689.84	5,34,489.68	0	59,37,869.36
4	10XXXXXXXZW	गाँधी भैदान	22,01,274.56	22,01,274.56	5,53,985.19	0	49,56,534.31
5	10XXXXXXXZV	सिवान	24,32,157.60	24,32,157.60	0	0	48,64,315.20
6	10XXXXXXXZX	ओंराघाबाद	22,22,976.54	22,22,976.54	0	0	44,45,953.08
7	10XXXXXXXZU	सारण	20,81,663.95	20,81,663.95	0	0	41,63,327.90
8	10XXXXXXXZ0	दानापुर	24,42,000.00	24,42,000.00	0	0	48,84,000.00
9	10XXXXXXXZM	पटना विशेष	20,44,565.09	20,44,565.09	-1.50	0	40,89,128.68
10	10XXXXXXXZ7	दानापुर	18,26,804.29	18,26,804.29	0	3,00,088.11	39,53,696.69
11	10XXXXXXXZQ	सारण	0	0	38,60,769.00	38,60,769.00	
12	10XXXXXXXZZ	पुष्टिया	14,72,802.76	14,72,802.76	922.15	6,50,296.01	35,96,823.68
13	10XXXXXXXZC	पाटलिपुत्र	6,50,843.96	5,50,521.96	20,83,319.50	0	32,84,685.42
14	10XXXXXXXZ7	पटना पश्चिमी	15,50,230.83	15,50,230.83	0	0	31,00,461.66
15	10XXXXXXXZA	भमुआ	15,04,819.98	15,04,819.98	0	0	30,09,639.96
16	10XXXXXXXZO	सिवान	14,75,381.04	14,75,381.04	0	0	29,50,762.08
17	10XXXXXXXZ3	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	13,82,927.02	13,82,927.02	0	0	27,65,854.04
18	10XXXXXXXZO	सिवान	12,25,453.08	12,25,453.08	0	0	24,50,906.16
19	10XXXXXXXZQ	पटना पश्चिमी	11,03,818.97	11,03,818.97	0	0	22,07,637.94
		कुल	2,83,26,529.05	2,82,26,207.05	1,17,16,077.50	2,07,78,508.71	8,90,47,321.91

**परिशिष्ट 2.10**  
 (संदर्भ: कड़िका 2.3.7.3 (क) (VIII))

**प्राप्तकर्ताओं द्वारा इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का गलत लाभ उठाना**

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	अंचल का नाम	जीएसटीआर-3बी के तालिका-4ए(4) में इनपुट सेवा वितरक के अधीन वितरक किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट	जीएसटीआर-9 के तालिका-6जी में इनपुट सेवा वितरक के अधीन वितरक किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट	जीएसटीआर-6 के तालिका-8ए में दिया गया कुल कर	जीएसटीआर-9ए के तालिका-9ए में दिया गया कुल कर	जीएसटीआर-9 का तालिका-6जी का न्यूनतम मूल्य या जीएसटीआर-3बी का तालिका-4ए(4)	इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट* का अनियमित उपभोग	(राशि ₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10  9 - (6+7+8)
1	10XXXXXXXXXX1ZN	दानापुर	6,13,662.00	6,13,662.00	0.00	0.00	0.00	6,13,662.00	6,13,662.00
2	10XXXXXXXXXX1ZH	गँधी मैदान	5,85,032.00	5,85,032.00	0.00	0.00	0.00	5,85,032.00	5,85,032.00
3	10XXXXXXXXXX1ZR	नोतिहारी	8,00,002.54	8,00,002.54	0.00	0.00	0.00	8,00,002.54	8,00,002.54
4	10XXXXXXXXXX1ZS	पाटलिपुत्र	3,79,37,945.00	3,79,37,945.00	3,17,86,694.37	0.00	0.00	3,79,37,945.00	61,51,250.63
5	10XXXXXXXXXX1ZL	पटना मध्य	92,76,163.15	92,76,200.00	84,09,661.04	0.00	0.00	92,76,163.15	8,66,502.11
6	10XXXXXXXXXX2Z2	पटना सिटी पुर्बी	58,83,722.60	50,10,092.60	42,99,627.01	0.00	0.00	50,10,092.60	7,10,465.59
7	10XXXXXXXXXX1Z1	पटना सिटी पुर्बी	14,66,802.09	43,05,039.40	0.00	0.00	0.00	14,66,802.09	14,66,802.09
8	10XXXXXXXXXX1ZM	पटना दक्षिणी	9,69,548.40	9,69,548.40	0.00	0.00	0.00	9,69,548.40	9,69,548.40
9	10XXXXXXXXXX2Z4	पटना दक्षिणी	10,00,798.70	10,00,798.70	0.00	0.00	0.00	10,00,798.70	10,00,798.70
10	10XXXXXXXXXX1ZG	पटना दक्षिणी	38,51,077.78	38,51,077.78	0.00	0.00	0.00	38,51,077.78	38,51,077.78
11	10XXXXXXXXXX1Z0	पटना दक्षिणी	8,35,083.76	8,35,083.76	0.00	0.00	0.00	8,35,083.76	8,35,083.76
12	10XXXXXXXXXX1ZP	पटना विशेष	73,22,887.00	73,22,887.00	29,45,203.11	0.00	0.00	73,22,887.00	43,77,683.89
13	10XXXXXXXXXX1Z6	पटना विशेष	10,22,484.00	10,22,484.00	95,806.00	0.00	0.00	10,22,484.00	9,26,678.00
14	10XXXXXXXXXX1ZC	पटना विशेष	36,63,052.00	22,38,719.00	11,18,273.00	0.00	0.00	22,38,719.00	11,20,446.00
<b>कुल</b>			<b>7,52,28,261.02</b>	<b>7,57,68,572.18</b>	<b>4,86,55,264.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,29,30,298.02</b>	<b>2,42,75,033.49</b>

\* (जीएसटीआर-9 का तालिका-6जी में इनपुट सेवा वितरक की न्यूनतम मूल्य या जीएसटीआर-3बी का तालिका-4ए(4)) – (जीएसटीआर-6 का तालिका-5ए + तालिका-8ए + तालिका-9ए)

## परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.3 (क) (IX))

विलंबित भुगतान के लिए व्याज का भुगतान नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	जीएसटीआईएन	अंचल का नाम	नकद में जमा की गई कर की राशि	विलम्ब की सीमा (दिनों में)	व्याज देयता	व्याज भुगतान	व्याज देय
1	10XXXXXXXXXXXX1Z4	बेरुसराय	1,64,36,794.00	164 to 193	13,30,030.00	0	13,30,030.00
2	10XXXXXXXXXXXX1ZH	बेरुसराय	92,65,525.00	290 to 417	15,14,964.00	0	15,14,964.00
3	10XXXXXXXXXXXX1ZQ	गाँधी भैदान	5,02,39,657.00	107 to 167	25,66,764.00	0	25,66,764.00
4	10XXXXXXXXXXXX2ZE	हाजीपुर	1,74,20,487.00	171 to 291	21,15,493.00	0	21,15,493.00
5	10XXXXXXXXXXXX1ZP	हाजीपुर	99,09,453.00	343	16,76,191.00	0	16,76,191.00
6	10XXXXXXXXXXXX1Z6	पटना सिटी पूर्वी	74,94,870.00	389 to 627	19,90,566.00	0	19,90,566.00
7	10XXXXXXXXXXXX1ZB	पटना दक्षिणी	1,35,66,143.00	691	44,79,970.00	0	44,79,970.00
8	10XXXXXXXXXXXX1ZA	सारण	1,02,05,509.00	231 to 384	15,33,929.00	0	15,33,929.00
9	10XXXXXXXXXXXX1ZJ	सासाराम	37,31,501.00	579 to 780	12,70,654.00	0	12,70,654.00
10	10XXXXXXXXXXXX1ZP	सासाराम	1,70,11,418.00	188 to 425	21,43,080.00	0	21,43,080.00
11	10XXXXXXXXXXXX1ZR	शाहबाद	92,22,055.00	247 to 398	14,58,555.00	0	14,58,555.00
12	10XXXXXXXXXXXX2ZU	शाहबाद	3,69,49,065.00	50 to 242	29,67,947.00	0	29,67,947.00
13	10XXXXXXXXXXXX1ZN	सिवान	2,53,95,657.00	202	25,29,825.00	0	25,29,825.00
<b>कुल</b>		<b>22,68,48,134.00</b>	<b>50 to 780</b>	<b>2,75,77,968.00</b>	<b>0</b>	<b>2,75,77,968.00</b>	

**परिशिष्ट 2.12**  
**(संदर्भ: कोडिका 2.3.7.2 (क) (X))**  
**अभूत कर देयता**

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	अंचल का नाम	जीएसटीआ-1 के अनुसार देयता	जीएसटीआ-9 के अनुसार देयता	जीएसटीआ-1 / 9 के अनुसार देयता	जीएसटीआ-3वी के अनुसार भुगतान	जीएसटीआ-9 के अनुसार भुगतान	अतिरिक्त देयता*
1	10XXXXXXXXXXXX1Z7	लखीसराय	1,87,29,952.48	एनए	1,87,29,952.48	10,42,135.00	आरएनएफ	1,76,87,817.50
2	10XXXXXXXXXXXX2ZS	पटना दक्षिण	2,67,12,321.56	2,67,12,321.56	2,67,12,321.56		1,07,45,006.00	1,59,67,315.56
3	10XXXXXXXXXXXX1ZU	पटना मध्य	94,28,193.96	3,86,44,070.82	3,86,44,070.82		1,09,71,072.00	2,76,72,998.82
4	10XXXXXXXXXXXX1ZH	शाहबाद	2,01,69,845.38	एनए	2,01,69,845.38	22,93,158.00	आरएनएफ	1,78,76,687.40
5	10XXXXXXXXXXXX1ZO	पाटलिपुत्र	10,59,33,811.72	10,22,93,075.78	10,59,33,811.72		8,91,74,896.00	1,67,58,915.72
6	10XXXXXXXXXXXX1Z2	सासाराम	51,96,92,224.85	51,55,22,656.91	51,96,92,224.85		47,29,24,938.00	4,67,67,286.85
7	10XXXXXXXXXXXX1ZQ	पुर्णिया	40,53,718.32	39,48,01,334.10	39,48,01,344.00		0	39,48,01,344.00
8	10XXXXXXXXXXXX1ZV	भगलपुर	2,03,90,293.54	22,07,015.78	2,03,90,293.54		22,07,042.00	1,81,83,251.54
9	10XXXXXXXXXXXX1ZR	पटना विशेष	24,31,929.63	24,13,193.46	24,31,929.63		23,60,100.00	71,829.63
10	10XXXXXXXXXXXX1ZA	सासाराम	1,16,96,657.10	2,90,16,728.70	2,90,16,728.70		41,85,488.00	2,48,31,240.70
11	10XXXXXXXXXXXX1ZL	हाजीपुर	36,50,444.47	2,22,96,160.89	2,22,96,160.89		32,11,158.00	1,90,85,002.89
12	10XXXXXXXXXXXX1ZH	पटना मध्य	1,93,16,065.06	एनए	1,93,16,065.06	0.00	आरएनएफ	1,93,16,065.06
13	10XXXXXXXXXXXX1ZT	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	30,42,88,308.85	30,42,88,308.85	30,42,88,308.85		27,03,98,512.00	3,38,89,796.85
14	10XXXXXXXXXXXX3ZG	पाटलिपुत्र	53,06,52,404.50	28,36,07,000.57	53,06,52,404.50		16,58,97,645.00	36,47,54,759.50
<b>कुल</b>			<b>1,59,71,46,171.42</b>	<b>1,72,18,01,867.42</b>	<b>2,05,30,75,461.98</b>	<b>33,35,293.00</b>	<b>1,03,20,75,857.00</b>	<b>1,01,76,64,312.02</b>

\* अतिरिक्त देयता = (जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-9 के बीच बर्दी कर देयता) – (जीएसटीआर-9 / 3वी के अनुसार भुगतान)

एनए = नॉट एप्लीकेबल, आरएनएफ = रिटर्न नॉट फाईल्ड

## परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: कलिका 2.3.7.3 (क) (XI))

ऐसे मामले जहाँ जीएसटीआर-3 बी दाखिल नहीं किया गया है लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	जीएसटीआर-1 में अंचल का नाम कर देयता	टिप्पणी	अभुत देयता / इनपुट टेक्स क्रेडिट दावा की राशि
1	10XXXXXXXXXXXX1ZZ	52,81,316.50 पटना विशेष	यद्यपी जीएसटीआर-1 के अनुसार कर भुगतानकर्ता के पास ₹ 52,81,316.50 का कर देयता था, यह पाया गया कि कर भुगतानकर्ता द्वारा कोई कर का भुगतान नहीं किया गया था जैसा कि 2017-18 से 2020-21 के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर / क्रेडिट लेजर से नियमित का दाखिल नहीं करने के कारण उचित आधिकारी ने 01.01.2020 से पंजीकरण रद्द कर दिया।	52,81,316.50
2	10XXXXXXXXXXXX1ZA	13,75,390.00 औरंगाबाद	जुलाई, सितम्बर एवं मार्च 2017-18 के जीएसटीआर-1 के अनुसार राज्य माल एवं सेवा कर के अधीन ₹ 6,87,695.00 एवं केन्द्रीय माल एवं सेवा कर के अधीन ₹ 6,87,695.00 कर देयता था। 2017-18 से 2020-21 के कैश लेजर / क्रेडिट लेजर के अनुसार कोई कर का भुगतान नहीं पाया गया था / आगे नियमित कर दाखिल नहीं करने के कारण 03.01.2020 से कर भुगतानकर्ता का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।	13,75,390.00
3	10XXXXXXXXXXXX1ZE	3,63,443.40 गया	दिसम्बर 2017 एवं मार्च 2018 के जीएसटीआर-1 में एकीकृत माल एवं सेवा कर के अधीन कर देयता ₹ 3,63,443.40 था। कैश लेजर / क्रेडिट लेजर के अनुसार 2017-18 से 2020-21 के लिए कोई कर जमा नहीं किया गया था। आगे नियमित कर दाखिल नहीं करने के कारण 06.04.2020 से कर भुगतानकर्ता का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।	3,63,443.40
4	10XXXXXXXXXXXX1ZK	2,74,536.36 हाजीपुर	जुलाई 2017 के जीएसटीआर-1 के अनुसार एकीकृत माल एवं सेवा कर के अंतर्गत कर भुगतानकर्ता का कर देयता ₹ 2,74,536.36 था। परतु कैश लेजर / क्रेडिट लेजर के अनुसार यह पाया गया कि 2017-18 के लिए कोई कर का भुगतान नहीं किया गया था। कर भुगतानकर्ता का पंजीकरण 31.12.2019 से रद्द कर दिया गया था।	2,74,536.36
5	10XXXXXXXXXXXX1ZS	1,19,013.06 पटना उत्तरी	कर भुगतानकर्ता ने 01.10.2017 को संघटन कर भुगतानकर्ता के रूप में विकल्प चुना। 01.01.2019 का पंजीकरण रद्द का दिया गया था। कैश लेजर / क्रेडिट लेजर के अनुसार कोई कर का भुगतान नहीं किया गया था।	1,19,013.06
6	10XXXXXXXXXXXX1ZI	42,188.49 दानापुर	कैश लेजर / क्रेडिट लेजर के अनुसार कोई भुगतान नहीं किया गया था। 15.09.2020 से पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।	42,188.49

क्र0 स0	जीएसटीआईएन	जीएसटीआई-1 में अंचल का नाम कर देयता	टिप्पणी	अभूत देयता / इनपुट टेक्स कोडिट दावा की राशि
7	10XXXXXXXXXX1Z2	26,479.80	पटना सिटी पश्चिमी जुलाई 2017 के जीएसटीआई-1 के अनुसार कर भुगतानकर्ता का कर देयता राज्य माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत ₹ 13,239.00 एवं केंद्रीय माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत ₹ 13,239.00 था। केंशा लेजर / कोडिट लेजर के अनुसार, कर भुगतानकर्ता ने कोई भुगतान नहीं किया था। रिटर्न दाखिल नहीं करने के कारण 21.12.2019 से कर भुगतानकर्ता कर पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।	26,479.80
8	10XXXXXXXXXX1ZR	23,783.40	कर भुगतानकर्ता को केंद्रीय माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत ₹ 11,891.70 एवं राज्य माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत ₹ 11,891.70 कर देयता था। कोई भुगतान नहीं किया गया एवं 24.12.2019 से पंजीकरण रद्द कर दिया गया।	23,783.40
9	10XXXXXXXXXX1Z4	18,506.60	जुलाई 2017 के जीएसटीआई-1 के अनुसार केंद्रीय माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत ₹ 9,253.30 एवं राज्य माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत ₹ 9,253.30 केंशा लेजर / कोडिट लेजर में कोई भुगतान नहीं किया गया था। 31.12.2017 से पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।	18,506.60
10	10XXXXXXXXXX1ZC	11,745.00	जुलाई 2017 के जीएसटीआई-1 के अनुसार, कर भुगतानकर्ता का कर देयता केंद्रीय माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत ₹ 5,872.50 एवं राज्य माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत ₹ 5,872.50 था। केंशा लेजर / कोडिट लेजर में 2017–18 से 2020–21 तक कोई भुगतान नहीं किया गया था। 22.02.2020 से पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।	11,745.00
11	10XXXXXXXXXX1ZG	9,71,013.40	कर भुगतानकर्ता का कर देयता केंद्रीय माल एवं सेवा कर. के अन्तर्गत ₹ 4,85,506.70 एवं राज्य माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत ₹ 4,85,506.70 था परंतु केंशा लेजर / कोडिट लेजर में कोई भुगतान नहीं किया गया था। कर भुगतानकर्ता का पंजीकरण स्थः: संज्ञान लेकर 1307.2019 से रद्द कर दिया गया था।	9,71,013.40
12	10XXXXXXXXXX1ZL	5,53,843.26	2017–18 के लिए कर भुगतानकर्ता का कर देयता केंद्रीय माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत ₹ 2,76,921.63 एवं राज्य माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत ₹ 2,76,921.63 था एवं कोई कर का भुगतान नहीं पाया गया। कर भुगतानकर्ता का पंजीकरण स्थः: संज्ञान लेकर 31.12.2019 से रद्द कर दिया गया था।	5,53,843.26
<b>कुल</b>		<b>90,61,259.27</b>		<b>90,61,259.27</b>

**परिशिष्ट 2.14**  
**(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.3 (ग))**  
**करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ**

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	लेखापरीक्षा आयाम	जीएसटीआईएन	अंचल	बेसेल राशि
1.	अत्यधिक उपभोग किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXXXX1ZS	मधुबनी	73,07,115.59
		10XXXXXXXXXXXX1ZT	दरभंगा	3,28,67,078.50
		10XXXXXXXXXXXX1ZZ	सारण	1,49,22,351.96
2.	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर अत्यधिक उपभोग किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXXXX1ZS	दरभंगा	40,62,232.50
		10XXXXXXXXXXXX1ZC	दरभंगा	17,97,583.00
		10XXXXXXXXXXXX1ZX	दरभंगा	62,36,252.00
		10XXXXXXXXXXXX1Z6	दरभंगा	32,11,744.75
		10XXXXXXXXXXXX1Z5	गया	32,57,178.75
		10XXXXXXXXXXXX1ZQ	मधेपुरा	35,19,825.00
		10XXXXXXXXXXXX1ZO	मधेपुरा	35,07,307.50
		10XXXXXXXXXXXX1Z7	मधेपुरा	28,27,778.75
		10XXXXXXXXXXXX1ZR	मधेपुरा	21,22,768.50
		10XXXXXXXXXXXX1ZF	मधेपुरा	36,05,218.75
		10XXXXXXXXXXXX1Z6	मुजफरपुर पश्चिमी	67,23,646.50
		10XXXXXXXXXXXX1ZK	पटना उत्तरी	17,19,257.25
		10XXXXXXXXXXXX1ZD	पटना उत्तरी	22,59,462.75
		10XXXXXXXXXXXX1ZI	पटना दक्षिणी	49,86,390.50
		10XXXXXXXXXXXX1ZK	पटना दक्षिणी	29,87,418.25
		10XXXXXXXXXXXX1ZH	पटना दक्षिणी	37,22,337.50
		10XXXXXXXXXXXX1ZD	पटना दक्षिणी	45,95,780.00
		10XXXXXXXXXXXX1ZP	सासाराम	32,78,397.25
3.	बिना भुगतान के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर अत्यधिक उपभोग किया इनपुट टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXXXX1ZS	भागलपुर	14,28,672.38
		10XXXXXXXXXXXX1ZQ	भागलपुर	14,04,964.75
		10XXXXXXXXXXXX1Z3	दरभंगा	16,73,172.75
		10XXXXXXXXXXXX1ZL	दरभंगा	14,50,083.50
		10XXXXXXXXXXXX1Z1	दरभंगा	11,91,539.00
		10XXXXXXXXXXXX1Z0	फारविसगंज	12,34,790.88
		10XXXXXXXXXXXX1Z6	मधेपुरा	12,43,664.13
		10XXXXXXXXXXXX1Z3	मधेपुरा	14,42,854.00
		10XXXXXXXXXXXX1ZW	रक्सौल	11,91,808.50
4.	जीएसटीआर-9 के तालिका-12 एफ में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXXXX1ZV	पाटलिपुत्र	48,92,856.00
		10XXXXXXXXXXXX1ZX	फारविसगंज	99,11,285.00

क्र० सं०	लेखापरीक्षा आयाम	जीएसटीआईएन	अंचल	बेमेल राशि
5.	जीएसटीआर-9 के तालिका-5आर में असमाशोधित आवर्त्त	10XXXXXXXXXX2ZH	भभुआ	5,83,72,820.00
		10XXXXXXXXXX1ZJ	फारविसगंज	6,72,41,032.00
		10XXXXXXXXXX2ZN	पटना विशेष	44,09,37,96,000.00
		10XXXXXXXXXX1ZD	पटना विशेष	3,50,70,14,660.00
		10XXXXXXXXXX1ZH	पटना विशेष	55,37,38,690.00
		10XXXXXXXXXX1ZE	पटना विशेष	11,90,36,872.00
		10XXXXXXXXXX2ZT	तेघरा	10,91,97,456.00
6.	जीएसटीआर-9 के तालिका-9 में असमाशोधित आवर्त्त	10XXXXXXXXXX1ZL	सितामढ़ी	1,13,43,100.00
7.	बेमेल इनपुट सेवा वितरक इनपुट टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXX1ZA	दरभंगा	14,58,023.63
		10XXXXXXXXXX2Z2	गया	9,04,624.88
		10XXXXXXXXXX2Z8	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	9,79,846.00
		10XXXXXXXXXX1ZV	समस्तीपुर	9,21,771.88
		10XXXXXXXXXX1ZV	सिवान	8,17,292.00
8.	अभुक्त देयता	10XXXXXXXXXX1Z7	सारण	6,66,48,214.00
		10XXXXXXXXXX1ZD	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	5,35,44,856.00
		10XXXXXXXXXX1ZG	भभुआ	3,01,21,742.13
कुल		48 मामले		48,82,17,19,816.96

**परिशिष्ट 2.15**  
**(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.4 (क))**  
**क्षेत्र सीमाएं (अभिलेखों का आंशिक प्रस्तुतिकरण)**

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	अंचल का नाम	जीएसटीआईएन	उपलब्ध नहीं कराये गये अभिलेखों का ब्यौरा
1.	औरंगाबाद	10XXXXXXXXXX1ZV, 10XXXXXXXXXX1ZJ	आंकलन/ जाँच संचिका, आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षणों एवं निदेशकों का प्रतिवेदन, द्रायल बैलेन्स, पी एण्ड एल खाता, केवल जीएसटीआईएन से संबंधित सूची के साथ तुलन पत्र, अन्य खर्चों की विवरण, विविध आय, फुटकर देनदारों/लेनदारों, आपूर्ति का इनवायस/बिल, प्राप्ति/भुगतान अभिश्रव, अनुबंध, क्रय आदेश, चयनित माह का क्रेडिट/डेविट नोट, 2017–18 के दौरान जारी प्राप्ति/भुगतान अभिश्रव।
2.	भमुआ	10XXXXXXXXXX1ZR, 10XXXXXXXXXX1ZI, 10XXXXXXXXXX1ZO	अंकेक्षणों एवं निदेशकों का प्रतिवेदन, द्रायल बैलेन्स, पी एण्ड एल खाता, तुलन पत्र, आपूर्ति का इनवायस/बिल, प्राप्ति/भुगतान अभिश्रव, अनुबंध, क्रय आदेश, क्रेडिट/डेविट नोट, आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, जाँच / आंकलन संचिका
3.	भागलपुर	10XXXXXXXXXX2Z4	अंकेक्षण प्रतिवेदन, तुलन पत्र एवं पी एण्ड एल खाता की सूची, द्रायल बैलेन्स/खाता बही, आपूर्ति का इनवायस/बिल, प्राप्ति/भुगतान अभिश्रव, अनुबंध, क्रय आदेश, चयनित माह का क्रेडिट/डेविट नोट।
4.	बक्सर	10XXXXXXXXXX1ZR, 10XXXXXXXXXX2ZI	आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षणों एवं निदेशकों का प्रतिवेदन, केवल जीएसटीआईएन से संबंधित द्रायल बैलेन्स, आपूर्ति का बिक्रय इनवायस/बिल्स एवं चयनित माह का क्रय इनवायस, क्रय/अनुबंध एग्रीमेन्ट, क्रेडिट/डेविट नोट, इनपुट टैक्स क्रेडिट निरसन का विवरण, राजस्व की प्राप्ति, अग्रीम, अन्य व्यय, विविध आय, फुटकर देनदारों/लेनदारों, नमूना इनवायस के साथ छूट प्राप्त/निल/शून्य मूल्यांकित आपूर्ति की सूची, संबंधित पार्टी लेन—देन, विलम्ब शूल्क, व्याज भूगतान।
5.	दानापुर	10XXXXXXXXXX1ZN, 10XXXXXXXXXX1ZG	अंकेक्षणों एवं निदेशकों का प्रतिवेदन, द्रायल बैलेन्स, पी एण्ड एल खाता, तुलन पत्र, आपूर्ति का इनवायस/बिल, प्राप्ति/भुगतान अभिश्रव, अनुबंध, क्रय आदेश, क्रेडिट/डेविट नोट, आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, जाँच / आंकलन संचिका।
6.	दरभंगा	10XXXXXXXXXX1ZN	अंकेक्षण प्रतिवेदन, तुलन पत्र एवं पी एण्ड एल खाता की सूची, द्रायल बैलेन्स, आपूर्ति का इनवायस/बिल, प्राप्ति/भुगतान अभिश्रव, अनुबंध, क्रय आदेश, चयनित माह का क्रेडिट/डेविट नोट।
7.	फारविसगंज	10XXXXXXXXXX1ZR, 10XXXXXXXXXX1ZS	आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षणों एवं निदेशकों का प्रतिवेदन, द्रायल बैलेन्स, पी एण्ड एल खाता, सूची के साथ तुलन पत्र, आपूर्ति का इनवायस/बिल, प्राप्ति/भुगतान अभिश्रव, अनुबंध, क्रय आदेश, चयनित माह का क्रेडिट/डेविट नोट।

क्र० सं०	अंचल का नाम	जीएसटीआईएन	उपलब्ध नहीं कराये गये अभिलेखों का ब्यौरा
8.	गाँधी मैदान	10XXXXXXXXXXXX1ZV, 10XXXXXXXXXXXX1ZP	अंकेक्षणों एवं निदेशकों का प्रतिवेदन, द्रायल बैलेन्स, पी एण्ड एल खाता, तूलन पत्र, आपूर्ति का इनवायस/बिल, प्राप्ति/भुगतान अभिश्रव, अनुबंध, क्रय आदेश, क्रेडिट/डेविट नोट, आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, जाँच/आंकलन संचिका।
9.	गया	10XXXXXXXXXXXX3ZW, 10XXXXXXXXXXXX1ZO, 10XXXXXXXXXXXX1ZN, 10XXXXXXXXXXXX1ZT	अंकेक्षण प्रतिवेदन, निदेशक प्रतिवेदन, तुलन पत्र एवं पी एण्ड एल खाता की सूची, द्रायल बैलेन्स, आपूर्ति का इनवायस/बिल, प्राप्ति/भुगतान अभिश्रव, अनुबंध, क्रय आदेश, चयनित माह का क्रेडिट/डेविट नोट।
10.	जहानाबाद	10XXXXXXXXXXXX2ZT	आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षणों एवं निदेशकों का प्रतिवेदन, केवल जीएसटीआईएन से संबंधित द्रायल बैलेन्स, चयनित माह का आपूर्ति/क्रय का बिक्रय इनवायस/बिल्स, एग्रीमेन्ट, क्रेडिट/डेविट नोट, आईटीसी निरसन का विवरण, राजस्व एवं अग्रीम की प्राप्ति, नमूना इनवायस के साथ छूट प्राप्त/निल/शून्य मूल्यांकित आपूर्ति की सूची, अन्य व्यय, विविध आय, फुटकर देनदारों/लेनदारों, संबंधित पार्टी लेन-देन, विलम्ब शूल्क, ब्याज भूगतान।
11.	कदमकुआँ	10XXXXXXXXXXXX1ZI, 10XXXXXXXXXXXX2Z7, 10XXXXXXXXXXXX1ZP, 10XXXXXXXXXXXX1ZG	अंकेक्षण प्रतिवेदन, तुलन पत्र एवं पी एण्ड एल खाता की सूची, द्रायल बैलेन्स/खाता-बही, आपूर्ति का इनवायस/बिल, प्राप्ति/भुगतान अभिश्रव, अनुबंध, क्रय आदेश, चयनित माह का क्रेडिट/डेविट नोट।
12.	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	10XXXXXXXXXXXX2ZE, 10XXXXXXXXXXXX1ZX	अंकेक्षण प्रतिवेदन, निदेशक प्रतिवेदन, द्रायल बैलेन्स, आपूर्ति का इनवायस/बिल, प्राप्ति/भुगतान अभिश्रव, चयनित माह का क्रेडिट/डेविट नोट, अनुबंध, क्रय आदेश।
13.	नवादा	10XXXXXXXXXXXX1ZL, 10XXXXXXXXXXXX1ZI	आंकलन/जाँच संचिका, आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षण प्रतिवेदन, निदेशकों का प्रतिवेदन, द्रायल बैलेन्स, आपूर्ति का इनवायस/बिल, प्राप्ति/भुगतान अभिश्रव, अनुबंध, क्रय आदेश, चयनित माह का क्रेडिट/डेविट नोट, अभिश्रवों की संख्या, क्रेडिट/डेविट नोट, 2017–18 के दौरान जारी प्राप्ति/भुगतान अभिश्रव।
14.	पाटलिपुत्र	10XXXXXXXXXXXX1ZM, 10XXXXXXXXXXXX1Z2, 10XXXXXXXXXXXX1Z1, 10XXXXXXXXXXXX1Z7, 10XXXXXXXXXXXX1ZT, 10XXXXXXXXXXXX2ZT, 10XXXXXXXXXXXXA1Z, 10XXXXXXXXXXXX1ZZ, 10XXXXXXXXXXXX1ZK, 10XXXXXXXXXXXX1Z7, 10XXXXXXXXXXXX1ZO	अंकेक्षण प्रतिवेदन, निदेशक प्रतिवेदन, द्रायल बैलेन्स, पी एण्ड एल खाता, तुलन पत्र, आपूर्ति का इनवायस/बिल, प्राप्ति/भुगतान अभिश्रव, अनुबंध, क्रय आदेश, क्रेडिट/डेविट नोट, आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन।

क्र० सं०	अंचल का नाम	जीएसटीआईएन	उपलब्ध नहीं कराये गये अभिलेखों का ब्यौरा
15.	पटना मध्य	10XXXXXXXXXX1Z3, 10XXXXXXXXXX1Z2, 10XXXXXXXXXX3ZU, 10XXXXXXXXXX2ZD, 10XXXXXXXXXX1Z6, 10XXXXXXXXXX1ZS	आकलन/जाँच संचिका, आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षण प्रतिवेदन, निदेशकों का प्रतिवेदन, पी एण्ड एल खाता, केवल जीएसटीआईएन से संबंधित सूची के साथ तुलन पत्र, अन्य खर्चों की विवरण एवं विविध आय, फुटकर देनदारों/लेनदारों का खाता—बही, आपूर्ति का इनवायस/बिल, प्राप्ति/भुगतान अभिश्रव, अनुबंध, क्रय आदेश, चयनित माह का क्रेडिट/डेविट नोट, अभिश्रवों की संख्या, क्रेडिट/डेविट नोट, 2017–18 के दौरान जारी प्राप्ति/भुगतान अभिश्रव।
16.	पटना सिटी पूर्वी	10XXXXXXXXXX1ZP	अंकेक्षण प्रतिवेदन, तुलन पत्र एवं पी एण्ड एल खाता की सूची, ट्रायल बैलेन्स/खाता—बही, आपूर्ति का इनवायस/बिल, प्राप्ति/भुगतान अभिश्रव, अनुबंध, क्रय आदेश, चयनित माह का क्रेडिट/डेविट नोट।
17.	पटना उत्तरी	10XXXXXXXXXX1ZR, 10XXXXXXXXXX1ZJ, 10XXXXXXXXXX1ZC	अंकेक्षणों एवं निदेशकों का प्रतिवेदन, ट्रायल बैलेन्स, पी एण्ड एल खाता, तूलन पत्र, आपूर्ति का विक्रय इनवायस/बिल, चयनित माह का क्रय अभिश्रव, क्रय/अनुबंध एग्रीमेन्ट, क्रेडिट/डेविट नोट, इनपुट टैक्स क्रेडिट निरसन का विवरण, राजस्व की प्राप्ति, अग्रीम, छूट प्राप्त आपूर्ति, अन्य व्यय, विविध आय, फुटकर देनदारों/लेनदारों, संबंधित पार्टी लेन—देन, विलम्ब पूलक, ब्याज भूगतान।
18.	पटना दक्षिणी	10XXXXXXXXXX1ZI	जीएसटीआईएन से संबंधित तुलन पत्र, चयनित माह का आपूर्ति का इनवायस/बिल्स, प्राप्ति/भुगतान अभिश्रव, अनुबंध, क्रय आदेश, क्रेडिट/डेविट नोट, आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, जाँच/आंकलन संचिका।
19.	पटना विशेष	10XXXXXXXXXX1ZU, 10XXXXXXXXXX1Z6, 10XXXXXXXXXX1Z7, 10XXXXXXXXXXB1Z, 10XXXXXXXXXX1ZU, 10XXXXXXXXXX1ZJ, 10XXXXXXXXXX1ZJ, 10XXXXXXXXXXD1Z, 10XXXXXXXXXXK1Z, 10XXXXXXXXXX4ZJ	जीएसटीआईएन से संबंधित तुलन पत्र, चयनित माह का क्रय अभिश्रव, क्रेडिट/डेविट नोट, आईटीसी निरसन का विवरण, अग्रीम सहित तिथि वार राजस्व के प्राप्ति, नमूना इनवायस के साथ छूट प्राप्त/निल/शूच्य मूल्यांकित आपूर्ति की सूची, अन्य/विविध आय का विवरण, फुटकर देनदारों/लेनदारों, संबंधित पार्टी लेन—देन का विवरण।
20.	पटना पश्चिमी	10XXXXXXXXXX1ZS	अंकेक्षण प्रतिवेदन, तुलन पत्र एवं पी एण्ड एल खाता की सूची, ट्रायल बैलेन्स/खता—बही, आपूर्ति का इनवायस/बिल, प्राप्ति/भुगतान अभिश्रव, अनुबंध, क्रय आदेश, चयनित माह का क्रेडिट/डेविट नोट।
21	रक्सौल	10XXXXXXXXXX1ZC	अंकेक्षण प्रतिवेदन, निदेशक प्रतिवेदन, तुलन पत्र, पी एण्ड एल खाता, तुलन पत्र, आन्तरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, आकलन/जाँच संचिका, आपूर्ति का इनवायस/बिल, प्राप्ति/भुगतान अभिश्रव, अनुबंध, क्रेडिट/डेविट नोट।

क्र० सं०	अंचल का नाम	जीएसटीआईएन	उपलब्ध नहीं कराये गये अभिलेखों का ब्यौरा
22.	सहरसा	10XXXXXXXXXXXX1ZG	अंकेक्षण प्रतिवेदन, तुलन पत्र, नोट्स / अनुसूची के साथ पी एण्ड एल खाता, ट्रायल बैलेन्स / खता-बही, आपूर्ति का इनवायस / बिल, प्राप्ति / भुगतान अभिश्रव, अनुबंध, क्रय आदेश, चयनित माह का क्रेडिट / डेविट नोट।
23.	सारण	10XXXXXXXXXXXX1ZH	आकलन / जाँच संचिका, अंकेक्षण संचिका, तुलन पत्र, आपूर्ति का इनवायस / बिल, प्राप्ति / भुगतान अभिश्रव, क्रेडिट / डेविट नोट, अनुबंध, क्रय आदेश।
24.	सासाराम	10XXXXXXXXXXXX1Z0, 10XXXXXXXXXXXX1ZC, 10XXXXXXXXXXXX1ZY, 10XXXXXXXXXXXX2Z0, 10XXXXXXXXXXXX1ZV, 10XXXXXXXXXXXX1Z8	अंकेक्षणों एवं निदेशकों का प्रतिवेदन, ट्रायल बैलेन्स, पी एण्ड एल खाता, केवल जीएसटीआईएन से संबंधित सूची के साथ तुलन पत्र, आपूर्ति का बिक्रय इनवायस / बिल्स एवं चयनित माह का क्रय इनवायस, क्रय / अनुबंध एग्रीमेन्ट, क्रेडिट / डेविट नोट, इनपुट टैक्स क्रेडिट निरसन का विवरण, अग्रीम सहित तिथि वार राजस्व के प्राप्ति, नमूना इनवायस के साथ छूट प्राप्त / निल / शून्य मूल्यांकित आपूर्ति की सूची, अन्य खर्च, विविध आय, फुटकर देनदारों / लेनदारों, संबंधित पार्टी लेन-देन का विवरण।
25.	शाहाबाद	10XXXXXXXXXXXX1ZG, 10XXXXXXXXXXXX1ZK, 10XXXXXXXXXXXX2ZS	जाँच / आंकलन संचिका, आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षणों एवं निदेशकों का प्रतिवेदन, ट्रायल बैलेन्स, पी एण्ड एल खाता, केवल जीएसटीआईएन से संबंधित सूची के साथ तुलन पत्र, आपूर्ति का इनवायस / बिल, चयनित माह का क्रय इनवायस, क्रय / अनुबंध एग्रीमेन्ट, क्रेडिट / डेविट नोट, अन्य खर्चों की विवरण, विविध आय, इनपुट टैक्स क्रेडिट निरसन का विवरण, अग्रीम सहित तिथि वार राजस्व के प्राप्ति, नमूना इनवायस के साथ छूट प्राप्त / निल / शून्य मूल्यांकित आपूर्ति की सूची, विविध आय, फुटकर देनदारों / लेनदारों, संबंधित पार्टी लेन-देन का विवरण, विलम्ब शूलक एवं ब्याज भुगतान।
26.	सितामढ़ी	10XXXXXXXXXXXX1ZF	अंकेक्षण प्रतिवेदन, तुलन पत्र एवं पी एण्ड एल खाता की सूची, ट्रायल बैलेन्स / खता-बही, आपूर्ति का इनवायस / बिल, प्राप्ति / भुगतान अभिश्रव, अनुबंध, क्रय आदेश, चयनित माह का क्रेडिट / डेविट नोट।
27.	सुपौल	10XXXXXXXXXXXX1ZO, 10XXXXXXXXXXXX1ZM	अंकेक्षणों एवं निदेशकों का प्रतिवेदन, आपूर्ति का इनवायस / बिल, प्राप्ति / भुगतान अभिश्रव, अनुबंध, क्रय आदेश, चयनित माह का क्रेडिट / डेविट नोट।
28.	सिवान	10XXXXXXXXXXXX1ZK	आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षण प्रतिवेदन, निदेशकों का प्रतिवेदन, केवल जीएसटीआईएन से संबंधित ट्रायल बैलेन्स, आपूर्ति का इनवायस / बिल, चयनित माह का क्रय इनवायस, क्रय / अनुबंध एग्रीमेन्ट, अग्रीम सहित राजस्व के प्राप्ति का विवरण, अन्य खर्च, विविध आय, फुटकर देनदारों / लेनदारों, संबंधित पार्टी लेन-देन का विवरण।
29.	तेघरा	10XXXXXXXXXXXX2ZG	आपूर्ति का इनवायस / बिल, प्राप्ति / भुगतान अभिश्रव, अनुबंध, क्रय आदेश, चयनित माह का क्रेडिट / डेविट नोट।

**परिशिष्ट 2.16**  
**(संदर्भ: कंडिका 2.7.3.4 (क) (I)(अ))**  
**करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं करना**

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	जीएसटीआईएन	अंचल का नाम	नकद में जमा की गयी राशि	विलम्ब की सीमा (दिनों में)	ब्याज देय
1	10XXXXXXXXXX1Z7	पाटलिपुत्र	1,41,73,868.00	900	63,78,240.60
2	10XXXXXXXXXXZW	पाटलिपुत्र	1,50,99,747.00	1 से 22	1,17,513.00
3	10XXXXXXXXXX1Z7	पाटलिपुत्र	4,45,246.00	86 से 283	26,263.00
4	10XXXXXXXXXX1ZK	पाटलिपुत्र	72,41,192.00	1 से 72	76,354.00
5	10XXXXXXXXXX1Z1	पाटलिपुत्र	27,22,452.00	29	38,935.00
6	10XXXXXXXXXX1ZO	गया	63,77,348.00	59 से 182	2,95,185.00
7	10XXXXXXXXXX1ZR	भूआ	2,35,07,052.00	14 से 62	5,89,625.00
8	10XXXXXXXXXX1ZG	दानापुर	7,38,312.00	55	20,025.45
9	10XXXXXXXXXX1Z3	मुजफ्फरपुर पूर्वी	2,99,62,691.00	1 से 123	7,97,612.00
10	10XXXXXXXXXXZE	मुजफ्फरपुर पूर्वी	64,88,390.00	3 से 238	6,45,140.00
11	10XXXXXXXXXX1ZG	कदमकुआँ	5,39,901.00	82 से 137	30,377.00
12	10XXXXXXXXXX1ZV	ओरंगाबाद	2,10,41,551.00	344	35,69,569.00
13	10XXXXXXXXXX1ZJ	ओरंगाबाद	58,64,279.00	82 से 235	4,26,017.00
14	10XXXXXXXXXX1Z5	फारविसगंज	13,77,343.00	87 से 222	1,47,513.00
15	10XXXXXXXXXX1ZF	सितामढ़ी	7,50,706.00	57 से 140	33,572.00
16	10XXXXXXXXXX1ZO	सुपौल	2,49,930.00	138 से 232	28,066.00
17	10XXXXXXXXXX1ZO	पटना उत्तरी	13,58,646.00	34 से 123	47,828.00
18	10XXXXXXXXXX1ZJ	पटना उत्तरी	2,12,85,626.00	17	1,12,437.00
19	10XXXXXXXXXX1ZU	पटना विशेष	72,00,935.00	686	24,36,086.00
20	10XXXXXXXXXX2ZI	बक्सर	2,59,40,735.00	390 से 1,060	95,70,520.00
21	10XXXXXXXXXX1ZK	शाहाबाद	28,02,451.00	361 से 511	6,34,352.00
22	10XXXXXXXXXX1ZK	सिवान	1,08,86,708.00	23 से 49	1,31,805.00
कुल			<b>20,60,55,109.00</b>	<b>1 से 1,060</b>	<b>2,61,53,035.05</b>

### परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.4 (क) (II) (अ))

करदाताओं द्वारा उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपूर्तिकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट से बेमेल होना

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	जीएसटीआईएन	अंचल का नाम	जीसएसटीआर-3बी / 9 के द्वारा उपभोग किया इनपुट टैक्स क्रेडिट	जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपभोग किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट	इनपुट टैक्स क्रेडिट* का अधिक दावा
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	10XXXXXXXXXXXX1ZM	पाटलिपुत्र	21,36,34,529.06	11,41,43,064.50	9,94,91,464.56
2	10XXXXXXXXXXXX1ZT	पाटलिपुत्र	4,33,70,322.74	51,84,523.84	3,81,85,798.90
3	10XXXXXXXXXXXX2ZT	पाटलिपुत्र	5,20,94,221.76	4,04,34,586.58	1,16,59,635.18
4	10XXXXXXXXXXXX1Z7	पाटलिपुत्र	5,46,43,140.00	5,45,69,545.00	73,595.00
5	10XXXXXXXXXXXX1ZK	पाटलिपुत्र	14,92,09,914.65	14,76,37,290.00	15,72,624.65
6	10XXXXXXXXXXXX1ZN	गया	1,03,42,422.00	79,30,874.53	24,11,547.47
7	10XXXXXXXXXXXX1ZO	गया	42,58,393.59	10,62,598.48	31,95,795.11
8	10XXXXXXXXXXXX1ZR	भूमुआ	14,80,10,813.00	12,10,68,978.85	2,69,41,834.15
9	10XXXXXXXXXXXX1ZI	भूमुआ	13,68,604.82	62,528.02	13,06,076.80
10	10XXXXXXXXXXXX1ZV	गाँधी मैदान	39,39,636.51	26,13,388.48	13,26,248.03
11	10XXXXXXXXXXXX1ZN	दानापुर	1,01,20,91,356.00	91,17,80,245.10	10,03,11,110.90
12	10XXXXXXXXXXXX1ZG	दानापुर	2,22,43,058.74	2,03,45,895.13	18,97,163.61
13	10XXXXXXXXXXXX1Z1	पटना दक्षिणी	64,33,302.00	54,10,207.27	10,23,094.73
14	10XXXXXXXXXXXX1Z3	मुजफ्फरपुर पूर्वी	18,56,35,082.22	17,50,73,243.54	1,05,61,838.68
15	10XXXXXXXXXXXX1ZZ	मुजफ्फरपुर पूर्वी	43,90,940.00	32,61,178.81	11,29,761.19
16	10XXXXXXXXXXXX2ZE	मुजफ्फरपुर पूर्वी	31,06,94,713.22	29,39,23,768.63	1,67,70,944.59
17	10XXXXXXXXXXXX1ZW	मोतिहारी	61,40,770.00	33,18,226.34	28,22,543.66
18	10XXXXXXXXXXXX1ZH	सारण	65,03,860.00	64,95,776.63	8,083.37
19	10XXXXXXXXXXXX1ZV	ओरंगाबाद	82,54,264.55	63,83,285.61	18,70,978.94
20	10XXXXXXXXXXXX1ZJ	ओरंगाबाद	1,06,11,349.57	99,82,113.72	6,29,235.85
21	10XXXXXXXXXXXX1ZR	फारविसगंज	2,43,37,693.00	1,93,18,892.00	50,18,801.00
22	10XXXXXXXXXXXX1Z5	फारविसगंज	2,14,21,297.60	1,64,36,132.19	49,85,165.41
23	10XXXXXXXXXXXX2Z7	कदमकुआँ	1,17,29,435.66	7,80,635.69	1,09,48,799.97
24	10XXXXXXXXXXXX1ZS	पटना मध्य	29,99,22,369.41	14,39,98,202.00	15,59,24,167.41
25	10XXXXXXXXXXXX1Z2	पटना मध्य	24,39,413.76	23,14,824.06	1,24,589.70
26	10XXXXXXXXXXXX1ZP	पटना सिटी पूर्वी	49,94,680.61	47,65,698.00	2,28,982.61
27	10XXXXXXXXXXXX1Z0	समस्तीपुर	1,82,34,592.70	1,09,02,829.00	73,31,763.70
28	10XXXXXXXXXXXX1ZF	सितामढ़ी	1,93,41,672.62	1,82,91,863.00	10,49,809.62
29	10XXXXXXXXXXXX1ZC	सासाराम	29,99,138.36	16,37,665.32	13,61,473.04
30	10XXXXXXXXXXXX1ZO	सासाराम	76,084.00	15,830.72	60,253.28
31	10XXXXXXXXXXXX1Z8	सासाराम	15,27,996.00	1,46,612.00	13,81,384.00
32	10XXXXXXXXXXXX1ZK	शाहाबाद	81,98,048.03	56,96,911.54	25,01,136.49
33	10XXXXXXXXXXXX1ZR	पटना विशेष	3,21,17,927.89	20,35,326.32	3,00,82,601.57
34	10XXXXXXXXXXXX1ZE	पटना विशेष	12,07,06,379.00	9,75,47,007.16	2,31,59,371.84
35	10XXXXXXXXXXXX4ZJ	पटना विशेष	2,44,28,761.16	2,15,77,283.56	28,51,477.60

क्र० सं०	जीएसटीआईएन	अंचल का नाम	जीसएसटीआर-3बी / 9 के द्वारा उपभोग किया इनपुट टैक्स क्रेडिट	जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपभोग किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट	इनपुट टैक्स क्रेडिट* का अधिक दावा
1	2	3	4	5	6 (4-5)
36	10XXXXXXXXXX1ZJ	पटना विशेष	16,04,22,339.74	14,29,62,926.38	1,74,59,413.36
37	10XXXXXXXXXX1Z6	पटना विशेष	1,48,77,640.00	1,30,43,283.20	18,34,356.80
38	10XXXXXXXXXX1ZJ	पटना विशेष	90,81,158.92	64,75,991.53	26,05,167.39
39	10XXXXXXXXXX1ZU	पटना विशेष	4,60,58,924.00	3,83,44,617.83	77,14,306.17
40	10XXXXXXXXXX1ZU	पटना विशेष	32,38,326.86	11,76,642.38	20,61,684.48
41	10XXXXXXXXXX1ZY	पटना उत्तरी	1,37,81,597.00	1,11,73,805.54	26,07,791.46
42	10XXXXXXXXXX1ZO	पटना उत्तरी	10,88,159.00	8,79,910.30	2,08,248.70
43	10XXXXXXXXXX1ZF	गोपालगंज	63,59,350.30	32,60,827.28	9,70,825.02**
44	10XXXXXXXXXX1ZD	बेगुसराय	25,84,153.64	25,31,506.00	52,647.64
<b>कुल</b>			<b>3,10,38,37,833.69</b>	<b>2,49,59,96,542.06</b>	<b>60,57,13,593.62</b>

\* उपभोग किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट = जीएसटीआर-9 का तालिका-6बी + तालिका-8सी – तालिका-7एच; उपभोग किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट जहाँ जीएसटीआर-9 दाखिल नहीं किया = तालिका-4(ए)5 – तालिका-4(बी)2

\*\* इस स्थिति में वास्तविक अत्याधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट दावा ₹ 32,60,827.28 था, कर भुगतानकर्ता द्वारा लेखापरीक्षा के परणामस्वरूप ₹ 21,27,698 जमा किया गया था, अतः मात्र ₹ 9,70,825.02 अत्याधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में लिया गया था।

**परिशिष्ट 2.18**

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.4 (क) (II) (ब))

**वार्षिक रिटर्न और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के बीच असमाशोधित इनपुट  
टैक्स क्रेडिट**

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	अंचल का नाम	वार्षिक विवरण में दावा किया इनपुट टैक्स क्रेडिट	लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार उपयोग किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट	असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	जीएसटीआर-9सी का स्तम्भ
1	2	3	4	5	6 (4-5)	8
1	10XXXXXXXXXX1ZM	पाटलिपुत्र	21,36,34,529.06	14,40,04,347.53	6,96,30,181.53	12एफ
2	10XXXXXXXXXX1ZK	पाटलिपुत्र	15,67,52,351.65	15,61,22,497.00	6,29,854.65	12एफ
3	10XXXXXXXXXX1ZG	दानापुर	2,17,68,250.00	2,17,59,155.00	9,095.00	12एफ
4	10XXXXXXXXXX1ZX	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	8,79,490.00	-3,92,79,125.00	4,01,58,615.00	12एफ
<b>कुल</b>			<b>39,30,34,620.71</b>	<b>28,26,06,874.53</b>	<b>11,04,27,746.18</b>	

**परिशिष्ट 2.19**

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.4 (क) (II)(स))

वार्षिक रिटर्न में घोषित जीएसटीआर-3बी से इनपुट टैक्स क्रेडिट में अंतर  
(राशि ₹ में)

क्र0सं0	जीएसटीआईएन	अंचल का नाम	जीएसटीआर-9 का तालिका— 6आई	जीएसटीआर-9 का तालिका—6ए	राशि (जीएसटीआर-9 का तालिका—6जे)
1	10XXXXXXXXXXXX1ZT	पाटलिपुत्र	4,38,48,239.70	4,39,18,533.50	70,293.80
2	10XXXXXXXXXXXX1ZN	गया	1,03,42,422.37	1,04,92,550.44	1,50,128.07
3	10XXXXXXXXXXXX1ZO	भमुआ	0	5,880.00	5,880.00
4	10XXXXXXXXXXXX1ZP	गाँधी ऐदान	34,23,716.04	45,25,846.00	11,02,129.96
5	10XXXXXXXXXXXX1ZN	दानापुर	84,75,35,337.00	84,94,97,391.00	19,62,054.00
6	10XXXXXXXXXXXX2ZG	तेझरा	30,22,349.00	38,01,453.65	7,79,104.65
7	10XXXXXXXXXXXX1Z6	पटना मध्य	8,56,354.93	11,99,788.00	3,43,443.07
8	10XXXXXXXXXXXX1ZN	दरभंगा	20,21,693.20	9,96,157.20	10,25,536.00
<b>कुल</b>			<b>91,10,50,112.24</b>	<b>91,44,37,599.79</b>	<b>54,38,569.55</b>

**परिशिष्ट 2.20 (क)**

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.4 (क) (II) (द))

कर का नहीं/अल्प भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं रिवर्स चार्ज के तहत किए गए भुगतान के बीच विसंगति

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	अंचल का नाम	जीएसटीआर-3बी/ जीएसटीआर-9 के अनुसार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अधीन उपभोग किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट	जीएसटीआर-3बी/ जीएसटीआर-9 के अनुसार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अधीन भुगतान किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट	अंतर
1	2	3	4	5	6 (4 - 5)
1	10XXXXXXXXXXXX1ZR	पटना उत्तरी	20,83,796.00	0.00	20,83,796.00
2	10XXXXXXXXXXXX1ZC	पटना उत्तरी	11,36,943.00	0.00	11,36,943.00
3	10XXXXXXXXXXXX1ZU	पटना विशेष	1,69,01,468.00	3,63,838.00	1,65,37,630.00
कुल			2,01,22,207.00	3,63,838.00	1,97,58,369.00

**परिशिष्ट 2.20 (ख)**

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.4 (क) (II) (द))

कर का नहीं/अल्प भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं रिवर्स चार्ज के तहत किए गए भुगतान के बीच विसंगति

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	जीएसटीआईएन	अंचल का नाम	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अधीन सेवा का विवरण	आपूर्ति का मूल्य	कर नहीं/कम भुगतान (कर की दर पाँच प्रतिशत)
1	10XXXXXXXXXXXX1Z0	सासाराम	वस्तुओं का परिवहन	2,65,17,061.00	13,25,853.00
2	10XXXXXXXXXXXX2ZT	जहानाबाद	वस्तुओं का परिवहन	5,09,204.00	25,460.00
3	10XXXXXXXXXXXX1ZB	हाजीपुर	वस्तुओं का परिवहन	9,56,118.00	47,806.00
<b>कुल</b>				<b>2,79,82,383.00</b>	<b>13,99,119.00</b>

**परिशिष्ट 2.21**

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.4 (क) (III)(अ))

जीएसटीआर-1 की तुलना में जीएसटीआर-9/3बी में कर देयता की कम स्वीकृति  
(राशि ₹ में)

क्र० सं०	जीएसटीआईएन	अंचल का नाम	जीएसटीआर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटीआर-9/ जीएसटीआर-3बी के अनुसार कर देयता	कर देयता की कम स्वीकारोक्ती
1	2	3	4	5	6 (4 - 5)
1	10XXXXXXXXXXXX1Z7	पाटलिपुत्र	86,31,442.86	52,26,770.86	34,04,672.00
2	10XXXXXXXXXXXX1ZP	गाँधी मैदान	32,16,541.13	25,14,380.28	7,02,160.85
3	10XXXXXXXXXXXX1Z3	मुजफ्फरपुर पूर्वी	20,93,54,838.29	20,92,38,119.28	1,16,719.01
4	10XXXXXXXXXXXX3ZU	पटना मध्य	1,10,35,157.72	1,06,36,183.70	3,98,974.02
5	10XXXXXXXXXXXX1ZG	कदमकुआँ	1,07,27,623.80	1,02,44,516.50	4,83,107.30
6	10XXXXXXXXXXXX1ZR	फारविसगंज	1,92,88,406.10	1,63,03,698.00	29,84,708.10
7	10XXXXXXXXXXXX1ZY	सासाराम	3,62,267.00	2,00,129.28	1,62,137.72
8	10XXXXXXXXXXXX1ZC	पटना उत्तरी	35,47,482.66	28,50,402.00	6,97,080.66
कुल			26,61,63,759.56	25,72,14,204.90	89,49,559.66

**परिशिष्ट 2.22**  
**(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.4 (क) (III) (ब))**  
**कर का कम भुगतान**

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	जीएसटीआईएन	अंचल का नाम	जीएसटीआर—9 / 9सी के अनुसार कर देयता	जीएसटीआर—9 के अनुसार कर भुगतान (तालिका—9 एवं 14)	कर का कम भुगतान
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	10XXXXXXXXXX1ZW	पाटलिपुत्र	23,12,67,838.00	22,70,84,921.00	41,82,917.00
2	10XXXXXXXXXX1ZN	गया	97,76,648.01	97,37,345.00	39,303.01
3	10XXXXXXXXXX1ZO	गया	1,74,88,369.08	1,37,98,006.00	36,90,363.08
4	10XXXXXXXXXX1ZI	भगुआ	13,30,449.00	26,768.00	13,03,681.00
5	10XXXXXXXXXX1Z1	पटना दक्षिणी	64,25,494.92	49,41,318.00	14,84,176.92
6	10XXXXXXXXXX2ZE	मुजफ्फरपुर पूर्वी	32,71,92,536.77	31,46,08,882.00	1,25,83,654.77
7	10XXXXXXXXXX1ZW	मोतिहारी	29,79,936.90	3,34,294.00	26,45,642.90
8	10XXXXXXXXXX1ZN	दरभंगा	43,85,734.88	5,44,110.00	38,41,624.88
9	10XXXXXXXXXX1Z6	पटना मध्य	49,50,000.00	0.00	49,50,000.00
10	10XXXXXXXXXX2Z7	कदमकुआँ	1,54,73,877.40	70,61,240.00	84,12,637.40
11	10XXXXXXXXXX1ZP	कदमकुआँ	32,81,618.00	12,50,000.00	20,31,618.00
12	10XXXXXXXXXX1ZG	सहरसा	45,27,722.54	43,87,442.00	1,40,280.54
13	10XXXXXXXXXX1Z0	समस्तीपुर	2,71,74,427.20	2,62,93,427.00	8,81,000.20
14	10XXXXXXXXXX1ZC	सासाराम	36,90,994.27	26,38,620.00	10,52,374.27
15	10XXXXXXXXXX1ZK	शाहाबाद	1,39,68,236.00	70,11,646.00	69,56,590.00
16	10XXXXXXXXXX1ZG	शाहाबाद	98,80,336.00	30,84,192.00	67,96,144.00
17	10XXXXXXXXXX1ZA	बिहारशरीफ	16,72,116.00	10,82,240.00	5,89,876.00
18	10XXXXXXXXXX1ZK	सिवान	3,68,80,767.62	2,63,50,404.00	1,05,30,363.62
19	10XXXXXXXXXX1ZF	गोपालगंज	30,68,968.00	30,27,301.00	41,667.00
कुल			72,54,16,074.59	65,32,62,161.00	7,21,53,914.59

### परिशिष्ट 2.23

(संदर्भ: कॉडिका 2.4.1)

सामग्री की आपूर्ति पर टीडीएस की कटौती न करने के कारण राजस्व की हानि

(राशि ₹ में)

क्र० सं	आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	सामग्री की आपूर्ति पर आपूर्तिकर्ता द्वारा संग्रहित कर	आपूर्तिकर्ता द्वारा माल एवं सेवा कर रिटर्न में कर देयता की स्थीकारोक्ती	कर का कम भुगतान
1	2	3	4	5(3-4)
1	10XXXXXXX1Z8	22,13,964.74	3,16,994.10	18,96,970.64
2	10XXXXXXX1ZE	52,80,897.76	21,13,516.50	31,67,381.26
3	10XXXXXXX2ZC	55,25,221.34	29,99,970.48	25,25,250.86
4	10XXXXXXX1ZQ	14,40,545.70	8,12,528.00	6,28,017.70
5	10XXXXXXX1ZD	16,51,214.44	0	16,51,214.44
6	10XXXXXXX1ZQ	12,97,817.24	2,592.00	12,95,225.24
7	10XXXXXXX1Z8	13,89,229.92	3,81,408.00	10,07,821.92
8	10XXXXXXX1ZJ	43,49,342.40	31,09,464.92	12,39,877.48
9	10XXXXXXX1Z0	30,01,475.70	19,17,192.56	10,84,283.14
10	10XXXXXXX1ZQ	27,55,749.94	18,20,636.44	9,35,113.50
11	10XXXXXXX1Z4	5,78,263.80	0	5,78,263.80
12	10XXXXXXX2Z7	7,27,026.46	94,202.00	6,32,824.46
13	10XXXXXXX2ZK	3,15,453.86	0	3,15,453.86
14	10XXXXXXX2Z1	35,82,793.55	32,71,459.84	3,11,333.71
15	10XXXXXXX1Z1	4,82,902.68	2,52,508.70	2,30,393.98
16	10XXXXXXX1Z1	11,01,952.48	9,23,054.08	1,78,898.40
कुल		3,56,93,852.01	1,80,15,527.62	1,76,78,324.39

**परिशिष्ट 3.1**  
**(संदर्भ: कांडिका 3.3)**

वाहनों के फिटनेस प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण नहीं होने के कारण जॉच शुल्क एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र शुल्क की वसूली न होना

क्र. सं.	जिला परिवहन कार्यालय	जॉच किये गये वाहनों की संख्या	फिटनेस वैधता की अवधि		मुग्तान किये गये कर की अवधि	वाहनों की संख्या जिनकी फिटनेस कालाती हुई	विलंब की अवधि (दिनों में)	₹ 200 की दर से फिटनेस प्रमाण–पत्र नवीनीकरण शुल्क	₹ 400 एवं ₹ 600 की दर से जॉच शुल्क	कुल
			से	तक						
1	ओरंगाबाद	9,102	नवम्बर 2019	दिसम्बर 2021	मार्च 2013	मई 2032	701	357	1,058	16 से 801
2	भागलपुर	6,789	अगस्त 2019	फरवरी 2022	दिसम्बर 2015	फरवरी 2033	3,447	348	3,795	16 से 957
3	बवत्सर	3,968	जनवरी 2017	मार्च 2022	मई 2015	जनवरी 2033	2,028	94	2,122	50 से 1,946
4	गया	5,001	मई 2019	दिसम्बर 2021	जनवरी 2013	अक्टूबर 2036	1,985	824	2,809	20 से 995
5	कटिहार	3,277	अप्रैल 2019	जनवरी 2022	जनवरी 2014	जनवरी 2033	1,673	105	1,778	17 से 1,045
6	किशनगंज	2,972	अप्रैल 2019	जनवरी 2022	अप्रैल 2017	जनवरी 2028	1,844	46	1,890	27 से 1,426
7	नालन्दा	2,929	दिसम्बर 2019	मार्च 2022	मई 2015	जनवरी 2033	1,456	112	1,568	54 से 903
8	समस्तीपुर	9,158	जनवरी 2017	जनवरी 2020	मई 2010	जून 2032	5,085	84	5,169	16 से 1,125
	<b>कुल</b>	<b>43,196</b>					<b>18,219</b>	<b>1970</b>	<b>20,189</b>	<b>40,37,800</b>
										<b>86,93,600</b>
										<b>1,27,31,400</b>

### परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: कॉडिका 3.4)

एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान के लिए परिवहन वाहनों से अर्थदंड की वसूली नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जिला परिवहन कार्यालय	जाँच किये गये वाहनों की संख्या	वाहन का वर्ग			निबंधन की अवधि			कर प्राप्ति की अवधि			विलंब दिनों में भुगतान किये गये एकमुश्त कर	भुगतान किया गया अर्थदंड	भुगतान देय अर्थदंड कम भुगतान किये गये अर्थदंड	
			हल्के मालवाहक वाहन	तिपहिया ट्रैक्टर	ई-रिक्षा	मोटर कैब	कुल	से	तक	से	तक				
1	ओरंगाबाद	2,878	0	0	29	4	0	33	जून 2020	अगस्त 2020	जूलाई 2020	32,169	8,43,354	0	12,97,721
2	बंका	11,105	3	1	32	0	0	36	मई 2015	नवंबर 2017	फरवरी 2018	31-584	7,77,311	0	7,73,284
3	भागलपुर	1,754	0	0	30	0	0	30	दिसम्बर 2019	जनवरी 2021	दिसम्बर 2020	32-469	8,05,737	0	12,79,774
4	बुकमसर	6,119	2	13	68	18	0	101	अगस्त 2016	दिसम्बर 2019	अगस्त 2019	31-162	19,06,515	0	12,79,774
5	गया	6,801	0	19	7	7	0	33	अप्रैल 2019	मार्च 2021	अप्रैल 2020	32-130	4,09,902	0	21,95,339
6	कटिहार	8,156	7	10	37	8	0	62	अगस्त 2019	सितंबर 2021	मार्च 2021	32-259	12,30,043	0	3,38,824
7	किशनगंज	7,510	41	70	65	7	5	188	सितंबर 2017	जनवरी 2021	सितंबर 2020	31-287	31,55,130	0	16,21,375
8	समस्तीपुर	6,908	51	6	5	0	16	78	फरवरी 2017	फरवरी 2020	फरवरी 2017	31-388	18,20,666	0	16,80,193
9	सीतामढ़ी	10,586	9	5	4	0	2	20	जूलाई 2017	जूलाई 2020	जून 2017	31-348	3,08,352	0	4,15,832
	<b>कुल</b>	<b>61,817</b>	<b>113</b>	<b>124</b>	<b>277</b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>581</b>				<b>1,12,57,010</b>	<b>0</b>	<b>1,05,29,612</b>	<b>1,05,29,612</b>

**परिषिक्षा 3.3**  
**(संदर्भ: कॉडिका 3.5)**  
**मोटर वाहन कर की वसूली नहीं होना**

क्र.सं.	जिला परिवहन कार्यालय	जॉच किये गये वाहनों की संख्या	कर चूककर्ता वाहनों की संख्या	निबंधन अवधि		देय कर की अवधि	देय कर	देय सङ्कर सुरक्षा उपकर (एक प्रतिशत की दर से)	देय अर्थांड	कुल
				01/2007 से 09/2020	02/2019 से 03/2021					
1	ओरंगाबाद	1,337	266	01/2007 से 09/2020	02/2019 से 03/2021	48,12,253	48,141	96,24,506	1,44,84,900	
2	भागलपुर	729	541	01/2007 से 10/2020	02/2019 से 03/2021	96,94,142	96,945	1,93,88,284	2,91,79,371	
3	बाबतपुर	464	341	01/2008 से 12/2020	05/2016 से 03/2022	1,01,38,268	1,01,390	2,02,76,536	3,05,16,194	
4	गया	1,138	926	01/2007 से 10/2020	02/2019 से 03/2021	1,92,13,979	1,92,162	3,84,27,958	5,78,34,099	
5	कटिहार	255	172	01/2007 से 03/2020	05/2017 से 03/2021	33,30,418	33,294	66,60,836	1,00,24,548	
6	किशनगंज	156	95	03/2005 से 03/2020	09/2016 से 03/2021	24,30,301	24,307	48,60,602	73,15,210	
7	नालंदा	990	467	01/2010 से 09/2021	02/2019 से 03/2022	1,11,89,735	1,11,906	2,23,79,470	3,36,81,111	
8	पटना	1,426	904	01/2016 से 01/2021	02/2020 से 12/2020	1,04,96,836	1,05,044	2,09,93,672	3,15,95,552	
9	समस्तपुर	266	84	03/2005 से 02/2020	02/2017 से 03/2021	23,14,498	23,139	46,28,996	69,66,633	
	<b>कुल</b>	<b>6,761</b>	<b>3,796</b>			<b>7,36,20,430</b>	<b>7,36,328</b>	<b>14,72,40,860</b>	<b>22,15,97,618</b>	

**परिशिष्ट 4.1**  
**(सदर्म कंडिका 4.4)**  
**तोषण की कम गणना**

परियोजना का नाम मौजा							परियोजना का नाम मौजा	
क्र0 सं0	परियोजना का नाम मौजा	मूलि अधिग्रहित (एकड़ मे)	मूलि अधिग्रहित (एकड़ मे)	कब्जे की तारीख / अधिग्रहण की तारीख, इनमें से जो पहले हो	मूलि पर अवस्थित परिसंपत्तियों का मूल्य	दिनांक 31.03.2023 तक कब्जे की तिथि के बाद विलंब दिनों में	RFCTLARR अधिनियम के धारा 80 के अधीन कुल आरोप्य/ देय व्याज	
1	झोरी चौक से महदेवमठ तक भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना	महदेव बोलहर झोरी दाढ़ी लोकही जमसर धरहारा अंधरामठ	5.474 0.423 0.829 7.048 2.243 3.502 3.046 12.044	0.16618 0.00962 0.11945 0.25043 0.18231 0.08041 0.28617 0.25405	04.03.2017 04.03.2017 04.03.2017 04.03.2017 04.03.2017 04.03.2017 04.03.2017 04.03.2017	34,70,270 1,31,825 26,22,194 46,79,250 69,75,213 17,31,430 87,42,254 47,15,560	2,218 2,218 2,218 2,218 2,218 2,218 2,218 2,218	29,54,958.67 1,12,249.89 22,32,816.15 39,84,413.42 59,39,441.64 14,74,324.50 74,44,089.16 40,15,331.64
2	जयनगर से वर्दीवास रेल लाइन परियोजना के लिए भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना	जयनगर 1.27251	0.09551	17.04.2018	16,72,113	1,809	11,42,763.25	
कुल							<b>3,47,40,109</b>	
(राशि ₹ मे)							<b>2,93,00,388.34</b>	

## परिषिक्षा 4.2

## (सदर्भ कालिका 4.5)

अतिरिक्त मुआवजे का कम भुगतान किया जाना  
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0ओ० I और II डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0ओ० II डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0ओ० जिला मु-अर्जन पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम), का निर्माण परियोजना

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	मौजा	अधिसूचना की तिथि	कब्जे की तिथि / अधिनियम की तिथि, इनमें से जो पहले हो	भूमि का बाजार मूल्य	अतिरिक्त मुआवजे की अवधि (एस0आई0ए० की अधिसूचना से लेकर अधिनियम / कब्जा की तिथि के अनुमान तक, जो पहले हो) दिनों में	भूमि के बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजे की गणना की गयी राशि जिला मु-अर्जन पदाधिकारी रोहतास (सासाराम)	अंतर	अवधि (दिनों में) कब्जे की तिथि से (31.03.2023 तक)	RFCTLARR	
1	04/20-21 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0ओ० -I	अहरानो	23.06.2020	<u>21.06.2022</u> 21.02.2021	1,47,497	244	11,832.09	4,056.00	7,776.09	283	542.62
2	05/20-21 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0ओ० -I	आहराव	08.05.2020	<u>21.06.2022</u> 04.03.2021	45,76,779	301	4,52,913.03	1,69,340.00	2,83,573.03	283	19,787.96
3	01/21-22 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0ओ० -I	मदेनी	08.05.2020	<u>06.06.2022</u> 19.04.2021	2,28,34,160	347	26,04,971.02	10,22,970.00	15,82,001.02	298	1,16,244.57
4	01/21-22 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0ओ० -I	मदेनी	08.05.2020	<u>06.06.2022</u> 06.07.2021	1,40,40,370	425	19,61,805.12	10,15,119.00	9,46,686.12	298	69,561.98
5	09/21-22 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0ओ० -I	ठथोपुर	08.05.2020	<u>03.02.2023</u> 26.05.2021	1,51,25,429	384	19,09,533.61	9,07,525.00	10,02,008.61	56	90,180.77
6	10/21-22 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0ओ० -I	डिलियाँ	08.05.2020	<u>03.02.2023</u> 23.07.2021	7,77,84,140	442	1,13,03,207.63	60,20,492.00	52,82,715.63	56	4,75,444.41
7	01/20-21 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0ओ० -II	करमडिहा	23.06.2020	<u>01.04.2021</u> 13.02.2021	1,48,72,876	236	11,53,972.19	4,09,004.00	7,44,968.19	729	1,78,486.21

क्र० सं	परियोजना का नाम	मौजा	अधिसूचना की तिथि	कब्जे की तिथि / अधिनियम की तिथि, इनमें से जो पहले हो	भूमि का बाजार मूल्य	अतिरिक्त मुआवजे की अवधि (एस0आई0 की अधिसूचना से लेकर अधिनियम / कब्जा की तिथि के अनुमोदन तक, जो पहले हो) दिनों में	भूमि के बाजार मूल्य पर 12 वर्ष की दर से प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रतिशत मुआवजे की गणना की अवधि जिला भुज-अरंजन पदाधिकारी द्वारा साझारम्)	अंतर	अवधि (दिनों में) कब्जे की तिथि से (31.03.2023 तक)	RFC TLARR अधिनियम के धारा 80 के अधीन कुल आरोग्य / देय व्याज
8	02/20-21 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0ओ- II	झुंडा	23.06.2020	01.04.2021 21.02.2021	78,49,932	244	6,29,715.09 2,15,873.00	4,13,842.09 4,13,842.09	729	99,152.03
9	03/20-21 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0ओ- II	सुंभा	23.06.2020	01.04.2021 21.02.2021	4,99,458	244	40,066.11 13,735.00	26,331.11 26,331.11	729	6,308.65
10	07/20-21 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0ओ- II	मदेनी	23.06.2020	06.06.2022 19.04.2021	1,23,94,351	301	12,26,531.39 5,55,267.00	6,71,264.39 6,71,264.39	298	49,324.14
11	02ए/21-22 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0ओ- II	मदेनी	08.05.2020	06.06.2022 06.07.2021	1,20,36,610	425	16,81,827.70 9,14,782.00	7,67,045.70 7,67,045.70	298	56,362.10
12	01/19-20 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0बी0	रसेंटुआ	01.03.2019	20.08.2019 03.07.2019	49,50,512	125	2,03,445.70 99,010.00	1,04,435.70 1,04,435.70	1,319	50,343.73
13	03/19-20 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0बी0	कुर्था	01.03.2019	20.08.2019 03.07.2019	12,79,622	125	52,587.21 25,592.00	26,995.21 26,995.21	1,319	13,013.17
14	10/19-20 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0बी0	मदेनी	01.03.2019	06.06.2022 03.07.2019	3,00,50,508	125	12,34,952.38 6,01,010.00	6,33,942.38 6,33,942.38	298	46,581.74
15	07/19-20 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0बी0	कुम्हज	01.03.2019	20.08.2019 03.07.2019	68,45,447	125	2,81,319.74 1,36,908.90	1,44,410.84 1,44,410.84	1,319	69,613.94
16	13/19-20 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0बी0	अमरा	01.03.2019	20.08.2019 03.07.2019	2,03,96,281	125	8,38,203.33 4,07,925.60	4,30,277.73 4,30,277.73	1,319	2,07,417.44

क्र० सं	परियोजना का नाम	मौजा	अधिसूचना की तिथि	कब्जे की तिथि / अधिनिर्णय की तिथि, इनमें से जो पहले हो	भूमि का बाजार मूल्य	अतिरिक्त मुआवजे की अवधि (एस0आई0040 की आधिसूचना से लेकर अधिनिर्णय / कब्जा की तिथि के अनुमोदन तक, जो पहले हो) दिनों में	भूमि के बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजे की गणना की गयी राशि	12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजे की गणना की गयी राशि	अंतर	अवधि (दिनों में) कब्जे की तिथि से (31.03.2023 तक)	RFCTLARR अधिनियम के धारा 80 के अधीन कुल आरोप्य / देय व्याज
17	16/19-20 डेढिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0040बी0	गांगोली	01.03.2019	20.08.2019 03.07.2019	61,98,445	125	2,54,730.62	1,23,968.00	1,30,762.62	1,319	683,034.75
18	15/19-20 डेढिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0040बी0	तेंदुआसाधी	01.03.2019	20.08.2019 03.07.2019	1,50,07,929	125	6,16,764.21	3,00,158.60	3,16,605.61	1,319	1,52,621.25
19	12/19-20 डेढिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0040बी0	अमरी	01.03.2019	20.08.2019 03.07.2019	1,96,77,481	125	8,08,663.60	3,93,549.60	4,15,114.00	1,319	2,00,107.69
20	04/19-20 डेढिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0040बी0	बैरेला	01.03.2019	20.08.2019 03.07.2019	21,38,545	125	87,885.41	42,770.90	45,114.51	1,319	21,747.67
21	14/19-20 डेढिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0040बी0	करवंदीया	01.03.2019	20.08.2019 03.07.2019	2,36,46,389	125	9,71,769.41	4,72,927.80	4,98,841.61	1,319	2,40,468.99
22	08/19-20 डेढिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0040बी0	मोहहिंज	01.03.2019	20.08.2019 03.07.2019	1,48,56,982	125	6,10,560.90	2,97,139.60	3,13,421.30	1,319	1,51,086.24
23	09/19-20 डेढिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0040बी0	धनपुरवा	01.03.2019	20.08.2019 03.07.2019	51,43,602	125	2,11,380.90	1,02,872.10	1,08,508.80	1,319	52,307.19
24	11/19-20 डेढिकेटेड फ्रेट दवनपुर कॉरिडोर आरएफ0040बी0	दवनपुर	01.03.2019	20.08.2019 03.07.2019	1,25,15,974	125	5,14,355.10	2,50,319.50	2,64,035.60	1,319	1,27,279.63
25	06/19-20 डेढिकेटेड किरहिन्डी आरएफ0040बी0	किरहिन्डी	01.03.2019	20.08.2019 03.07.2019	61,08,471	125	2,51,033.05	1,22,169.40	1,28,863.65	1,319	62,119.34
	फ्रेट कॉरिडोर आरएफ0040बी0										
	कुल						2,99,14,026.54	1,46,24,485.00	1,52,89,541.54		26,19,138.20

### परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: कॉडिका 4.5)

#### अतिरिक्त मुआवजे का कम भुगतान किया जाना भारत-नेपाल सीमा सङ्क परियोजना (आरप्रिया)

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	मौजा	एस0आई००१० के अधिसूचना की तिथि	कल्जा / अधिनिर्णय की तारिख, तिथि, इनमें से जो पहले हो	मूमि का बाजार मूल्य	अतिरिक्त मुआवजे की अवधि (एस0आई००१० की अधिसूचना से लेकर अधिनिर्णय / अनुमोदन तक, जो पहले हो), दिनों में	मूमि के बाजार मूल्य पर १२ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजे की दर से अतिरिक्त मुआवजा की गणना की राशि, कार्यालय जिला मू-आर्जन पदाधिकारी अरप्रिया द्वारा गणना किया गया	अंतर अवधि (दिनों में) तिथि कल्जा की तारिख से (३१.०३.२०२३ तक)	RFCTLARR अधिनियम के द्वारा ८० के अधीन कुल आरोप्य / देय व्याज	
1	पहाड़ी मगरवी	28.10.2016 03.10.2018 23.07.2019	08.01.2019 23.07.2019	83,17,760 4,47,200 802	705	19,27,897.25 11,30,490.33	9,98,131 5,14,500	9,29,766.25 6,15,990.33	1,640 1,543
2	आशाभाग	28.10.2016 08.01.2019 23.07.2019	<b>कुल</b> <b>42,87,500</b>	38,40,300					3,53,645.96
3	परासी	28.10.2016 10.12.2018 23.07.2019	<b>कुल</b> <b>13,93,000</b>	7,07,000 6,86,000	773	3,54,012.82 1,67,160	1,86,852.82 1,86,852.82	1,572	1,09,500.87
4	कुआडी	28.10.2016 03.10.2018 23.07.2019	<b>कुल</b> <b>13,93,000</b>	1,62,48,120	705	37,66,002.61 19,49,774	18,16,228.61 1,640		11,15,114.61
5	सिकितिया	28.10.2016 03.10.2018 23.07.2019		40,60,875	705	9,41,232.95 4,87,305	4,53,927.95 1,640		2,78,699.32

क्र० सं	मौजा	एस0आई0050 के अधिसूचना की तिथि	कवजा / अधिनिधि की तारिख, तिथि, इनमें से जो पहले हो	भूमि का बाजार मूल्य	अतिरिक्त मुआवजे की अवधि (एस0आई0050 की अधिसूचना से लेकर आधिनिधि/कवजा की तिथि के अनुमोदन तक, जो पहले हो), दिनों में	भूमि के बाजार मूल्य पर 12 वर्ष की प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजे की दर से अतिरिक्त मुआवजा की गणना की गयी राशि, कार्यालय जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अरसिया द्वारा गणना किया गया	अंतर	अवधि (दिनों में) तिथि कवजा की तारिख से (31.03.2023 तक)	RFCTLARR अधिनिधि के द्वारा 80 के अधीन कुल आरोग्य/देय व्याज	
6	हरिया	28.10.2016	08.01.2019 23.07.2019	5,21,600	802	15,51,111.95	7,05,930	8,45,181.95	1,543	4,85,227.06
			08.01.2019 23.07.2019	53,61,150						
				<b>कुल</b>	<b>58,82,750</b>					
7	लैलोखर	28.10.2016	03.10.2018 23.07.2019	1,38,28,480	705	32,05,176.46	16,59,418	15,45,758.46	1,640	9,49,053.34
8	अमृता कालाखीला	28.10.2016	08.01.2019 23.07.2019	54,65,930	802	14,41,208.50	6,55,912	7,85,296.50	1,543	4,50,846.25
9	रजौला	28.10.2016	10.12.2018 23.07.2019	1,59,45,160	773	40,52,254.91	19,13,419	21,38,835.91	1,572	12,53,416.44
10	पगड़ेरा	28.10.2016	10.12.2018 23.07.2019	23,23,125	773	17,89,914.75	8,45,173	9,44,741.75	1,572	5,53,644.55
			10.12.2018 23.07.2019	47,19,985						
				<b>कुल</b>	<b>70,43,110</b>					
11	चेता	28.10.2016	06.07.2019 23.07.2019	34,02,680	981	10,97,434.22	4,08,322	6,89,112.22	1,364	3,44,933.71
12	मेहदीपुर	28.10.2016	06.07.2019 23.07.2019	22,940 65,66,320	981	21,25,171.75	7,90,711	13,34,460.75	1,364	6,67,961.59
				<b>कुल</b>	<b>65,89,260</b>					

क्र० सं	मौजा	एस0आई0050 के अधिसूचना की तिथि	कवजा / अधिनियम की तिथि	भूमि का बाजार मूल्य	अतिरिक्त मुआवजे की अवधि (एस0आई0050 की अधिसूचना से पहले हो)	भूमि के बाजार मूल्य पर 12 वर्ष की प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजे की दर से अतिरिक्त मुआवजा की राशि, अधिनियम/ गेकर अधिनियम/ कवजा की तिथि के अनुमोदन तक, जो पहले हो), दिनों में	अंतर	अवधि (दिनों में) तिथि कवजा की तारिख से (31.03.2023 तक)	RFCTLARR अधिनियम के द्वारा 80 के अधीन कुल आरोग्य/देय व्याज	
13	बटरहाट	28.10.2016	<u>26.07.2019</u> 23.07.2019 <u>26.07.2019</u> 23.07.2019	6,39,220	998	1,08,37,876.43	39,63752	68,74,124.43	1,344	33,84,329.21
14	चिकनी	28.10.2016	<u>26.07.2019</u> 23.07.2019 <u>कुल</u> <b>3,30,31,270</b>	17,04,300	998	60,35,208.41	22,07,266	38,27,942.41	1,344	18,84,606.17
15	सुन्दरी	28.10.2016	<u>26.07.2019</u> 23.07.2019	33,09,480	998	10,85,872.12	3,97,138	6,88,734.12	1,344	3,39,083.62
16	परासी	28.10.2016	<u>28.09.2019</u> 23.07.2019	1,53,10,200	998	50,23,423.43	18,37,224	31,86,199.43	1,280	14,84,856.23
17	कटफर	28.10.2016	<u>31.08.2019</u> 23.07.2019 <u>कुल</u> <b>75,12,645</b>	12,35,800 62,76,845	998	24,64,970.86	9,01,517	15,63,453.86	1,308	7,46,602.76
18	विशनपुर	28.10.2016	<u>31.08.2019</u> 23.07.2019 <u>कुल</u> <b>1,03,17,400</b>	19,49,400 83,68,000	998	33,85,237.87	12,38,088	21,47,149.87	1,308	10,25,337.60
19	मधुबनी	28.10.2016	<u>30.06.2020</u> 23.07.2019 <u>कुल</u>	2,68,73,055	998	88,17,307.03	32,24,767	55,92,540.03	1,004	19,71,944.94
20	भटुआ	28.10.2016	<u>30.06.2020</u> 23.07.2019 <u>कुल</u> <b>1,49,38,310</b>	56,37,620 93,00,690	998	49,01,402.76	17,92,597	31,08,805.76	1,004	10,96,173.43
21	सेदाबाद	28.03.2017	<u>17.01.2019</u> 06.08.2019	1,72,31,800	660	37,39,064.55	20,67,816	16,71,248.55	1,534	9,53,298.49

क्र० सं	मौजा	एस0आई0050 के अधिसूचना की तिथि	कवजा / अधिनिधि की तारिख, तिथि, इनमें से जो पहले हो	भूमि का बाजार मूल्य	अतिरिक्त मुआवजे की अवधि (एस0आई0050 की अधिसूचना से लेकर आधिनिधि/कवजा की तिथि के अनुमोदन तक, जो पहले हो), दिनों में	भूमि के बाजार मूल्य पर 12 वर्ष की प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजे की दर से अतिरिक्त मुआवजा की गणना की गयी राशि, कार्यालय जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अरसिया द्वारा गणना किया गया	अंतर	अवधि (दिनों में) तिथि कवजा की तारिख से (31.03.2023 तक)	RFCTLARR अधिनिधि के द्वारा 80 के अधीन कुल आरोग्य/देय व्याज	
22	मुरारीपुर	28.03.2017	17.01.2019 06.08.2019	71,26,175	660	15,46,282.36	8,55,141	69,11,41.36	1,534	3,94,234.61
23	सैदपाखर	28.03.2017	12.12.2020 06.08.2019	16,32,500 2,08,88,000	861	63,74,844.00	27,02,460	36,72,384.00	839	10,45,874.84
24	आमगाढ़ी	28.03.2017	17.01.2019 06.08.2019	8,66,240 <b>कुल</b> <b>1,05,01,475</b>	660	22,78,676.22	12,60,177	10,18,499.22	1,534	5,80,963.12
25	सिकटी	28.03.2017	28.09.2019 06.08.2019	14,97,420 <b>कुल</b> <b>2,72,99,635</b>	861	77,27,666.54	32,75,956	44,51,710.54	1,280	20,74,619.08
26	मजरख	28.03.2017	05.11.2019 06.08.2019	22,00,905	861	6,23,006.86	2,64,109	3,58,897.86	1,242	1,61,651.53
27	अराजी आमगाढ़ी	28.03.2017	07.03.2022 06.08.2019	21,16,000	861	5,98,972.93	2,53,920	3,45,052.93	389	34,458.03
28	दहीपुरा	28.03.2017	07.03.2022 06.08.2019	29,04,900	861	8,22,285.67	3,48,588	4,73,697.67	389	47,304.88
29	पहाड़ा	28.03.2017	07.03.2022 06.08.2019	53,55,715	861	15,16,034.17	6,42,686	8,73,348.17	389	87,215.18
30	पहाड़ा सिकटी	28.03.2017	10.03.2021 06.08.2019	61,45,500	861	17,39,597.42	7,37,460	10,02,137.42	751	2,49,161.56
31	बरमसिया	28.03.2017	05.11.2019 06.08.2019	11,14,700 <b>कुल</b> <b>2,16,23,900</b>	861	61,21,044.79	25,94,868	35,26,176.79	1,242	15,88,228.67

क्र० सं	मौजा	एस0आई0050 के अधिसूचना की तिथि	कवजा / अधिनियम की तिथि	भूमि का बाजार मूल्य	अतिरिक्त मुआवजे की अवधि (एस0आई0050 की अधिसूचना से पहले हो)	भूमि के बाजार मूल्य पर 12 वर्ष की प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजे की दर से अतिरिक्त मुआवजा की गणना की गयी राशि, कार्यालय जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अरसिया द्वारा गणना किया गया	अंतर	अवधि (दिनों में) तिथि कवजा की तारिख से (31.03.2023 तक)	RFCTLARR अधिनियम के द्वारा 80 के अधीन कुल आरोग्य / देय व्याज	
32	बरमासिया रानीकाटा	28.03.2017	05.11.2019 06.08.2019	32,19,300 <b>कुल 3,52,37,000</b>	861	99,74,484.49	42,28,440	57,46,044.49	1,242	25,88,081.41
33	बारमासिया सिमरबनी	28.03.2017	04.01.2020 06.08.2019	35,29,600 <b>कुल 3,02,74,450</b>	861	85,69,742.94	36,32,934	49,36,808.94	1,182	21,01,863.31
34	परड़िया रानीकटा	28.03.2017	10.03.2021 06.08.2019	3,93,450 <b>कुल 2,11,10,900</b>	861	1,11,373.30	47,214	64,159.30	751	15,951.94
35	भेरोंगंज	11.05.2016	20.01.2021 19.01.2019	82,69,200 <b>कुल 1,78,65,000</b>	983	68,22,580.18	14,77,763	53,44,817.18	800	14,36,511.14
36	कोचगाँवा	11.05.2016	05.11.2019 19.01.2019	51,05,000 <b>कुल 1,78,65,000</b>	983	57,73,576.44	12,50,550	45,23,026.44	1,242	20,37,220.68
37	चकोड़वा	11.05.2016	20.01.2021 19.01.2019	67,70,000 <b>कुल 74,50,000</b>	983	24,07,676.71	5,21,500	18,86,176.71	800	5,06,942.29
38	पोखरिया	11.05.2016	05.06.2021 19.01.2019	63,50,400 <b>कुल</b>	983	20,52,310.09	4,44,528	16,07,782.09	664	3,42,259.37
39	गुआडपुच्छरी	11.05.2016	30.01.2021 19.01.2019	51,30,000 <b>कुल</b>	983	16,57,903.56	3,59,100	12,98,803.56	790	3,43,738.15

क्र० सं	मौजा	एस0आई0050 के अधिसूचना की तिथि	कवजा / अधिनिधि की तारिख, तिथि, इनमें से जो पहले हो	भूमि का बाजार मूल्य	अतिरिक्त मुआवजे की अवधि (एस0आई0050 की अधिसूचना से लेकर आधिनिधि/कवजा की तिथि का अनुमोदन तक, जो पहले हो), दिनों में	भूमि के बाजार मूल्य पर 12 वर्ष की अवधि (एस0आई0050 की अधिसूचना से लेकर आधिनिधि/कवजा की तिथि का अनुमोदन तक, जो पहले हो), दिनों में	12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजे की गणना की गयी राशि, कार्यालय जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अरसिया द्वारा गणना किया गया	अंतर	अवधि (दिनों में) तिथि कवजा की तारिख से (31.03.2023 तक)	RFCTLARR अधिनिधि के द्वारा 80 के अधीन कुल आरोग्य/देय व्याज	
40	पीपरा	14.07.2016	<u>17.01.2019</u> 22.11.2018	39,10,725 <b>62,04,775</b>	861	28,63,379.34	12,13,860	16,49,519.34	1,534	9,40,903.91	
41	रामगंज	14.07.2016	<u>30.08.2018</u> 22.11.2018	28,04,200 <b>60,41,825</b>	777	22,59,735.26	10,61,523	11,98,212.26	1,674	7,52,411.64	
42	आमगाढ़ी	14.07.2016	<u>30.01.2021</u> 22.11.2018	6,76,000 <b>15,19,250</b>	861	6,21,406.11	2,63,430	3,57,976.11	790	94,741.07	
43	बढ़ुआ	14.07.2016	<u>28.09.2021</u> 22.11.2018	16,15,250 <b>60,91,500</b>	861	21,81,538.11	9,24,810	12,56,728.11	549	2,08,134.83	
44	वैजनाथपुर	14.07.2016	<u>31.08.2021</u> 22.11.2018	36,40,875 <b>75,76,650</b>	861	31,75,327.90	13,46,103	18,29,224.90	577	3,23,998.33	
45	वरनीपुर	14.07.2016	<u>31.08.2019</u> 22.11.2018	12,500 <b>46,00,000</b>	861	13,05,653.42	5,53,500	7,52,153.42	1,308	3,59,179.02	
46	भेरियारी	14.07.2016	<u>25.07.2018</u> 22.11.2018	26,25,000 <b>4,01,78,125</b>	741	1,04,27,544.86	51,36,375	52,91,169.86	1,710	34,00,845.07	
47	जागीर कुलहरिया	14.07.2016	<u>17.01.2019</u> 22.11.2018	93,000 <b>34,87,400</b>	861	10,13,498.43	4,29,648	5,83,850.43	1,534	3,33,034.68	
				<b>35,80,400</b>							

क्र0 सं0	मौजा	एस0आई0०५० के अधिसूचना की तिथि	कवजा / अधिनिधि की तारिख, तिथि, इनमें से जो पहले हो	भूमि का बाजार मूल्य	अतिरिक्त मुआवजे की अवधि (एस0आई0०५० की अधिसूचना से लेकर आधिनिधि / कवजा की तिथि का अनुमोदन तक, जो पहले हो), दिनों में	भूमि के बाजार मूल्य पर १२ वर्ष की अवधि (एस0आई0०५० की अधिसूचना से लेकर आधिनिधि / कवजा की तिथि का अनुमोदन तक, जो पहले हो), दिनों में	अंतर	अवधि (दिनों में) तिथि कवजा की तारिख से (31.03.2023 तक)	RFCTLARR अधिनिधि के द्वारा 80 के अधीन कुल आरोग्य / देय व्याज	
48	कुसमाहा	14.07.2016	31.08.2019 22.11.2018	11,44,800 35,81,250	861	13,37,795.85	5,67,126	7,70,669.85	1,308	3,68,021.25
49	मीरगंज	14.07.2016	05.06.2021 22.11.2018	1,08,61,800 <b>कुल 47,26,050</b>	861	30,74,633.36	13,03,416	17,71,217.36	664	3,77,050.93
50	नीरपुर	14.07.2016	25.07.2018 22.11.2018	42,97,500 2,18,50,000 <b>कुल 2,61,47,500</b>	741	63,69,960.82	31,37,700	32,32,260.82	1,710	20,77,502.43
51	नीज कुलहरिया	14.07.2016	03.08.2018 22.11.2018	17,53,725 21,46,375 <b>कुल 39,00,100</b>	750	9,61,668.49	4,68,012	4,93,656.49	1,701	3,15,466.78
			कुल योग			17,19,82,472.58	7,00,28,817	10,19,53,655.58		4,52,06,696.84

## परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ: कॉडिका 4.5)

अतिरिक्त मुआवजे का कम भुगतान किया जाना  
56वी० बटालियन सशस्त्र सीमा बल, बथनाहा परियोजना (अररिया)

अवधि (दिनों में)							अवधि (दिनों में)	अवधि (दिनों में)	
क्र0 सं०	मौजा	एस0आई०५० के अधिसूचना की तिथि	कब्जे की तिथि / अधिनिधि की तिथि, इनमें से जो पहले हो	भूमि का बाजार मूल्य	अतिरिक्त मुआवजे की अवधि (एस0आई०५० की अधिसूचना से लेकर अधिनिधि / कब्जे की तिथि क अनुमोदन तक, जो पहले हो), दिनों में	भूमि के बाजार मूल्य पर, १२ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजे की राशि	कार्यालय भू-अर्जन पदाधिकारी, अररिया द्वारा प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजे की राशि	अंतर कार्यालय भू-अर्जन पदाधिकारी, अररिया द्वारा प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजे की गणना की राशि	अंतर
1	भागपरासी	05.06.2017	21.01.2019 18.06.2019	9,10,000	595	1,78,010.96	1,09,200.00	68,810.96	1,530
2	पथराहा	05.06.2017	03.08.2019 18.06.2019	32,90,000	743	8,03,661.37	3,94,800.00	4,08,861.37	1,336
3	झुमरबन्ना	05.06.2017	31.10.2018 18.06.2019	37,62,500	513	6,34,573.97	4,51,500.00	1,83,073.97	1,612
4	बसमतिया	05.06.2017	24.12.2018 18.06.2019	99,57,500	567	18,56,187.12	11,94,900.00	6,61,287.12	3,83,727.70
5	दमादिधी	05.06.2017	14.03.2019 18.06.2019	13,82,500	647	2,94,074.79	1,65,900.00	1,28,174.79	1,478
<b>कुल</b>					<b>37,66,508.21</b>	<b>23,16,300.00</b>	<b>14,50,208.21</b>	<b>8,03,273.45</b>	

## परिशिष्ट 5.1

(संदर्भ: कांडिका 5.3)

**मूमि के अल्प मूल्यांकन के कारण मुदांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली**

(राशि ₹ में)													
क्र0. सं0	कार्यालय का नाम	टोकन सं0 / दस्तावेज सं0	दस्तावेज का प्रकार	बिक्री विलेख के अनुसार मूल्यांकन	डिसमील के अनुसार मूल्य पंजी (डिसमील में भूमि का क्षेत्रफल)	न्यूनतम मूल्य पंजी के अनुसार मूल्यांकन	देय मुदांक शुल्क (प्रतिशत की दर से मुदांक शुल्क)	मुदांक शुल्क की कम वसूली	निबंधन फीस का भुगतान	निबंधन फीस की कम वसूली	कुल मुदांक शुल्क और निबंधन फीस की कम वसूली	अन्य टोकन संख्या / विलेख संख्या की टिप्पणी	
1	जिला अवर नि�बंधक और नावाद	11842 114488	पटा	3,27,47,000	4,49,100 (191.5)	8,60,02,650	7,74,024 (6)	2,96,780	4,77,244	2,58,008	98,260	1,59,748	6,36,992 <u>1423</u> <u>1358</u>
2	जिला अवर निबंधक पटना	2530 2757	बिक्री	1,00,00,000	30,00,000 (12.5)	3,75,00,000 (8.3)	31,12,500 (8.3)	8,31,000	22,81,500	7,87,500	2,10,000	5,77,500	28,59,000 <u>1849</u> <u>2141</u>
3	जिला अवर निबंधक पटना	11977 10949	विकास एकरार	10,82,82,000	30,00,000 (65.625)	19,68,75,000	39,37,500 (2)	21,66,700	17,70,800	-	-	-	17,70,800 <u>12454</u> <u>1016</u>
4	जिला अवर निबंधक मुजफ्फरपुर	12960 12008	बिक्री	55,50,000	15,50,000 (10)	1,55,00,000	12,40,000 (8)	4,44,000	7,96,000	3,10,000	1,11,000	1,99,000	9,95,000 <u>15911</u> <u>15122</u>
5	अवर निबंधक पटना सिटी	7056 6964	बिक्री	71,25,000	19,44,000 (9.375)	1,82,25,000	14,58,000 (8)	5,70,300	8,87,700	3,64,500	1,42,650	2,21,850	11,09,550 <u>7186</u> <u>7091</u>
6	अवर निबंधक पटना सिटी	10616 10869	बिक्री	22,50,000	15,79,500 (6.25)	98,71,875	7,89,750 (8)	1,79,000	6,10,750	1,97,438	45,000	1,52,438	7,63,188 <u>11368</u> <u>11269</u>
7	अवर निबंधक पटना सिटी	5174 5140	बिक्री	47,50,000	19,44,000 (6.25)	1,21,50,000	9,72,000 (8)	3,79,000	5,93,000	2,43,000	95,000	1,48,000	7,41,000 <u>7304</u> <u>7218</u>
8	अवर निबंधक डेहरी, रोहतास	3137 3064	बिक्री	51,11,111 (665)	74,900	4,98,08,500	29,88,510 (6)	3,06,720	26,81,790	9,96,170	1,02,240	8,93,930	35,75,720 -
				<b>34,89,40,111</b>		<b>1,19,99,33,025</b>	<b>1,52,72,284</b>	<b>51,73,500</b>	<b>1,00,98,784</b>	<b>31,56,616</b>	<b>8,04,150</b>	<b>23,52,466</b>	<b>1,24,51,250</b>
				<b>फुल</b>									

## परिशिष्ट 6.1

(संदर्भ: कांडिका 6.2.3)

वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के दौरान राज्य साठेऽठ० (इस प्रतिवेदन में शामिल) का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

क्र0 सं0	साठेऽठ० का नाम	अतिमीकृत किये गये लेखे का वर्ब	इ०बी०आ०टी० (व्याज एवं कर के पूर्व आय)	कर एवं आधिमान लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ/ हानि	टन्नोवर कुल प्रदत्त पूँजी	निवेश (प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण)	अंशधारकों की निधि (अंशधारकों की निधि + दीर्घावधि ऋण)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	अंश पूँजी पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=	12=	13=
									(4×10/10)	(4×100/8)	(5×100/9)	
2021-22												
कुल												
1	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	2020-21	0.00	0.00	1,244.22 <sup>1</sup>	1,847.78	1,244.22	1,847.78	0.00	0.00	0.00	1,244.22
2	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	-2.79	-2.79	0.00	4,812.96	4,812.96	577.04	-0.48	-0.06	-0.48	577.04
3	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.01	0.01	-0.04	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
4	पीरोंटी बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.01	0.01	-0.04	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
5	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	204.82	91.41	886.80	8,076.82	11,303.09	9,088.96	11,303.09	1.81	1.81	1.01
9,088.96												

<sup>1</sup> बिहार विद्युत बिहार हस्तांतरण योजना, 2012 (हस्तांतरण योजना), दिनांक 31 अक्टूबर 2012 के अनुसार बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (बी०एस०पी०एच०सी०एल०) के माध्यम से बिहार सरकार बिजली कम्पनियों में अंश पूँजी निवेश करती है। अग्रेतर बी०एस०पी०एच०सी०एल० उक्त निधि को बिजली कम्पनियों में अंश पूँजी के रूप में निवेश करती है एवं शेष अंश पूँजी, जिसे कि निवेश नहीं किया गया है, को अपने पास रखती है। सहायक/विद्युत कम्पनियों अपने वार्षिक लेखांगों में बी०एस०पी०एच०सी०एल० के तात्परता को ध्यान में रखते हुए, अंश पूँजी के रूप में बिहार सरकार के निवेश को सहायक/संयुक्त उद्यम (विद्युत कम्पनियों) के साथ पृथक रूप में दर्शाया गया है। अंतर, बी०एस०पी०एच०सी०एल० अपनी सहायक कम्पनियों को सभी व्यय/आय वितारित करती है तथा अपने वित्तीय विवरणों के लाय एवं हानि खातों में शून्य लाभ/हानि को दर्शाती है।

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र0 सं0	साठौ००८० का नाम	अतिमीकृत किये गये लेखे का वर्ष	इ०बी०आ०१०टी० (व्याज एवं कर के पूर्व आय)	कर एवं आधिकार लाभांश के पश्चात् शुद्ध/ लाभ/ हानि	टन्ओवर	कुल प्रदत्त पूँजी	निवेश (प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण)	अंशांगकों की निधि (प्रदत्त पूँजी + संचय एवं आधिकारकों की निधि + दीर्घावधि ऋण)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	अंश पूँजी पर प्रतिफल	निवेश पूँजी पर प्रतिफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=	12=	13=	14
6	बिहार ब्रिड कम्पनी लिमिटेड	2021-22	369.18	143.97	452.62	645.06	3,017.14	1,024.16	3,017.14	12.24	12.24	14.06	1,024.16
7	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन०बी०पी०डी०सी०एल०)	2020-21	-540.43	-801.51	7,679.29	12,144.43 <sup>2</sup>	15,347.08	6,672.93	9,875.58	-5.47	-3.52	-12.01	6,672.93
8	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस०बी०पी०डी०सी०एल०)	2020-21	-854.93	-1,140.50	9,022.43	12,770.34	16,927.07	1,626.85	5,783.58	-14.78	-5.05	-70.10	1,626.85
	<b>कुल ऊर्जा</b>		<b>-824.15</b>	<b>-1,709.42</b>	<b>18,041.14</b>	<b>39,693.85</b>	<b>53,255.14</b>	<b>20,234.08</b>	<b>32,404.13</b>	<b>-2.54</b>	<b>-1.55</b>	<b>-8.45</b>	<b>20,234.08</b>
<b>गैर-ऊर्जा</b>													
1	बिहार स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (कृषि)	2020-21	-0.02	-0.67	0.00	7.64	38.62	-182.97	-151.99	0.01	-0.05	0.37	-182.97
2	बिहार यानिकी विकास निगम लिमिटेड (अन्य)	2020-21	0.00	0.00	0.52	0.34	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26
3	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संचयना विकास निगम लिमिटेड (आधारभूत संचयना)	2019-20	7.14	7.14	22.39	20.00	258.36	258.36	258.36	2.76	2.76	2.76	258.36
4	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड (वित्त)	2020-21	0.34	0.25	0.00	9.50	10.25	10.25	10.25	3.32	3.32	2.44	10.25

<sup>2</sup> इन०बी०पी०डी०सी०एल० में बिहार सरकार द्वारा किया गया निवेश बी०एस०पी०एच०सी०एल० ऊर्जा कम्पनियाँ में अंश पूँजी के रूप में निवेश का निवेश करती है तथा शेष अंश पूँजी, जिसे कि निवेश नहीं किया गया है को अपने पास रखती है। सहायक/विद्युत कम्पनियाँ अपने वार्षिक लेखाओं में बी०एस०पी०एच०सी०एल० के नाम से अंश पूँजी को दर्शाती है।

क्र0 सं0	साठ००००० का नाम	अतिथीकृत किये गये लेखे का वर्ष	इ०बी०आई०टी० (व्याज एवं कर के पूर्व आय)	कर एवं आधिकार लाभांश	टन्ओवर	कुल प्रदत्त पूँजी	निवेश (प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी (अंशारकों की निधि (प्रदत्त पूँजी + संचय एवं आधिशेष -संचित हानि- स्थगित राजस्व व्यय)	निवेश पर प्रतिफल	अंश पूँजी पर प्रतिफल	निवेश पर (5×100/9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=	12=	13=	14
5	पटना बेटो रेल कॉर्पोरेशन (सेवा)	2020-21	4.62	3.32	0.00	426.00	428.96	428.96	1.08	1.08	0.77	428.96	
6	बिहार राज्य वित्तीय निगम (वित्त)	2019-20	36.26	18.58	6.97	77.84	316.14	-405.38	-176.91	-20.50	11.47	-4.58	-405.38
7	बिहार स्टेट बिलरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (अन्य)	2019-20	-1.48	-1.48	0.00	5.00	89.24	89.24	89.24	-1.66	-1.66	-1.66	89.24
8	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आधारभूत संरचना)	2019-20	40.99	26.63	2,325.87	20.00	584.53	584.53	584.53	7.01	7.01	4.56	584.53
	<b>कुल गैर-कुर्ज</b>		<b>87.85</b>	<b>53.77</b>	<b>2,355.75</b>	<b>566.32</b>	<b>1727.36</b>	<b>784.25</b>	<b>1043.7</b>	<b>8.42</b>	<b>5.09</b>	<b>6.86</b>	<b>784.25</b>
	<b>कुल योग (2021-22)</b>		<b>-763.30</b>	<b>-1,655.65</b>	<b>20,396.89</b>	<b>40,260.17</b>	<b>54,987.50</b>	<b>21,018.33</b>	<b>33,447.83</b>	<b>-2.20</b>	<b>-1.34</b>	<b>-7.88</b>	<b>21,018.33</b>
													2020-21
													कुल
1	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	2020-21	0.00	0.00	0.00	1244.22	1,847.78	1,244.22	1,847.78	0.00	0.00	0.00	1,244.22
2	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	-2.79	-2.79	0.00	4812.96	4,812.96	577.04	577.04	-0.48	-0.06	-0.48	577.04
3	लघुसंसरण बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.01	0.01	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	
4	पीरवंगी बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.01	0.01	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र0 सं0	साठौ००८० का नाम	अंतिमीकृत किये गये लेखे का वर्ष	इ०१०आ०१०टी० (व्याज एवं कर के पूर्व आय)	कर एवं आधिकार लाभांश	टन्ओवर	कुल प्रदत्त पूँजी	निवेश (प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण)	अंशांगकां की निधि (प्रदत्त पूँजी + संचय एवं आधिकार-संचित हानि-स्थगित राजस्व व्यय)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	अंश पूँजी पर प्रतिफल	निवल मूल्य (प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त संचय एवं आधिकार-संचित हानि-स्थगित राजस्व व्यय)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=	12=	13=	14
5	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कार्पनी लिमिटेड	2020-21	204.82	91.41	886.80	8076.82	11,303.09	9,088.96	11,303.09	1.81	1.81	1.01	9,088.96
6	बिहार शिड कम्पनी लिमिटेड	2020-21	358.2	154.82	460.20	580.59	2,742.44	815.73	2,742.44	13.06	13.06	18.98	815.73
7	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कार्पनी लिमिटेड	2020-21	-540.43	-801.51	7,679.29	12144.43	15,347.08	6,672.93	9,875.58	-5.47	-3.52	-12.01	6,672.93
8	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कार्पनी लिमिटेड	2020-21	-854.93	-1,140.50	9,022.43	12770.34	16,927.07	1,626.85	5,783.58	-14.78	-5.05	-70.10	1,626.85
	<b>कुल ऊर्जा</b>		<b>-835.13</b>	<b>-1,698.57</b>	<b>18,048.72</b>	<b>39,629.38</b>	<b>52,980.44</b>	<b>20,025.66</b>	<b>32,129.44</b>	<b>-2.60</b>	<b>-1.58</b>	<b>-8.48</b>	<b>20,025.66</b>
<b>गोर-ऊर्जा</b>													
1	बिहार स्टेट एयो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कृषि)	2020-21	-0.02	-0.67	0.00	7.64	38.62	-182.97	-151.99	0.01	-0.05	0.37	-182.97
2	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड (अन्य)	2020-21	0.00	0.00	0.52	0.34	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
3	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (आधारभूत संरचना)	2019-20	7.14	7.14	22.39	20.00	258.36	258.36	2.76	2.76	2.76	2.76	258.36
4	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड (वित्त)	2020-21	0.34	0.25	0.00	9.50	10.25	10.25	3.32	3.32	2.44	10.25	

क्र0 सं0	साठ००००० का नाम	अतिमीकृत किये गये लेखे का वर्ष	इ०बी०आई०टी० (व्याज एवं कर के पूर्व आय)	कर एवं आधिकार लाभांश के पश्चात् शुद्ध/ लाभ/ हानि	टन्ओवर	कुल प्रदत्त पूँजी	निवेश (प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण)	अंशाकां की निधि (प्रदत्त पूँजी + संचय एवं आधिकार-संचित हानि-स्थगित राजस्व व्यय)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	अंश पूँजी पर प्रतिफल	निवल मूल्य (प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त संचय एवं आधिकार-संचित हानि-स्थगित राजस्व व्यय)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=	12=	13=	14
5	पटना बेटो रेल कॉर्पोरेशन (सेवा)	2020-21	4.62	3.32	0.00	426	428.96	428.96	1.08	1.08	0.77	428.96	
6	बिहार राज्य वित्तीय निगम (वित्त)	2019-20	36.26	18.58	6.97	77.84	306.31	-405.38	-176.91	-20.50	11.84	-4.58	-405.38
7	बिहार स्टेट बिक्रेतज्ज कौरपारेशन लिमिटेड (अन्य)	2019-20	-1.48	-1.48	0.00	5.00	89.24	89.24	89.24	-1.66	-1.66	-1.66	89.24
8	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कौरपारेशन लिमिटेड (आधारभूत संरचना)	2019-20	40.99	26.63	2,325.87	20.00	584.53	584.53	584.53	7.01	7.01	4.56	584.53
	<b>कुल गेर-कुर्ज</b>		<b>87.85</b>	<b>53.77</b>	<b>2,355.75</b>	<b>566.32</b>	<b>1,717.53</b>	<b>784.25</b>	<b>1,043.70</b>	<b>8.42</b>	<b>5.11</b>	<b>6.86</b>	<b>784.25</b>
	<b>कुल यांग (2020-21)</b>		<b>-747.28</b>	<b>-1,644.80</b>	<b>20,404.47</b>	<b>40,195.70</b>	<b>54,697.97</b>	<b>20,809.91</b>	<b>33,173.14</b>	<b>-2.25</b>	<b>-1.37</b>	<b>-7.90</b>	<b>20,809.91</b>
													2019-20
													कुर्ज
1	बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.00	1,271.06	1,709.56	1,271.06	1,709.56	0.00	0.00	0.00	1,271.06
2	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	-2.56	-2.56	0.00	4,812.96	4,812.96	579.85	579.85	-0.44	-0.05	-0.44	579.85
3	तर्णीसरय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.01	0.01	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र0 सं0	साठौ००८० का नाम	अतिमीकृत किये गये लेखे का वर्ष	इ०बी०आ०१०टी० (व्याज एवं कर के पूर्व आय)	कर एवं आधिकार लाभांश के पश्चात् शुद्ध/ लाभ/ हानि	टन्ओवर	कुल प्रदत्त पूँजी	निवेश (प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण)	निवेश प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण)	अंशाकांकों की निधि (प्रदत्त पूँजी + संचय एवं आधिकारकों की निधि + दीर्घावधि ऋण)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	अंश पूँजी पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल (5×१००/१०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=	12=	13=	14
4	गोरोंडरी बिजली कम्पनी ग्राइटें लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.01	0.01	-0.04	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
5	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	445.18	460.16	1,033.08	7,949.99	9,655.82	8,691.79	9,655.82	4.61	4.61	5.29	8,691.79
6	बिहार प्रिड कम्पनी लिमिटेड	2019-20	124.81	31.63	207.84	514.58	2,284.81	594.9	2,284.81	5.46	5.46	5.32	594.9
7	नॉर्थ बिहार पावर हिस्ट्रीब्लूशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	-1,068.89	-1,282.88	7,469.78	11,653.84	13,135.11	6,482.83	7,964.10	-13.42	-8.14	-19.79	6,482.83
8	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	-1,501.20	-1,664.84	8,367.20	12,267.96	13,787.68	2,233.22	3,752.94	-40.00	-10.89	-74.55	2,233.22
	<b>कुल ऊर्जा</b>		<b>-2,002.66</b>	<b>-2,458.49</b>	<b>17,077.90</b>	<b>38,470.41</b>	<b>45,385.96</b>	<b>19,853.57</b>	<b>25,947.00</b>	<b>-7.72</b>	<b>-4.41</b>	<b>-12.38</b>	<b>19,853.57</b>
<b>गोर-कूर्जा</b>													
1	बिहार स्टेट एयो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कृषि)	2019-20	0.01	-9.12	0.00	7.64	38.62	-182.31	-151.33	-0.01	0.03	5.00	-182.31
2	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड (अन्य)	2019-20	0.00	0.00	0.3	0.34	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
3	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (आधारभूत सरचना)	2019-20	7.14	7.14	22.39	20.00	258.36	258.36	2.76	2.76	2.76	2.76	258.36

क्र0 सं0	साठें००८० का नाम	अंतिमीकृत किये गये लेखे का वर्ष	इ०वी०आई०टी० (व्याज एवं कर के पूर्व आय)	कर एवं आधिमान लाभांश के पश्चात् शुद्ध/ लाभ/ हानि	टन्ओवर	कुल प्रदत्त पूँजी	निवेश (प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण)	निवेश (प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण)	अंशाकां की निधि (अंशारकों की निधि + संचय एवं अधिशेष -संचित हानि- स्थगित राजस्व व्यय)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	अंश पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=	12=	13=	14
4	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड (वित्त)	2019-20	0.35	0.26	0.00	9.50	9.99	9.99	9.99	3.50	3.50	2.60	9.99
5	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (सेवा)	2019-20	-0.36	-0.36	0.00	110.5	110.05	109.69	109.69	-0.33	-0.33	-0.33	109.69
6	बिहार राज्य वित्तीय निगम (वित्त)	2019-20	36.26	18.58	6.97	77.84	306.31	-405.38	-176.91	-20.50	11.84	-4.58	-405.38
7	बिहार स्टेट बिक्रेतेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (अन्य)	2019-20	-1.48	-1.48	0.00	5.00	89.24	89.24	89.24	-1.66	-1.66	-1.66	89.24
8	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (आधारभूत संरचना)	2019-20	40.99	26.63	2,325.87	20	584.53	584.53	584.53	7.01	7.01	4.56	584.53
	कुल गैर-कर्जा			82.91	41.65	2,355.53	250.37	1,398.36	465.38	724.83	11.43	5.93	8.94
	कुल योग (2019-20)			-1,919.75	-2,416.84	19,433.43	38,720.78	46,784.32	20,318.95	26,671.83	-7.20	-4.10	-11.89
													20,318.95

(चोत : साठें००८० के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित।) \* 31 मार्च 2022 को, एक अकार्यशील साठें००८०, बिहार स्टेट एग्रीकल्टर्स इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास मूलि एवं भवन (₹ 0.13 करोड़), संयंत्र एवं मशीनरी (₹ 0.00 करोड़), तृप्तीगत प्रगतिशील कार्य (₹ 0.00 करोड़), एवं स्कंथ (₹ 2.55 करोड़) के रूप में परिसंपत्तियाँ थीं।

**परिशिष्ट 6.2**  
 (संदर्भ: कॉडिका 6.2.3)  
 इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए गए राज्य साझेदारों का विवरण

क्र0 सं0	प्रदेश एवं साझेदारों का नाम	आदान अनिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अनिमीकृत किये गये	कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/ हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	भूमि एवं भवन	संयंत्र एवं मशीनरी	(₹ करोड़ में)	
									पूँजीगत प्रणालीकृत कार्य	स्कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अ.	कार्यशील साझेदारों जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक वर्षों से बकाया में थे / प्रथम लेखे आपात थे / बकाया नहीं थे									
1.	सरकारी कर्मचारी									
1	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2008-09	2022-23	-2.49	0.00	3.71	0.57	-	5.63	9.06
2	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2015-16	2021-22	0.00	0.00	15.12	0.04	-	-	-
3	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1998-99	2021-22	0.22	1.19	6.26	0.11	-	-	-
4	बिहार राज्य अत्यसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	2015-16	2022-23	-3.04	3.24	39.89	0.19	-	-	-
5	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2017-18	2022-23	8.09	25.86	0.10	2.29	-	-	-
6	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	2021-22	4.22	27.17	5.00	26.69	-	0.25	-
7	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	2022-23	42.74	84.42	3.50	9.90	-	0.48	0.13
8	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	8.95	209.17	5.00	0.52	-	948.26	28.55
9	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2016-17	3.54	11.63	5.00	7.69	-	-	-
10	बिहार राज्य खाद्य एवं असौनिक अपूर्ति निगम लिमिटेड	2010-11	2021-22	-4.58	1940.31	5.39	5.94	-	-	-
11	बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड	2017-18	2021-22	2.30	29.01	6.67	6.13	-	0.90	-
12	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2011-12	2020-21	114.46	233.43	0.48	0.25	-	40.20	-
13	बिहार स्टेट हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	2020-21	28.28	13.54	99.04	169.62	-	478.36	1.25

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र एवं साझेदार का नाम	आदातन अनियमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अनियमीकृत किये गये	कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/ हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	भूमि एवं भवन	संयंत्र एवं मशीनरी	पूँजीगत प्रगतिशील कार्य	स्कन्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2016-17	2019-20	0.43	0.20	1.00	0.13	-	-	-
15	बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	2021-22	0.00	0.00	0.10	--	-	-	-
18	पटना स्मार्ट सिटी	2018-19	2021-22	0.01	0.00	0.10	0.11	-	6.58	-
19	भागलपुर स्मार्ट सिटी	2018-19	2020-21	23.86	0.00	0.10	0.05	-	0.54	-
20	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	2020-21	25.37	424.73	25.00	1.40	-	0.06	0.90
	उप कुल			252.36	3003.90	221.46	231.63	0.00	1441.06	80.09
<b>II संविधिक निगमें</b>										
21	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2018-19	2021-22	-144.11	64.47	101.27	118.38	-	-	-
22	बिहार राज्य भंडारण निगम	2017-18	2022-23	11.67	226.94	6.42	144.54	-	51.32	-
	उप कुल			-132.44	291.41	107.69	262.92	0.00	51.32	0.00
	कुल अ			119.92	3295.31	329.15	494.55	0.00	1,492.38	80.09
<b>ब. (1) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ</b>										
1	बिहार राज्य मर्त्य विकास निगम लिमिटेड*	1992-93	1996-97	-0.22	0.00	1.75	-	-	-	-
2	स्कार्डा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	2014-15	2016-17	0.02	0.00	0.05	-	-	-	-
3	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड*	1978-79	1997-98	2.17	0.00	5.00	-	-	-	-
4	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	1997-98	2014-15	0.00	0.00	6.72	3.63	-	-	-

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र एवं साझेदारों का नाम	आदातन अनियमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अनियमीकृत किये गये	कर के पश्चात् शुद्ध लाश/ हानि	टर्नओवर प्रदत्त <sup>पूँजी</sup>	भूमि एवं भवन	संयंत्र एवं मशीनरी	पूँजीगत प्रगतिशील कार्य	स्कन्ध	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	बिहार हिल एरिया लिपट सिंचाई निगम लिमिटेड*	1982-83	1983-84	-0.26	0.01	5.60	-	-	-	-
6	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2018-19	1.47	0.00	1.91	0.11	-	-	0.08
7	बिहार कीटनाशक लिमिटेड (क्र०सं १२ की अनुषंगी)*	1986-87	1991-92	-1.03	0.00	0.57	-	-	-	-
8	स्काडा एयो बिजनेस लिमिटेड, खागोल *	(क्र०सं १२ की अनुषंगी)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	स्काडा एयो बिजनेस लिमिटेड, डेहरी * (क्र०सं १२ की अनुषंगी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	स्काडा एयो बिजनेस लिमिटेड, औरंगाबाद * (क्र०सं १२ की अनुषंगी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	स्काडा एयो बिजनेस लिमिटेड, मोहनियाँ* (क्र०सं १२ की अनुषंगी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड*	1984-85	1991-92	-0.01	0.00	1.44	-	-	-	-
13	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड*	1983-84	1996-97	-0.10	0.00	6.28	-	-	-	-
14	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2017-18	-3.81	0.31	14.04	1.24	-	-	2.28
15	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	2002-03	2017-18	-3.52	23.34	7.00	0.05	-	0.16	20.96
16	बिहार राज्य मिनरल विकास निगम लिमिटेड	2001-02	2021-22	16.65	38.90	9.97	-	-	-	-
17	बिहार सोलवेट एवं कोमिकल्स लिमिटेड (क्र०सं १२ की अनुषंगी)*	1986-87	1995-96	-0.32	0.00	0.66	-	-	-	-
18	मगध मिनरल लिमिटेड (क्र०सं १२ की अनुषंगी) *	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र एवं सांकेतिक का नाम	आदान अन्तिमीकृत लेखाओं की अपवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किये गये	कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	भूमि एवं भवन	संयंत्र एवं मशीनरी	पूँजीगत प्रगतिशील कार्य	स्कन्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	बेलटॉन विडियो सिरस्टम लिमिटेड (क्र०सं0 अ 20 की अनुषंगी)*	1989-90	2016-17	-0.34	0.44	3.06	0.88	-	-	-
20	बेलटॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड (क्र०सं0 अ 20 की अनुषंगी)*	1990-91	2017-18	0.14	0.41	1.32	-	-	-	-
21	बेलटॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड* (क्र०सं0 अ 20 की अनुषंगी) *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड*	1984-85	1996-97	-9.20	0.00	9.97	-	-	-	-
23	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड*	1985-86	1992-93	-0.17	0.00	3.62	-	-	-	-
24	बिहार मेज़ प्रोडक्ट्स लिमिटेड (क्र०सं0 ब 23 की अनुषंगी) *	1983-84	1987-88	-0.03	0.00	0.67	-	-	-	-
25	बिहार झास एवं कोमिकल्स लिमिटेड (क्र०सं0 ब 23 की अनुषंगी)*	1985-86	1991-92	-0.03	0.00	0.94	-	-	-	-
26	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड*	1987-88	1995-96	-0.09	0.00	4.98	-	-	-	-
27	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2001-02	2021-22	0.06	23.24	2.29	0.50	-	-	-
28	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड (क्र०सं0 ब 14 की अनुषंगी)*	1985-86	1997-98	-0.06	0.00	1.56	-	-	-	-
29	बिहार राज्य गोल्ड टाईल्स एवं सोरामिक्स लिमिटेड (क्र०सं0 ब 23 की अनुषंगी)*	1985-86	1997-98	-0.08	0.00	0.16	-	-	-	-
30	चिशवामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड (क्र०सं0 ब 23 की अनुषंगी)*	1984-85	1988-89	-0.01	0.00	0.40	-	-	-	-
31	जङ्गारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड (क्र०सं0 ब 23 की अनुषंगी)*	1985-86	1991-92	-0.01	0.00	0.42	-	-	-	-
32	बिहार राज्य टैनीन एक्स्ट्रैक्ट लिमिटेड (क्र०सं0 ब 27 की अनुषंगी)*	1988-89	1993-94	-0.32	0.00	1.03	-	-	-	-

क्र० सं०	प्रक्षेत्र एवं साझेदारों का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किये गये	कर के पश्चात् शुद्ध लाभ / हानि	टनओवर	प्रदत्त पैसेंजी	भूगि एवं भवन	संयंत्र एवं मशीनरी	पूँजीगत प्रगतिशील कार्य	रक्कन्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	सिथेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड (क्र०सं० ब 23 की अनुषंगी)*	1983-84	1987-88	-0.02	0.00	0.09	-	-	-	-
34	बिहार रक्कूटर्स लिमिटेड* (क्र०सं० ब 16 की अनुषंगी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उप कुल ब (I)		0.88	86.65	91.50	6.41	0.00	0.16	23.32	
	ब (II) समापन के अधीन कार्यालयों									
1	कुमारधुबी मेटल कार्पिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड (क्र०सं० 16 की अनुषंगी)*	1994-95	1995-96	-2.39	10.89	2.17	-	-	-	-
2	बिहार राज्य फिनिर्स लेवर्स निगम लिमिटेड (क्र०सं० ब (II) (3) की अनुषंगी)*	1983-84	1986-87	-1.49	0.00	1.47	-	-	-	-
3	बिहार राज्य चम्प उद्योग विकास निगम लिमिटेड*	1982-83	2004-05	-0.37	1.16	5.14	-	-	-	-
4	बिहार राज्य नियांत निगम लिमिटेड*	1991-92	1999-00	0.10	4.94	2.00	-	-	-	-
5	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड*	1990-91	2005-06	-1.42	15.22	7.18	-	-	-	-
	उप कुल ब (II)		-5.57	32.21	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल ब		-4.69	118.86	109.46	6.41	0.00	0.16	23.32	
	कुल योग (अ +ब)		115.23	3,414.17	438.61	500.96	0.00	1,492.54	103.41	

\* \* हन साहकरण ने या तो अपने प्रयत्न लेखे समर्पित नहीं किये अथवा इन साहकरण के संबंधित वर्षों के अंतिमीकृत लेखार्थ उपलब्ध नहीं हैं।

### परिशिष्ट 6.3

(संदर्भ: कंडिका 6.10.2)

**इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य साठेऽउ० के वित्तीय विवरणों पर निर्गत  
(अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 के दौरान)  
महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विवरण**

#### अ लाभप्रदता पर टिप्पणी

क्र० सं०	साठेऽउ० का नाम	टिप्पणियाँ
1	पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (2019–20)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ कम्पनी ने वर्ष 2019–20 के लिए ₹ 0.48 करोड़ के अदत्त किराया को शामिल नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य प्रशासनिक व्यय' एवं 'हानि' प्रत्येक को ₹ 0.48 करोड़ कम प्रतिवेदित किया गया।</li> </ul>
2	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (2019–20)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ सेंटेज आय पर बिहार सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 1.79 करोड़ के सेंटेज आय की राशि का लेखांकन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019–20 के लिए परिचालन से प्राप्त राजस्व (सेंटेज आय) एवं चालू परिसम्पत्तियों को ₹ 1.79 करोड़ (₹ 89.70 करोड़ × 0.02) कम प्रतिवेदित किया गया।</li> </ul>
3	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (2019–20)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ कम्पनी ने पर्यवेक्षण शुल्क प्राप्ति के मद में ₹ 1.12 करोड़, प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क के मद में ₹ 4.26 करोड़ तथा विभिन्न एजेंसियों से निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत, जो मार्च 2020 तक पूर्ण नहीं हुए थे, सात कार्यों के लिए प्राप्त अन्य ट्रांसमिशन शुल्क के मद में ₹ 17.00 करोड़ की राशि का लेखांकन किया। अतः, इन राशियों को कार्य पूर्ण होने तक आय के रूप में नहीं मानी जानी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप लाभ को ₹ 22.39 करोड़ अधिक प्रतिवेदित किया गया, चालू दायित्वों को ₹ 18.13 करोड़ कम प्रतिवेदित किया गया तथा चालू परिसम्पत्तियों को ₹ 4.26 करोड़ अधिक प्रतिवेदित किया गया।</li> <li>➢ कम्पनी की नीति में यह कहा गया है कि "स्क्रैप की बिक्री से होने वाले आय का लेखांकन वास्तविक प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।" स्क्रैप की बिक्री के रूप में ₹ 3.86 करोड़ की राशि, जो वर्ष 2018–19 के दौरान हुई थी, एवं स्क्रैप बिक्री से राजस्व की प्राप्ति 25 मार्च 2019 को हुई थी, जिसका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.87 करोड़ से वर्ष के लिए लाभ को अधिक प्रतिवेदित तथा अन्य अंश पूँजी के प्रारंभिक शेष को कम प्रतिवेदित किया गया।</li> <li>➢ कम्पनी ने वर्ष 2019–20 के लिए परिसम्पत्तियों पर ₹ 0.95 करोड़ के मूल्य हास का लेखांकन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.95 करोड़ से लाभ के साथ-साथ अचल परिसम्पत्तियों को अधिक प्रतिवेदित तथा मूल्य हास एवं परिशोधन व्यय को कम प्रतिवेदित किया गया।</li> </ul>
4	पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (2020–21)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ कम्पनी ने माह मार्च 2021 के लिए ₹ 0.22 करोड़ के ब्याज को लेखे में शामिल नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 'अर्जित ब्याज' तथा 'अन्य आय' को ₹ 0.22 करोड़ से कम प्रतिवेदित किया गया।</li> <li>➢ कम्पनी ने वर्ष 2020–21 के लिए अदत्त किराये के मद में ₹ 0.51 करोड़ को लेखे में शामिल नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.51 करोड़ से 'अन्य प्रशासनिक व्यय' कम प्रतिवेदित हुआ एवं 'लाभ' अधिक प्रतिवेदित हुआ।</li> </ul>

क्र० सं०	सांख्योजन का नाम	टिप्पणियाँ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ कम्पनी ने कर्मचारी हितलाभ व्यय के लिए ₹ 0.02 करोड़, आउटसोर्स कर्मचारी व्यय के लिए ₹ 0.81 करोड़, कन्सलटेंसी शुल्क के लिए ₹ 0.06 करोड़, विज्ञापन व्यय के लिए ₹ 0.13 करोड़, कुल ₹ 1.02 करोड़ का लेखांकन किया। चूंकि कम्पनी की कोई चालू व्यावसायिक गतिविधि नहीं है, इसलिए, उपरोक्त व्यय को पूँजीकृत करना चाहिए तथा पटना मेट्रो परियोजना के पूँजीगत प्रगतिशील कार्य (सी०डब्ल्य०आई०पी०) में दर्शाया जाना चाहिए। हालाँकि, इसे व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। इस प्रकार, भारतीय लेखा मानक 16 के कंडिका 16 एवं 17 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। इसके परिणामस्वरूप 'लाभ' एवं 'सी०डब्ल्य०आई०पी०' प्रत्येक को ₹ 1.02 करोड़ कम प्रतिवेदित किया गया।</li> <li>➤ कम्पनी की प्रति शेयर आय (मूल एवं डायल्यूटेड) लाभ एवं हानि लेखे में प्रकटित ₹ 6,636.09 के विरुद्ध मात्र ₹ 2.82 रही। अतः लाभ एवं हानि के अंकित मूल्य पर प्रति शेयर आय (मूल एवं डायल्यूटेड) का प्रकटीकरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।</li> </ul>

### ब वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्र० सं०	सांख्योजन का नाम	टिप्पणियाँ
1	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (2019–20)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ सेंटेज आय पर बिहार सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण 25.01.2016 से 31.03.2019 तक के अवधि के दौरान निष्पादित परियोजनाओं पर सेंटेज आय से सम्बन्धित ₹ 18.83 करोड़ की राशि का लेखांकन वित्तीय वर्ष 2019–20 में नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019–20 के लिए संचय एवं अधिशेष तथा चालू परिसम्पत्तियों में से प्रत्येक को ₹ 18.83 करोड़ कम प्रतिवेदित किया गया।</li> <li>➤ वर्ष 2019–20 के दौरान उपार्जित आधार पर ₹ 3.45 करोड़ के प्राप्त विपत्रों का लेखांकन नहीं किये जाने के कारण कार्य प्रगति (डब्ल्य०आई०पी०) को ₹ 3.69 करोड़, व्यापार देनदारियों (ट्रेड पेयबल) को ₹ 3.45 करोड़, एवं सेंटेज आय को ₹ 0.24 करोड़ कम प्रतिवेदित किया गया।</li> </ul>
2	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (2019–20)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ कम्पनी ने ₹ 152.91 करोड़ की राशि, जिससे सम्बन्धित परियोजना 2019–20 के दौरान पूर्ण हो चुकी थी, का लेखांकन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप सी०डब्ल्य०आई०पी० एवं चालू दायित्वों में से प्रत्येक को ₹ 152.91 करोड़ कम प्रतिवेदित किया गया।</li> <li>➤ कम्पनी ने बी०एस०इ०बी० पुनर्गठन शेष से सम्बन्धित ₹ 35.38 करोड़ की राशि का प्रावधान नहीं किया। इसके प्रावधान नहीं किये जाने के फलस्वरूप चालू परिसम्पत्तियों एवं लाभ में से प्रत्येक को ₹ 35.38 करोड़ अधिक प्रतिवेदित किया गया।</li> <li>➤ कम्पनी ने पारगमन में सामग्री/उपभोग्य वस्तुओं से सम्बन्धित ₹ 4.62 करोड़ एवं अन्य स्टॉक से सम्बन्धित ₹ 0.07 करोड़ की राशि का प्रावधान नहीं किया। प्रावधान नहीं किये जाने के फलस्वरूप भंडार एवं लाभ में से प्रत्येक को ₹ 4.69 करोड़ अधिक प्रतिवेदित किया गया।</li> <li>➤ कम्पनी ने पूँजीगत आपूर्ति/पूँजीगत कार्यों के दायित्वों से सम्बन्धित ₹ 31.32 करोड़ की राशि का प्रावधान नहीं किया। इसका प्रावधान नहीं किये जाने के कारण अन्य चालू दायित्वों को ₹ 31.32 करोड़ अधिक एवं लाभ को ₹ 31.32 करोड़ कम प्रतिवेदित किया गया।</li> </ul>

क्र० सं०	सांक्षेपिका का नाम	टिप्पणियाँ
3	पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (2020–21)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ कम्पनी ने ₹ 27.04 करोड़ के मोबिलाईजेशन शुल्क के स्थान पर ₹ 10.25 लाईजेंसी के रूप में ₹ 8.10 करोड़ का गलत लेखांकन किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.94 करोड़ से 'पूँजीगत प्रगतिशील कार्य' को अधिक तथा 'ऋण एवं अग्रिम' को कम प्रतिवेदित किया गया।</li> <li>➤ कम्पनी ने 'अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों' के स्थान पर 'ऋण एवं अग्रिम' के अन्तर्गत ₹ 10.25 लाईजेंसी से प्राप्य ब्याज निधि के रूप में ₹ 4.93 करोड़ का गलत लेखांकन किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.93 करोड़ से 'ऋण एवं अग्रिम' को अधिक एवं 'अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों' को कम प्रतिवेदित किया गया।</li> </ul>

**परिशिष्ट-7.1**  
**(संदर्भ: कंडिका 7.1)**

**अकार्यशील सांख्योजनों के निगमन एवं स्थिति का विवरण**

क्र० सं०	विभाग का नाम	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	वर्तमान स्थिति
<b>इस प्रतिवेदन में शामिल अकार्यशील सांख्योजनों</b>				
1.	उद्योग विभाग	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (बी०एस०आई०डी०सी०एल०)*	05.11.1960	बिहार और झारखण्ड के मध्य सम्पत्तियों एवं दायित्वों का बँटवारा नहीं होने के कारण परिसमापन की प्रक्रिया लम्बित है।
2.		बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड (बी०पी०एम०एल०)*	08.07.1977	समापन की प्रक्रिया लम्बित है।
3.		बिहार स्कूटर्स लिमिटेड (बी०एस०एल०)*	19.01.1978	
4.		बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड (बी०एस०पी०सी०डी०सी०एल०)*	22.02.1978	राज्य सरकार ने समापन की प्रक्रिया के लिए दी गयी याचिका न्यायालय से वापस लेने का निर्णय लिया है।
5.		बिहार कीटनाशक लिमिटेड (बी०आई०एल०)*	27.02.1983	
6.		मगध मिनरल्स लिमिटेड (एम०एम०एल०)*	22.11.1984	
7.		बिहार मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड (बी०एम०पी०एल०)*	02.09.1982	
8.		बिहार इंग्स एवं रसायन लिमिटेड (बी०डी० एण्ड सी०एल०)*	12.08.1983	
9.		बिहार स्टेट ग्लेज़ टाईल्स एवं सेरामिक्स लिमिटेड (बी०एस०जी०टी० एण्ड सी०एल०)*	02.04.1984	
10.		विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड (वी०पी०आई०एल०)*	18.06.1983	
11.		झंजारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड (जै०पी०आई०एल०)*	27.02.1982	
12.		बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड (बी०एस०टी०सी०एल०)*	21.02.1978	
13.		बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (बी०एस०एच० एण्ड एच०डी०सी०एल०)*	21.05.1974	
14.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (बी०एस०एफ०डी०सी०एल०)*	10.02.1975	बिहार और झारखण्ड के मध्य सम्पत्तियों एवं दायित्वों का बँटवारा नहीं होने के कारण परिसमापन की प्रक्रिया लम्बित है।
15.		बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड (बी०एस०एण्डसी०एल०)*	अगस्त 1979	
16.		बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड (बी०एस०टी०ई०एल०)*	27-01-1984	
17.		बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड (बी०एम०एस०एल०)*	30-01-1986	
18.	सूचना प्रावैधिकी विभाग	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड (बी०वी०एस०एल०)*	19-09-1984	

क्र० सं०	विभाग का नाम	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	वर्तमान स्थिति
19.	जल संसाधन विभाग	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड (एस०ए०बी०सी०ओ०)†	21-04-1993	कम्पनी के नाम को सूची से काटने के लिए, आर०ओ०सी० को किया गया आवेदन, लम्बित था।
20.		स्काडा एग्रो बिजनेस एवं उद्योग कम्पनी, औरंगाबाद लिमिटेड (एस०ए०बी०सी०ओ०, औरंगाबाद)†	30-12-1993	
21.		स्काडा एग्रो बिजनेस एवं उद्योग कम्पनी, डेहरी लिमिटेड, (एस०ए०बी०सी०ओ०, डेहरी)†	30-12-1993	
22.		स्काडा एग्रो बिजनेस एवं उद्योग कम्पनी, मोहनियाँ लिमिटेड, (एस०ए०बी०सी०ओ०, मोहनियाँ)†	30-12-1993	
इस प्रतिवेदन में अकार्यशील सांकेतिक समापन को शामिल नहीं किया गया है				
23.	उद्योग विभाग	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड (बी०ए०स०ई०सी०एल०)*	29.12.1974	परिसमापन के अधीन
24.		बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड (बी०ए०स०एफ०एल०एल०)§	20.4.1982	
25.		बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड (बी०ए०स०एल०आई०डी०सी०एल०)*	23.03.1974	
26.		बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड (बी०ए०स०एस०आई०सी०एल०)*	29.10.1961	
27.		कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड (के०एम०सी०एण्ड ई०)§	25.10.1983	
28.		सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड (एस०आर०ई०एल०)§	14.12.1982	
29.	सूचना प्रावैधिकी विभाग	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड (बी०आई०एल०)*	01.03.1988	राज्य सरकार ने समापन की प्रक्रिया के लिए दी गयी याचिका च्यायालय से वापस लेने का निर्णय लिया है।
30.	जल संसाधन विभाग	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड (बी०ए०स०सी०सी०एल०)*	22.08.1974	कम्पनी विधि अधिकरण के साथ प्रक्रियाधीन।
31.		स्काडा एग्रो बिजनेस एवं उद्योग कम्पनी खगौल लिमिटेड, (एस०ए०बी०सी०ओ०, खगौल)†	30.12.1993	कम्पनी के नाम को सूची से काटने के लिए, आर०ओ०सी० को किया गया आवेदन, लम्बित था।
32.	खान एवं भूतत्व विभाग	बिहार राज्य मिनरल विकास निगम लिमिटेड (बी०ए०स०एम०डी०सी०एल०)‡	12.06.1972	सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी।
33.	कृषि विभाग	बिहार राज्य एग्रो उद्योग विकास निगम लिमिटेड (बी०ए०स०ए०आई०डी०सी०एल०)*	28.04.1966	कम्पनी के नाम को सूची से काटने के लिए, आर०ओ०सी० को किया गया आवेदन, लम्बित था।
34.		बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड (बी०ए०स०एफ० एण्ड वी०डी०सी०एल०)*	08.10.1980	समापन की प्रक्रिया लम्बित है।

क्र० सं०	विभाग का नाम	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	वर्तमान स्थिति
35.	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड (बी0आर0एम0वी0एन0एल0) <sup>¥</sup>	28.03.1980	सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी
36.		बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड (बी0एस0डी0सी0एल0) <sup>\$</sup>	13.03.1972	समापन की प्रक्रिया लम्बित है।
37.	लघु सिंचाई विभाग	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड (बी0एच0ए0एल0सी0ओ0) <sup>¥</sup>	03.06.1975	सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी
38.		बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0डब्ल्यू0डी0सी0एल0) <sup>¥</sup>	12.04.1973	
39.	पंचायती राज विभाग	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड (बी0पी0आर0एफ0सी0एल0)*	20.04.1974	समापन की प्रक्रिया लम्बित है।
40.	गन्ना उद्योग विभाग	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड (बी0एस0एस0सी0एल0)*	26.12.1974	राज्य सरकार ने समापन की प्रक्रिया के लिए दी गयी याचिका न्यायालय से वापस लेने का निर्णय लिया है।

\* बिहार सरकार ने इन 27 सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने का निर्णय (2003) लिया और निर्देश दिया कि संबंधित प्रशासनिक विभागों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, समापन किया जाए।

# स्काडा, पटना के नियंत्रणाधीन, इन पाँच सार्वजनिक उपक्रमों को वर्ष 2000 में बंद करने की स्वीकृति दी गई थी।

<sup>\$</sup> साठेंठ०उ० द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, इन चार सार्वजनिक उपक्रमों को पिछले वर्षों में बंद करने का निर्णय लिया गया था।

<sup>¥</sup> राज्य सरकार ने चार साठेंठ०उ० का समापन/पुनरुद्धार करने का निर्णय नहीं लिया था।

**परिशिष्ट 7.2**  
**(संदर्भ: कंडिका 7.5)**  
**नमूनाकृत अकार्यशील सांकेतिको की वित्तीय स्थिति**

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	कम्पनी	तक अंतिमीकृत लेखाएँ	वर्ष जिसमें लेखाओं को अंतिमीकृत किया गया	प्रदत्त पूँजी	दीर्घावधि ऋण	संचित लाभ (+) / हानि (-)	2017–18 से 2021–22 के दौरान बजटीय सहायता (अगस्त 2022 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2010-11	—	14.04	363.77	(-)266.73	20.00
2.	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड	1985-86	1997-98	1.56	0.00	(-)0.31	0.00
3.	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	-	-	0.00	6.09	-	0.00
4.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1985-86	1992-93	3.62	4.25	(-)0.74	46.64
5.	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	1986-87	1991-92	0.57	0.00	(-)1.03	0.00
6.	मगध मिनरल लिमिटेड	1983-84	--	0.00	0.00		0.00
7.	बिहार मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1983-84	1987-88	0.67	0.00	(-)0.06	0.00
8.	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	1985-86	1991-92	0.94	1.28	(-)0.16	0.00
9.	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सेरामिक्स लिमिटेड	1985-86	1997-98	0.16	0.00	(-)0.51	0.00
10.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड	1984-85	1988-89	0.40	0.00	(-)0.01	0.00
11.	झंजारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड	1985-86	1991-92	0.42	0.00	(-)0.02	0.00
12.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1987-88	1995-96	4.98	2.27	(-)0.32	4.25
13.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	1983-84	1996-97	6.28	1.16	(-)0.44	56.01
14.	बिहार राज्य बन विकास निगम लिमिटेड	2001-02	2020-21	2.29	-	(-) 0.32	3.13
15.	बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	1986-87	1995-96	0.66	-	-0.32	0.00
16.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	1988-89	1993-94	1.03	-	(-) 0.67	0.00
17.	बेल्ट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	1990-91	2017-18	1.32		(-) 0.49	-

क्र० सं०	कम्पनी	तक अंतिमीकृत लेखाएँ	वर्ष जिसमें लेखाओं को अंतिमीकृत किया गया	प्रदत्त पूँजी	दीघावधि ऋण	संचित लाभ (+) / हानि (-)	2017–18 से 2021–22 के दौरान बजटीय सहायता (अगस्त 2022 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	बेल्ट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	1989-90	2016-17	3.06	-	(-) 0.22	-
19.	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	2014-15	2016-17	0.05	-	-	-
20.	स्काडा एग्रो बिजनेस एवं औद्योगिक कम्पनी लिमिटेड, औरंगाबाद	-	-	-	-	-	-
21.	स्काडा एग्रो बिजनेस एवं औद्योगिक कम्पनी लिमिटेड, डेहरी	-	-	-	-	-	-
22.	स्काडा एग्रो बिजनेस एवं औद्योगिक कम्पनी लिमिटेड, मोहनियाँ	-	-	-	-	-	-
कुल योग				42.05	378.82	(-)272.35	130.03

## परिशिष्ट 7.3

(संदर्भ: कांडिका 7.6.1)

## नमूनाकृत अकार्यशील साठेऽउलो के पंजीकृत पते पर प्रतिष्ठानों / परिसरों का विवरण

क्र० सं	विभाग का नाम	साठेऽउलो का नाम	कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसी)	वर्तमान पता	कथा आरओसी ऑफिस के अनुसार वर्तमान पता वही थे (हौं / नहीं)	कार्यालय परिसर / प्रतिष्ठान	स्वीकृत मानवबल	कार्यरत मानवबल
1.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (बी०एस०आई०डो०सी००१)	इदिया भवन, आरओसी सिंह पथ पटना – 800 001.	पंजीकृत कार्यालय के पते के समान है।	बी०एस०आई०डो०सी००१	कार्यालय का मुख्यालय पटना में स्थित है। कम्पनी की जारीखण्ड में पाँच उत्पादन इकाइयाँ थीं, अर्थात् हाई टेंशन इंसुलेटर फेब्री (एच०टी०आई००५०), इलेक्ट्रिकल इकियपेंट फेब्री (ई०एफ०पी०), बिहार स्टेट सुपर फॉक्सेट उपलब्ध नहीं। फेब्री (ली०एस०एस०एफ०), भैलिएवल कारस्ट आयरन फाउंड्री (एम०सी०आई००५०) एवं स्कण्डरिखा वैच फेब्री (एस०डब्ल्यू०प०) तथा एक भागलपुर, बिहार में अर्थात् "बिहार स्पन सिल्क मिल्स"	17		
2.	उद्योग विभाग	सिटी-सह-ग्रेट हाउस इंदिया भवन, चतुर्थ तल, गाँगयाला, सहरसा – 852201.	इंदिया भवन, चतुर्थ तल, बोरिंग केनाल रोड, पटना	नहीं	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड के सभी परसंपत्तियाँ एवं परिसर वियाडा को स्थानांतरित कर दिए गए उपलब्ध नहीं। (नवम्बर 2021)	शून्य		
3.	बिहार रक्कूर्स लिमिटेड	फशुहा (पोर्ट), जिला - पटना	इंदिया भवन, चतुर्थ तल, बोरिंग केनाल रोड, पटना	नहीं	बिहार स्कूलर्स लिमिटेड के सभी परसंपत्तियाँ एवं परिसर वियाडा को स्थानांतरित कर दिए गए थे उपलब्ध नहीं। (2008)	शून्य		
4.	बिहार राज्य हस्तकरघा	औद्योगिक विभाग, नई सचिवालय, पटना सचिवालय, पटना	उद्योग भवन, पटना	नहीं	साठेऽउलो का पंजीकृत पता उद्योग विभाग, बिहार सरकार, सचिवालय, पटना था। वर्तमान में, वहाँ केवल उद्योग विभाग अवस्थित था।	670	11	

क्र० स०	विभाग का नाम	सांखेड़ा का नाम	कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसी)	वर्तमान पता	क्या आरओसी ऑफिस के अनुसार वर्तमान पता वही थे (हॉ / नहीं)	कार्यालय परिसर / प्रतिष्ठान	स्वीकृत मानवबल	कार्यरत मानवबल
5.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	बिहार राज्य वस्त्र लालित भवन, बेली रोड, पटना	इंदिया भवन, चतुर्थ तल, बोरिङ कैनाल रोड, पटना	इंदिया भवन, चतुर्थ तल, बोरिंग कैनाल रोड, पटना	नहीं	जहाँ कम्पनी का कार्यालय ललित भवन में अवस्थित था उस स्थान पर अन्य सरकारी कार्यालय स्थित उपलब्ध नहीं है।	शून्य	शून्य
6.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निपाम लिमिटेड	मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 'ए' पंचम तल, नई डाकबंगला रोड, पटना	मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 'ए' पंचम तल, नई डाकबंगला रोड, पटना	मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 'ए' पंचम तल, नई डाकबंगला रोड, पटना	हाँ	ब्लॉक 'ए', पंचम तल, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना	ब्लॉक 'ए', पंचम तल, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना	शून्य
7.	बिहार इंग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 'ए' पंचम तल, नई डाकबंगला रोड, पटना	मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 'ए' पंचम तल, नई डाकबंगला रोड, पटना	मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 'ए' पंचम तल, नई डाकबंगला रोड, पटना	हाँ	ब्लॉक 'ए', पंचम तल, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना	ब्लॉक 'ए', पंचम तल, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना	शून्य
8.	उद्योग विभाग	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 'ए' पंचम तल, नई डाकबंगला रोड, पटना	मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 'ए' पंचम तल, नई डाकबंगला रोड, पटना	हाँ	ब्लॉक 'ए', पंचम तल, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना	ब्लॉक 'ए', पंचम तल, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना	शून्य
9.	बिहार मेज़ प्रोडक्ट्स लिमिटेड	मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 'ए' पंचम तल, नई डाकबंगला रोड, पटना	मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 'ए' पंचम तल, नई डाकबंगला रोड, पटना	मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 'ए' पंचम तल, नई डाकबंगला रोड, पटना	हाँ	ब्लॉक 'ए', पंचम तल, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना	ब्लॉक 'ए', पंचम तल, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना	शून्य
10.	बिहार राज्य ग्लोज़ टाइल्स एवं सेरामिक्स लिमिटेड	मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 'ए' पंचम तल, नई डाकबंगला रोड, पटना	मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 'ए' पंचम तल, नई डाकबंगला रोड, पटना	मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 'ए' पंचम तल, नई डाकबंगला रोड, पटना	हाँ	ब्लॉक 'ए', पंचम तल, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना	ब्लॉक 'ए', पंचम तल, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना	शून्य
11.	झाझारपुर पेर उद्योग लिमिटेड	झाझारपुर पेर उद्योग लिमिटेड	मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 'ए' पंचम तल, नई डाकबंगला रोड, पटना	मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 'ए' पंचम तल, नई डाकबंगला रोड, पटना	हाँ	ब्लॉक 'ए', पंचम तल, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना	ब्लॉक 'ए', पंचम तल, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना	शून्य

क्र० सं	विभाग का नाम	साठें०उठो का नाम	कम्पनी रजिस्ट्रार (आर०आ०सी०) आँकडे के अनुसार पता	वर्तमान पता	क्या आर०आ०सी० आँकडे के अनुसार वर्तमान पता वही थे (हाँ / नहीं)	कार्यालय परिसर / प्रतिष्ठान	स्वीकृत मानवबल	कार्यरत मानवबल
12.	मगध मिनरल लिमिटेड	मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 'ए' पंचम तल, नई डाकबंगला रोड, पटना	पंजीकृत कार्यालय के पाते के समान	ब्लॉक 'ए' पंचम तल, मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स,	हाँ	ब्लॉक 'ए', पंचम तल, मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, पटना	उपलब्ध नहीं	शून्य
13.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड	लाल बहादुर शास्त्री नगर, पटना – 800 023.	मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 'ए' पंचम तल, नई डाकबंगला रोड, पटना	मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 'ए' पंचम तल, नई डाकबंगला रोड, पटना	नहीं	कम्पनी रजिस्ट्रार के अभिलेखों के अनुसार, पंजीकृत पता, अपूर्ण था तथा अतएव, पता नहीं लगाया जा उपलब्ध नहीं सका।	उपलब्ध नहीं	शून्य
14.	बिहार सोलरेट एवं केमिकल्स लिमिटेड	बिहार सोलरेट 161, पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना – 800 013.	फलेट सं० – कें०५/ कें०६, न्यू पुनाईचक, पटना	फलेट सं० – कें०५/ कें०६, न्यू पुनाईचक, पटना	नहीं	वर्तमान में पंजीकृत पता पर निजी जायदाद विद्यमान है।	32	01
15.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड 161, पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना – 800 013.	फलेट सं० – कें०५/ कें०६, न्यू पुनाईचक, पटना	नहीं	वर्तमान में पंजीकृत पता पर निजी जायदाद विद्यमान है।	1,142	09
16.	विभाग	बिहार राज्य टैक्नीक एकस्ट्रेट लिमिटेड	ए०३०० कॉलेज के सामने, बोरिङ कैनाल रोड, पटना – 800 013.	फलेट सं० – कें०५/ कें०६, न्यू पुनाईचक, पटना	नहीं	कम्पनी रजिस्ट्रार के अभिलेखों के अनुसार, पंजीकृत पता, अपूर्ण था तथा अतएव, पता नहीं लगाया जा सका।	21	01
17.	सूचना प्रावेधिकी विभाग	बेल्टून माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	द्वितीय तल, उद्योग भवन, गाँधी मैदान, पटना	बेल्टून भवन, शास्त्री नगर, पटना	नहीं	वर्तमान में, अन्य सरकारी / निजी कार्यालय कर्पनी के पंजीकृत पते पर स्थित थे।	98	02
18.		बेल्टून विडियो सिस्टम लिमिटेड	उद्योग भवन, द्वितीय तल, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना	बेल्टून भवन, शास्त्री नगर, पटना	नहीं		105	09

क्र0 स0	विभाग का नाम	साठें०३० का नाम	कम्पनी रजिस्ट्रार (आर०आ०सी०) आँकडे के अनुसार पता	वर्तमान पता	क्या आर०आ०सी० आँकडे के अनुसार वर्तमान पता वही थे (हाँ / नहीं)	कार्यालय परिसर / प्रतिष्ठान	स्वीकृत मानवबल	कार्यरत मानवबल
19.	स्काडा एग्रो विजनेस कम्पनी लिमिटेड, पटना	सोन भवन, कॉम्प्लेक्स, दरोगा प्रसाद राय पथ, के अनुसार पटना – 800 001.	सोन भवन, कॉम्प्लेक्स, पंजीकृत कार्यालय पते हाँ	कमांड एरिया डेवलपमेंट सर्किल, सोन भवन, पटना शून्य	शून्य	कम्पनी रजिस्ट्रार के अभिलेखों के अनुसार, पंजीकृत पता, अपूर्ण था तथा अतएव, पता नहीं लगाया जा सका। स्काडा, पटना (होलिंग कम्पनी) ने कहा कि स्काडा के प्रमङ्गलीय कार्यालय परिसर (ओराबाद, डेहरी एवं मोहनियाँ) में साठें०३० संचालित थे एवं 25 वर्षों से अधिक समय से अकार्यशील हो गए। पुराने अभिलेखों को लगभग 20 वर्ष पूर्व सोन भवन पटना में स्थानांतरित कर दिया गया था। अप्रैल, स्काडा के पुरान्ठन के पश्चात, इनके कई प्रमङ्गलीय कार्यालय या तो बंद हो गए, विलय कर दिए गए अथवा अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिये गये।	शून्य	
20.	स्काडा एग्रो विजनेस एवं ओद्योगिक कम्पनी, डेहरी ओराबाद लिमिटेड	ओराबाद, थाना— ओराबाद पटना – 800 001.	सोन भवन, कॉम्प्लेक्स, दरोगा प्रसाद राय पथ, पटना – 800 001.	सोन भवन, कॉम्प्लेक्स, दरोगा प्रसाद राय पथ, पटना – 800 001.	नहीं	स्काडा, पटना (होलिंग कम्पनी) में प्रमङ्गलीय कार्यालय परिसर (ओराबाद, डेहरी एवं मोहनियाँ) में साठें०३० संचालित थे एवं 25 वर्षों से अधिक समय से अकार्यशील हो गए। पुराने अभिलेखों को लगभग 20 वर्ष पूर्व सोन भवन पटना में स्थानांतरित कर दिया गया था। अप्रैल, स्काडा के पुरान्ठन के पश्चात, इनके कई प्रमङ्गलीय कार्यालय या तो बंद हो गए, विलय कर दिए गए अथवा अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिये गये।	शून्य	
21.	संसाधन विभाग	स्काडा एग्रो विजनेस एवं ओद्योगिक कम्पनी, डेहरी लिमिटेड	तर बंगला, डेहरी औन सोन (रोहतास)	सोन भवन, कॉम्प्लेक्स, दरोगा प्रसाद राय पथ, पटना – 800 001.	नहीं	स्काडा, पटना (होलिंग कम्पनी) के कार्यालय में, इन तीन साठें०३० के, न तो अभिलेखों, न ही पंजीकृत पते पर स्थित परिसरों का पता लगाया जा सका।	शून्य	
22.	स्काडा एग्रो विजनेस एवं ओद्योगिक कम्पनी, मोहनियाँ मोहनियाँ भमुआ लिमिटेड	सोन कमांड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी,	सोन कमांड एरिया डेवलपमेंट राय पथ, पटना – 800 001.	नहीं	शून्य			

## परिशिष्ट 7.4

(संदर्भ: कंडिका 7.6.2)

नमूनाकृत अकार्यशील सांखेतिकों के लेखाओं का बकाया (सितम्बर 2022 तक)

क्रो सं०	विभाग का नाम	कम्पनी का नाम	वह अवधि जिसके लिए लेखे बकाया थे	बकाया लेखाओं की संख्या
1.	उद्योग	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	1986-87 से 2021-22	36
2.		बिहार कीटनाशक लिमिटेड	1987-88 से 2021-22	35
3.		बिहार मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1984-85 से 2021-22	38
4.		बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड	1986-87 से 2021-22	36
5.		बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	1977-78 से 2021-22	45
6.		बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सेरामिक्स लिमिटेड	1986-87 से 2021-22	36
7.		बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	1984-85 से 2021-22	38
8.		बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2011-12 से 2021-22	11
9.		बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1986-87 से 2021-22	36
10.		बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1988-89 से 2021-22	34
11.		झंजारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड	1986-87 से 2021-22	36
12.		मगध मिनरल लिमिटेड	1984-85 से 2021-22	38
13.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड	1985-86 से 2021-22	37
14.		बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	1987-88 से 2021-22	35
15.		बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2003-04 से 2021-22	19
16.		बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	1989-90 से 2021-22	33
17.	सूचना प्रावैधिकी विभाग	बेल्ट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	1991-92 से 2021-22	31
18.		बेल्ट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	1990-91 से 2021-22	32
19.	जल संसाधन विभाग	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	2015-16 से 2021-22	07
20.		स्काडा एग्रो बिजनेस एवं औद्योगिक कम्पनी औरंगाबाद लिमिटेड	1993-94 से 2021-22	29
21.		स्काडा एग्रो बिजनेस एवं औद्योगिक कम्पनी डेहरी लिमिटेड	1993-94 से 2021-22	29
22.		स्काडा एग्रो बिजनेस एवं औद्योगिक कम्पनी मोहनियाँ लिमिटेड	1993-94 से 2021-22	29

**परिशिष्ट 7.5**  
**(संदर्भ: कंडिका 7.6.3)**

**अकार्यशील सांक्षेतिक के वेतन/पेंशन आदि के संबंध में देनदारियों का विवरण  
(₹ करोड़ में)**

क्र० सं०	कम्पनी	बकाया देनदारियाँ	बजटीय सहायता	न्यायालय के आदेश के आलोक में कर्मचारियों को किया गया भुगतान	शेष देनदारियाँ
1	2	3	4	5	6 (3-5)
1	बी०एस०आई०डी०सी०एल०	211.38	20.00	11.92	199.46
2	बी०पी०एम०एल०	00.00	00.00	00.00	00.00
3	बी०एस०एच०एच०डी०सी०एल०	56.01	56.01	42.07	16.56
4	बी०एस०टी०सी०एल०	04.25	04.25	02.16	02.09
5	बी०एस०एल०	04.82	00.00	00.00	04.82
6	बी०एम०एस०एल०	04.64	00.00	00.00	04.64
7	बी०वी०एस०एल०	13.80	00.00	00.00	13.80
8	स्काडा एवं इसके तीन अनुषंगी सांक्षेतिक	00.00	00.00	00.00	00.00
9	बी०एस०एफ०डी०सी०एल०	50.00	00.87	00.68	46.87
10	बी०एस०सी०एल०	06.13	00.00	00.00	06.13
11	बी०एस०टी०ई०एल०	03.03	00.00	00.00	03.03
12	बी०एस०पी०सी०डी०सी०एल०	45.02 <sup>3</sup>	46.64	36.02	09.00
<b>कुल देनदारियाँ</b>		<b>399.08</b>	<b>127.77</b>	<b>92.85</b>	<b>306.40</b>

<sup>3</sup> इसमें बी०एस०पी०सी०डी०सी०एल० तथा इसकी सात अनुषंगी सांक्षेतिक की बकाया देनदारियाँ शामिल हैं।

### परिशिष्ट 7.6

(संदर्भ: कंडिका 7.6.4 एवं 7.6.5)

#### परिसम्पत्तियों का विवरण

(अ) मूल्यांकन / नवीनतम उपलब्ध अंतिमीकृत / आंतरिक लेखाओं के अनुसार, स्थायी परिसम्पत्तियाँ अर्थात् भूमि, भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	कुल भूमि (एकड़ में)	भूमि का कुल मूल्य <sup>4</sup>	संयंत्र एवं मशीनरी का कुल मूल्य	भूमि का कुल मूल्य	संयंत्र एवं मशीनरी का कुल मूल्य
1.	बी०एस०आई०डी०सी०एल० की इकाई			औद्योगिक क्षेत्र भूमि की दर के आधार पर	अंचल दर के आधार पर	
	हाईटेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री समलौंग (नामकुम), झारखण्ड	135.15	161.13	0.67	892.80	0.67
	मैलिएबल कार्स्ट आयरन फाउंड्री समलौंग (नामकुम), झारखण्ड					
	स्वर्णरेखा घड़ी कारखाना समलौंग (नामकुम), झारखण्ड					
	विद्युत उपकरण फैक्टरी, हरातु, झारखण्ड	94.44	43.38	02.41	230.64	02.42
	बिहार स्टेट सुपर फॉर्सेट फैक्ट्री, सिंदरी, झारखण्ड	78.21	10.23	0.45	35.51	0.45
	बिहार स्पन सिल्क मिल्स, बहादुरपुर, भागलपुर	15.0	108.75	0.58	120.00	0.58
2.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	--	--	--	--	0.67
	<b>कुल</b>	<b>322.8</b>	<b>323.49</b>	<b>4.11</b>	<b>1,278.95</b>	<b>4.79</b>
	<b>बी०एस०आई०डी०सी०एल० की अनुषंगी</b>					
3.	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड, सहरसा	48.09	19.24	0.39	96.18	0.39
4.	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड, फतुहा*	--	--	--	--	--
	<b>कुल</b>	<b>48.09</b>	<b>19.24</b>	<b>0.39</b>	<b>96.18</b>	<b>0.39</b>

\* बिहार स्कूटर्स लिमिटेड की परिसम्पत्तियाँ बियाडा द्वारा (2008) ₹ 1.06 करोड़ में वापस ले ली गई थी। बी०एस०पी०डी०सी०एल० तथा उसकी अनुषंगी कम्पनियों की परिसम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

<sup>4</sup> बिहार सरकार ओ०एम० संख्या 2146 दिनांक 24.05.2018 (कंडिका-IV) तथा झारखण्ड सरकार ओ०एम० संख्या 15 दिनांक 03.01.2019 के आलोक में: उद्योग विभाग, सचिव के स्तर पर निरीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए संयुक्त दल (संदर्भ : पी०/189-V-III)।

(ब) लेखाओं / आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	भूमि/ पट्टे की भूमि	भवन	संयंत्र एवं मशीनरी	अभियुक्ति
1	बिहार राज्य बन विकास निगम लिमिटेड	0.0005	0.39	0.024	31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक की प्रतिवेदन के अनुसार। हालाँकि, सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में कहा गया था कि निगम ने सत्यापन के लिए न तो अपना स्थायी परिसम्पत्ति पंजी एवं न ही कोई भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।
2	बिहार राज्य सोलरेट एवं केमिकल्स लिमिटेड	0.02	0.50	0.21	वर्ष 2002–03 की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार। हालाँकि, सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में कहा गया था कि निगम ने सत्यापन के लिए न तो अपना स्थायी परिसम्पत्ति पंजी एवं न ही कोई भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।
3	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	0.03	0.61	0.76	वर्ष 2001–02 की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार। हालाँकि, सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में कहा गया था कि निगम ने सत्यापन के लिए न तो अपना स्थायी परिसम्पत्ति पंजी एवं न ही कोई भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।
4	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	0.02	0.06	0.05	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन: 2003–04 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कहा गया था कि सत्यापन के लिए न तो स्थायी परिसम्पत्ति पंजी एवं न ही कोई भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। अतः, आंतरिक लेखापरीक्षक आधिक्य / कमी पर टिप्पणी करने में असमर्थ था। अग्रेतर, अंतिम सांविधिक लेखापरीक्षा वर्ष 1990–91 के लिए की गई थी।
5	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	0.10	0.38	0.03	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन : 2017–18 न तो स्थायी परिसम्पत्ति पंजी का संधारण किया गया था एवं न ही कोई भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।
6	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड, पटना	शून्य	शून्य	शून्य	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन: 2020–21 एवं वर्ष 2014–15 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
7	स्काडा एग्रो बिजनेस एवं उद्योग कम्पनी, औरंगाबाद लिमिटेड	नहीं	नहीं	नहीं	स्थापना के बाद से कोई लेखा तैयार नहीं किया गया है।
8	स्काडा एग्रो बिजनेस एवं उद्योग कम्पनी, डेहरी लिमिटेड	नहीं	नहीं	नहीं	
9	स्काडा एग्रो बिजनेस एवं उद्योग कम्पनी, मोहनियाँ लिमिटेड	नहीं	नहीं	नहीं	
10	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	तीन स्थानों पर, 44 कट्टा <sup>5</sup> भूमि, बियाडा को हस्तांतरित की गई थी।

<sup>5</sup> बिहार में भूमि माप की एक इकाई, जो कि 1,361 स्क्वायर फीट के बराबर है।

**परिशिष्ट 8.1**  
**(संदर्भ: कंडिका 8.1.1)**  
**पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत परियोजनाएँ**

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	योजना	अनुमानित मूल्य (₹ करोड़ में)
1	पोटेबल जलापूर्ति	32.95
2	जलापूर्ति के लिए स्मार्ट समाधान	10.44
3	पुनःचक्रीय जलापूर्ति	34.00
4	सरकारी भवनों के छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र	99.92
5	सीवरेज नेटवर्क इन एरिया-बेर्स्ड डेवलपमेंट (ए०बी०डी०) एरिया	51.90
6	सेनिटेशन : पब्लिक टॉयलेट्स (बायो-डाइजेर्ट्स के साथ)	2.00
7	ई-टॉयलेट्स	4.50
8	री-डेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन एरिया	433.00
9	बाँकीपुर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ट्रैफिक एण्ड ट्रांजिट मैनेजमेंट सेंटर	175.00
10	इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट (आई०पी०टी०) स्टैण्ड्स	9.00
11	बीरचंद पटेल मार्ग का कायाकल्प (मॉडल पथ)	31.25
12	स्मार्ट रोड नेटवर्क (16 कि०मी०)	240.30
13	ई-रिक्षा	10.00
14	ई-बसेस	10.00
15	पैदल यात्रियों के लिए फुट ओवर ब्रिज	50.00
16	स्मार्ट बस स्टॉप	0.50
17	ऑन स्ट्रीट पार्किंग	0.40
18	इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आई०टी०एम०एस०)	16.90
19	पब्लिक ट्रांसपोर्ट	20.00
20	जन सेवा केन्द्र	17.50
21	पाईप गैस नेटवर्क को बिछाना (फॉर एल०पी०जी०)	33.00
22	इन्टरनेशनल कनवेन्शन सेंटर	490.00
23	अरबन इन्क्यूबेशन सेंटर (उष्मायान)	10.00
24	रिप्रियन वेटलैंड डेवलपमेंट	26.92
25	मन्दिरी नाला का विकास	65.20
26	हार्डिंग पार्क	55.63
27	अदालतगंज तालाब का पुनर्विकास	15.80
28	रूफटॉप फार्मिंग ऑन रेसिडेंसियल बिल्डिंग्स	22.50
29	इनोवेटिव ३डी प्रिंटिंग्स	5.63
30	यूनिफॉर्म ग्लो साईन बोर्ड्स इन मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स	0.66
31	गाँधी मैदान में कल्चरल इवेंट के लिए मेगासाईज स्क्रीन	5.00
32	एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र (आई०सी०सी०सी०) डाटा सेन्टर	89.60
33	लाईट एमीटिंग डायोड (एल०ई०डी०) स्ट्रीट लाईटिंग	20.00
34	स्लम-फ्री एरिया-बेर्स्ड डेवलपमेंट (ए०बी०डी०)	123.34
35	शिक्षा एवं बाल विकास	0.85
36	स्वास्थ्य एवं हाइजिन	0.07

क्र० सं०	योजना	अनुमानित मूल्य (₹ करोड़ में)
37	सिक्कल डेवलपमेंट सेंटर	1.00
38	रैन बसेरा का उन्नयन	0.16
39	प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा	1.00
40	सामाजिक जागरूकता अभियान	25.00
41	मल्टी-यूटीलिटी स्मार्ट पोल्स (55 कि०मी०)	148.50
42	अण्डरग्रांउण्डुस यूटीलिटी डवट्स	63.10
43	पब्लिक वाई-फाई हॉट स्पॉट	33.00
44	इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एस०डब्ल्यू०एम०)	13.28
पूँजीगत व्यय (सी०ए०पी०ई०एक्स०)		2,498.80
परिचालन व्यय (ओ०पी०ई०एक्स०)		277.37
<b>कुल</b>		<b>2,776.17</b>

## परिशिष्ट 8.2

(संदर्भ: कंडिका 8.1.7.1)

## 29 छोड़ी गई परियोजनाएँ (पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत)

क्र० सं०	योजना	अनुमानित मूल्य (₹ करोड़ में)	अभियुक्ति
1	पोटेबल वाटर सप्लाई	32.95	--
2	जलापूर्ति के लिए स्मार्ट समाधान	10.44	परियोजना पहले से ही बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही थी
3	पुनःचक्रीय जलापूर्ति	34.00	
4	सीवरेज नेटवर्क इन एरिया-बेर्स्ड डेवलपमेंट (ए०बी०डी०) एरिया	51.90	--
5	सेनिटेशन : पब्लिक टॉयलेट्स (बायो-डाइजेर्ट्स के साथ)	2.00	--
6	री-डेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन एरिया	433.00	अगस्त 2019 में रद्द कर दिया गया
7	बाँकीपुर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ट्रैफिक एण्ड ट्रांजिट मैनेजमेंट सेंटर	175.00	पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है
8	ई-रिक्षा	10.00	--
9	स्मार्ट बस स्टॉप	0.50	--
10	ऑन स्ट्रीट पार्किंग	0.40	--
11	रिप्रेरियन वेटलैंड डेवलपमेंट	26.92	--
12	हार्डिंग पार्क	55.63	राज्य सरकार द्वारा पूर्व से ही किया जा रहा है
13	रुफटॉप फार्मिंग ऑन रेसिडेंसियल बिल्डिंग्स	22.50	आवश्यक नहीं
14	यूनिफॉर्म ग्लो साईन बोर्ड्स इन मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स	0.66	पटना नगर निगम द्वारा पूर्व से ही किया जा रहा है
15	स्लम-फ्री एरिया-बेर्स्ड डेवलपमेंट (ए०बी०डी०)	123.34	--
16	शिक्षा एवं बाल विकास	0.85	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के परामर्श से किया जाना था
17	स्वास्थ्य एवं हाइजिन	0.07	संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति (नवम्बर 2022) में शामिल नहीं
18	स्किल डेवलपमेंट सेंटर	1.00	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन०य०एल०एम०) द्वारा क्रियान्वित किया जाना है
19	रैन बसेरा का उन्नयन	0.16	--
20	प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा	1.00	-

क्र० सं०	योजना	अनुमानित मूल्य (₹ करोड़ में)	अभियुक्ति
21	इन्टरनेशनल कनवेन्शन सेंटर	490.00	भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार द्वारा इसका निर्माण पूर्व में ही किया जा चुका है
22	अरबन इन्क्यूबेशन सेंटर (उष्मायान)	10.00	--
23	मल्टी-यूटीलिटी स्मार्ट पोल्स (55 किमी०)	148.50	--
24	अण्डरग्रांउण्डस यूटीलिटी डक्ट्स	63.10	--
25	पाईप गैस नेटवर्क को बिछाना (फॉर एल०पी०जी०)	33.00	--
26	पब्लिक वाई-फाई हॉट स्पॉट	33.00	--
27	लाईट एमीटिंग डायोड (एल०ई०डी०) स्ट्रीट लाईटिंग	20.00	--
28	इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम	16.90	--
29	पब्लिक ट्रांसपोर्ट	20.00	--
<b>कुल</b>		<b>1,816.82</b>	

## परिशिष्ट 8.3

(संदर्भ: कंडिका 8.1.7.1)

पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत, लागत सहित, 29 संशोधित परियोजनाएँ  
(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	बजट / प्रशासनिक स्वीकृति (अक्टूबर 2017)	संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति* (नवम्बर 2022)	अगस्त 2022 तक वहन किए गए व्यय	परियोजना की स्थिति (अगस्त 2022 तक)
पुरानी परियोजना					
1	ई-टॉयलेट्स	4.50	4.49	0.66	प्रक्रियाधीन
2	इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट (आई०पी०टी०) स्टैण्ड्स	9.00	2.75	2.68	भौतिक रूप से पूर्ण (अंतिम विपत्र प्रक्रियाधीन)
3	बीरचंद पटेल मार्ग का कायाकल्प (मॉडल पथ)	31.25	5.25	5.22	पूर्ण
4	स्मार्ट रोड नेटवर्क	240.30	1.66	0.00	उच्चाधिकार परिचालन समिति ने रोक लगा दिया (मई 2020) तथा परियोजना पुनर्विचाराधीन
5	ई-बसेस *	10.00	10.00	5.00	प्रक्रियाधीन
6	पैदल यात्रियों के लिए फुट ओवर ब्रिज	50.00	4.98	0.00	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम से तकनीकी स्वीकृति / तकनीकी अनुमोदन प्रतिक्षित है
7	मन्दिरी नाला का विकास	65.20	95.98	4.97	प्रक्रियाधीन
8	अदालतगंज तालाब पुनर्विकास	15.80	13.41	9.29	पूर्ण
9	सरकारी भवनों के छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र	99.92	3.86	3.18	प्रक्रियाधीन
10	इनोवेटिव 3डी वॉल पेंटिंग्स	5.63	5.63	0.54	प्रक्रियाधीन
11	गाँधी मैदान में कल्घरल इवेंट के लिए मेगासाइज स्क्रीन	5.00	6.98	6.63	पूर्ण
12	सामाजिक जागरूकता अभियान	25.00	17.00	13.23	दीवारों पर चित्रकारी का कार्य पूर्ण हो चुका है
13	एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र	89.60	178.24  14.21 (एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र के लिए समग्र रूप से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। हालाँकि, डाटा केन्द्र की स्थापना एवं इसके भवन के निर्माण हेतु पृथक रूप से कार्यादेश निर्गत किया गया था। अग्रेतर, शेष ₹ 110 करोड़ का वित्तपोषण गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जाना था।	48.36  (डाटा केन्द्र)  14.21 (एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र भवन का निर्माण)	प्रक्रियाधीन (यद्यपि इसे जून 2020 तक पूर्ण होना था)। एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र के लिए समग्र रूप से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। हालाँकि, डाटा केन्द्र की स्थापना एवं इसके भवन के निर्माण हेतु पृथक रूप से कार्यादेश निर्गत किया गया था। अग्रेतर, शेष ₹ 110 करोड़ का वित्तपोषण गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जाना था।
14	जन सेवा केन्द्र *	17.50	17.50	7.10	प्रक्रियाधीन

क्र० सं०	परियोजना का नाम	बजट / प्रशासनिक स्वीकृति (अक्टूबर 2017)	संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति* (नवम्बर 2022)	अगस्त 2022 तक वहन किए गए व्यय	परियोजना की स्थिति (अगस्त 2022 तक)
15	इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	13.28	13.33	6.32	भौतिक रूप से पूर्ण (अंतिम विपत्र प्रक्रियाधीन)
<b>कुल (अ)</b>		<b>681.98</b>	<b>381.06</b>	<b>127.39</b>	

नई परियोजना					
1	रेलवे स्टेशन क्षेत्र पुनर्विकास के तहत जी०पी०ओ० गोलम्बर के निकट बकरी बाजार में मल्टी मॉडल हब जी+२ का निर्माण	66.81	0.00	योजना में संशोधन के कारण संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना है	
2	बुद्ध स्मृति पार्क के पीछे मल्टी लेवल कार पार्किंग और मौजूदा पटना जंक्शन फलाइओवर के बीच रोड ओवर ब्रिज एवं एप्रोच का निर्माण	17.66	0.00	नगर विकास एवं आवास विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्रतिक्षित	
3	रेलवे स्टेशन क्षेत्र के पुनर्विकास के तहत 440 मीटर सब-वे का निर्माण	72.82	0.00	प्रक्रियाधीन	
4	मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में एम०एल०सी०पी० का विकास	26.29	0.00	--	
5	मौजूदा मजार के माध्यम से बीरचंद पटेल पथ को नेहरू रोड से जोड़ने वाली सड़क का विकास	1.98	1.60	पूर्ण	
6	स्मार्ट रोड के रूप में नेहरू मार्ग पर पटेल भवन से डाकबंगला चौराहा तक सड़कों का निर्माण एवं भूदृष्ट्य उन्नयन का विकास	35.00	0.00	--	
7	गंगा पथ के पास शिवर फ्रंट डेवलपमेंट	52.81	0.00	--	
8	सार्वजनिक स्थल के रूप में गाँधी मैदान का सौंदर्योक्तरण, जिसमें आसपास की इमारतों में प्रदीप्ति भी शामिल है	7.26	0.00	एक कम्पनी के साथ एकरारनामा हुआ	
9	बाकरगंज नाला का विकास	26.98	0.00	नगर विकास एवं आवास विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्रतिक्षित	
10	सर्पन्टाइन नाला का विकास	59.57	0.00	नगर विकास एवं आवास विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्रतिक्षित	
11	अंतिम मील कनेक्टिविटी सहित ए०बी०डी० क्षेत्र में तूफान जल निकासी प्रणाली का विकास	84.69	0.00	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम से तकनीकी स्वीकृति प्रतिक्षित	
12	एस०के० मेमोरियल परिसर का फेस लिपिटंग	2.88	0.00	श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रतिक्षित	

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	बजट / प्रशासनिक स्वीकृति (अक्टूबर 2017)	संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति* (नवम्बर 2022)	अगस्त 2022 तक वहन किए गए व्यय	परियोजना की स्थिति (अगस्त 2022 तक)
13	ए०बी०डी० क्षेत्र में विद्यालयों का आधारभूत संरचना विकास		4.79	3.52	प्रक्रियाधीन
14	बॉस घाट पर शवदाह गृह का विकास		89.40	0.00	नगर विकास एवं आवास विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्रतिक्षित
<b>कुल (ब)</b>			<b>548.94</b>	<b>5.12</b>	
(स)	प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय (ए० एण्ड ओ०इ०)			50.00	0.00
<b>कुल योग (अ+ब+स)</b>			<b>980.00</b>	<b>132.51</b>	

\* क्रम संख्या 5 एवं 14 (पुरानी परियोजना) में वर्णित परियोजना का लागत पुनरीक्षित नहीं किया गया।

**परिशिष्ट-8.4**  
**(संदर्भ: कंडिका 8.1.9)**

**पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत परियोजनाओं पर किया गया व्यय (अगस्त 2022 तक)**  
**(₹ करोड़ में)**

क्र० सं०	योजना	अनुमानित व्यय	अनुबंध मूल्य	वास्तविक भुगतान	स्थिति
1	गाँधी मैदान में कल्वरल इवेंट के लिए मेगासार्इज स्क्रीन	5.00	6.98	6.63	कार्य पूर्ण
2	बीरचंद पटेल मार्ग का कायाकल्प (मॉडल पथ)	31.25	5.25	5.22	कार्य पूर्ण
3	अदालतगंज तालाब पुनर्विकास	15.80	10.63	9.29	कार्य पूर्ण
4	इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	13.28	13.21	6.32	भौतिक रूप से कार्य पूर्ण हो चुका है और अंतिम विपत्र प्रक्रियाधीन है
5	इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट (आई०पी०टी०) स्टैण्डस	9.00	2.65	2.68	भौतिक रूप से कार्य पूर्ण हो चुका है और अंतिम विपत्र प्रक्रियाधीन है
6	मौजूदा मजार होते हुए नेहरू रोड के साथ बीरचंद पटेल मार्ग का कायाकल्प (मौलिक अनुबन्ध-1.81)	1.98	1.77	1.60	भौतिक रूप से कार्य पूर्ण हो चुका है और अंतिम विपत्र प्रक्रियाधीन है
7	सामाजिक जागरूकता अभियान (सामाजिक जागरूकता अभियान मुख्य रूप से मधुबनी पैटिंग के लिए विभिन्न एजेंसियों को विभिन्न कार्यादेश निर्गत किए गए)	25.00	13.23	13.23	पैटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है
8	ई-टॉयलेट्स	4.34	4.34	0.66	कार्य प्रगति पर है
9	ई-बसेस	10.00	10.00	5.00	कार्य प्रगति पर है
10	मन्दिरी नाला का विकास	67.11	67.11	4.97	कार्य प्रगति पर है
11	सरकारी भवनों के छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र	3.80	3.80	3.18	कार्य प्रगति पर है
12	इनोवेटिव 3डी वॉल पैटिंग्स	4.95	4.94	0.54	कार्य प्रगति पर है
13	ए०बी०डी० क्षेत्र में विद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास (बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा)	4.22	4.22	3.52	कार्य प्रगति पर है

क्र० सं०	योजना	अनुमानित व्यय	अनुबंध मूल्य	वास्तविक भुगतान	स्थिति
14	आई०सी०सी०सी० – डाटा सेन्टर	230.47	221.49	48.36	कार्य प्रगति पर है
	एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र–सह–पटना रमार्ट सिटी लिमिटेड भवन का निर्माण	15.97	15.98	14.21	भौतिक रूप से कार्य पूर्ण हो चुका है और अंतिम विपत्र प्रक्रियाधीन है
15	जन सेवा केन्द्र	17.50	17.50	7.10	कार्य प्रगति पर है
16	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा रेलवे स्टेशन क्षेत्र के पुनर्विकास के तहत 440 मीटर सब–वे का निर्माण	68.85	68.85	0.00	कार्य प्रगति पर है
17	गाँधी मैदान का सौंदर्योक्तरण	10.71	10.49	0.00	एक कम्पनी के साथ एकरानामा हुआ
18	रमार्ट रोड नेटवर्क	240.30	0.00	0.00	उच्चाधिकार परिचालन समिति ने रोक लगा दिया (मई 2020) तथा परियोजना पुनर्विचाराधीन
19	पैदल यात्रियों के लिए फुट ओवर ब्रिज	50.00	0.00	0.00	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम से तकनीकी स्वीकृति / तकनीकी अनुमोदन प्रतिक्षित
कुल				<b>132.51</b>	

## परिशिष्ट 8.5

(संदर्भ: कांडिका 8.4)

गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन पद्धति के अन्तर्गत बोलीदाताओं को अंकों का आवंटन

अनुरोध प्रस्ताव (आर०एफ०पी०) के अनुसार, तकनीकी स्कोर एवं वित्तीय स्कोर की गणना यूणिक्या एवं लागत आधारित चयन (क्यू०सी०बी०एस०) पद्धति तथा वेटेज 70:30 पर को गई है		
<b>तकनीकी मूल्यांकन</b>		

बोलीदाता	कुल अंक	तकनीकी अंक प्रदान किये गये	तकनीकी अंक दिये आवश्यक है	जाने विवर करने के पश्चात्, अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता का क्यू०सी०बी०एस० पद्धति के आधार पर, जाने आवश्यक है	100 के तकनीकी स्कोर पर गलत प्रतिशत तकनीकी के क्यू०सी०बी०एस० पद्धति पर दिए जाने विवर करने के पश्चात्, अधिकतम 70 क्यू०सी०बी०एस० पद्धति के आधार पर, जाने आवश्यक है
मेसर्स 3i इन्फोटेक	100	97	91	(नीचे दिये गये विवरण के अनुसार छ. अंकों की कटौती)	70
मेसर्स सी०एस०एम० टेक्नोलॉजीस	100	86	86	62.06	60.2
<b>वित्तीय मूल्यांकन</b>					
बोलीदाता का नाम	उद्भृत वित्तीय मूल्य (₹ में)	क्यू०सी०बी०एस० के अनुसार वित्तीय आर०एफ०पी० में क्यू०सी०बी०एस० बोली राशि को वित्तीय अंकों में परिवर्तित अनुपात के अनुसार 30 प्रतिशत समग्र तकनीकी एवं वित्तीय स्कोर	प्रबंधन द्वारा दिए गए वेटेज के अनुसार 30 प्रतिशत समग्र तकनीकी एवं वित्तीय स्कोर	अनुसार प्रदान किया जाना है	अनुसार वित्तीय आवश्यक स्कोर, जिसे आर०एफ०पी० के अनुसार प्रदान किया जाना है
मेसर्स 3i इन्फोटेक	7,96,15,848.84	77.27	23.18	93.18	86.88
मेसर्स सी०एस०एम० टेक्नोलॉजीस	6,15,21,306.00	100	30	92.06	90.20
<b>भिन्नता का कारण</b>					
बोलीदाता	विवरण	पूर्ण अंक	प्रदान किये गये अंक	प्रदान किये गये अंक	आर०एफ०पी० के अनुसार दिये जाने वाला आवश्यक अंक
मेसर्स 3i इन्फोटेक	आर०एफ०पी० में उल्लेखित 7.22 तकनीकी योग्यता मानदंड (क्रम संख्या 03) के अनुसार, “पैच कराड से अधिक मूल्य के अधिकतम पैच कार्यों में सॉफ्टवेयर विकास, अनुकूलन, कार्यालय एवं रख-रखाव सेवाओं को वर्णित किया जाना चाहिए जो या तो पूर्ण हो चुके हैं अथवा एक चालन परियोजना है जहाँ प्रासंगिक अनुभव के लिए डिलीवरेबल या माइलस्टोन सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक, कार्यालय विगत पैच वर्ष के अन्दर निर्गत किया जाना चाहिए।”	30	30	24 (छ. अंक कम किए जाने चाहिए क्योंकि 28 मार्च 2012 का एक कार्य आदेश फर्म को बोली जमा करने की अंतिम तिथि से पाँच वर्ष से अधिक पूर्व दिया गया था)।	
मेसर्स सी०एस०एम० टेक्नोलॉजीस	30	24	24	24	24

# संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली



## संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	
संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण रूप
ए० एण्ड ओ०ई०	प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय
ए०सी०	उच्चस्तरीय समिति
ए०जी०एम०	वार्षिक सामान्य बैठक
ए०टी०एन०	कार्यवाही टिप्पणी
बेल्ट्रॉन	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
बी०ई०आर०सी०	बिहार विद्युत विनियामक आयोग
बियाडा	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण
बी०एम०एस०आई०सी०एल०	बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड
बी०एम०एस०एल०	बेल्ट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड
बी०ओ०डी०	निदेशक मंडल
बी०पी०एम०एल०	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड
ब्रेडा	बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी
बी०एस०सी०एल०	बिहार सॉल्वेंट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
बी०एस०ई०डी०सी०एल०	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
बी०एस०ई०आई०डी०सी०एल०	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
बी०एस०एफ०डी०सी०एल०	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
बी०एस०एच०एच०डी०सी०एल०	बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड
बी०एस०आई०डी०सी०एल०	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
बी०एस०एल०	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड
बी०एस०एन०एल०	भारत संचार निगम लिमिटेड
बी०एस०पी०सी०डी०सी०एल०	बिहार स्टेट फार्मास्युटिकल्स एंड केमिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
बी०एस०टी०सी०एल०	बिहार स्टेट टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
बी०एस०टी०ई०एल०	बिहार स्टेट टैनिन एक्स्ट्रैक्ट लिमिटेड
बी०वी०एस०एल०	बेल्ट्रॉन वीडियो सिस्टम लिमिटेड
सी०ई०ओ०	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सी०ई०आर०सी०	केन्द्रिय विद्युत विनियामक आयोग
कोपू	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
सी०एस०एस०	केन्द्र प्रायोजित योजना
डिस्कॉम्स	वितरण कम्पनियाँ
डी०पी०आर०	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
डी०एस०एम०	विचलन निपटान तंत्र
ई०आर०पी०	एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग
एफ०वाई०	वित्तीय वर्ष

जी०सी०आर०टी०एस०पी०पी०पी०	छत पर ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र
जी०ओ०बी०	बिहार सरकार
एच०पी०एस०सी०	उच्चाधिकार परिचालन समिति
आई०सी०सी०सी०	एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र
आई०सी०टी०	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आई०आर०सी०टी०सी०	इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन
आई०टी०	सूचना तकनीकी
आई०टी०आर०	आयकर विवरणी
जियाडा	झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण
जे०एस०के०	जन सेवा केन्द्र
एल०ओ०ए०	कार्य आवंटन पत्र
एम०सी०ए०	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
एम०ओ०एच०यू०ए०	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
एम०ओ०पी०	विद्युत मंत्रालय
एम०ओ०यू०	समझौता ज्ञापन
एन०बी०पी०डी०सी०एल०	नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड
ओ०ई०एम०	मूल उपकरण निर्माता
पी०डी०एम०सी०	परियोजना डिजाइन प्रबंधन सलाहकार
पी०जी०सी०आई०एल०	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
पी०पी०पी०	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पी०एस०सी०एल०	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड
पी०एस०डी०एफ०	पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड
सा०क्षे०उ०	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
क्यू०सी०बी०एस०	गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन
आर०सी०डी०	पथ निर्माण विभाग
आर०एफ०पी०	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आर०ओ०सी०	कम्पनी रजिस्ट्रार
आर०ओ०ई०	अंश पूँजी पर प्रतिफल
एस०ए०बी०सी०ओ०	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड
एस०ए०आर०	सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
एस०बी०पी०डी०सी०एल०	साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड
स्काडा	सोन कमांड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी
एस०सी०एम०	स्मार्ट सिटी मिशन
एस०सी०पी०	स्मार्ट सिटी प्रस्ताव
राज्य सा०क्षे०उ०	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
एस०पी०वी०	विशेष प्रयोजन संस्था
एस०एस०सी०ए०	विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा
टीडीएस	स्रोत पर कर की कटौती
यू०सी०	उपयोगिता प्रमाणपत्र
यू०डी० एण्ड एच०डी०	नगर विकास एवं आवास विभाग
यू०एल०बी०	शहरी स्थानीय निकाय

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

प्रतिवेदन डाउनलोड  
करने हेतु क्यूआर  
कोड स्कैन करें



<https://cag.gov.in/ag/bihar/hi>